स्वतंत्रता आन्दोलन में बाँदा क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का योगदान (1857—1947)

इतिहास विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी में प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

वर्ष — 2007

शोध पर्यवेक्षक
डॉ0 एस0पी0 पाठक
विभागाध्यक्ष, इतिहास
बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

शोध प्रस्तुतकर्ता
अरूण कुमार मिश्र

शोध केन्द्र - बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

समर्पण

ममतामयी माँ

श्रीमती विद्यावती देवी

व

पिताजी

श्री शारदानन्द मिश्र

को सादर समर्पित

डॉ0 एस0पी0 पाठक
विभागाध्यक्ष – इतिहास
बुन्देलखण्ड, कॉलेज, झाँसी
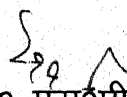
निवास :
32 सिविल लाइन्स, इलाहाबाद बैंक चौराहा, झाँसी
दूरभाष : 0510–2472317 (R) मो0:9450908592

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अरूण कुमार मिश्र ने मेरे निर्देशन में **'स्वतन्त्रता आन्दोलन में बाँदा क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का योगदान** (1857-1947)' विषय को अधिकृत कर शोध–कार्य किया है। शोधार्थी ने 200 दिन से अधिक उपस्थिति की अनिवार्यता पूरी कर ली है। यह शोध–प्रबन्ध नितान्त मौलिक तथा अनुसन्धान की वैज्ञानिकता से युक्त है।

मैं इसे पी–एच0डी0 की उपाधि हेतु मूल्याकंनार्थ संस्तुत करता हूँ।

भवदीय

डॉ0 एस0पी0 पाठक

मानचित्र जनपद बाँदा

विषय-सूची

अध्यायक्रम	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i - v
प्रथम अध्याय	बाँदा जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1–31
द्वितीय अध्याय	सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि	32–85
तृतीय अध्याय	सन् 1857 के विद्रोह का प्रारम्भ एवं जनता की भागीदारी	86–117
चतुर्थ अध्याय	राष्ट्रीय आन्दोलन में बाँदा जनपद की भागीदारी (1858–1885)	118–131
पंचम अध्याय	1885–1920 तक बाँदा जनपद में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति	132–162
षष्ठ अध्याय	1820–1942 तक के राष्ट्रीय आन्दोलन की रूप रेखा व बाँदा क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का योगदान	163–257
सप्तम अध्याय	1942–1947 तक के आन्दोलन का प्रभाव तथा जनता की प्रतिक्रिया	258–300
अष्टम अध्याय	उपसंहार	301–324
महत्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रन्थ		325–345

प्राक्कथन

भारत के मध्य में स्थित बुन्देलखण्ड अपने शौर्य एवं सहृदयता का परिचय शताब्दियों से देता रहा है। बुन्देला राजाओं के रक्त से ओत–प्रोत बुन्देलखण्ड की यह तपस्वी भूमि आज भी अपने शहीद पुत्रों की वीरता का गुणगान कर रही है। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के विरूद्ध 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपनी तलवार खींचकर क्रान्ति का सूत्रपात किया। इस वीरभूमि के अन्तर्गत बाँदा, झाँसी, हमीरपुर, जालौन एवं ललितपुर जनपद सम्मिलित है। स्वतन्त्रता संग्राम में बाँदा जनपद का योगदान गौरवपूर्ण रहा है।

1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की सशस्त्र क्रान्ति में इस जनपद ने सक्रिय योगदान दिया। इसमें अलीबहादुर और राव साहब ने नेतृत्व प्रदान कर लोगों को प्रेरित किया। निरन्तर अंग्रेजों से जूझते हुए राव साहब को अन्ततः फाँसी दे दी गई। किन्तु 1857 की क्रान्ति के विफल हो जाने के बाद भी जनपद बाँदा का योगदान राष्ट्रीय आन्दोलन में निरन्तर बना रहा। महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होने से पूर्व तक यह जनपद पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हरप्रसाद सिंह और विष्णुशरण मेहता के नेतृत्व में आन्दोलन के लिए पूर्णरूपेण तैयार हो चुका था।

गाँधी जी के देशव्यापी असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर इस जनपद के लोगों ने दुगुने उत्साह से संघर्ष पताका उठाते हुए विदेशी शासन का डटकर विरोध किया। जनपद के उपरोक्त सभी नेताओं के

सम्मिलित प्रयत्नों से यहाँ के लोग गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलनों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते रहे।

राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा में सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जिले में स्थानीय युवाओं का विध्वंसक रूप प्रगट हुआ। अब उनकी यह धारणा बन चुकी थी कि 'यदि जेल जाना ही है, तो क्यों न किसी–न–किसी ब्रिटिश नुमाइन्दे को मारकर जेल जाया जाए।' इस आन्दोलन के प्रणेता रामदत्त उर्फ 'टेनी' थे। युवा वर्ग का नेतृत्व गंगाकेशव तथा यमुना प्रसाद बोस ने किया। यमुना प्रसाद बोस 'करो या मरो' के नारे से इतने प्रेरित थे, कि उन्होंने बनारस में अपने अध्ययन को त्याग कर स्वयं को भूमिगत रखते हुए बाँदा में विदेशी आधिपत्य को उखाड़ फेंकने के आन्दोलन का नेतृत्व किया। इन सभी के प्रयासों से अन्ततः भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल हुआ व सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवर्ष ने 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त की।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास देश की असंख्य नर–नारियों के त्याग, तपस्या तथा कष्टों से भरा पड़ा है। खेद है कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास विस्मृति के गर्त में डूबता जा रहा है। इस देशव्यापी उत्प्रेरक स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की उदासीनता के कारण बाँदा ही नही अन्य जनपदों में भी इस सत्याग्रही क्रान्ति युग का कोई शोधपूर्ण प्रमाणिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। स्वतन्त्रता सेनानियों की मात्र जनपदीय नामावली ही उपलब्ध है।

यद्यपि इस सन्दर्भ में कुछ रचनाएं (परिक्रमा बाँदा) प्रकाश में आयी है तथापि शिक्षा–विभाग द्वारा प्रयाग से प्रकाशित (कामद क्रान्ति) बाँदा जनपदीय परिक्रमा, उत्तर प्रदेश, बाँदा मकबरा की उर्दू में प्रकाशित (तवारीखें बुन्देलखण्ड) आदि का पूर्ण ज्ञान कराने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई हैं। इस अभाव को ध्यान में रखते हुए इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैंने इस प्रेरक विषय पर शोध कार्य करने का विनम्र प्रयास किया है।

मेरे इस शोध कार्य में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, राज्य अभिलेखागार, लखनऊ (उ0प्र0) तथा राज्य अभिलेखागार, भोपाल (म0प्र0) के स्टाफ व अधिकारियों ने मेरी जो सहायता की है, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। इनके सहयोग के बिना यह कार्य सम्भव न होता।

उपर्युक्त कार्य को करने में मुझे निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, किन्तु मेरे शोध निर्देशक डॉ0 एस0पी0पाठक अध्यक्ष, इतिहास विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी के सम्यक् मार्गदर्शन प्राप्त होने से उपरोक्त सभी कठिनाइयों पर मैंने सफलता प्राप्त कर ली।

इसके अतिरिक्त श्री डी0के0 सिंह, डॉ0 कैलाश खन्ना, डॉ0 भाटिया, डॉ0 (श्रीमती) मन्जू सिंह तथा डॉ0 अजीत सिंह शिक्षकगण इतिहास विभाग, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी के समय–समय पर प्राप्त बहुमूल्य सुझावों से मेरा कार्य और आसान हो गया। अतः मैं इन सभी का आभारी हूँ। मेरे गुरू डॉ0 एस0पी0 पाठक की धर्मपत्नी अर्थात मेरी गुरूमाता

श्रीमती जगदेवी पाठक के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह शोध कार्य सम्भव हुआ।

मुझे अपने परम पूज्य पिता जी श्री शारदा नन्द मिश्र एवं परम पूज्यनीया माता जी श्रीमती विद्यावती देवी से अनवरत् उत्साह एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, अतः मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने जीजा जी श्री कन्हैया मिश्र जो शिक्षा विभाग में पदस्थापित हैं, उनका भी आभारी हूँ। जिनके पास अनवरत् रूप से रहकर उनके सहयोग से यह कार्य पूरा करने में मैं सफल रहा हूँ। इसी तरह अपनी पूज्यनीया बहन श्रीमती प्रेमशीला मिश्रा का भी आभारी हूँ। जिनके सरल व्यक्तित्व ने मुझे निरन्तर प्रेरित किया है। उन्हें आभार प्रकट करना मेरा परम कर्तव्य है।
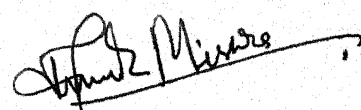
हमारे ज्येष्ठ भ्राता विनोद कुमार मिश्र (प्रवक्ता, रसायन विज्ञान) और मनोज कुमार मिश्र का भी आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस शोध कार्य में सम्बल प्रदान करते हुए अनुगृहीत किया है। अतः उनके प्रति भी मैं कृ-तज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मैं अपनी दोनों भाभियों का भी आभारी हूँ। जिनके स्नेह एवं आशीर्वाद से यह असम्भव शोधकार्य पूर्ण हो पाया है।

मैं अपने चाचा श्री परमानन्द मिश्र, स्व0 ब्रम्हानन्द मिश्र, श्री सवलिया नन्द मिश्र का भी आभारी हूँ। उन्हीं की प्रेरणाओं के फलस्वरूप इस शोध कार्य में प्रवृत्त हुआ। मैं तीनों चाचियों का भी आभारी हूँ। जिनके समर्थन तथा उत्साहवर्धन से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

अपने छोटे भाई वरूण, अभिषेक, छोटू एवं बहन सीमा, पिंकी, भांजा शुभम व भांजी स्मृति तथा भतीजा आदर्श, अभिनव एवं भतीजी खुशी और परिवार के अन्य सदस्यों को आभार प्रकट करते हुए, उनके सहयोग तथा उत्साहवर्धन के प्रति नतमस्तक हूँ। मैं उनका भी आभारी हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया है।

जिला पुस्तकालय बाँदा, जिला पुस्तकालय झाँसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय लाइब्रेरी झाँसी, झाँसी म्यूजियम लाइब्रेरी तथा बुन्देलखण्ड कॉलेज लाइब्रेरी झाँसी आदि में संग्रहीत विषय के पुस्तकों को उपलब्ध कराकर वहाँ के स्टाफ व अधिकारियों ने मेरी मदद की है, जिसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मनीषियों व विद्ववत–जनों के सानिध्य में इस दूभर कार्य को सरल बनाया, परन्तु मेरा आस्तिक मन उस माँ का रोम–रोम से आभारी है। जिनका पुत्र है, प्रत्येक शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वह शिक्षा पर कार्य कर रहा हो या शिक्षा के लिए। अमानत है शिक्षा से जुड़ी तमाम संस्थाएं उस माँ की। इस ज्ञानदायिनी माँ ने अपने सभी पुत्रों व साधन को मेरा सहयोगी बनाया।

मैं संगणक संचालक अनुज कुमार वर्मा (जैन कम्प्यूटर्स), ईलाइट चौराहा, झाँसी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने बड़ी लगन एवं परिश्रम के साथ इस शोध–प्रबन्ध को शीघ्रता से प्रस्तुत करने में सहयोग दिया।

अरूण कुमार मिश्र

प्रथम अध्याय

बाँदा जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय प्रथम

बाँदा जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बाँदा जिला एक असमान त्रिभुज की भाँति पूर्व में इलाहाबाद संभाग[1] के अन्तर्गत स्थित था। जो उत्तर तथा उत्तर–पूर्व में यमुना नदी से सीमांकित था। पश्चिम की ओर अधिकतर केन नदी इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है और यही नदी बाँदा को चरखारी और गौरिहार की रियासतों से भी पृथक करती है। गौरिहार रियासत के अन्तर्गत स्थित खड्डी का क्षेत्र बाँदा जनपद का ही अंग था। केन नदी बाँदा को महोबा तथा मौदहा से भी पृथक करती है। बाँदा जिले की भौगोलिक सीमा इलाहाबाद जिले की बारा तहसील से तथा कहीं–कहीं रीवा रियासत से जुड़ी थी, जबकि दक्षिण की ओर यह जिला रीवा, पन्ना और चरखारी के क्षेत्रों से मिला हुआ था। दक्षिण–पश्चिम तथा दक्षिण की ओर इसकी सीमायें इसलिए असमान थी, क्योंकि **अजयगढ़** और **पन्ना** की रियासतों के कुछ गाँव इसमें शामिल थे।

बाँदा जिला भौगोलिक दृष्टि से यमुना घाटी के निचले हिस्से में पड़ता है। यमुना नदी इस जिले की सीमा में लगभग तीन या चार मील की दूरी तक प्रवाहित होती है। बाँदा परगना समतल है किन्तु केन नदी के पश्चिमी क्षेत्र समतल नही हैं।[2] बाँदा के दक्षिण–पश्चिम भाग में **सिहोण्डा** परगना स्थित है, जिसकी भूमि अधिकांश असमान और ऊँची है

---

[1] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–61

[2] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–60

किन्तु उत्तर और पूर्व की ओर कुछ पथरीली ग्रेनाइट चट्टानों के कारण ऊँची–नीची है। **पैलानी** परगना समतल भूमि वाला क्षेत्र है। इसके कुछ ही क्षेत्र ऊँचे–नीचे है। सिहोण्डा के दक्षिण–पूर्व में **बदौसा** एक निचली भूमि वाला क्षेत्र है, जबकि **कालिंजर** वाला क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से ऊँचाई वाली भूमि है। परगना **अगौसी** अधिकांशतः समतल और निचली भूमि वाला क्षेत्र है, इसलिए इसका अधिकतर भाग वर्षा ऋतु में पानी से भरा रहता है। 1872 में जिले का कुल क्षेत्रफत्र 19,39,291 एकड़ अथवा 3030 वर्गमील (लगभग) था।[3]

जनपद में तहसीलों की क्षेत्रफल की जानकारी निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट दिखाई पड़ती है।[4]

क्र.स.	वर्तमान तहसील	स्टेट्स की संख्या (1872 में)	क्षेत्रफल (एकड़ में) 1872 में
1.	बाँदा	164	2,52,769
2.	बबेरू	160	2,31,345
3.	कैमासिन	197	2,27,147
4.	कर्वी	233	3,53,240
5.	बदौसा	193	2,29,825
6.	गिरवां	184	1,94,210
7.	पैलानी	154	2,50,208
8.	मऊ	224	2,00,547
	कुल जिला	1,509	19,39,291

[3] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–62

[4] वही

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक महलों (स्टेट्स) की संख्या 233 कर्वी में थी और वहाँ इसी वर्ष 1872 में कुल क्षेत्र 3,53,240 एकड़ था। इस प्रकार क्षेत्रफल तथा महलों की दृष्टि से जिले में कर्वी प्रथम स्थान पर था। इसी दृष्टि से द्वितीय स्थान बाँदा तहसील तथा तृतीय स्थान **पैलानी** का क्षेत्रफल क्रमशः 2,52,769 तथा 2,50,208 एकड़ था। शेष तहसीलों में स्थिति लगभग समान थी।

पहाड़ या पर्वत

बाँदा जिले की पहाड़ियाँ विन्ध्याचल पर्वत का ही अंग है। इस जिले में पर्वत श्रेणियों का उद्गम **क्षिवून** परगने से होता हैं, जिसकी उँचाई पाँच सौ फीट से अधिक थी। ये पर्वत ऋंखलायें इस जिले की दक्षिण–पूर्वी सीमाओं का प्राकृतिक विभाजन करती है। क्षिवून परगने से निकली पहाड़ियों की संख्या पन्ना व चरखारी रियासतों तक चली गई है। बाँदा जिले में फैली हुई इन पर्वत श्रेणियों के अलग–अलग स्थानीय नाम भी है। बाँदा खास की सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी को **'बन्देश्वर पहाड़ी'** कहा जाता है। सम्भवतः यह नामकरण इस पहाड़ी के उत्तर–पूर्व में निर्मित महादेव की विशाल मन्दिर के कारण हुआ।[5] बन्देश्वर पहाड़ी से थोड़ी ही दूर पर **पहाड़िया** नामक एक दूसरी श्रेणी है जिसका नामकरण वहाँ पर स्थित एक चट्टान के आधार पर प्रतीत होता है। यह पहाड़ी अधिक से अधिक पच्चास फीट ऊँची हैं। निश्चित रूप से सामरिक दृष्टि से इन पहाड़िया की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। 1803 ई॰ में जब बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ उस समय यहाँ अपने आधिपत्य को और प्रभावशाली बनाने के लिए अंग्रेजी सेनाओं ने एक शक्तिशाली तोप

[5] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–62

लगा रखी थी। यहाँ से निशाना साधते हुए भरण्डी के किले पर गोलाबारी की गई थी।[6]

कालिंजर प्राचीनता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, वह भी छोटी–छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो विन्ध्याचल पर्वत की श्रेणी मालायें है। इसी तरह चित्रकूट में भी स्थान–स्थान पर पहाड़ियाँ है। जिनमें **कामदगिरि**, **कामतानाथ** आदि का नाम भी हिन्दू धर्मशास्त्रों में वर्णित है। **कालिंजर** तथा **मरफा** की पहाड़ियाँ घास के मैदान के लिए अधिक उपयुक्त है कालिंजर पहाड़ी का फैलाव लगभग 160 एकड़ क्षेत्र में है,जबकि मरफा का क्षेत्र 385 एकड़ में फैला हुआ है।[7]

कालिंजर की पहाड़ियाँ शरीफा फल वृक्षों से भरी पड़ी है। इसके अतिरिक्त बबूल के पेड़ तथा जलाऊ लकड़ी के जंगल भी इन पहाड़ियों में पर्याप्त है। यदि हम इस जिले में बिखरी हुई पहाड़ियों की आर्थिक उपयोगिता का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ियों ने जिले को प्राकृतिक सौन्दर्य तो प्रदान किया है, लेकिन इसका विशेष योगदान इस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने की दृष्टि से नहीं है।

नदियाँ

इस जिले की महत्वपूर्ण नदियों में **यमुना** प्रमुख स्थान पर है। यह **पैलानी, अगौसी, घरसिण्डा** तथा **क्षिवून** परगनों की सिंचाई के लिए

[6] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–62

[7] वही

उपयोगी है। यमुना के अतिरिक्त अन्य नाले और झरने तथा छोटी मोटी नदियाँ यमुना की सहायक हैं। इन सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण **केन**, **बगाई**, **पैसूनी** तथा **ओहण** है। बाँदा जिले की सहायक नदियों में यमुना को सबसे अधिक पानी देने का कार्य केन द्वारा ही होता रहा है। बरसात के इन दिनों में इनमें जल प्रवाह तेजी से होता है किन्तु जैसे ही बरसात समाप्त होती है, वैसे ही इनके प्रवाह की तीव्रता कम होने लगती है। गर्मी के दिनों में इनमें से अधिकांश सूख जाती है, यहाँ तक की मई के अंत तक आते–आते **केन** तथा **बगाई** जैसी नदियाँ भी छोटे–छोटे नाले का रूप धारण कर लेती है। केन की तलहटी में प्रायः भूरे रंग की बालू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जिसमें विभिन्न रंगों के अन्य छोटे–छोटे रोड़े भी मिले होते हैं।[8] इसके अलावा प्रतिवर्ष बाढ़ की पानी में **क्वार्ट्स** चट्टाने घसीट कर केन के पानी में आती रहती है जो चिकनाई युक्त होने के कारण शोभा की वस्तु बन जाती है। स्थानीय बाजार में व्यापारी इसे विक्रय के लिए उपलब्ध कराते हैं।[9] केन की तलहटी में ग्रेनाइट पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। इन सबके अतिरिक्त केन नदी का दाहिना किनारा ऊँचाई पर होने के कारण इसका बांया किनारा ढलुआ है, जिससे भूमि कटाव पैदा होता रहता है। नौकाचालन के लिए केन नदी उपयुक्त है लेकिन 1878 तक जिले की नदियों पर नौकायान तथा नौका सम्बन्धी यातायात अपेक्षाकृत कम था।[10]

[8] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–13
[9] वही पृ–13
[10] वही पृ–14

केन के नामकरण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसका प्राचीन नाम **करमावती** था जो बाद में केन शब्द के रूप में अपभ्रंश बन गया। हिन्दी में **करमावती का अर्थ कुँआरी** से है।

एक कथानक के अनुसार 'एक अहीर की कुँआरी कन्या का किसी कुर्मी लड़के के साथ प्रणय सम्बन्ध हो गया। कुँआरी अहीर के पिता ने इसे अनैतिक समझते हुए कुर्मी लड़के की हत्या कर उसके शव को एक बाँध के नीचे गाड़ दिया। कुँआरी कन्या ने यह सुनकर अपनी अनभिज्ञता का बहाना बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, कि उसे उसके प्रेमी के शरीर को दिला दिया जाए। इस कन्या की प्रार्थना सुनकर जिस बाँध के नीचे कुर्मी लड़के का शव गड़ा हुआ था, वहाँ पानी का प्रवाह तेजी से उठा इससे बाँध टूट गया और कुर्मी लड़का प्रकट हुआ। तभी से इस नदी को **'कन्या नदी'** के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका अपभ्रंश **'केन'** के रूप में प्रचलित है।'[11]

जहाँ तक केन नदी की अन्य सहायक नदियों का प्रश्न है, इनमें **चन्द्रावल** महत्वपूर्ण हैं। इसका उदय एक झील से हुआ जिसे चन्द्रमा झील के नाम से पुकारते है। यह हमीरपुर जिले में स्थित है। वहाँ से बहती हुई यह बाँदा तहसील से प्रवाहित होते हुए पैलानी तहसील में **गैररिया** नामक स्थान पर प्रवेश करती है। पैलानी खास में यह केन नदी में मिल जाती है। इसकी अन्य सहायक कुछ छोटी–छोटी नदियाँ भी हैं, जिन्हें विस्तृत नाले के रूप में समझना उचित होगा। इनमें **श्याम**, **केल**,

[11] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–15

बिछवहिया तथा **गोईन** विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें मात्र वर्षा ऋतु में ही पानी भरता है। गर्मी के दिनों में यह प्रायः सूख जाती है।

केन नदी के अतिरिक्त बाँदा जिले में **बगाई** भी महत्वपूर्ण है। इसका उदय पन्ना रियासत के **कोहरी** नाम स्थान से होता है जहाँ से यह **मसौनी**, (भरतपुर गाँव) के पास से बाँदा जिले में प्रवेश करती है। **गिरवां** तहसील में यह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर–पूर्व की ओर मुड़कर **कैमासिन** तहसील के **विलास** नामक गाँव में यमुना में मिल जाती है। वर्षा ऋतु में यह अपनी तेज धारा के लिए प्रसिद्ध है किन्तु बरसात की समाप्ति के पश्चात् इसकी धारा भी समाप्त हो जाती है।[12]

यदि हम बाँदा जिले कि नदियों की आर्थिक क्षमताओं का विश्लेषण करें तो यह प्रतीत होगा कि **यमुना** तथा **केन** को छोड़कर अधिकांश नदियाँ मात्र नाले की तरह है जो वर्षा ऋतु में जल–वृष्टि होने के साथ पानी से भर जाती है और बाढ़ की स्थिति सी उत्पन्न करने लगती है। जैसे–जैसे बरसात समाप्त होती है, वैसे–ही–वैसे इनका पानी स्वतः कम हो जाता है और ये सामान्य स्थिति में आ जाती है। चूँकि अधिकांश नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, अतः वर्षा ऋतु में इसका वेग काफी तीव्र हो जाता हैं और उन्हें पार करना भी कठिन हो जाता है। इस जिले की अधिकांश नदियाँ में काफी मात्रा में भूमि कटाव उत्पन्न किए है। उदाहरण के लिए **पैसूनी** की सहायक **ओहण** ने **कैमासिन** तहसील में अधिकतर भूमि कटाव पैदा किए हैं।[13] इस तरह से भूमि कटावों के कारण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इसी कारण कृषि योग्य मिट्टी की उर्वरा

---

[12] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–15

[13] वही पृ–11

निरन्तर खत्म होती गई। यहाँ तक कि जिले के पश्चिम में जहाँ उपजाऊ मार (दोमट) भूमि उपलब्ध है, उसकी भी उर्वरा शक्ति इन कटानों के कारण प्रभावित हुई है।

इन कमियों के कारण ही केन नदी कुछ क्षेत्रों में जिले के लिए उपयोगी रही है। इनकी तलहटी में अनेक प्रकार के चमकदार पत्थर प्राप्त हुए हैं जो व्यापारियों द्वारा पॅालिश के उपरान्त सजावट इत्यादि के लिए उपयोगी बनाए गए। इन सजावटी पत्थरों के व्यापार से लोगों की आय भी बढ़ी है। यदि इन पत्थरों को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते हुए और चमकदार तथा उपयोगी बनाया गया होता तो इससे पत्थर व्यापार बढ़ सकता था,[14] लेकिन अंग्रेजी शासन में इस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई। जनपद के लोगों को इन नदियों से मछली पालन के लिए अवसर प्राप्त हुआ। इन नदियों में **रोहू** किस्म की मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है विशेषतः केन और यमुना में जहाँ जल प्रवाह तेज है, वहाँ रोहू पर्याप्त मात्रा में पायी गई है। खान–पान में उपयोगिता के बाबजूद भी रोहू किस्म की मछली एक विशेष किस्म के तेल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस तेल का प्रयोग दिमाग को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। रोहू के अलावा **बाम** भी यमुना व बगाई में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। यह गर्मियों में पकड़ी जाती है तथा इसे मछली पालने वाले लोग केवट खाने के काम में लाते हैं। मछली की तीसरी किस्म **टेंगरई** जो लगभग दो फीट लम्बी होती है, वह भी केन तथा बगाई में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त **रन्ज** तथा अन्य किस्म की मछलियाँ भी इन नदियों में प्राप्त होती है। मछलियों की उपलब्धता के कारण इन्हें

---

[14] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–11

जिले से बाहर निर्यात किया जा सकता था, किन्तु ऐसा कोई विवरण प्राप्त नहीं होता, जिनसे मछलियों के निर्यात का संकेत मिलता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नदियों में जो मछलियाँ मिलती रही हैं वह मात्र स्थानीय लोगों के उपभोग के लिए पर्याप्त थी। यह अधिक मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इनके निर्यात की सम्भावना नही थी।

जहाँ तक उपर्युक्त नदियों की उपयोगिता जिले की सिंचाई सुविधाओं के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में सिंचाई का साधन केवल कुँए तथा तलाबों तक ही सीमित था। इस काल में बाँध या नहरों द्वारा सिंचाई उपलब्ध नही थी। ब्रिटिश सरकार नहरों द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की उपयोगिता समझती थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहरों द्वारा सिंचाई 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण से पहले प्रारम्भ नहीं हुई।

मिट्टी

बाँदा जिले में मिट्टी की जो किस्में मिली है, उनमें कुछ हिस्सा गंगा घाटी की बलुई मिट्टी तथा कुछ भाग दक्षिण भारत से सामीप्य रखने वाली पथरीली किस्म की है। यहाँ की प्रसिद्ध मिट्टियाँ **मार**, **कावर** दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र के अंशों से मिलकर बनी है।[15] मार काली मिट्टी है जो अनुकूल मौसम में कृषि कार्य के लिए आसानी से प्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में नमी काफी समय तक विद्यमान रहती है। जहाँ तक मार मिट्टी की गुणवत्ता का प्रश्न है इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जिले के पूर्व तथा दक्षिण भाग में इस मिट्टी की गुणवत्ता में कमी

[15] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–2

पाई गई है। सबसे अच्छी किस्म की मार मिट्टी जिले की उत्तरी क्षेत्र में मिली है।[16] इस मिट्टी का स्थानीय नाम **मरवा** है जो कि जिले की उत्तर में काफी विस्तृत क्षेत्र में पायी गई है।

इस जिले की दूसरी मिट्टी जिसका उल्लेख मार के साथ ही किया जाता है, वह **कावर** है जो कई मायनों में मार के समकक्ष ही है। कावर हल्के रंग की मिट्टी है, जिसमें बलुआ तत्व मिला हुआ है। मार की अपेक्षा यह कम उपजाऊ है।[17] इसकी उपयोगिता कृषि की दृष्टि से किसी भी प्रकार कम नहीं मानी जा सकती। मार, काबर के अलावा तीसरे किस्म की मिट्टी जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी मानी गई है, वह **गोईड़** है जो गाँव से लगी हुई भूमि है। यह भूमि देशी खाद से युक्त होती है तथा समय–समय पर सींची भी जाती है। तम्बाकू तथा साग–सब्जी हेतु यह भूमि उपयोग में लाई जाती है।[18] हल्के पीले रंग की एक अन्य मिट्टी भी बाँदा जिलें में पायी जाती है, जिसे **पड़वा** कहा जाता है। यह मुख्यतः कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा **राकड़** भी एक मिट्टी का प्रकार है जो बाँदा जिले के दक्षिणी ओर विस्तृत क्षेत्र में प्राप्त है। कृषि की दृष्टि से यह सबसे घटिया किस्म की मिट्टी है। इसमें बालू की मात्रा सर्वाधिक है। **तराई** तथा **कछार** ऐसी मिट्टियां है जिसमें बलुआ तत्व अधिक है और यह बड़े उच्च श्रेणी की मानी गई है। यह मिट्टी मुख्यतः बाढ़ के पानी से बनती है। बाढ़ समाप्त हो जाने के पश्चात् जो नई परत होती है, वह भूमि बड़ी उपयोगी मानी जाती है।

---

[16] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–81

[17] वही पृ–67

[18] वही पृ–67

इसमें अच्छी किस्म का गेहूँ पैदा होता है लेकिन इस मिट्टी का विस्तार प्रति वर्ष भिन्न–भिन्न होता है।[19]

इस जिले में प्राप्त मिट्टियों में कछार मिट्टी जो कि यमुना के तलहटी वाले क्षेत्र में है उसकी अपनी कुछ विशेषता है। जैसे ही यमुना का पानी सिमट जाता है, वैसे ही कुछ दिनों बाद मिट्टी का वह परत जो नदी के पानी के हट जाने से जब हल चलाने के योग्य हो जाती है और यह मिट्टी सूखती है वैसे ही इसका, उपयोग मकानों की खपरैल व ईट बनाने के काम में होने लगता है।

अन्य नदियों की तलहटी में जो कछार मिट्टी मिलती है, वह यमुना की कछारी मिट्टी से अलग है। केन, बगाई और पैसूनी के कछार से जो बलुई मिट्टी प्राप्त होती है उसका उपयोग जौ, गेहूँ तथा अन्य अनाजों की खेती के लिए किया जाता है।[20]

1909 में जिले का अन्तिम राजस्व बन्दोबश्त करते समय **हम्फ्रीज** ने बाँदा जिले में प्राप्त मिट्टियों का विभाजन निम्नलिखित तरीके से किया था–[21]

चार्ट

कछार व गोईड़	मार	कावर	पडवा	राकड	तराई
(एकड़ में) 44,904	1,48,461	1,59,524	3,24,099	1,91,010	9,147
(प्रतिशत में) 4.91	16.25	17.46	35.47	20.90	1.00

---

[19] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी०एल० – बाँदा गजेटियर भाग XXI, इलाहाबाद, 1909 पृ–10

[20] हम्फ्रीज, ई०डी०एम० – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–4

[21] वही

उपर्युक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि इस जिले में कुल क्षेत्रफल जो कृषि कार्य में प्रयुक्त होता था, उसमें सबसे अधिक पड़वा मिट्टी वाला क्षेत्र था। पड़वा मिट्टी वाले क्षेत्र 35.47% है इसी तरह राकड़ जो दूसरी निम्न कोटि की मिट्टी है, वह इस जिले में कुल कृषि योग्य क्षेत्र 20.90% है। सबसे अच्छी मिट्टी मार का प्रतिशत मात्रा 16.5% तक ही सीमित है। कावर मिट्टी वाला क्षेत्र पूरे जिले में कृषि योग्य भूमि का 17.46% है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिले में अच्छी किस्म की मिट्टी जैसे मार, गोईड़ तथा तराई का क्षेत्रफल ही कम था। अतः कृषि क्षेत्र में पैदावार भी इसी अनुपात में कम होती गई। निःसन्देह कृषि उत्पादकता की दृष्टि से बाँदा जिला निम्नस्तरीय मिट्टी होने के कारण दोआब के अन्य जिलों के समरूप नहीं था।

संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बाँदा नाम की उत्पत्ति लोक परम्परा से जुड़ी हुई है। इस परम्परा के अनुसार **ऋषि बामदेव**[22] भगवान रामचन्द्र के समकालीन थे। राम के पुत्र कुश ने अयोध्या से पलायन कर बुन्देलखण्ड में पदार्पण किया था और यहीं पर निवास करने का निर्णय किया। कुश ने बाँदा जनपद का क्षेत्र ही अपने निवास के लिए उपयुक्त पाया। यह लोक परम्परा बाँदा के निकट पहाड़ी पर बने दो मन्दिरों पर आधारित है। इन मन्दिरों की स्थापना ऋषि बामदेव द्वारा हुई है।[23] बाँदा शब्द की उत्पत्ति के बारे में दूसरा प्रचलित कथानक यह है कि बाँदा की उत्पत्ति महाभारत काल से जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार अर्जुन के नेतृत्व में पाण्डव सेना जो

---

[22] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–127

[23] वही

प्यास से त्रस्त थी, अपनी प्यास बुझाने के लिए बाँदा में कुछ देर के लिए रूकी। जब सैनिकों ने यह पाया कि यहाँ पानी का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही है, तब अर्जुन जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने तर्कस से एक तीर निकालकर जमीन के अन्दर बेध दिया। जिससे शुद्ध जल का एक झरना प्रवाहित हुआ, जिससे पांडव सेना ने अपनी प्यास बुझायी और तृप्त हुई।

इसी परमपरा में यह भी उल्लेख मिलता है कि बाँदा जिले में **भरण्डी**, **द्विवेन्द्री** और **कनवड़ा** तीनों गाँवों में महाभारत युग में पाण्डव व कौरव के बीच तीन प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। इस युद्ध के समय पाण्डवों ने राजा विराट के यहाँ शरण ली थी।[24]

ऋषि बामदेव तथा राजा विराट के कार्य अवधि के बीच कुछ वर्षो तक बाँदा तथा आसपास के क्षेत्रों में **कोल व भील** जनजातियाँ निवास करती थीं। इन्हीं जातियों ने अपने बस्ती के बाहर वाले क्षेत्र में पहाड़ी के नीचे खुतला (Khutla) बाँदा नामक एक स्थल का निर्माण किया था।[25] वर्तमान में बाँदा नगर के बाहरी बस्ती में अब भी खुतला बाँदा नामक एक मोहल्ला स्थित है।

एक अन्य परम्परा से यह आभास होता है कि इन कोल व भील जातियों का नेतृत्व उनके आध्यात्मिक गुरू एक दुबे ब्राम्हण ने किया था। इसी के नेतृत्व में इन जन–जातियों ने आरम्भिक युद्धों में सफलता प्राप्त

---

[24] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–127

[25] वही

की थी। नेतृत्व करने वाले इस दुबे ब्राम्ह्ण को **मटौंध** के एक प्रमुख बृजलाल ने पराजित किया तथा उसे मटौंध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस विजय के बाद बृजलाल ने **भवानी** तथा **लरका** नामक अपने दोनों भाईयों को इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। इन्हीं दोनों के नाम पर **लरकनपुरवा** व **भवानीपुरवा** गाँवों का नामकरण हुआ जो वर्तमान में बाँदा जिले का अंग है।[26]

उपर्युक्त परम्पराओं एवं कथन की ऐतिहासिकता निर्धारित करना अत्यन्त कठिन है लेकिन यह अधिक सम्भव है कि बाँदा की उत्पत्ति रामायण व महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था 1803 में ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ होने के पूर्व क्या थी? इस बात का पता लगाना भी अत्यन्त कठिन कार्य है। यह सत्य है कि बाँदा का प्रारम्भिक इतिहास इस क्षेत्र के प्राचीन **चेदिदेश, चेदिराष्ट्र, जेजाकभुक्ति** तथा **बुन्देलखण्ड** से जुड़ा हुआ है।[27] बाँदा जनपद चन्देलों द्वारा शासित कालिंजर तथा महोबा क्षेत्र के अधीन था।[28]

छत्रसाल बुन्देला तथा उनके बाद बाँदा की स्थिति

छत्रसाल बुन्देला अपने वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। बाँदा जनपद उनके साम्राज्य का अंग था। यह जनपद छत्रसाल के साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित था। वास्तविकता यह है कि 1671 ई0 तक पन्ना छत्रसाल सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के एकमात्र प्रभावशाली शासक बन चुके थे

---

[26] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–127 तथा मिश्र, केशव चन्द्र – चन्देल और उसका रा0 काल, काशीनागरी प्रचारणी सभा, वराणसी। सम्वत् 2011, पृ–4 एवं 5

[27] कनिंघम्, आर0के0 – लॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग – 21, वाराणसी, 1969 पृ–58

[28] इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 1, 2, कलकत्ता, 1908 पृ–366

और उनके साम्राज्य की पूर्वी सीमा में बाँदा तथा जबलपुर के क्षेत्र शामिल थे।[29] वृद्धावस्था के पश्चात् छत्रसाल ने पन्ना में अपने सबसे बड़े हितैषी पेशवा बाजीराव प्रथम के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। इसी समय उन्होंने अपने दोनों पुत्रों हृदयशाह तथा जगतराज को पेशवा के समक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पेश किया। बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की हिन्दू धर्म की रक्षा और हिन्दू संस्कृति के संवर्द्धन के प्रयास से सन्तुष्ट होकर मुगलों के विरूद्ध उनकी सहायता की थी और इस सहायता के बल पर छत्रसाल मुगलों को पराजित करने में सफल रहे थे। पेशवा बाजीराव प्रथम से प्राप्त सहायता पर ही छत्रसाल ने फर्रुखाबाद के मुगल सूबेदार **मो० खान बंगश** को न केवल पराजित किया बल्कि उसके क्षमा याचना के बाद ही उसे बुन्देलखण्ड से वापस जाने दिया। पेशवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए छत्रसाल ने पन्ना दरबार का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने पेशवा बाजीराव को अपने तृतीय पुत्र के रूप में मान्यता दी और अपने साम्राज्य का तीन भागों में बँटवारा करते हुए एक हिस्सा **पेशवा** को दिया। शेष दो हिस्से **हृदयशाह** और **जगतराज** को मिले।[30]

इस साम्राज्य विभाजन के फलस्वरूप छत्रसाल के पुत्रों को जो क्षेत्र मिले, उसमें धसान नदी के पूर्वी इलाके शामिल थे। इन क्षेत्रों को दो भागों में बाँटा गया –

(1) **पन्ना राज्य**– जिसमें कालिंजर का क्षेत्र, बदौसा का दक्षिणी भाग तथा अधिकांशतः कर्वी सब–डिवीजन शामिल था। यह क्षेत्र छत्रसाल के बड़े पुत्र **हृदयशाह** को मिला।

---

[29] इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 1, 2, कलकत्ता, 1908 पृ–366

[30] वही

(2) दूसरे हिस्से में भूरागढ़ तथा रामगढ़ के क्षेत्र सम्मिलित थे, जिसे जैतपुर राज्य कहा जाता था। यह छत्रसाल के छोटे पुत्र **जगतराज** को प्राप्त हुआ।[31] इस प्रकार **हृदयशाह** को **पन्ना, मऊ, कालिंजर, शाहगढ़**, तथा इसके आस–पास का क्षेत्र मिला। **जगतराज** को **जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, वीजागढ़, सरीला, भूरागढ़** व **बाँदा** का क्षेत्र मिला। इसकी वार्षिक आय 360000 रू॰ थी।[32]

छत्रसाल द्वारा किए गए साम्राज्य विभाजन के फलस्वरूप पेशवा को बुन्देलखण्ड में जो क्षेत्र मिले उसे संगठित करते हुए मराठों ने उत्तर भारत की ओर अभियानों में इन क्षेत्रों का सामरिक उपयोग करना प्रारम्भ किया। गंगा–यमुना दोआब में मराठा प्रभुत्व के विस्तार में बुन्देलखण्ड में पेशवा को जो क्षेत्र मिले थे, वे बहुत सहायक सिद्ध हुए। छत्रसाल द्वारा अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया गया कि वे मराठों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायें। हृदयशाह व जगतराज ने इन निर्देशों का पालन किया। विशेषतः जगतराज ने मराठों को भरपूर सहायता प्रदान की।

मराठा–बुन्देला मैत्री के बल पर जगतराज बुन्देलखण्ड में अपने प्रभाव क्षेत्र में काफी वृद्धि कर ली थी। मुगल सम्राट **मो॰ शाह** 1719 ई॰ में फर्रूखशियर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने, वह बुन्देलखण्ड को अपने नियत्रंण में मानते थे। यही कारण था कि मराठा–बुन्देला गठबन्धन को वह सहन नही कर सका। बुन्देलखण्ड पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मो॰ शाह ने फर्रूखाबाद के नवाब बंगश को जगतराज को

---

[31] इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग 1, 2, कलकत्ता, 1908 पृ–130

[32] तिवारी, जी0एल0 – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ– 232 तथा सरदेशाई, जी0एल0 – ए न्यू हिस्ट्रीज ऑफ द मराठाज, भाग – 2, पृ–230 एवं श्रीनिवासन, सी0के0 – बाजीराव द फस्ट पेशवा, बम्बई, 1962 पृ–79

पराजित कर और इस क्षेत्र में मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हेतु भेजा। अपनी सन्धि के अनुसार मराठों ने मित्रता निभाते हुए जगतराज की भरपूर सहायता की। मराठों की सहायता के बल पर जगतराज ने 1735 ई० के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। इसमें मुगल के सेना नायक **दलेल खाँ** युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया और मो० शाह बंगश पूर्णतः हताश होकर बुन्देलखण्ड से वापस हुआ। वास्तव में इस घटना ने मुगलों की सत्ता और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचाया।[33] अब बुन्देलखण्ड में मुगलसत्ता की पुर्नस्थापना सम्भव नहीं थी।

इस प्रकार मुगल प्रभुत्व से बुन्देलखण्ड को पूर्णरूप से स्वत्रंत कराने के बाद जगतराज ने मराठों के सहायता के बदले बाजीराव को काफी मात्रा में धन दिया और भविष्य में मराठों के संरक्षण में रहते हुए उन्हें निरन्तर **चौथ** (एक प्रकार का कर) देने का आश्वासन दिया। इस घटना के बाद बुन्देलखण्ड पर मराठों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गयी और पेशवा बाजीराव ने अपना नियन्त्रण और सुदृढ़ करने के लिए अपने सरदारों को इस क्षेत्र में जागीरें प्रदान कर प्रसन्न किया।[34]

छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों के अधीन जो क्षेत्र थे उनका उचित प्रबन्ध उनके द्वारा नहीं किया जा सका। हृदयशाह व जगतराज के परिवारों में आन्तरिक मतभेद व विवाद गहराने लगे, जिससे इन क्षेत्रों का प्रशासन प्रभावित हुआ। हृदयशाह के नियंत्रण वाले क्षेत्र की स्थिति अत्यधिक खराब थी। जहाँ तक जगतराज का प्रश्न था उन्होंने

[33] एटकिन्सन, ई०टी० – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन०डब्लू० प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–30

[34] सेन, सुरेन्द्र नाथ – 1857, इण्डियन प्रेस कलकत्ता, 1951, पृ–267

अपने क्षेत्रों पर प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित किए तथा मराठों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए। जगतराज ने अपने बड़े पुत्र की उपेक्षा करते हुए अपने दूसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे सिहोण्डा के जागींर प्रदान कर दी। यहाँ वह (1731 – 1758) ई॰ तक शासन करता रहा। इसी अवधि में बुन्देलखण्ड के इस पूर्वी क्षेत्र में बाँदा राजधानी के रूप में विकसित हुई।[35]

दीवान कीरत सिंह, जगतराज का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे सिहोण्डा जागीर का प्रबन्ध दिया गया था और वहाँ कीरत सिंह जगतराज के सहायक के रूप में 1731–1758 ई0 तक शासन करता रहा। इसी अवधि में बाँदा, बुन्देलखण्ड के इस पूर्वी क्षेत्र में राजधानी के रूप में स्थापित हो चुका था।[36] जगतराज के शासन की कुल अवधि 27 वर्ष रही। 1758 में उनकी मृत्यु के कुछ पहले ही जगतराज के परिवार में उत्तराधिकारी सम्बन्धी झगड़े प्रारम्भ हो गये, जिसके कारण बुन्देला शासन निरन्तर कमजोर होता गया।

इस प्रकार बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का प्रवेश (1777) के समय बुन्देला राज्यों का विघटन होने के पश्चात् छः स्वतन्त्र राज्य बन चुके थे। ये सभी धसान नदी के पूर्व में स्थित थे। जिसमें **पन्ना (1731), छत्तरपुर (1784), बाँदा (1764), जैतपुर (1731), चरखारी (1764) तथा बीजावर (1765)** प्रमुख थे।[37]

---

[35] तिवारी, जी0एल0 – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ–230–235

[36] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI, इलाहाबाद, 1909 पृ–175

[37] तिवारी, जी0एल0 – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ– 230–235

इसी बीच 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इससे मराठों की शक्ति व प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा। स्वाभाविक तौर पर बुन्देलखण्ड में मराठों के प्रभुत्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी समय बुन्देलखण्ड के महान मराठा नेता **गोविन्द खेर** की भी पानीपत में मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मराठा क्षेत्रों में अराजकता और निराशा उत्पन्न हुई। अतः अनेक बुन्देल राजाओं व सामन्तों ने जो पहले मराठों को चौथ दिया करते थे, उन्होंने अब मराठा सत्ता के विरूद्ध स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी।

बुन्देलखण्ड में शुजाउद्दौला का हस्तक्षेप

राजनीतिक विघटन की प्रक्रिया जब तेजी से चल रही थी, उसी समय के अनुकूल अवसर पाकर अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला ने बुन्देलखण्ड पर मुगल सत्ता की पुनः स्थापना के उद्देश्य से एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस विषम परिस्थिति में सदियों पूर्व अपनी मित्रता की परम्परा निभाते हुए बुन्देलों ने अपने परस्पर मतभेद भुलाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्जुन सिंह के नेतृत्व में एकजुट होकर अवध की सेना का मुकाबला किया। बुन्देलाओं व मराठों की मिली–जुली सेना ने अवध की सेना को बुरी तरह पराजित किया और इस सेना का नेतृत्व कर रहे **करामत खाँ** तथा **हिम्मत बहादुर गोसाई** को 1763 ई० में **तिन्दवारी के युद्ध** में पराजित किया तथा बुन्देलखण्ड को अवध की सेना से मुक्त कराया।[38]

---

[38] तिवारी, जी०एल० – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ– 235

तिन्दवारी के युद्ध (1763 ई0) में मिली असफलता के एक वर्ष पश्चात् ही अवध की सेना को एक दूसरी समस्या की सामना करना पड़ा क्योंकि 1764 ई॰ के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कमाण्डर **हेक्टर मेनरो** ने नवाब वजीर की सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय का महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि शुजाउद्दौला की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। बुन्देलखण्ड पर नबाब वजीर की सेना को आक्रमण करने का अन्य कोई अवसर प्राप्त होना सम्भव नहीं था।

युद्धों से मुक्ति प्राप्त करने के बाद बुन्देलखण्ड में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना तथा यहाँ के लोग पुनः आराम व शान–शौकत का जीवन व्यतीत करने में व्यस्त हो गए। सुरक्षा के इस माहौल में बुन्देला राजाओं के आंतरिक झगड़े जो पहले समाप्त हो चुके थे, वे पुनः प्रारम्भ हो गए। आपसी ईर्ष्या और स्वार्थ में लिप्त बुन्देला जागीरदारों तथा राजाओं ने जगह–जगह विद्रोह तथा अशांति का माहौल पैदा कर दिया। परस्पर झगड़े के परिणामस्वरूप बुन्देला राज्यों में निराशा, थकान तथा आर्थिक तंगी की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। बुन्देलखण्ड के पूर्वी क्षेत्र में इस परिस्थिति का अत्यन्त विपरीत प्रभाव पड़ा। अतः यहाँ के राजे–महराजे वाह्य आक्रमण का मुकाबला करने में अक्षम साबित हुए।

जहाँ बुन्देला राज्यों की आंतरिक स्थिति निराशाजनक तथा अशांतमय थी, वहीं बुन्देलखण्ड की मराठा रियासतों की भी स्थिति संतोषजनक ही थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद मराठों की शक्ति और प्रतिष्ठा बिल्कुल ही गिर चुकी थी। स्वयं को कमजोर समझते हुए ये मराठा रियासतें चौथ की वसूली करने में कठिनाई

महसूस करने लगी। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में मराठों और बुन्देलों के बीच आये दिन झगड़े होने लगे। अतः दोनों की सैनिक तथा आर्थिक स्रोतों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम यह निकला कि वे मराठों तथा बुन्देलों जो संयुक्त रूप से मुगलों को भी पराजित करने में सफल हुए थे, वे अब वाह्य आक्रमण से अपने रक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं रहें।

हिम्मत बहादुर गोसाई का बुन्देलखण्ड अभियान

जिस समय मराठों और बुन्देलों ने आपस में परस्पर संघर्षरत थे, उस समय अवध के सेना नायक **हिम्मत बहादुर गोसाई** ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बुन्देलखण्ड में आक्रमण प्रारम्भ किए। यद्यपि 1763 ई० के तिन्दवारी युद्ध में मिली पराजय से वह हतोत्साहित था किन्तु इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में स्वयं के लिए एक अलग राज्य के निर्माण हेतु प्रयासरत था।[39] बक्सर के युद्ध में अपने साहस तथा कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस गोसाई सेनानायक ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में व्यापक वृद्धि कर ली थी। हिम्मत बहादुर बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिचित था, क्योंकि उसका जन्म और लालन–पालन दतिया में हुआ था। बचपन से ही वह कटिबद्ध था कि बुन्देलखण्ड में उसके नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो सकें। परम्परा के अनुसार एक बार दतिया में अकाल पड़ा और उस समय हिम्मत बहादुर गोसाई की माँ ने उसे तथा उसके भाई को लालन–पालन लिए किसी सन्यासी को दे दिया था। उसी सन्यासी ने हिम्मत बहादुर गोसाई जिसका प्रारम्भिक नाम अनूप गोसाई था, को अवध की सेना में

---

[39] तिवारी, जी0एल0 – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ– 235 तथा सरकार, जे0एन0 फॉल ऑफ द मुगल इम्पीरियल भाग – 3, पृ–231

भर्ती कर दिया। अपनी योग्यता और साहस की बल पर निरन्तर प्रगति करते हुए वह शुजाउद्दौला का सेनापति हो गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना से इसने अपने मालिक शुजाउद्दौला के प्राणों की रक्षा की थी जिसकी बहादुरी से प्रभावित होकर अवध के नवाब वजीर ने अनूप गोसाई को हिम्मत बहादुर की पदवीं प्रदान की थी।

बुन्देलखण्ड विजय योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने अवध की एक विशाल सेना के साथ सबसे पहले दतिया का **राजा रामचन्द्र** को पराजित किया। इसी क्रम में उसने मोंठ और गुरसराय में विजय प्राप्त की।[40] मोंठ तथा गुरसराय को हिम्मत बहादुर गोसाई ने मराठा प्रमुख **बालाजी गोविन्द** से जीता था। इस पराजय के बाद बालाजी **पूना** दरबार से सहायता की माँग की। अतः नानाफणनबीश ने दिनकर राव अन्ना के नेतृत्व में मराठा सेना की एक टुकड़ी हिम्मत बहादुर को पराजित करने के लिए भेजी। इसके साथ ही नाना फणनबीश, मराठा पेशवा ने ग्वालियर तथा इन्दौर के राजाओं को यह निर्देश दिया कि वे बालाजी गोविन्द की सहायता करें।[41]

दिनकर राव अन्ना जैसे ही बुन्देलखण्ड आया वैसे ही झाँसी के सूबेदार **रघुनाथ राव हरी निवालकर** ने उसकी सहायता की। दोनों की मिलीजुली सेनाओं ने हिम्मत बहादुर गोसाई को पराजित किया तथा उसे अवध वापस भेजने में सफलता प्राप्त की।[42] अपनी असफलता के बावजूद भी हिम्मत बहादुर गोसाई बुन्देलखण्ड में सफलता प्राप्त करने का प्रयास

---

[40] सरकार, जे0एन0 फॉल ऑफ द मुगल इम्पीरियल भाग – 3, पृ–221
[41] वही
[42] सेन, सुरेन्द्र नाथ – 1857, इण्डियन प्रेस कलकत्ता, 1951, पृ–267

करता रहा। अन्त में 1775 ई० में वह मराठों की सेना में प्रविष्ट हो गया। मराठों ने उत्तर भारत अभियान में उसे नियुक्त किया। इसी समय वह अली बहादुर के सम्पर्क में आया। यह सनकी गोसाई नेता बुन्देलखण्ड में अपनी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना के लिए इतना कटिबद्ध था कि वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी से भी समझौता कर सकता था। हिम्मत बहादुर ने बुन्देलखण्ड के विजय के लिए अली बहादुर को आमंत्रित किया तथा यह तय किया कि इस विजीत क्षेत्र का दोनों आपस में विभाजन कर लेंगे। अली बहादुर जो पेशवा बाजीराव का पुत्र था को यह योजना पसन्द आयी। अतः दोनों ने आपस में मिलकर बुन्देलखण्ड की विजय प्रारम्भ कर दी।[43]

बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का प्रवेश

बुन्देलखण्ड में सर्वप्रथम 1778 ई० में अंग्रेजों ने पदार्पण करने का प्रयास किया।[44] यह समय अंग्रेजों के लिए बड़ा उपयुक्त था, क्योंकि बुन्देलखण्ड की दो प्रमुख शक्तियां बुन्देले व मराठे आपस में एक दूसरे का गला दबा रहे थे। राजनीति अस्थिरता का यह वातावरण अंग्रेजी सेना को बुन्देलखण्ड में हस्तक्षेप करने का उपयुक्त अवसर था। अंग्रेजों को इस हस्तक्षेपों के औचित्य को साबित करने का यह बहाना मिला कि मराठों की राजधानी पूना में जो राजनीतिक उथल–पुथल हो रही है, उसमें राघोवा (1775 ई०) पेशवा का पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से मदद की माँग की है।

---

[43] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–31

[44] वही

गवर्नर जनरल **'वारेन हेंस्टिगस'** ने कलकत्ता से अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी को पूना दरबार की राजनीति में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र भेजने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार कालपी पर अंग्रेजी सेना ने आधिपत्य करने का प्रयास किया, क्योंकि कालपी सामरिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड में प्रवेश द्वार के रूप में अधिक महत्वपूर्ण था। इसी रास्ते सें अंग्रेजी सेना मध्य भारत होते हुए महाराष्ट्र जाने के लिए तत्पर थी। अतः 1778 ई॰ में अंग्रेजों ने कालपी पर अधिकार कर लिया। इस घटना से बुन्देलखण्ड में मराठों के कमजोर पड़ते हुए सत्ता को गहरा आघात पहुँचाया।

18वीं शताब्दी के अंत में बुन्देलखण्ड की इस विषम परिस्थिति में मराठे अपनी शक्ति व सर्वोच्चता को बनाये रखने के लिए लालायित थे। अतः मराठों ने एक बार पुनः पूना दरबार से सहायता की मांग की।[45] 1789 ई॰ में एक विशाल मराठा सेना अलीबहादुर के नेतृत्व में बुन्देलखण्ड भेजी गयी। यहाँ आकर अलीबहादुर ने हिम्मत बहादुर गोसाई से शीघ्र ही सन्धि कर ली।[46] इस सन्धि से दोनों मित्रों ने बुन्देलखण्ड को जीतने के बाद यह निश्चय किया कि विजीत क्षेत्रों के बँटवारें इस प्रकार होगा कि **अलीबहादुर बाँदा का शासक** होगा जबकि हिम्मत बहादुर को भी जीते हुए क्षेत्रों में हिस्सा दिया जायेगा।

---

[45] तिवारी, जी0एल0 – बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, भाग – 1, संवत् 1990 काशीनगरी प्रचारणी सभा वाराणसी, पृ– 167

[46] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–31

अलीबहादुर तथा हिम्मत बहादुर के सैनिकों की सम्मिलित संख्या लगभग चालीस हजार थी।[47] यह संख्या अजेय साबित हुई। शीघ्र ही सम्मिलित सेना ने बाँदा, चरखारी तथा बीजावर को पराजित कर इन पर अपना आधिपत्य जमा लिया।[48] पन्ना तथा चरखारी को भी पराजित कर बुन्देलखण्ड में मराठों की संप्रभुता को पुनः स्थापित किया। जहाँ बुन्देलखण्ड के सभी राजे–महराजे पराजित होकर आँधी में पेड़ की तरह उखड़े जा रहे थे, वही कालिंजर की रियासत ने साहस पूर्वक दो वर्षो तक हिम्मतबहादुर तथा अलीबहादुर के आक्रमणों का मुकाबला किया।[49] जिस समय सम्मिलित सेना ने कालिंजर पर घेरा डाल रखा था, उसी समय घेरा डाले हुए अली बहादुर की 28 अगस्त, 1802 ई॰ में मृत्यु हो गई। इस दुःखद समाचार को सुनकर उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी शमशेर बहादुर ने पूना से शीघ्र ही कालिंजर की ओर प्रस्थान किया और कालिंजर पर का घेरा हटाते हुए स्वयं को बाँदा नवाब घोषित किया।[50]

इसी बीच 1802 में मराठों तथा अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई जिससे बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों को प्रवेश का अवसर मिला। ग्वालियर का सिन्धियां इस संधि से नाराज था। अतः उसने दोआब स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों पर आमक्रण करने की योजना बनाई, लेकिन इसी बीच हिम्मत बहादुर ने मराठों का साथ छोड़ते हुए अंग्रेजों से समझौता कर लिया।[51]

---

47 एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–31

48 वही पृ–31

49 वही पृ–32

50 वही पृ–32

51 एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 5 कलकत्ता 1909, पृ–187

अंग्रेजों से मिलने के पश्चात् इस धोखेबाज गोसाई नेता ने अपने पूरे सैन्य बल के साथ बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित तथा मजबूती प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास किया। अंग्रेजों को बुन्देलखण्ड में बेसिन की सन्धि से मराठों को जो भू–भाग मिले थे, उसमें व्यापक वृद्धि हुई। इस सहायता के बदले अंग्रेजों ने हिम्मत बहादुर को यमुना के दाहिने किनारें का विस्तृत भू–भाग देने का वायदा किया। जिसकी वार्षिक आय बीस लाख रूपया थी।[52]

इस प्रकार हिम्मतबहादुर की गद्दारी तथा स्वार्थपरता ने बुन्देलखण्ड की भाग्य रेखा को बन्द कर दिया। अब इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने का कोई रास्ता नहीं रहा। अंग्रेजों को बुन्देलखण्ड में अपने प्रभाव बढ़ाने का रास्ता इस गोसाई सेना नायक को कपटपूर्ण नीति से सरल हो गया। इन्होंने अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए उनकी मदद हेतु कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति यहाँ की नदियाँ, पहाड़ तथा ऊबड़–खाबड़ भू–भाग से वह पूर्णतः परिचित था। उसके इस भौगोलिक ज्ञान ने अंग्रेजों की बुन्देलखण्ड में आधिपत्य के कार्य को और आसान कर दिया।

बाँदा में ब्रिटिश शासन का प्रारम्भ

बेसिन की संधि के पश्चात् बुन्देलखण्ड में प्राप्त क्षेत्रों पर शासन करने के लिए 1803 ई॰ में **कैप्टन 'बेली'** बाँदा आया।

[52] एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 5 कलकत्ता 1909, पृ–187

अपने आगमन के पश्चात् उसने जिस शासन–तन्त्र का प्रारम्भ किया, वह पूर्णतः सैनिक व्यवस्था पर आधारित था। जिसका उद्देश्य राजस्व की वसूली करते हुए अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था। 1803 ई० के पश्चात् ब्रिटिश अधिकारियों ने बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी क्षेत्रों के व्यापक विस्तार का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। उनका प्रथम शिकार बाँदा का नबाब **शमशेर बहादुर** हुआ, जिसे परास्त करने के पश्चात् अंग्रेजों ने उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।[53] जिस समय हिम्मत बहादुर और अंग्रेजों से संधि की बातचीत चल रही थी। उसी समय नवाब शमशेर बहादुर बुन्देलखण्ड में प्रवेश किया। लेकिन वह अंग्रेजों के विरूद्ध सफलता प्राप्त करने में असफल रहा। ब्रिटिश सरकार से चार लाख रूपया वार्षिक पेंशन व बाँदा में निवास करने के लिए अनुमति प्राप्त कर अपनी सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। 1812 ई० में इन शर्तो को पुनः गारण्टी के रूप में स्वीकार किया गया।

1823ई० में शमशेर बहादुर की मृत्यु हो गयी।[54] उसका उत्तराधिकारी **जुल्फीकार अली** हुआ। 1857 ई० में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बाँदा का नवाब अलीबहादुर था, जिसनें अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध विद्रोह का झण्डा उठाया और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उसके इस कृत्य के कारण शांति व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात् उसे दी जानेवाली चार लाख रूपये की पेंशन जब्त कर ली गयी। उसे बाँदा से इन्दौर भेज दिया गया तथा उस पर अंग्रेजों की निगरानी रखी गयी। अली बहादुर को जीवन यापन के लिए छत्तीस हजार रूपये की वार्षिक पेंशन उनके

[53] एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 5 कलकत्ता 1909, पृ–187

[54] वही

जीवनकाल तक स्वीकृत की गई।[55] अगस्त 1873 ई० में अलीबहादुर की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार वालों को बारह सौ रुपये मात्र पेंशन की अनुमन्य हुई।[56]

अलीबहादुर के बाँदा से पलायन के पश्चात् उसकी रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यमुना नदी के किनारे के वे क्षेत्र (हिम्मत बहादुर गोसाई के क्षेत्रों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक आय चौदह लाख रूपया थी, उनपर भी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा बाँदा तथा यमुना के किनारे के क्षेत्रों के अधिग्रहण करने के बाद **बाँदा**, **हमीरपुर** तथा **जालौन** जिलों का गठन हुआ।

अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना के पश्चात् जो भी अल्प–विरोध बचा था, उसे शीघ्र ही अंग्रेजों ने कुचल दिया। बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में जो सामन्त तथा जागीरदार शेष थे, उन्होंने तुरन्त ही ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शासन के अर्न्तगत रहने का निश्चय किया। विशेषतः 1870 ई० के पश्चात् इस क्षेत्र के राजे–महराजे तथा दीवान अंग्रेजी शासन की सर्वोच्चता के नीचे आ गए। अपनी सत्ता को स्वीकार कराने के बाद अंग्रेजों ने बुन्देलखण्ड के सामन्तों तथा जागीरों को सनद प्रदान की। उन सनदों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए गए।

[55] एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 5 कलकत्ता 1909, पृ–187
[56] वही पृ–227–230

अलीबहादुर के समय बुन्देलखण्ड के जिन क्षेत्रों में सामन्त तथा जागीरदार काबिज थे,उनके अधिकार को यथावत् रखा गया। शर्त यह थी कि ये सभी जागीरदार तथा सामन्त अंग्रेजी सत्ता के प्रति वफादार बने रहेंगे। इन रियासतों तथा जागीरों पर ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित हुई।[57]

ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात् जागीरदारों तथा सामन्तों की दशा

19वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्धभाग तक लगभग पूरा बुन्देलखण्ड ब्रिटिश आधीनता में आ गया। यहाँ के राजे–महाराजे समान्त तथा दीवान अंग्रेजों के परतंत्र हो गए। यह राजनीतिक परतन्त्रता उनके लिए घातक सिद्ध हुई। अंग्रेजी सत्ता स्वीकार कर लेने के पश्चात् इन राजाओं–महराजाओं को न तो अपनी बाह्रय सुरक्षा और न ही आन्तरिक विद्रोहों का डर रहा। अतः ये सभी शांति तथा विलासता का जीवन व्यतीत करने लगे। युद्धों और विद्रोहों से विमुख होने का यह कुपरिणाम निकला कि अब इन जमींदारों तथा राजाओं में राजस्व के उच्च गुण जैसे – साहस, आत्मनिर्भरता तथा कठोर जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति का अभाव हो गया। ऐसी परिस्थिति में बुन्देलखण्ड के राजाओं तथा महाराजाओं ने आराम का जीवन व्यतीत किया। अब उनका समय सुख तथा विलासिता में व्यतीत होने लगा। फलतः जहाँ एक और उनमें साहस तथा वीरता जैसे गुणों का अभाव हुआ, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रजा के कल्याण करने की क्षमता भी अब उनमें नही रही। अपने प्रजा के कल्याण

[57] एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 5 कलकत्ता 1909, पृ–185, 407

से विमुख होने का कुपरिणाम यह निकला कि अब राजा तथा प्रजा के बीच पहले जैसे मधुर सम्बन्ध नहीं रहें। इस प्रकार परम्परागत रूप से चली आ रही जागीरदारों तथा सामन्तों के प्रति प्रजा की सद्भावना अब बीते दिनों की बात हो गयी।

उपर्युक्त स्थिति केवल बुन्देला सामन्तों की ही नहीं थी बल्कि मराठा जागीरदार भी ब्रिटिश शासन के कुप्रभावों से नही बच सकें। विदेशी शासन का दुष्परिणाम इन सामन्तों को इस सीमा तक प्रभावित कर गया कि किसी समय अपनी देशभक्ति तथा साहस के लिए प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड के ये जमींदार अब आपस में एक दूसरे को धोखा देने व नीचा दिखाने में भी नहीं चूकते थे। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे अपनी ही भाईयों के विरूद्ध अंग्रेजों का साथ देने लगें। कुछ सामन्तों तथा जागीरदारों ने 1857 ई० के विरूद्ध के समय ब्रिटिश शासन का खुलकर समर्थन किया तथा इस क्षेत्र के लोगों का दमन करने में अंग्रेजों की भरपूर सहायता की।

निःसन्देह छलकपट तथा धोखा देने के इस वातावरण में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने शौर्य तथा पराक्रम की परम्परा को धूमिल न करते हुए 1857 ई० के स्वतन्त्रता संग्राम में विदेशी सेनाओं का डटकर विरोध किया लेकिन ऐसे साहसी वीरों की संख्या बहुत कम थी। बाँदा का नवाब अलीबहादुर ने पेशवा बाजीराव प्रथम की महान परम्परा को निभाते हुए 1857 ई० के स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजों के प्रबल विरोधी होने का उदाहरण प्रस्तुत किया।

संक्षेप में (1804–1857) ई॰ के बीच की अवधि का बाँदा जनपद का इतिहास यहाँ के स्थानीय शासकों तथा उनकी प्रजा के जीवन की दुःखद कथा रही है। फलतः राजा तथा प्रजा के बीच अविश्वास की खाई विद्यमान होने लगी, जिसमें दोनों एक दूसरे से पृथक हो गए।

द्वितीय अध्याय

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

अध्याय – द्वितीय

सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि

बाँदा जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्र दिसम्बर 1803 ई॰ की पूना की संधि द्वारा अंग्रेजों ने अधिग्रहीत किया।[1] 1804 ई॰ के रेग्यूलेशन चार द्वारा इसका प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने संचालित किया। जहाँ तक कालिंजर परगना का प्रश्न है, उसका प्रशासन 1812 ई॰ तक कालिंजर का चौबे जागीरदारों द्वारा किया जाता रहा। कुछ वर्षो बाद अंग्रेज सरकार और चौबे जागीरदारों के बीच परस्पर आदान–प्रदान हुआ, जिसमें **भिटारी** तथा **बदौसा** के कुछ गाँव चौबे जागीरदारों को प्राप्त हुए और इसके बदले कालिंजर क्षेत्र का प्रशासन अंग्रेजों को मिल गया।

खानदेह परगने का प्रशासन 1818 तक जालौन के मराठा सूबेदार के अधीन था, किन्तु इसी वर्ष यह क्षेत्र भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया।[2] जालौन के मराठा सूबेदार **नाना गोविन्दराव** ने खानदेह का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया था। इसी तरह परगना **पैलानी, अगौसी** तथा **सिहोण्डा** का प्रशासन भी कई परिवर्तनों से गुजरता रहा। बुन्देला राजा **गुमान सिंह** ने इन परगनों का प्रबन्ध अपने भाई **खुमान सिंह** को सौंप दिया था तथा उसे संयुक्त राजा की उपाधि प्रदान की थी। यह व्यवस्था तबतक चलती रही, जब तक की अलीबहादुर ने बुन्देला राजा को परास्त नहीं कर दिया।

---

1 एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 3 कलकत्ता 1909, पृ–295

2 एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–366

उसकी पराजय के बाद इन परगनों को बाँदा जिला में शामिल कर लिया गया।[3]

खानदेह का जो क्षेत्र अंग्रेजों को 1818 ई॰ में प्राप्त हुआ था, वह प्रारम्भिक अवस्था में निम्नलिखित परगनों में विभाजित था– **बाँदा, खानदेह, पैलानी, सिहोण्डा, तिन्दवारी, अगौसी, तरौंआ, क्षिवून** तथा **बदौसा।**

खानदेह 1843 ई॰ में बाँदा परगनें में मिला लिया गया किन्तु **तिन्दवारी** जिसे **सिमौनी** के नाम से भी पुकारा जाता था। यह परगना 1860 ई॰ तक अपनी पृथक पहचान बनाये रहा, इसी वर्ष इसे **पैलानी** तथा **अगौसी** में शामिल कर लिया गया। परगना **बदौसा, बीरगढ़** तथा **कालिंजर** के क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में संशोधन किए गए। इन परगनों के कुछ गाँवों को लेकर 1819 ई॰ में एक तहसील बना दी गई जिसका मुख्यालय **बदौसा** बनाया गया।

कर्वी सब–डिवीजन का क्षेत्रफल भी समय–समय पर संशोधित होता रहा। पहले इस सब–डिवीजन में ग्यारह परगने थे।[4] 1880 ई॰ में **सिहोण्डा** तथा **बदौसा** को पुर्नगठित किया गया तथा उनके वर्तमान भू–भाग को स्थापित किया गया। 1919 ई॰ तक आते–आते बाँदा जिले में कुल आठ तहसीलें हो गई। जो इस प्रकार थी– **बाँदा, पैलानी, अगौसी, सिहोण्डा, बदौसा, दरसिण्डा, क्षिवून** तथा **तरौआ**।[5]

---

[3] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–63

[4] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI, इलाहाबाद, 1909 पृ–125

[5] वही पृ–126

बाँदा जनपद के निवासियों का जन–जीवन बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों के ही भाँति कृषि उत्पादन पर आधारित था। कृषि उनकी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार रही। जनपद के लगभग 72% लोग अपनी उदर–पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन पर आधारित थे।[6] बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की ही भाँति बाँदा जनपद के भूमि घटिया किस्म की थी। जलवायु की अनिश्चितता तथा मौसम की अस्थिरता के कारण कृषि व्यवस्था भाग्य भरोसे थी। उन दिनों सिंचाई साधनों की कमी होने के कारण इस जनपद की कृषि – व्यवस्था कभी भी उच्चस्तरीय नहीं हो सकी। बुन्देलखण्ड में जनसंख्या की कमी तथा परिश्रमी जातियों का अपेक्षाकृत अभाव आदि तत्व भी कृषि–व्यवस्था के पिछड़ेपन के उत्तरदायी रहे।[7]

जनपद बाँदा की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को भली–भाँति समझने के लिए यह उचित है कि इस जिले में खेती की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल का विश्लेषण किया जाए। निम्नलिखित चार्ट से यह तस्वीर स्पष्ट प्रतीत होगी [8] –

चार्ट

वर्ष	कृषि के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)
1842	9,84,939
1877–79	8,60,024
1882–83	10,56,777
1887	9,16,779
1892	8,70,726
1896	6,62,855
1902	8,66,585
1909	9,13,725

6 हम्फीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट आन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–48

7 कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–49

8 वही, पृ–15

उपर्युक्त चार्ट से यह प्रतीत होता है कि कृषि के अधीन क्षेत्रफल में समय–समय पर उतार–चढ़ाव होता रहा है। 1882–83 के वर्ष में जनपद की कृषि अपने उच्च स्तर पर पहुँच चुकी थी। इसका कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे–अकाल आदि का अभाव तथा पर्याप्त वर्षा को माना जा सकता है। ठीक इसके विपरीत 1896 में कृषि के अधीन क्षेत्रफल में पर्याप्त कमी दिखाई पड़ती है, जो क्षेत्रफल सिमट कर मात्र 6,62,855 एकड़ तक ही सीमित रहा। क्षेत्रफल में इसी तरह की कमी 1842, 1887,1909, 1892, 1902 तथा 1877–79 में भी परिलक्षित होती है।

वास्तव में कृषि के अधीन क्षेत्रफल में व्यापक गिरावट भयंकर अकाल पड़ जाने तथा खेतों में **कांस** घास की अधिकता हो जाने के कारण हुआ। 1902–1909 तक आते–आते कृषि के अधीन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा तभी से यह स्थिति समान बनी रही। क्षेत्रफल की यह कमी स्वयं ही प्रमाणित करता है कि लोगों का सामाजिक–आर्थिक जीवन कभी भी उच्च कोटि का नहीं रहा।

रबी तथा खरीफ फसलों की विवेचना

बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की भाँति बाँदा जनपद में भी मुख्य दो फसलें उपजायी जाती थी। (1). **रबी तथा** (2). **खरीफ।** उपलब्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में खरीफ फसलों का प्रतिशत रबी की फसलों से अधिक था। 1891–1902 ई॰ के बीच रबी तथा खरीफ फसल का अनुपात क्रमशः 45% तथा 55% था।[9] यह अनुपात सामान्य मौसम के आधार पर गणना किया गया था। फलतः इससे खरीफ की फसलों का

---

[9] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–45

प्रमुखता दिखाई पड़ती है। बाँदा के बन्दोबश्त अधिकारी **कैडेल** (Cadell) 1881 में जिले का राजस्व प्रबन्ध करते हुए यह लिखा था–

'इस क्षेत्र की घटिया किस्म की भूमि, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, मौसम में सूखापन, जनसंख्या में कमी तथा गरीब लोगों की अधिकता मुख्यतः यहाँ की कृषि के पिछड़ेपन का जिम्मेदार है।[10] जिले में खरीफ फसलों की उत्पादकता का प्रतिशत रबी के अपेक्षाकृत अधिक बना रहा, इसका कारण यह था कि यहाँ प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, अकाल आदि आपदाएं निरन्तर आती रहती थी। लोग कृषि में अधिक लागत न लगाकर खरीफ की फसलें बोना अधिक पसन्द करते थे। रबी की फसलों में अधिक सावधानी तथा खतरे की गुंजाइस बनी रहती थी, जबकि खरीफ में अपेक्षाकृत कम खतरा था। रबी फसल के उत्पादन में सिंचाई सुविधाओं, लागत तथा परिश्रम ज्यादा था, जबकि खरीफ में इन साधनों की अपेक्षाकृत आवश्यकता कम थी।

जनपद की भूमि खरीफ के लिए अधिक उपयुक्त थी। साथ–ही–साथ पशुओं लिए हरे चारे, खरीफ से ही प्राप्त होता था। यही कारण था कि लोग खरीफ की फसलों पर अधिक ध्यान देते थे। सबसे प्रमुख बात यह थी कि औपनिवेशिक शासन ने बुन्देलखण्ड में कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया। अतः गरीब किसानों को खरीफ फसल उत्पादन के आलावा और कोई विकल्प नहीं रहा।

---

[10] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–48–49

कर्वी सब-डिवीजन तथा बाँदा में खरीफ और रबी की फसलों का प्रतिशतता

कर्वी सब–डिवीजन में रबी की फसलों की खेती 40% क्षेत्र में की जाती थी, जबकि जिले के अन्य भागों में रबी की खेती 48% क्षेत्र में होती थी।[11] बाँदा तहसील में परिदृश्य कुछ अलग था। यहाँ रबी की फसलों के अधीन क्षेत्रफल खरीफ से अधिक था। यह वृद्धि 4% थी। बबेरू में भी लगभग यही स्थिति थी। इस तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि बाँदा तथा बबेरू तहसीलों की कृषि अन्य तहसीलों की तुलना में अच्छी किस्म की थी। भूमि का सर्वे करने से यह ज्ञात होता है कि इन दोनों तहसीलों में अच्छी किस्म की मिट्टी **मार** (दोमट) थी। जिसके फलस्वरूप रबी की फसलें अधिक क्षेत्रों में उगाई जाती थी।

यदि बाँदा जिले में उगाई जाने वाली फसलों की सांख्यिकी तुलना पड़ोसी जिलों जैसे–जालौन, हमीरपुर, झाँसी की फसलों से करें तो हमें उन क्षेत्रों की आर्थिक अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझने में अधिक सहायता होगीं।

जालौन जिले में खेती के अधीन कुल क्षेत्र 50% था, जबकि 25% ऐसा भी क्षेत्र था, जो कृषि योग्य तो था, किन्तु उसमें खेती नहीं की जाती थी।[12]

[11] ड्रेक–ब्रोक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–46

[12] सांख्यिकी गणना, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग – 2, कलकत्ता 1908, पृ– 112 पर आधारित है

हमीरपुर जिलें में खेती की जाने वाली क्षेत्रफल 49.80% था, जबकि 37% कृषि योग्य जमीन बेकार थी।[13]

झाँसी जिले में कृषि के अधीन क्षेत्रफल 32.7% था, जबकि 52.45% क्षेत्र कृषि योग्य थी, किन्तु उसपर खेती नही की जाती थी।

बाँदा जिले में कृषि के अधीन कुल क्षेत्रफल 46% था, जबकि कृषि योग्य बेकार जमीन 38% थी।

इन तुलनात्मक आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड के जिलों में कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जालौन सर्वश्रेष्ठ था लेकिन यदि झाँसी जनपद से बाँदा की कृषि की तुलना कि जाए तो निःसन्देह यहाँ की कृषि व्यवस्था झाँसी से अच्छी किस्म की दिखाई पड़ती है। अन्ततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाँदा जनपद की कृषि व्यवस्था जिस पर जनपद की 72% जनता आधारित थी, वह निम्न स्तर की थी।

आन्तरिक रूप से यदि हम बाँदा जिले की विभिन्न तहसीलों में की जाने वाली खेती सांख्यिकी गणना करें तो यह जानकारी हो सकेगी कि भूमि के कितने भाग पर इन तहसीलों में खेती की जाती थी तथा कितने भाग पर कृषि योग्य भूमि पर खेती नही की जा सकती थी। सन 1903 ई० की विभिन्न तहसीलों की स्थिति निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट हो रही है[14]–

---

[13] सांख्यिकी गणना, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग – 2, कलकत्ता 1908, पृ– 37

[14] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–32 तथा हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट आन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–7

सारणी

तहसील	कुल क्षेत्र	खेती के अधीन क्षेत्र	किन्तुजिनपर खेती नहीकीजातीथी वाला क्षेत्र
बाँदा	427	207	140
पैलानी	362	188	89
बबेरू	363	189	116
कैमासिन	358	205	83
मऊ	316	132	105
कर्वी	567	126	187
बदौसा	333	165	92
गिरवां	334	169	93
कुल	**3,060**	**1,380**	**905**

उपर्युक्त आँकड़े इस तथ्य की ओर संकेत दे रहे है कि बाँदा जिले के विभिन्न तहसीलों में कृषि के योग्य जो भूमि थी, उसमें बाँदा तहसील भी ऐसी थी, जिसमें कृषि के अधीन अधिक क्षेत्रफल था। इसका कारण यह था कि इस तहसील में अच्छी किस्म की मिट्टी (मार) की अधिकता थी, इसलिए यहाँ कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर कर्वी सब–डिवीजन की स्थिति निराशाजनक थी। इस सब–डिवीजन में कृषि का प्रतिशत बहुत कम था। दूसरी चिन्ताजनक बात यह थी कि ऐसा क्षेत्रफल जो कृषि योग्य तो था किन्तु उसपर खेती नही की जा सकती थी वह अधिक मात्रा में था। इससे प्रकट होता है कि कर्वी सब–डिवीजन की दशा निम्न कोटि की थी। इसका कारण यह था कि वहाँ कम उपज होने वाली मिट्टी की अधिकता थी। दूसरे शब्दों में इसे हम **पाठा (Patha)** क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिसमें जंगल की अधिकता थी।[15] अतः ऐसी

[15] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–137

जंगली तथा पठारी क्षेत्र में कृषकों के लिए यह कठिन कार्यथा कि कृषि क्षेत्र में विस्तार किया जाए।[16]

बाँदा जिले के अन्य तहसीलों में खेती कि जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल औसत लगभग समान था। कैमासिन ही ऐसी तहसील थी, जहाँ कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं की जाती थी, का प्रतिशत सबसे कम था। इससे स्पष्ट होता है कि कैमासिन तहसील की कृषि अर्थव्यवस्था अन्य तहसीलों से अच्छी थी। इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बाँदा जिले की विभिन्न परगनों में 1881 ई॰ के बन्दोबश्त तथा 1909 के बन्दोबश्त के आँकड़ों को देखने से कृषि अर्थव्यवस्था आँकड़ों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी[17]–

आँकड़ा

परगना	कृषि के अधीन क्षेत्रफल (1881)	कृषि के अधीन क्षेत्रफल (1909)
बाँदा	1,31,912	1,39,610
पैलानी	1,10,360	1,26,890
बबेरू	1,13,770	1,25,513
गिरवां	1,04,250	1,04,284
बदौसा	96,763	1,05,502
कैमासिन	1,15,643	1,34,397
मऊ	97,189	89,899
कर्वी	95,751	87,926
कुल जिले	**8,65,638**	**9,13,724**

[16] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–44

[17] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–34 तथा हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट आन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–25 के आधार पर आँकडे लिये गये हैं

उपर्युक्त सांख्यिकी से स्पष्ट हो रहा है कि परगना पैलानी में 1881 ई॰ के बन्दोबश्त के समय तक 14.98% की वृद्धि कृषि विस्तार में अंकित है। वही दूसरी ओर बबेरू में यह विस्तार की दर 10.32% थी। सबसे कम वृद्धि गिरवां में दर्ज की गई, जो यह संकेत देता है कि गिरवां की कृषि व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब थी।

कर्वी सब–डिवीजन में शामिल परगनों में सबसे अधिक कृषि में वृद्धि कैमासिन मे दर्ज की गई। यह वृद्धि 16.22% हुई। मऊ तथा कर्वी परगनों में स्थिति चिन्ता जनक थी। इन दोनों परगनों में कृषि के अधीन गिरावट आई। गिरावट का यह प्रतिशतता क्रमशः 7.15% तथा 8.17% था। यह प्रमाणित करता है कि कर्वी सब–डिवीजन की कृषि व्यवस्था की स्थिति निराशाजनक थी।

इसके साथ ही यदि हम बाँदा तथा कर्वी सब–डिवीजन दोनों में कृषि विस्तार का प्रतिशत देखें तो यह स्पष्ट होगा की बाँदा में 7.98% था, जबकि कर्वी में 1.18% की बृद्धि हुई। ये आँकड़े भी कर्वी की कृषि–अर्थव्यवस्था के पिछ़डेपन का संकेत देते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्वी सब–डिवीजन में अच्छी किस्म की मिट्टी (मार) का अभाव रहा।

बाँदा जिले में दो फसली क्षेत्र

बाँदा जिले की कृषि व्यवस्था बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों जैसे–जालौन, हमीरपुर तथा झाँसी के समकक्ष तो नही पहुँच सकी किन्तु इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में दो फसलें उगायी जाती थी। दो फसली के

कारण पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता थी। 1881 ई० के राजस्व प्रबन्ध के समय पूरे जिले के दो फसली क्षेत्रफल 11,731 एकड़ था।[18] 1909 के राजस्व प्रबन्ध के समय कुल दो फसली क्षेत्र 29,466 एकड़ हो गया। जिले की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत था। निम्नलिखित चार्ट से विभिन्न परगनों के 1911 ई० मे उपलब्ध दो फसली क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट होती है –

चार्ट

परगना	दो फसली क्षेत्र (1911)
बाँदा	1,153
पैलानी	945
बबेरू	11,706
कैमासिन	4,003
मऊ	4,178
कर्वी	6,259
बदौसा	161
गिरवां	816

उपर्युक्त सारणी यह प्रमाणित करती है कि इस जिले में दो फसली क्षेत्र बबेरू तहसील में सबसे अधिक था। उसके बाद कर्वी सब–डिवीजन का स्थान था। मऊ तथा कैमासिन परगनों में लगभग यही स्थिति थी। बदौसा की स्थिति सबसे खराब थी, क्योंकि वहाँ दो फसली क्षेत्र केवल 161 एकड़ तक ही सीमित था। पैलानी तथा बाँदा तहसीलों में भी स्थिति अच्छी नही थी।[19]

[18] हम्फ्रीज, ई०डी०एम० – फाईनल रिपोर्ट आन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–14

[19] डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाईटेड ऑफ आगरा तथा अवध, भाग 14, इलाहाबाद 1914, टेबुल

1909 ई॰ में जिले का राजस्व प्रबन्ध करते हुए राजस्व अधिकारी **हम्फ्रीज** ने यह मत दिया था कि इस जिले में दो फसली क्षेत्रफल के वृद्धि के कारण धान की खेती थी। धान की खेती इस पिछड़े जिले के लिए अत्यन्त लाभदायक प्रतीत हुई। यदि पूरे जिले में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराया गया होता तो निश्चित रूप से दो फसली क्षेत्र में और वृद्धि हो सकती थी।[20]

नगद भुगतान वाली फसलों (CASEHCROPS) की विवेचना

रबी तथा खरीफ फसलों के अलावा बाँदा जनपद में नगद भुगतान वाली कुछ फसलें भी उगाई जाती थी, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से बहुत सहायक होती थी। इन फसलों में **कपास, पान, नील, तिलहन, अलपौधे** तथा **धान** की खेती उल्लेखनीय थी।

कपास

बुन्देलखण्ड के कृषकों के लिए सबसे लाभदायक कपास की खेती थी, जो काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में बोई जाती थी। **म्यूर** ने लिखा था कि 'बुन्देलखण्ड में कपास का पौधा भली–भाँति विकसित किया जाता था तथा इसका उत्पादन क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था। बुन्देलखण्ड के कपास की किस्म अत्यधिक मुलायम तथा दोआब में उगाई जाने वाली से अधिक सफेद होती थी। अपनी इस गुणवत्ता के कारण भी बुन्देलखण्ड में पैदा होने वाली कपास ऊँची कीमत पर बिकती थी तथा इसकी अधिक मांग रहती थी।'[21]

---

[20] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–14

[21] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर (वही), इलाहाबाद, 1921 पृ–25

बुन्देलखण्ड की जिलों में उगाई जाने वाली कपास की माँग अधिक होने के कारण यह निर्यात की प्रमुख वस्तु हो गई थी।[22]

कपास के बीज को ज्वार तथा अरहर के साथ बरसात के दिनों में बोया जाता था। जून के आखिरी दिनों में इसकी बोआई होती थी तथा जनवरी तक आते–आते यह फसल तैयार हो जाती थी।[23] इस क्षेत्र की अच्छी काली मिट्टी तथा उच्च कोटि के कावर मिट्टी कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। निम्नलिखित सारणी से बाँदा तथा कर्वी के परगनों में 1842–1909 ई0 के बीच कपास की खेती के क्षेत्रफल की जानकारी होगी।

सारणी

वर्ष	कपास की खेती (प्रतिशत में)	बाँदा जिले के पाँच पश्चिमी परगनें	कर्वी सब–डिवीजन के परगनें
1842	24.25	(कुल खरीफ क्षेत्रफल का)	25.9 (कुल खरीफ क्षेत्र का)
1877–78	16	(कुल खरीफ क्षेत्रफल का)	14 (कुल खरीफ क्षेत्र का)
1909	13.3	(कुल खरीफ क्षेत्रफल का)	

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि बाँदा जिला के पाँच परगनों में कपास की खेती खरीफ की फसलों के 24.25% भाग पर की जाती थी। जहाँ तक कर्वी सब–डिवीजन का प्रश्न है वहॉ कपास का उत्पादन 25.9% (कुल खरीफ क्षेत्रफल का) था जो बाँदा के तहसीलों की अपेक्षा कुछ अधिक था।[24]

---

[22] इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया भाग 6, पृ– 353

[23] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–88

[24] वही पृ–49

1877–78 ई॰ के राजस्व प्रबन्धन के समय कपास की खेती का प्रतिशत कम हो गया और यह मात्र 16% तक बाँदा के पश्चिमी पाँच परगनों में सीमित रही।[25] कर्वी सब– डिवीजन में यह केवल 14% तक सीमित रही।[26] 1909 ई॰ तक आते–आते जिले में कपास की खेती के क्षेत्रों में और कमी अंकित की गई और यह मात्र 64,906 एकड़ तक सिमट कर रह गयी।[27] जो कुल खरीफ क्षेत्रफल का 13.3% थी ।

इस विश्लेषण के साथ यदि बाँदा जिले की विभिन्न परगनों में पैदा की जाने वाली कपास के वितरण को देखें तब स्थिति और स्पष्ट होगी। निम्नलिखित चार्ट इस तथ्य को प्रकाश में लाता है।[28]

चार्ट

1881 ई॰ में विभिन्न परगनों में कपास उत्पादन का वितरण

परगना		कपास की खेती (प्रतिशत में)
बाँदा		9.5
सिहोण्डा		19.13
बदौसा		17.63
अगौसी		17
पैलानी		19.81
कर्वी	डरसेण्डा	16.9
	तरौंआ	13.8
	क्षिवून	11.2

उपर्युक्त चार्ट में बाँदा जिले के विभिन्न परगनों में कपास की खेती के उत्पादन का जो विवरण दिया गया है, वह यह संकेत दे रहा है कि बाँदा जिले में पैलानी ही एक ऐसा परगना था, जहाँ खरीफ फसलों के 19.81% क्षेत्र पर कपास का उत्पादन होता था। अतः कपास उत्पादन में

[25] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53

[26] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ कर्बी, 1881 पृ. –12

[27] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–13

[28] आँकड़े कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53 पर आधारित है

पैलानी प्रथम स्थान पर रहा। लगभग यही स्थिति सिहोण्डा परगना की थी जहाँ खरीफ क्षेत्रफल का 19.13% कपास की खेती के लिए समर्पित था।[29] बदौसा और अगौसी परगने की भी स्थिति लगभग इसी प्रकार थी। परगना बाँदा की स्थिति कपास उत्पादन की दृष्टि से सबसे निराशाजनक थी, जो खरीफ क्षेत्रफल का 9.5% तक सीमित था।

कर्वी सब–डिवीजन में डरसेण्डा ही एक ऐसा परगना था, जहाँ कपास की खेती अन्य परगनों से अधिक क्षेत्र पर की जाती थी। कुल खरीफ क्षेत्र का 16.9% भू–भाग कपास की खेती के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि तरौंआ में 13.8% तथा परगना क्षिवून में 11.2% क्षेत्रफल पर कपास की खेती सीमित हो गई थी।

वास्तविकता यह है कि बुन्देलखण्ड के सभी जिलों मे कपास की खेती में क्रमवार कमी होती गई।[30] यह आश्चर्य का विषय है कि बुन्देलखण्ड का कपास जो दोआब के जिलों में उगाई जाने वाली कपास से अधिक मुलायम तथा सफेदी लिए हुए थी, इसका पतन अंग्रेजी शासन–काल में होता गया। कालपी जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मण्डी था, वहाँ इस कपास की अधिक मांग होती थी। इसके अलावा बुन्देलखण्ड में मऊरानीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में खरूआ वस्त्र की बुनाई तथा रंगाई का जो उद्योग विकसित था, उसमें भी बुन्देलखण्ड के कपास की भारी मांग थी। इसके बावजूद भी कपास की यह खेती अचानक कम हो गई। यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि धीरे–धीरे कालपी

---

[29] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53

[30] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–(46–48)

मण्डी का महत्व घटने लगा। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड में व्यापक रूप से खरूआ वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा। मानचेस्टर, लिवरपूल तथा लंकाशायर के बने हुए कपड़े तथा टैक्स न होने के कारण भारत के बाजारों में प्रसिद्ध होने लगे। इनकी किस्म अच्छी तथा दर सस्ती होती थी। ब्रिटिश सरकार ने इनको संरक्षण प्रदान किया, जबकि भारतीय लघु कुटीर उद्योग–धन्धे हतोत्साहित होकर पतन की ओर जाने लगे ।

मऊरानीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैला हुआ खरूआ वस्त्र उद्योग पर अधिक कर लगा दिए जाने के कारण इंग्लैण्ड से आने वाले वस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका। अतः खरूआ उद्योग का पतन होने लगा। इसके साथ ही इस वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाली बुन्देलखण्ड की कपास की मांग भी घटने लगी। इस मांग के अभाव में कपास का उत्पादन निरन्तर घटने लगा। बुन्देलखण्ड का वस्त्र उद्योग तथा कपास उत्पादन के पतन के लिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति जिम्मेदार रही। जिससे इस क्षेत्र की निवासियों को भारी क्षति हुई।

ब्रिटिश सरकार ने कपास की खेती तथा इसके उत्पादन करने वाले किसानों को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया। 1909 के राजस्व –प्रबन्ध के समय **हम्फ्रीज**[31] की यह परिकल्पना के आगामी वर्षो में सिंचाई की सुविधाओं के साथ–साथ कपास की खेती का भी विस्तार होता जाएगा, गलत साबित हुई और कपास की खेती का तीव्रता से पतन हो गया।[32]

---

[31] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–13

[32] वही

1889 में **राईट** ने भी यह भविष्यवाणी की **'कृषि योग्य नई भूमि पर शीघ्र ही कपास की खेती का विस्तार होगा।'**[33] यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई और औपनिवेशिक शासन की निषेधात्मक आर्थिक नीति पूरे देश की तरह बुन्देलखण्ड की भी कुटीर उद्योग के विनाश के लिए उत्तरदाई साबित हुई।

तिलहन

कपास के अलावा कृषकों को नगद भुगतान करने वाली तिलहन की फसल थी। जिसमें **मुख्यतः तिली, सरसो, अण्डी (क्रैस्टर)** की खेती शामिल थी।[34] सर्वप्रथम इस जिले में सूर्यमुखी की खेती 1854 ई० में की गई।[335] परगना बदौसा में इस पौधे को इसी वर्ष उगाया गया। बाँदा में भी इसकी खेती शीघ्र ही प्रारम्भ हुई, यहाँ कुछ एकड़ में ही सीमित रही।[36] तिली की खेती 1881 में बाँदा जिले के पश्चिमी पाँच परगनों में खरीफ उत्पादन के 3.81% क्षेत्रफल में फैली हुई थी।[37] इसके विपरीत कर्वी सब–डिवीजन में तिली की खेती खरीफ की खेती के कुल 20% क्षेत्र में की जाती थी। इन तुलनात्मक आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कर्वी के अपेक्षा बाँदा में तिली की खेती अधिक क्षेत्र में की जाती थी । इसी तरह सरसो बाँदा में खरीफ के 1/10 क्षेत्र पर बोई जाती थी, जबकि कर्वी सब–डिवीजन में यह फसल नगण्य थी। अलसी की खेती का भी लगभग यही स्थिति थी।

---

33 पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ कर्वी, 1881 पृ. –13

34 एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–115

35 वही

36 वही

37 कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्वी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53

अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाँदा के पाँच पश्चिमी परगनों में तिलहन का उत्पादन कर्वी सब–डिवीजन से अधिक था। 1871–72 ई॰में के प्राप्त आँकड़ों से बाँदा के पाँच पश्चिमी परगनों से तिलहन अन्य दोनों क्षेत्रों को निर्यात किया गया। निम्नलिखित चार्ट से स्थिति स्पष्ट पड़ेगी –

चार्ट

1871–72 ई॰ में बाँदा के पाँच पश्चिमी परगनों से निर्यात किया गया तिलहन [38]		
तिलहन बीज	**वर्ष (1871–72)**	**कुल निर्यात (मन में)**
तिली (तेल)	वर्ष (1871–72)	2850
सरसों (तेल)	वर्ष (1871–72)	770
अलसी (तेल)	वर्ष (1871–72)	2000
कैस्टर (अण्डी तेल)	वर्ष (1871–72)	1050
सूर्यमुखी	वर्ष (1871–72)	25

उपर्युक्त चार्ट यह इंगित करता है कि तिलहन में तिली ही ऐसा बीज था, जो कि बाँदा जनपद से काफी मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किया जाता था। 1972 में तिली का कुल निर्यात इस जिले से 2850 मन हुआ।[39] तिली के अलावा अन्य तेल उत्पादन बीजों का निर्यात अन्य क्षेत्रों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इसकी उपज काफी कम थी। अलसी अवश्य ऐसा तिलहन था, जिसे तिली के बाद निर्यात में दूसरा स्थान प्राप्त था। 1872 में 2000 मन तिली का निर्यात जिले से हुआ। तिली तथा अलसी के उत्पादन में आगामी वर्षो में वृद्धि हुई होगी और इससे लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ होगा।

---

[38] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ कर्बी, 1881 पृ. –17

[39] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–116

पान

बाँदा जिले में पान की खेती का कोई विशेष महत्व नहीं था। आश्चर्य यह है कि इसके समीपवर्ती महोबा पान उत्पादन में अग्रणी रहा, जबकि बाँदा जिले में पान की खेती महत्वहीन थी। 1881 में पूरे जनपद में केवल नौ एकड़ भूमि पर पान की खेती हुई।[40] इसकी खेती मात्र दो गाँवों तक सीमित थी।[41] आगे आने वाले वर्षों में भी पान के क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। अतः जिले की अर्थव्यवस्था को इससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला।

अलपौधा

बाँदा जिले मे नगद भुगतान करने वाली फसल में सबसे महत्वपूर्ण अलपौधे की खेती थी। इसकी खेती बुन्देलखण्ड की प्रायः सभी जगहों में होती थी। अलपौधे की खुदाई कर इसकी जड़ों को पकाकर अच्छी किस्म की डाई बनायी जाती थी, जिसके रंग से खरुआ वस्त्र उद्योग में अनेक वस्त्रों की रंगाई होती थी। मऊरानीपुर तथा आसपास के क्षेत्र इस प्रकार के वस्त्र निर्माण के लिये अधिक प्रसिद्ध थे। अलपौधे की खेती अच्छी किस्म की मार भूमि में की जाती थी। एक एकड़ की मार भूमि में लगभग दस मन अल की जड़ें प्राप्त होती थी। 1873 ई० में इसका बिक्रय मूल्य आठ रू० प्रति मन था। यह कीमत अल पौधे की जड़ की गुणवत्ता पर निर्भर करती थी।

---

[40] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53

[41] वही

यह विस्मयकारी प्रतीत होता है कि कृषकों के लिए लाभप्रद अल की खेती ब्रिटिश शासन काल में लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सकी। मऊरानीपुर के आसपास के क्षेत्रों में स्थित खरुआ वस्त्र उद्योग के पतन से अल पौधे के मांग निरन्तर घटती गई तथा इसके उत्पादन में कमी आ गई। 1881 तक आते–आते इस पौधे की खेती मात्र 104 एकड़ तक सीमित रह गई।[42]

1892 ई॰ **हूपर** ने इस खेती के पतन के सम्बन्ध में लिखा था कि **जिस समय अलपौधे की भारी मांग थी, उस समय इसकी खेती किसानों के लिए बहुत लाभप्रद होती थी किन्तु जैसे ही इसकी मांग खत्म हुई, वैसे ही अलपौधे का उत्पादन होना बन्द हो गया। ऐसे किसान अथवा गांव जहां यह खेती होती थी, उन्हें आर्थिक रूप से बहुत क्षति उठानी पड़ी।**[43]

अलपौधे की खेती के पतन होने के निम्नलिखित कारण और भी थे। 1. इसकी खेती में लाभ का प्रतिशत बहुत कम था। 2. अल पौधे की खेती करते समय पौधे को कीड़े –मकोड़े से बचाने के लिए निरन्तर निगरानी की आवश्यकता थी। 3. अल पौधे की जड़े काफी गहराई में जाती थी, जिसकी खुदाई के लिए अधिक श्रम तथा धन की आवश्यकता होती थी ।

[42] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्वी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53

[43] इम्पे, डब्ल्यू0एच0एल0 एण्ड मैस्टन, जे0एस0, – रिपोर्ट ऑन द सेकण्ड सेटेलमेण्ट आफ द झाँसी डिस्ट्रिक्ट, (इक्सक्लूडिंग द ललितपुर सब–डिवीजन) एन0डब्ल्यू प्रोविन्सेज, इलाहाबाद 1892 पृ. –3

अतः उपर्युक्त कारणों से अलपौधे की खेती का पतन हुआ, जिसे किसानों की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात लगा।

नील

इसी तरह नील उत्पादन जो किसी समय महत्वपूर्ण माना जाता था, उसका भी पतन जिले के किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। 1881 के राजस्व प्रबन्ध के समय राजस्व अधिकारी ने यह लिखा था – **'जिले में नील की खेती केवल 66 एकड़ भूमि तक ही सीमित है। 1909 तक आते–आते इसके क्षेत्रफल मे और गिरावट आयी तथा इसकी खेती गिरवां नामक एक गाँव तक ही सीमित रह गई।'**[44]

गन्ना

जनपद बाँदा में गन्ने की खेती ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ से पूर्व बहुत ही उपयोगी तथा लोकप्रिय थी।[45] चन्देल शासनकाल में बुन्देलखण्ड में गन्ने की खेती बड़ी प्रसिद्ध थी, अब भी बुन्देलखण्ड के गाँवों में जगह–जगह पत्थर के कोल्हू मिलते है, जो गन्ने की पेराई का संकेत देते हैं। आश्चर्य यह है कि तिलहन, नील व अल की ही भाँति इस क्षेत्र से गन्ने का भी पतन हो गया। 1881 के बन्दोबश्त के समय यह पाया गया कि गन्ने की खेती मात्र कुछ गाँव तक ही सीमित है।[46] ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी समीपवर्ती क्षेत्रों से शक्कर या गुड़ पर्याप्त मात्रा में आने के कारण बाँदा जनपद से इस खेती लोप हुआ।[47] प्रश्न यह उठता है कि

[44] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्बी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–53
[45] वही, पृ–49
[46] वही, पृ–49
[47] वही, पृ–49

ब्रिटिश सरकार ने गन्ने की खेती का उत्पादन जो सदियों पूर्व से इस क्षेत्र में होता रहा है, उसके उत्थान के लिए कृषकों को प्रेरित क्यों नहीं किया?

इससे यह प्रतीत होता है कि औपनिवेशिक सत्ता का मात्र उद्देश्य अधिक–से–अधिक राजस्व वसूल करना तथा इंग्लैण्ड में बने सामानों को भारतीय बाजारों में सस्ते दरों पर बेचने तथा धन कमाने आदि प्रवृत्तियों ने इस जनपद में गन्ने, कपास, तिलहन, पान, नील और अलपौधे की खेती के लिए अनुकूल वातावरण विकसित नहीं किया।

धान की खेती

अंग्रेजी शासन काल में जिस समय महत्वपूर्ण लाभ देने वाली फसलों के उत्पादन में कमी हो रही थी, ऐसे समय में बाँदा जनपद में धान की खेती आशा की एक नई किरण के रूप में किसानों के समक्ष आई।[48] धान की खेती खरीफ की फसलो में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसकी खेती बाँदा जनपद में सबसे पहले किस प्रकार प्रारम्भ हुई इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रचलित परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि बबेरू परगने के **फफूँदी** नामक गाँव में यह खेती 1865 में प्रारम्भ हुई।[49] **फफूँदी** के किसान ने फतेहपुर जाकर धान के बीज को प्राप्त किया और उसे सर्वप्रथम अपने गाँव में बोया। धीरे–धीरे अन्य किसान भी इससे प्रेरित होकर धान की खेती करने लगे। फफूँदी में जो चावल की किस्म बोई गई, उसके उत्पादन को आगरा में कृषि उत्पादन प्रदर्शनी में भेजा गया, जिसमें किसान को धान की खेती में प्राप्त सफलता

---

[48] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–49

[49] वही

के लिए ईनाम दिया गया।[50] धान की यह खेती इस जिले में इतनी प्रसिद्ध हुई कि 1909 तक आते–आते यह काफी क्षेत्रों में बोई गई। उल्लेखनीय यह है कि धान की फसल के बाद उस खेत को रबी के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था, इसलिए यह खेती अधिक उपयोगी और लाभ किस्म की थी। 1909 में **ड्रेक ब्रौक मैन** ने लिखा था कि **'पूरे जिले में यह प्रवृत्ति देखी गई कि किसान धान की खेती का विस्तार करते जा रहे हैं।'**[51] निःसंदेह इस विस्तार से किसानों को राहत मिला होगा ।

कृषि उत्पादन की समीक्षा

बाँदा जनपद के लोगों की अर्थव्यवस्था की स्थिति समझने के लिए कृषि उत्पादनों की समीक्षा करना आवश्यक प्रतीत होता है। **खरीफ** व **रबी** तथा **दो फसली क्षेत्रों** आदि की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि पूरे बुन्देलखण्ड के जिलों की ही भाँति बाँदा जनपद में कृषि बरसात पर आधारित थी, यही कारण था कि खरीफ उत्पाद यहाँ अधिक होता था और रबी की फसलें – जैसे गेहूँ, जौ आदि की पैदावार अपेक्षाकृत कम होती थी। अतः स्वभाविक है कि इस जिले के किसान अच्छे किस्म के गेहूँ, जौ तथा गन्ना प्राप्त करने के लिए बाहरी क्षेत्र से आयात पर निर्भर थे। अधिकांश जनसंख्या खरीफ उत्पादन पर निर्भर थी। नगद लाभ प्रदान करने वाली फसलें जैसे –कपास, अल पौधा, नील आदि की खेती के पतन से कृषि पर आधारित जनसंख्या आर्थिक रूप से तंगी का अनुभव कर रही थी। अतः लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते थे।[52]

---

[50] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–49

[51] वही

[52] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ कर्वी, 1881 पृ. –17

पैटर्सन ने 1881 में इस बात की पुष्टि की थी 'निःसंदेह इस क्षेत्र में अभी भी सबसे अधिक गरीबी है। अधिकांश जमींदार जो कृषि पर आधारित थे, वे गरीबी के कगार पर थे। यही स्थिति कृषि पर काम करने वाले किसानों और मजदूरों की थी। मौसम की अनिश्चितता, बाढ़, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अधिकांश जमींदारों तथा किसानों का जीवन अंधकार में डूबा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने कृषि विकास, सिचांई सुविधा का विस्तार तथा अन्य कल्याणकारी प्रयास की ओर ध्यान नहीं दिया। औपनिवेशिक शासकों की इस उदासीनता ने जनपद को गरीबी, बेरोजगारी, महँगाई की आग में झोंक दिया तथा लोग कर्ज में डूब गए।

कुटीर उद्योग धन्धों की दशा

जनपद बाँदा में जहाँ एक ओर कृषि की दशा खराब थी और जन–जीवन, गरीबी, भूखमरी तथा अभाव से ग्रस्त था, वहीं दूसरी ओर कुटीर उद्योग धन्धे की भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यद्यपि बुन्देलखण्ड मुख्यतः कृषि पर आधारित क्षेत्र था किन्तु नगदी प्रदान करने वाली फसलें जैसे –कपास, तिलहन, अलपौधे की खेती व नील आदि के उत्पादन पर विदेशी शासन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और प्रोत्साहन के अभाव में नगदी प्रदान करने वाली फसलें नष्ट होती चली गई। ऐसे लोग जो व्यापार तथा वाणिज्य के कार्यों में संलग्न थे, उनमें अधिकांश ऋण का लेन–देन किया करते थे। आयात–निर्यात की वस्तुए मुख्यतः मोटा अनाज, तिलहन, कपास और घी होता था, जो जिले से अन्यत्र निर्यात किया जाता था।[53] कृषि निर्यात से भी लोगों के जन–जीवन को कोई खास सहारा नहीं मिला। 1880–81 में बाँदा जनपद से मोटे अनाज तथा कपास जैसी

---

[53] कैडल, ए0 – बाँदा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्वी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–42

वस्तुएं का जो निर्यात किया गया, वह कुल 864 मन का था।[54] यह निर्यात लाभ की दृष्टि से अन्य उपयोगी इसलिए साबित हुआ, क्योंकि दूसरे जिलों से अच्छी किस्म का गेहूँ, नमक, तथा गन्ना बाँदा जिले में मँगाना पड़ा। यह आयात, निर्यात से बहुत अधिक था।[55] जिसकी कीमत 5,88,907 रू० थी।[56] इस प्रकार इतने बड़े आयात ने निर्यात को लगभग महत्वहीन बना दिया। जनपद के लोगों को इस निर्यात की कमी को पूरा करने के लिए कोई अवसर नहीं था।

कुटीर उद्योग धन्धों के उत्पाद

यद्यपि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, फिर भी कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योग–धन्धे महत्व बनाए हुए थे। बाँदा नगर में मोटी किस्म का कपड़ा बुना जाता था जिसे **'गजी'** कहा जाता है।[57] ताँबे तथा कांस्य के बर्तन, सोने–चाँदी के जेवर, आभूषण बनाने के उद्योग भी थे। कहीं–कहीं पर मोटे किस्म का कम्बल तथा टाट बुनने का काम होता था। 1909 में **ड्रेक ब्रौक मैन**, ने लिखा था कि 'पास–पड़ोस के क्षेत्रों में जैसे– रावली, कल्याणपुर में विभिन्न प्रकार के चिकने पत्थरों को तरासकर सुन्दर रूप दिया जाता था।[58] कर्वी सब–डिवीजन में सिल्क के कपड़े पर कढ़ाई की जाती थी, उसे बेल–बूटों से आकर्षक बनाया जाता था।'[59]

---

[54] कैडल, ए0 – बँादा सेटेलमेन्ट रिपोर्ट (कर्वी सबडिवीजन को छोडकर) इलाहाबाद, 1881, पृ–42
[55] वही
[56] वही
[57] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–77
[58] वही
[59] वही

सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग पत्थरों को काटकर चिकना कर उन्हें पॉलिश करने का था। **ड्रेक ब्रौक मैन** ने लिखा है कि '1909 तक बाँदा नगर में पत्थरों को काटकर चिकना करते हुए, उनमें आकर्षक पॉलिश करने के चार कारखाने थे। जिनमें से एक कारखाने को अपनी कलात्मक उत्पाद के लिए दिल्ली की प्रदर्शनी में कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया था।' यहाँ के कलात्मक ढंग से बनाए गए पत्थर की कीमत उनकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती थी। ये पत्थर केन नदी के तलहटी में पाये जाते थे, लेकिन अधिकांशतः ये नर्मदा के तलहटी में उपलब्ध थे। होशंगाबाद तथा भोपाल के बीच प्रवाहित होने वाली **पंजल नदी** के तलहटी में ये चिकने पत्थर पर्याप्त मात्रा में थे। **केन नदी** में पीले तथा लाल रंग के चिकने किस्म के पत्थर मिलते थे, इन्हें भी उसी तरह आर्कर्षक बनाया जाता था। उन चिकने तथा आर्कर्षक छोटे–मोटे पत्थरों को लकड़ी के टुकड़ों पर एक अच्छी किस्म की गोंद से चिपकाया जाता था। इस प्रकार तरह–तरह किस्म की वस्तुए बनाई जाती थी।

1881 में जिले का स्थाई बन्दोबश्त करते हुए **कैडल** ने यह मत दिया था कि 'नदियों के तलहटी में प्रवाहित होने वाले छोटे–मोटे पत्थरों के टुकड़ों को काटकर चिकना बनाते हुए उनमें अच्छी किस्म की पॉलिश करने का उद्योग जिले का प्रमुख उद्योग था।'[60]

हमारे पास इस प्रकार निर्मित वस्तुओं के निर्यात के आँकड़े उपलब्ध नही हैं, लेकिन यह अनुमान किया जा सकता है कि आर्थिक रूप से

[60] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –101

पिछड़े हुए क्षेत्र में इस प्रकार के कुटीर उद्योग ने लोगों को अवश्य मदद पहुँचाई होगी।

वाणिज्य तथा व्यापार

जैसा कि पहले देख चुके हैं कि इस जिले का प्रमुख उत्पादन कपास, मोटा अनाज, तिलहन, घी, पत्थर के टुकड़े, जलाऊँ लकड़ी, बाँस तथा जानवरों की बिक्री आदि था। इन सामानों को बिक्री के लिए बाहर भेजा जाता था। जिन्हें हम निर्यात की सूची में रखते हैं। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में गेहूँ, अच्छी किस्म का चावल तथा पक्की बनी हुई वस्तुएं होती थी। जिले में उत्पादित कपास की खपत कर्वी स्थित सूती मिल में होती थी, जहाँ इस कपास की सफाई होती थी, तत्पश्चात् इसे कानपुर निर्यात किया जाता था। कपास उत्पादकों को कम पारिश्रमिक मिलने के कारण कपास की खेती निरन्तर कम होती गयी। जिससे प्रभावित होकर कर्वी की सूती मिल को 1903 में बन्द कर देना पड़ा। फलतः इसमें कार्यरत 140 मजदूर बेकार हो गए।[61]

कृषि उत्पादों में चना निर्यात की प्रमुख वस्तु थी। चना को बाँदा, अतर्रा, बदौसा और कर्वी स्टेशनों के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था।[62] कर्वी सब–डिवीजन में जंगली क्षेत्र अधिक होने के कारण जलाऊँ लकड़ी तथा बाँस का व्यापार होता था। इमारती लकड़ी में बली तथा जलाऊँ लकड़ी कर्वी के पास कोठियां से प्राप्त की जाती थी। बदौसा तथा कालिंजर के दक्षिणी भाग से जलाऊँ लकड़ी भारी मात्रा में लाकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। ग्रामीण इलाकों से भी इन

[61] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –102
[62] वही पृ. –101

सामानों को इक्ट्ठा कर मऊ तथा कर्वी से अन्य स्थानों पर भेजा जाता था।

जंगली उत्पादन

जंगलों से प्राप्त होने वाली शहद, चिरौंजी तथा लकड़ी का व्यापार लोगों के लिए लाभदायक था। जंगली क्षेत्रों में पर्याप्त शहद मिलती थी। इसे जंगली जातियां इकट्ठा कर, बेचने का कार्य करती थी।[63] जंगलों से चिरौंजी भी भारी मात्रा में प्राप्त होता था, जिसके बीज को बाजारों में बेंचा जाता था।[64] जामुन तथा झरबेर भी मौसम के समय जंगलों से इकट्ठा किया जाता था। बबूल इसी किस्म का एक दूसरा प्रमुख उत्पाद था, जो जिले की उत्तरी भागों से प्राप्त किया जाता था। महुआ वृक्ष तो जिले के हर भाग में प्रायः उपलब्ध था। इसका फूल लोगों द्वारा खाया जाता था तथा बीज से तेल निकाला जाता था। महुआ की लकड़ी भी इमारतों में प्रयोग के लिए उपयोगी थी।

जंगलों में प्राप्त होने वाली शाखू और शागौन के वृक्ष अपनी गुणवत्ता के कारण विशेष महत्वपूर्ण थे। 1878 में **एटकिंसन** ने लिखा था कि 'इन महँगे वृक्षों को पकने से पहले ही काट लिया जाता था किन्तु फिर भी इसमें दूसरे वृक्ष पौधे के रूप में निकलने लगते थे और उनकी देखरेख तथा संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।'[65] **एटकिंसन** ने यह भी लिखा है कि 'जंगलों में उत्पादित होने वाला एक प्रकार का पौधा ऐसा भी होता था, जो ऊँची–नीची अर्थात् पहाड़ी इलाकों में उगता था। इससे

---

[63] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–88

[64] वही पृ–89

[65] वही पृ–89

काफी मात्रा में नील प्राप्त किया जाता था, लेकिन लोगों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता था।'[66]

जंगल उत्पादित वस्तुओं में सूखी लकड़ी जन–जातियों के जीविकार्जन की प्रमुख वस्तु थी। इसके अलावा वन क्षेत्रों से प्राप्त घास अकालों के समय जानवरों के लिए बड़ी उपयोगी थी। **ड्रेक ब्रौक मैन** ने लिखा है कि '1907–08 के अकाल में रानीपुर से 23,261 मन, चौन्दरी डोण्डा से 19,153 मन तथा कोथुआँ क्षेत्र से 1,353 मन सूखी घास इकट्ठा की गई, जिसे अकाल पीड़ित क्षेत्रों में निर्यात किया गया।'[67]

इस प्रकार सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बाँदा जनपद के निवासियों के लिए जंगली उत्पादन जैसे– शहद, चिरौंजी, बेरी, जामुन, घास तथा जलाऊँ एवं इमारती लकड़ी इत्यादि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करती थी।

महत्वपूर्ण बाजार

बाँदा, अतर्रा, बदौसा, कर्वी तथा मानिकपुर इस जिले के प्रमुख बाजार थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाँदा नगर जो पहले व्यापार की दृष्टि से प्रसिद्ध था, उसकी व्यापारिक गतिविधियों में बाद के वर्षो में गिरावट आने लगी।[68] अब बाँदा के स्थान पर अतर्रा व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होने लगा। जनपद के दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों की व्यापारी अब

---

[66] जे0ए0एस0, बंगाल–XIX, 1889 तथा एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–89

[67] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–28

[68] वही पृ–78

अतर्रा में ही समान के लेन–देन हेतु एकत्र होने लगे।[69] 1881 के राजस्व प्रबन्ध के समय अतर्रा बाजार में अनाज के व्यापार पर मात्र दो सौ रू० चुंगी प्राप्त हुई थी,[70] लेकिन 1911 तक आते–आते अतर्रा में व्यापारिक गतिविधियां इतनी तेजी से बढ़ी कि वहाँ चुंगी के रूप में 5400 रू० प्राप्त हुआ।[71]

1905–06 में सड़क द्वारा जो व्यापारिक वस्तुएं अतर्रा से दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों मे भेजी गई, वे क्रमशः 9733 टन तथा 3797 टन थी।[72] इन आँकड़ों से पुनः अतर्रा के एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित होने का प्रमाण प्राप्त होता है। बदौसा नगर व्यापारिक दृष्टि से छोटा था किन्तु मानिकपुर कुछ महत्वपूर्ण था, जहाँ से समान आसपास के क्षेत्रों तथा रीवां रियासत को भेजा जाता था। जिले के बाजारों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अतर्रा ही मात्र एक व्यापारिक केन्द्र था।

खनिज-सम्पदा

बाँदा जिले में खनिज–सम्पदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। यदि औपनिवेशिक शासनकाल में इसका भली–भाँति दोहन किया गया होता तो निश्चित ही इस जनपद की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त प्रगति हुई होती। अंग्रेजी राजस्व अधिकारी करों की वसूली तथा विदेशी उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं की बिक्री का बढ़ावा देने के लिए ही सारे प्रयास करते रहे। कृषि, लघु, उद्योग–धन्धों का विकास तथा खनिज पदार्थो का भली–भाँति दोहन उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। जनपद के **कल्याणगढ़** परगने में

[69] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी०एल० – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–79
[70] वही
[71] वही
[72] वही

उच्च किस्म का **लोहा** प्राप्त था। इस लोहे को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित वहाँ लगाई गई भट्ठियों में इसे उपयोग के अनुकूल बनाने हेतु निर्मित किया जाता था।

गोहारी नामक स्थान पर कुछ लोहार लोहे की खुदाई से पर्याप्त मात्रा में **ओर** भी प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु के बाद इनकी खुदाई की जाती थी। मार्च तक आते–आते यह खुदाई चरम सीमा पर पहुँच जाती थी। **एटकिंसन** ने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी है। वह लिखता है कि '**ओर** को **'नाल'** नामक स्थानीय नाम से पुकारा जाता था।'[73] जिसे जमीन के नीचे खुदाई करके गड्ढा बनाकर निकाला जाता था। लोहे को काफी मात्रा में प्राप्त करने के बाद भट्ठी में जलाकर विभिन्न प्रकार का रूप दिया जाता था। जलने के बाद जब यह लाल होने पर इसकी पिटाई कर दो भागों में काट दिया जाता था, उसके बाद आग की भट्ठी (जो चिमनी की आकार की होती थी) में तपाकर विभिन्न वस्तुए बनाई जाती थी।[74] इसकी खुदाई अधिकतर 'कोल' लोगों द्वारा होती थी।

जनपद बाँदा में लोहे की खाने **'देवरी'** तथा **'खिरानी'** नामक स्थानों पर भी थीं।[75] विभिन्न प्रकार के बर्तन निर्माण हेतु जनपद की एक और खनिज पदार्थ जो पहाड़ी क्षेत्रों मे था। इसे **'पाईप क्ले'** नाम से पुकारा जाता था। अधिकांशतः यह **'तरौंआ'** परगने में **'कोल्हगढ़िया'** नामक स्थान पर स्थित था।[76] इस खनिज से विभिन्न प्रकार के बर्तन

---

[73] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–97

[74] वही

[75] वही

[76] वही

बनाये जाते थे। **फतेहगढ़** के बर्तन कारखाने में इसका उपयोग किया जाता था। इस उपयोगी कच्चे माल से जिले को पर्याप्त लाभ होता था।

जनपद बाँदा में विन्ध्यांचल की पहाड़ियों पर **'श्याल लक्ष्मणपुर'** नामक स्थान पर **हीरा की खान** भी मिली है। यह पहाड़ियां परगना बदौसा तक फैली हुई हैं। ब्रिटिश सरकार ने इन पहाड़ियों को 125 रू॰ प्रतिवर्ष शुल्क की हिसाब से पट्टे पर दे दिया था। इसी तरह जिले में **'चूना–पत्थर'** तथा **कंकड़** काफी मात्रा में उपलब्ध था। इसे भवन–निर्माण में उपयोग किया जाता था। परगना तरौंआ ओर क्षिवून में चूना–पत्थर लकड़ी से जलाकर तैयार किया जाता था, जबकि अन्य स्थानों पर जानवरों के **'गोबर से बने कण्डे** को जलाकर **'चूना–पत्थर'** बनाया जाता था। इन परगनों में ये वस्तुएं सस्ते दर पर उपलब्ध थी।[77] कंक्रीट जो सड़क निर्माण के लिए उपयोगी थी, वह नदियों के किनारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इन क्षेत्रों मे 1 से 3 फूट तक खोदकर इसको इकट्ठा किया जाता था। **'केन'** के किनारे बाँदा में तथा 'सिहोण्डा' व 'पैलानी' में यह कंकड़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।[78]

उपर्युक्त के अलावा कुछ अन्य प्रकार के पत्थर भी बाँदा जिले में प्राप्त है। एटकिंसन ने लिखा है कि '1887 में हरे रंग के पत्थरों को काटकर निकालने का कार्य प्रगति पर था, जिसें **'तेलिया'** कहा जाता था जो **'परवा'** नामक स्थान (जो बाद में कालिंजर के चौबे जागीर में शामिल कर लिया गया) में स्थित था। मूर्तियों के निर्माण में इस प्रकार के पॉलिश

---

77 एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–98

78 वही

वाले पत्थरों का उपयोग किया जाता था।[79] इसी प्रकार एक हरे रंग वाला बलुआ पत्थर कई गाँवों में प्राप्त था, जिसे दीवारों की रंगाई के उपयोग में लाया जाता था। यह गहरे हरे व नीले रंग का होता था। सिद्धवारा की पहाड़ियों (तरौंआ परगना) में इसकी मात्रा प्रचुर था।[80]

खनिज पदार्थों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि जहाँ जनपद की कृषि–व्यस्वथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे– अकाल, बाढ़ आदि से प्रभावित होकर बुरी स्थिति में आ जाती थी, उसके विपरीत प्रकृति ने कृषि की क्षति को पूरा करने के लिए जनपद बाँदा को खनिज पदार्थों से समृद्ध कर रखा था। आवश्यकता मात्र इतनी थी कि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर उद्योग स्थापित किए जाते जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तथा लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता। जनकल्याण की भावना का अभाव विदेशी शासकों के मन में हमेशा बना रहा जिले के विकास के लिए उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। सरकार की हतोत्साहित एवं निषेधात्मक नीति के कारण ही कर्वी स्थित कपास का कारखाना बन्द हो गया। जिले में किसानों को राहत देने वाली एवं नकदी भुगतान करने वाली फसले जैसें– कपास, अफल पौधे की खेती, नील आदि के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी निषेधात्मक नीति के कारण खनिज पदार्थों का दोहन भी नहीं हुआ और यह जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा बना रहा तथा इस पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन को ही जिम्मेदार माना जायेगा।

---

[79] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–96

[80] वही

प्रारम्भिक राजस्व प्रबन्ध तथा ब्रिटिश राजस्व नीति

जनपद के लोगों की सामाजिक–आर्थिक दशा का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक कि जिले में ब्रिटिश राजस्व–नीति की विवेचना न कर ली जाए। हमें यह ज्ञात है कि 1803 की पूना की संधि[81] द्वारा जनपद का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हुआ। धीरे–धीरे अन्य क्षेत्र भी औपनिवेशिक सत्ता के हाथ में आ गए। जिले की सीमाओं में निरन्तर परिर्वतन होने के कारण राजस्व–प्रबन्ध का क्रमवार ब्यौरा बनाना कठिन है।[82] 1857 के विद्रोह के समय राजस्व अभिलेखों को नष्ट–भ्रष्ट किये जाने से यह कठिनाई और बढ़ जाती है।[83]

इसके बावजूद भी 1804 में बुन्देलखण्ड के राजनीतिक एजेण्ट कैप्टन जॉन **'वेली'** के बाँदा आगमन के पश्चात् राजस्व–प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ।[84] 'वेली' मूलतः एक सैनिक अधिकारी था, जो राजस्व प्रबन्ध की बारीकियों से परिचित नहीं था। अतः उसने एक स्थानीय व्यक्ति **मिरजा जाफर** को लखनऊ से बुलाकर राजस्व प्रबन्ध का दायित्व सौंपा।[85] वेली ने जाफर की सहायता से जो राजस्व–व्यवस्था की, उसमें केवल बाँदा के दक्षिणी तथा पूर्वी परगने जैसे– बाँदा तहसील, अगौसी, गिरवां तथा कर्वी सब–डिवीजन के **परसठिया** और **कोठी** के क्षेत्र सम्मिलित थे। नवाब सरकार के राजस्व की जो दरें बनायी गई थी, उन्हीं को आधार मानकर यह प्रबन्ध कर दिया गया। 1804 के ही लगभग हिम्मत बहादुर गोसाई की मृत्यु हो गई और उन्हीं की शर्तो के अनुसार उसकी जागीर ब्रिटिश

---

[81] एचिन्सन, सी0यू0– ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद् भाग – 3 कलकत्ता 1909, पृ–295

[82] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–126

[83] जेनकिन्सन, ई0जी0 – रिपोर्ट ऑन द सेटेलमेण्ट ऑफ झाँसी, इलाहाबाद 1871, पृ – 108

[84] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –96

[85] वही

साम्राज्य का अंग बन गई। इस प्रकार सारा बाँदा (कालिंजर परगना को छोड़कर) '**वेली**' प्रशासन के अधीन आ गया।

बुन्देलखण्ड का एक स्थायी जिला के रूप में गठन

मई, 1805 में बुन्देलखण्ड को नियमित जिला का दर्जा मिला और **अरसकिन** को इसका कलेक्टर बना दिया गया।[86] अरसकिन को यह श्रेय है कि उसने पूरे जिले में एक जैसी राजस्व–व्यवस्था बनाई। पूना की संधि से प्राप्त क्षेत्रों का प्रारंभिक प्रबन्ध 1805 में पूरा हुआ। 1806 में हिम्मत बहादुर गोसाई की जागीर के विलय हो जाने के पश्चात् जो नये ब्रिटिश प्रशासन में आए थे, उनका भी प्रबन्ध इसी के साथ किया गया। 1808 में जिले की भूमि राजस्व प्रबन्ध से प्राप्त आय 13,53,723 रू॰ थी[87]। अरसकिन द्वारा बनाए गए राजस्व में असमानताएं थी, क्योंकि अरसकिन स्वयं जिले की परिस्थितियों से परिचित नहीं था किन्तु इसके बाबजूद भी उसकी राजस्व दरों को प्रायः उदार माना जाता है। इस कथन की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उस समय किसानों ने अपनी भूमि का विक्रय नहीं किया। यदि राजस्व की दरें कठोर होती तो किसानों को बाध्य होकर अन्य स्रोत न होने पर जमीन को बेचना पड़ता।

अरसकिन के राजस्व प्रबन्ध के समय जिले की दशा

अरसकिन ने जिले के बारे में अपनी समीक्षा में लिखा था कि "वर्तमान में इस जिले की लगभग 2/3 कृषि योग्य भूमि पर खेती की जा रही है और इसमें से परती रखी जाने वाले कुछ हिस्सों को छोड़ने के

[86] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –98
[87] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–127

बावजूद भी 2/3 भाग पर फसलें उगाई जा रही है।[88] 1804 मे जॉन वेली ने जो राजस्व की दरें निर्धारित की थी, उसे अरसकिन ने काफी कम कर दिया। इससे प्रमाणित होता है कि जॉन वेली का राजस्व प्रबन्ध **'वानच्उप'** ने किया, जिसे राजस्व की दरों में 13% वृद्धि कर दी।[89] वृद्धि के तुरन्त बाद कृषकों ने यह पाया की इतनी विशाल राशि की भुगतान किया जाना अत्यधिक कठिन है। अतः बाध्य होकर 'वानच्उप' को अरसकिन की ही दरें लागू करनी पड़ी।

1815 में बाँदा जिले का चौथा राजस्व प्रबन्ध हुआ। जिसे पूरा करने का श्रेय **'इस्कार्ट वारिन'** को मिला। 'वारिन' ने राजस्व की दरों को 26% बढ़ोत्तरी कर दी। बाँदा, पैलानी, अगौसी, कैमासिन की काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह वृद्धि सबसे ज्यादा थी। इतनी बड़ी राजस्व की दरों की भुगतान किसानों तथा जागीरदारों के बस की बात नहीं थी। अतः ऐसी दरें जो भुगतान की सीमा से बाहर थी, उस बकाया राशि के भुगतान के लिए कृषकों तथा जमीदारों को अपनी भूमि गिरवीं रखनी पड़ी और उसे बेचना पड़ा।

1807 में परगना **'खानदेह'** का बन्दोबश्त **'वालपी'** ने किया। उसने 'वारिन' द्वारा बनाई गई दरों को ही लागू किया जो इतनी कठोर थी कि किसान उसका भुगतान करने की स्थिति में नही थें। अतः बाध्य होकर किसानों को अपनी भूमि बेचनी पड़ी।[90]

---

[88] कैडल, ए० - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –105
[89] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी०एल० – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–127
[90] वही पृ–125

1820 में **'कैम्पवेल'** तथा **'रिड्डे'** नामक अधिकारियों ने पाँचवा बन्दोबश्त किया, जो 1825 तक चलता रहा। 'रिड्डे', 'वारिन' के अधीन कार्य कर चुका था और उसे इस जिले का ज्ञान भी था।[91] इन दोनों बन्दोबश्त अधिकारियों ने यह अनुभव कर लिया था कि पूर्व में 'वारिन' ने जो राजस्व दरों का निर्धारण किया था, वह अत्यधिक कठोर थी। अतः 'वारिन' के राजस्व की कुल राशि में **'कैम्पवेल'** और **'रिड्डे'** ने 87,138 रू० की कमी की।

1825 में **'विलकिन्सन', 'फेन'** तथा **'बैगवी'** ने जिले का छठा नियमित बन्दोबश्त किया। 'विलकिन्सन' ने कर्वी और बदौसा के क्षेत्रों का बन्दोबश्त किया तथा वहाँ की राजस्व दरों में 2000रू0 की कटौती की थी।[92] 'बैगवी' ने पैलानी तथा अगौसी का बन्दोबश्त किया था, जबकि बाँदा की हजूर तहसील का बन्दोबश्त **'फेन'** ने किया था। इन जिले के राजस्व अधिकारियों ने राजस्व में 6% के कमी की घोषणा की।

1827 में 'बैगवी' कलेक्टर हुआ तथा उसने यह पाया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान राजस्व के भुगतान करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे है तथा राजस्व की दरें भी अत्यधिक है।[93] जिले के जमींदार हतोत्साहित हो चुके है तथा अकाल आदि से जिले की मिट्‌टी भी बंजर हो चुकी है। अतः जिले का क्षेत्र गरीबी के कगार पर है।[94] इसलिए 1834 में 'बैगवी' ने स्वीकार किया कि 'फेन' ने अगौसा, पैलानी तथा सिमौनी में जो दरें निर्धारित की है, वह अधिक हैं।[95] इसलिए 1829–30 में 30% तक

---

91 कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –115
92 केयज एण्ड मिलिसन्स–हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन म्यूटिनी भाग –5, पृ – 34
93 वही
94 वही
95 वही

की राशि भुगतान नहीं की गई। इस परिस्थिति में बाध्य होकर 116 गाँवों में लगभग 1/7 किसानों ने अपनी भूमि बेचना प्रारम्भ किया।[96]

ऐसी परिस्थिति से बाध्य होकर 'बैगवी' ने पूर्व में निर्धारित जो दरें थीं, उसमें से 6% की कटौती कर दी।[97] बैगवी' द्वारा राजस्व दरों में 6% की छूट दिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्व के राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरें अन्यायपूर्ण तथा कठोर थीं।

1842 का बन्दोबश्त

जनपद बाँदा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राजस्व प्रबन्ध 1842 में हुआ। इस दिशा में कार्य 1836 से प्रारम्भ हुआ। विभिन्न किस्म की मिट्टियों का वर्गीकरण करते हुए राजस्व की दरें भी निर्धारित की गई। उपजिलाधिकारी **'राईट'** को यह दायित्व सौंपा गया था। समय की कमी के कारण **'राईट'** व्यक्तिगत रूप से जिले के सभी भागों का निरीक्षण नहीं कर सका। अतः कहीं–कहीं मिट्टी के प्रकार का जो ब्यौरा तैयार किया गया था, उसमें गलतियां पाई गयी। ऐसी परिस्थिति में राजस्व बोर्ड ने बुन्देलखण्ड के विभिन्न मिट्टियों के लिए सामान्य दरें निर्धारित की। 'बैगवी' की तुलना में कर (Tax) के अतिरिक्त भार लगाकर 'राईट' ने ऊनतीस हजार रू॰ राजस्व का अधिक बोझ थोपा।[98]

---

[96] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–130 तथा सिन्हा, एस0एन0–द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड संकलन एक 1982, पृ–31

[97] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–135

[98] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–131 तथा हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–16 तथा सिन्हा, एस0एन0–द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड संकलन एक 1982, पृ–54

'राईट' की नई दरों से कृषकों पर राजस्व का भारी दबाव आ गया जिसे किसान भुगतान नहीं कर सकें। नई दरों की बोझ के कारण लोग अपनी जमीन और जागीरें ऋणदाताओं के हाथ बेचने लगें।[99] इस अप्रत्याशित वृद्धि में शीघ्र ही रियायत देना आवश्यक हुआ। फलतः 1847–48 में राजस्व की दरों में रियायत प्रस्तावित की गई। इस रियायत के बावजूद भी भूमि हस्तांतरण का क्रम जारी रहा।

1855–56 में 'मेन' बाँदा का कलेक्टर नियुक्त हुआ, जिसके सामने राजस्व की वसूली एक गंभीर चुनौती बन गई थी। अतः उसने भी इन दरों मे कटौती घोषित की।

राजस्व की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण किसान और जमींदार कर्ज के दबाव में आ गए तथा उन्होंने अपनी भूमि के अधिकांश भाग ऋणदाताओं को बेच दिया। कृषकों ने यह अनुभव किया कि इनके कष्ट का कारण विदेशी शासन था और इस अनुभूति ने अंग्रेजों के विरूद्ध लोगों के मनों में घृणा पैदा की।

कीने (Keene) ने ठीक ही लिखा है कि "1857 का विद्रोह मुख्यतः सैनिक न होकर ग्रामीण अंचल से प्रारम्भ हुआ था।[100]"

1858 के बाद जिले का राजस्व प्रबन्ध

1858 में शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद जनपद में राजस्व की वसूली तथा राजस्व दरों की पुनः निर्धारण का कार्य प्रारम्भ हुआ। **'मेन'** के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऐसी जागीरें जिनके

[99] सिन्हा, एस0एन0–द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड संकलन एक 1982, पृ–54
[100] कीने, एच0जी0–फिफ्टी सेवेन, लन्दन, 1883, पृ –86

मालिक राजस्व नहीं दे पाये थे और जिन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था, उनका प्रबन्ध किस प्रकार किया जाए। ऐसी परिस्थिति में 1859 से राजस्व दरों की पुनः निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें पूर्व में निर्धारित राजस्व की कटौती करनी पड़ी। यह कटौती **'राईट'** द्वारा निर्धारित 1842 की राजस्व जमा का 19% था। बाँदा कलेक्टर ने यह समझ लिया था, कि राजस्व दरों का पूर्व में किया गया कठोर निर्धारण ही इस जिले में 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। इसकी पुर्नावृत्ति न हो इसलिए कलैक्टर ने बाँदा में 19% की कटौती निर्धारित कर दी।

1865–68 मे अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से लोग पुनः प्रभावित हुए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण बाँदा के पाँच पश्चिमी तहसीलों के क्षेत्रों में 16% में खेती नहीं हुई।[101]

कैडल का राजस्व - प्रबन्ध (1874)

10 दिसम्बर, 1874 को जनपद में राजस्व दरों के निर्धारण का कार्य **'कैडल'** को सौंपा गया। उसकी सहायता के लिए **'फिनले'** नियुक्त हुआ।[102] इन दोनों अधिकारियों ने बाँदा के पाँच पश्चिमी तहसीलों का राजस्व प्रबन्ध किया। कर्वी सब–डिवीजन का दायित्व **पैटर्सन** को सौंपा गया, जिसने यह कार्य 1881 में पूरा किया।[103]

जिस समय **'कैडल'** ने अपना कार्य प्रारम्भ किया उस समय जिले की स्थिति बहुत खराब थी। कांस घास के कारण कृषि क्षेत्र में काफी कटौती हुई। फलतः जिले की कृषि व्यवस्था पतन के कगार पर खड़ी हो

[101] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–18 तथा ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–135

[102] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–135

[103] वही

गई। इस घास ने मिट्टी की उर्वरता में काफी कमी ला दी। अतः अधिकांश क्षेत्र खेती के बाहर हो गया। इसके पहले जिला अकाल के चपेट में था, जिसके कारण धन–जन की व्यापक हानि हुई।[104]

प्राकृतिक आपदाओं का कुपरिणाम यह हुआ कि लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर सकें। इसके अलावा 1874 में ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों को आर्थिक राहत देने के स्थान पर 10% की अतिरिक्त चुंगी (कर) लगा दी, जो लोगों के लिए असहनीय साबित हुई। ऐसी परिस्थिति में **'कैडल'** तथा **'फिनले'** ने राजस्व प्रबन्ध का कार्य प्रारम्भ किया।

'कैडल' द्वारा निर्धारित राजस्व प्रबन्ध की दरें मिट्टी की किस्म के अनुसार निम्नवत् निर्धारित की गई।[105]

चार्ट

मिट्टी	पिछली दर	नई दर
मार	2–6–2	3–12–6
कावर	1–15–16	3–1–3
परूआ	2–3–10	2–10–3
पाकर मोटी	1–13–4	2–5–8
पाकर पतली	1–6–3	1–11–7
सामान्य(Average)	2–2–3	2–14–6

[104] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–18

[105] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –16

राजस्व की दरों का उपर्युक्त तुलनात्मक चार्ट यह उल्लेख करता है कि जिले कि मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उनके राजस्व का निर्धारण किया गया।

राजस्व बोर्ड के कमिश्नर ने यह दावा किया कि नए राजस्व प्रबन्ध की निर्धारित दरें बाँदा में हमीरपुर तथा कर्वी की तुलना में काफी उदार है,[106] किन्तु बाद वाले वर्षो में कमिश्नर राजस्व बोर्ड का अनुमान गलत साबित हुआ।

हम्फ्रीज ने 1909 में बाँदा का बन्दोबश्त करते समय **'कैडल'** द्वारा राजस्व दरों के निर्धारण में अनेक कमियां पाई थी। **हम्फ्रीज** ने यह पाया कि उस समय कृषि के अधीन क्षेत्रफल में 6,48,014 एकड़ भूमि की कमी हो गई।[107] उसने यह भी पाया कि **कैडल** द्वारा निर्धारित दरें काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में तो बहुत अधिक थी, जबकि अच्छी किस्म की **परूआ** मिट्टी में ये दरें काफी कम थी। ऐसा प्रतीत होता है कि **'कैडल'** का राजस्व निर्धारण अनुमान के आधार पर किया गया था[108], यह अनुमान गलत साबित हुआ।[109]

---

[106] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –16

[107] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–18

[108] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–19

[109] हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 – फाईनल रिपोर्ट ऑन द रिवीजन ऑफ द सेटेलमेन्ट ऑफ द बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909 पृ–19

कर्वी सब-डिवीजन का राजस्व प्रबन्ध

1803 में बाँदा अंग्रेजी शासन में प्रारम्भ से पूर्व कर्वी का शासन महाराजाओं के हाथ में था, यह क्षेत्र जागीर के रूप में मराठों ने प्रदान किया था। 1805 में यह अंग्रेजी नियंत्रण में आया और वेली ने प्रारम्भिक राजस्व प्रबन्ध काफी शीघ्रता से इसी वर्ष किया।[110] अरसकिन ने 1806 में तीन वर्षों के लिए राजस्व दरों का निर्धारण किया। राजस्व निर्धारण करते समय यह पाया था कि इस सब–डिवीजन की कृषि योग्य भूमि के 2/3 भाग पर ही खेती की जा रही है। उसने यह भी उल्लेख किया है कि जिले के इस भाग में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।

1809–12 में **'वानच्उप'** ने इस क्षेत्र का दूसरा राजस्व प्रबन्ध किया। उसने पिछले वर्ष की ही राजस्व दरों को जारी रखने का निर्णय लिया।[111] पुनः **'स्कार्ट'** एवं **'वारिन'** ने 1815–16 में इस सब–डिवीजन का बन्दोबश्त करते समय राजस्व की दरों में 24.71% की वृद्धि की।[112] वास्तव में इस वृद्धि का कोई आधार नहीं था बल्कि आवश्यकता यह थी कि किसानों को राजस्व दरों में कटौती कर राहत दिया जाता। किसान दरों में वृद्धि के कारण राजस्व का भुगतान नहीं कर सकें, जिससे वह कर्ज की चपेट में आ गए।[113]

1815–16 में जब बन्दोबश्त हो रहा था, उस समय इस क्षेत्र में कपास की खेती पर्याप्त क्षेत्र में की जाती थी।[114] यह वह समय था, जब

---

110 पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –16
111 वही पृ. –17
112 वही पृ. –17
113 वही पृ. –17
114 वही पृ. –17

अमेरिकी बाजारों में कपास की अधिक माँग थी। निश्चित ही कपास की इस माँग से कर्वी सब–डिवीजन के किसानों को लाभ हुआ होगा और इसलिए सम्भवतः राजस्व अधिकारियों ने राजस्व की दरों में वृद्धि की थी। कपास की माँग का यह क्रम अधिक दिनों तक नही चला और अमेरिकी बाजारों में इसकी माँग घट जाने की वजह से कपास की खेती को धक्का लगा, तब भी बन्दोबश्त अधिकारी ने बढ़ी हुई राजस्व की दरों में कटौती नही की।

1820 में चौथा बन्दोबश्त सब–डिवीजन कर्वी का **'कैम्पबेल'** ने किया। **'कैम्पबेल'** ने यह अनुभव किया था कि इसके पूर्व निर्धारित की गई राजस्व की दरें अत्यन्त कठोर थी। अतः बाध्य होकर किसानों को अपनी भूमि बेचनी पड़ी।[115]

1841 में **'राईट'** को कर्वी सब–डिवीजन की बन्दोबश्त की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 1815–16 में निर्धारित की गई राजस्व की कठोर दरों का परिणाम बताते हुए कहा था कि 'इस सब–डिवीजन के किसान पिछले 10 वर्षो से कठोर राजस्व का भुगतान करने के लिए सभी तरीके अपना रहे थे। कर्ज लेना, अधिक श्रम करना तथा अधिक–से–अधिक कष्ट उठाते हुए उनमें से जो भी संभव था सरकारी भुगतान करने का प्रयास किया और इस प्रकार अच्छे नागरिक होने का सबूत पेश किया। इसके बाबजूद भी राजस्व वसूली में गिरावट आयी। भूमि की उर्वरता घट गई। मौसम ने प्रतिकूल असर दिखाया। प्राकृतिक आपदाओं ने कृषकों को हतोत्साहित कर दिया। अतः किसानों के कृषि को महत्व

[115] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –17

नही दिया। कांस घास की अधिकता के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।[116] इस प्रकार कर्वी सब–डिवीजन 1857 से पहले राजस्व प्रबन्ध की दृष्टि से कई रूपों से होकर गुजरा।

पैटर्सन द्वारा किया गया बन्दोबश्त (पैटर्सन सैटेलमेन्ट)

1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद पैटर्सन ने कर्वी सब–डिवीजन का वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रथम बन्दोबश्त 1877 में प्रारम्भ किया।[117] कर्वी के राजस्व प्रबन्ध करने से पूर्व उसे फतेहपुर जिले का भी बन्दोबश्त करने का अनुभव था।[118] जहाँ **'कैडल'** ने बाँदा का प्रबन्ध करते हुए वहाँ के पाँचों तहसीलों के गाँवों की मिट्टी की उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण किया था, वही **पैटर्सन** ने कर्वी सब–डिवीजन के लिए दूसरा तरीका अपनाया। उसने राजस्व की समान दर के निर्धारण करने से पूर्व कर्वी सब–डिवीजन में व्याप्त उस स्थिति की जाँच की जिसके कारण वहाँ की भूमि की उर्वरता समाप्त हो चुकी थी। इसके साथ ही पैटर्सन ने प्रत्येक किस्म की मिट्टी के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित की। निम्नलिखित चार्ट कर्वी सब–डिवीजन में प्राप्त विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख करता है।[119]

---

[116] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –17
[117] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–136
[118] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–136
[119] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ. –10

चार्ट

मिट्टी	क्षेत्रफल	कृषि के अधीन क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
नमी युक्त गोहन	687	0.3
सूखी गोहन	10,337	4.1
मार	34,969	13.8
काबर	27,999	11.1
नमी युक्त सिगौन	50	0.0
सूखी सिगौन (परूआ)	93,977	37.1
पाकर	61,979	24.5
वोहटा	236	0.1
यमुना तराई	1,725	0.7
कछार	20,848	–
कुल	2,52,807	100.0%

उपर्युक्त चार्ट में दिए गए आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि कर्वी सब–डिवीजन में घटिया किस्म की मिट्टी **परूआ** अधिक मात्रा में थी। इसी क्रम में दूसरा स्थान **पाकर** का था जो निम्न श्रेणी की मिट्टी थी। अच्छी किस्म की **मार** मिट्टी तीसरे स्थान पर थी। इसी तरह **गोहन, तराई** और **कछार** जैसी मिट्टियाँ भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी।

पैटर्सन राजस्व की ऐसी दर निर्धारित करना चाहता था, जो सभी समान वर्षो के अनुकूल हो। अपना मत व्यक्त करते हुए उसने यह कहा था– "बुन्देलखण्ड की समस्या मेरी दृष्टि में केवल एक है और वह यह कि बुद्धिमानी तथा सावधानी पूर्वक राजस्व की दर निर्धारित कर दी जाए। अतः मैं ऐसी दर निर्धारित कर रहा हूँ कि जो सभी परिस्थितियों में

सामान्य तौर पर कृषक और जमींदार के लिए अनुकूल रहेगी ताकि वे कर्ज के चंगुल में न फँसे और खेती से विमुख न हों।"[120]

इस प्रकार सावधानी बरतते हुए **पैटर्सन** ने राजस्व की पूर्व निर्धारित दरों में 3.6% की रियायत दी।[121] यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बन्दोबश्त अधिकारी ने सब–डिवीजन की अच्छी मिट्‌टी पर तुलनात्मक दृष्टि से राजस्व की कम दर निर्धारित की, जबकि निम्न किस्म की मिट्‌टी जैसे–**परूआ**, **पाकर** की दरें अपेक्षाकृत ऊँची थी। बाँदा की पाँच पश्चिमी तहसीलों में स्थिति इसके विपरीत थी। वहाँ अच्छी किस्म की मिट्‌टी पर राजस्व की दरें अधिक थी, जबकि कर्वी में इस किस्म की मिट्‌टी पर दरें कम थी। सम्भवतः इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बाँदा की सदर तहसीलों में पाई जाने वाली **मार, कावर** मिट्‌टियाँ कर्वी सब–डिवीजन की **मार कावर** मिट्‌टियों से अच्छी किस्म की थी। इसलिए बाँदा की दरें अच्छी रखी गई। इस प्रकार पैटर्सन ने राजस्व की नई दरें निर्धारित की जिसकी अवधि 1900 ई॰ में समाप्त होनी थी।[122]

पिम (PIM) द्वारा राजस्व दरों में रियायत

1900 ई॰ में पूर्व बन्दोबश्त की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नई दरों की निर्धारण का प्रश्न पैदा हुआ। लगातार प्राकृतिक आपदाओं तत्पश्चात् भूमि की उर्वरता में कमी के कारण सरकार ने यह महसूस किया कि बुन्देलखण्ड में राजस्व दरों के निर्धारण में नरमी की

---

[120] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–137
[121] वही
[122] वही

आवश्यकता है।[123] इस निर्णय पर कायम रहते हुए ब्रिटिश सरकार ने पुराने बन्दोबश्त की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी। ताकि पूरे जिले के लिए एक समान राजस्व की दरें निर्धारित की जाए।

इस प्रकार की राजस्व–व्यवस्था अजमेर में चल रही थी। अतः 1896–97 के अकालों से हुई तबाही के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के दिमाग में इसी तरह की नरम राजस्व की दर निर्धारित करने का विचार आया।[124]

यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है, साथ–ही–साथ जो परती क्षेत्र है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए और केवल जिस भूमि पर खेती हो रही है उसी के लिए राजस्व दरों का निर्धारण किया जाए। परती भूमि के लिए राजस्व की बहुत कम दर रखी जाए। इस पद्धति के आधार पर प्रति पाँच वर्ष पश्चात् यदि पैदावार में बढ़ोत्तरी या गिरावट दिखाई पड़े तो उसी अनुसार राजस्व की दरों में कमी या बढ़ोत्तरी की जाए।[125]

'पिम' ने उपयुक्त पद्धति को अपनाते हुए पूर्व दरों में 9,49,995 रू० की कटौती घोषित कर दी। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक परेशानी थी, वहाँ 48,835 रू० के मूल्य की राजस्व दरों में विशेष कटौती दे दी।

---

[123] पिम , ए0डब्ल्यू0–फाईनल सेटेलमेण्ट रिर्पोट ऑन झाँसी, पृ – 21

[124] वही

[125] वही

हम्फ्रीज का राजस्व - प्रबन्ध (1905–1908)

हम्फ्रीज ने 1905 में राजस्व प्रबन्ध का दायित्व अपने हाथ में लिया। इसकी सहायता के लिए **ड्रेक–ब्रौक मैन** नियुक्त हुए। इनकी नियुक्ति सहायक बन्दोबश्त अधिकारी के रूप में की गई। इन दोनों अधिकारियों ने राजस्व की नई दरों के निर्धारण के लिए कार्य शुरू किए। दोनों राजस्व अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि ऐसी भूमि जिस पर पिछले लगातार चार वर्षो से खेती नही की जा रही है, उसे **नौतोर भूमि** कहा जाएगा।[126] ऐसी **नौतोर भूमि** को पृथक करते हुए इसकी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन कर राजस्व की दरें निर्धारित हुई।

नौतोर के अलावा ऐसे भी क्षेत्र थे, जो किसानों और जमींदारों के अधीन तो थे किन्तु उनकी उर्वरा शक्ति घट जाने के कारण उन्हें परती छोड़ दिया जाता था। ऐसी श्रेणी वाली भूमि पर यह निर्णय लिया गया की प्रति पाँच वर्ष बाद उर्वरा शक्ति लौट आने पर अथवा घट जाने पर इनकी राजस्व दरों में 10% की वृद्धि अथवा कमी की जाएगी।[127]

'हम्फ्रीज' ने अपने राजस्व–प्रबन्ध में 1881 में 'कैडल' द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण को आधार बनाया।[128] नए बन्दोबश्त अधिकारियों ने पूरे जिले के लिए उतार–चढ़ाव वाली राजस्व दरों का निर्धारण किया जो कृषि क्षेत्र में कमी या वृद्धि के आधार पर बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

कृषकों का वर्गीकरण

---

[126] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ–141

[127] वही

[128] वही

इस बन्दोबश्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि जिले में पूर्व से चली आ रही भूमि धारकों की निम्नलिखित श्रेणी गठित कर दी गई। ये श्रेणियाँ वास्तव में किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ से ही चली आ रही थी। अब इन अधिकारियों ने इसे मान्यता दे दी। एटकिंसन ने इन्हें निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया।[129]

(1). जमींदार (2). पूर्ण पट्टीदारी (3). अपूर्ण पट्टीदारी

(4). भाई–चारा (5). भोजबरार।

जमींदार ऐसे भू–स्वामियों को कहा जाता था, जिनका अधिकार उक्त भूमि में वैधानिक हिस्सा और पैसे में भी विभाजित था। **पूर्ण पट्टीदारी** व्यवस्था में भूमि पूर्णतः विभाजित थी व इसमें भूमि मालिकों को अलग–अलग हिस्सा तथा मालिकाना हक दिया गया। **अपूर्ण पट्टीदारी** ऐसे भूमि मालिकों को कहा जाता था, जिसमें उस भूमि के कुछ हिस्से विभाजित होते थे तथा कुछ हिस्से सम्मिलित कास्तकारों के लिए छोड़ दिए जाते थे। **भाई–चारा** ऐसे क्षेत्र को कहा जाता था, जहाँ गाँव के एक ही जाति के लोग निवास करते थे। ऐसे गाँवों मे पूरी जमीन मालिकाना भाई–चारे के रूप में होती थी। ठीक इसी तरह **भोजबरार** ऐसे कृषकों की श्रेणी थी, जो एक प्रकार से किरायेदार होते थे और जो केवल राजस्व की दरें भुगतान करते थे। 1870 में जब खानदेह का प्रशासन अंग्रेजों ने लिया, उस समय ऐसे बहुत कृषक थे, जो परम्परागत रूप में भोजबरार के विशेषाधिकारों को भोगते चले आ रहे थे।[130]

---

[129] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–108

[130] वही

राजस्व प्रबन्ध का मूल्यांकन

बाँदा जिले में ब्रिटिश प्रशासन के समय (1803–1947) किए गए राजस्व प्रतिबन्ध की समीक्षा से प्रतीत होता है कि समय–समय पर राजस्व–प्रबन्ध, भूमि का सर्वेक्षण तत्पश्चात् राजस्व की दरों का निर्धारण आदि कार्य अलग–अलग अधिकारियों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने–अपने तरीकों से इस कार्य को सम्पादित किया। फलतः राजस्व की दरों के निर्धारण में असमानता होना स्वभाविक था।[131]

उदाहरण के लिए जहाँ **'कैडल'** ने बाँदा जिले के पाँच पश्चिमी तहसील के गाँवों का क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया, वहीं **पैर्टसन**[132] ने कर्वी सब–डिवीजन में अलग व्यवस्था अपनाई। उसने सब–डिवीजन की विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का वर्गीकरण करते हुए उनकी उर्वरता के आधार पर अलग–अलग राजस्व की दरें निर्धारित की। इस प्रकार राजस्व दरों में बाँदा तथा कर्वी दोनों में असमान दर लागू की।

राजस्व–व्यवस्था की दूसरी विभिन्नता इस जिले में यह दिखाई पड़ती है कि राजस्व का निर्धारण कठोरता के साथ किया गया और ऊँची दर निर्धारित की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि औपनिवेशिक शासन में जिले की अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को यह बताना चाहते थे कि उन्होंने अधिक–से–अधिक राजस्व वसूलकर ब्रिटिश सरकार को लाभ दिलाया है। इन राजस्व अधिकारियों ने कृषकों या जमींदारों के आर्थिक क्षमताओं का आकलन नहीं किया। लगातार पड़ रहे अकाल, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कांस घास के उदय तथा् भूमि के उर्वरा शक्ति का

[131] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 (पूर्व में उद्धित्त)
[132] पैर्टसन, ए0बी0 – सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1877–78 (पूर्व में उद्धित्त)

नष्ट होना आदि कारणों ने कृषकों को भूमि को परती छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि विदेशी अधिकारी जिले के इस दुःख–दर्द को न समझ सकें और यदि समझते भी थे तो उन्होंने कोई किसी प्रकार की रियायत प्रदान करना उचित नहीं समझा।

1803 में बाँदा पहुँचते ही 'वेली' ने 1804 में शीघ्रता से राजस्व दरों का निर्धारण किया।[133]1805 में **'अरसकिन'** ने इस कार्य को प्रारम्भ किया तथा 1809 में पूरा किया। इन चार वर्षों में ही उसे बाध्य होकर 'वेली' द्वारा निर्धारित दरों में छूट देनी पड़ी।[134]

'अरसकिन' के बाद **'वानच्छप'** ने पुनः दरों में वृद्धि की।[135] जिससे पीड़ित किसान राजस्व के भुगतान करने में असहाय महसूस करने लगें। प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी कमर तोड़ दी। इसके बाद **'कैडल'** ने यह पाया कि पूर्व में निर्धारित राजस्व की दरें कठोर है और इसके वसूली की जाने का तरीका भी बड़ा निर्मम है, जो तरीके किसी भी सभ्य शासन में अपनाए नहीं जा सकते।[136] राजस्व की इस कठोरता ने जमींदारों तथा कृ-षकों को अपनी भूमि बेचने के लिए बध्य किया।

'विलकिंसन', **'फेन'** तथा **'वैगनी'** जैसे राजस्व अधिकारियों ने भी अपने समय से पूर्व जिले में विद्यमान राजस्व की कठोर दरों को स्वीकार किया था।[137] 1842 में 'राईट' ने जो बन्दोबश्त किया उससे राजस्व में

---

[133] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881, पृ – 14

[134] वही पृ – 14

[135] वही, पृ – 14

[136] वही, पृ – 102

[137] वही, पृ – 102

वृद्धि की गई।[138] इसके अलावा उसने **'चौकीदारी'** तथा **'पटवारी'** कर भी लाद दिए इससे जनता पर अतिरिक्त भार आया। फलतः किसानों द्वारा जमीनों को बेचने तथा उन्हें गिरवीं रखने का क्रम तेज हुआ।

'राइट' ने शान्ति व्यवस्था स्थापित होने के बाद 1858 में बन्दोबश्त का कार्य आरम्भ करते समय उपयुक्त सभी कठिनाइयों को महसूस किया था। अतः उसे विद्यमान दरों मे 19% की छूट देनी पड़ी। **'कैडल'** ने 1874 में जो बन्दोबश्त किया, उस समय भी उसे 17% की राजस्व की दरों में पुनः छूट देनी पड़ी। इस तरह 'कैडल' तथा 'राईट' द्वारा दी गई छूट को यदि मिला दिया जाए तो यह कुल 31% होती है। यह आँकड़ें स्वतः यह प्रमाणित करते है कि बन्दोबश्त अधिकारियों ने कठोर–से–कठोर राजस्व की दरें निर्धारित कर किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया।

लगातार पड़ रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाँदा, कर्वी दोनों परगनों में राजस्व प्रबन्ध प्रभावित रहा। ऐसे परिस्थिति में राजस्व–प्रबन्धक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकें। प्राकृतिक प्रकोपों के दुष्परिणाम तथा कठोर राजस्व की दरों की निर्धारण और मर्मरतापूर्ण वसूली आदि तरीकों ने जनपद बाँदा में आर्थिक तंगी, महँगाई और बेरोजगारी का तांडव प्रस्तुत किया। किसान इससे बाध्य होकर ऋणदाताओं के चंगुल मे आ गए, अपनी जमीने गिरवी रखने लगे तथा सामाजिक वर्ग के लोग पिछड़ेपन का शिकार हुए।

---

[138] कैडल, ए0 - सेटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881, पृ – 102

जनपद के लोगों ने यह भली–भाँति समझ लिया था कि विदेशी शासन, लोगों का शोषण कर रहा है, और यह अंग्रेजी शासन अन्य किसी भी प्रकार से सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करा सकता। अतः अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन मे घृणा की भावना पैदा हुई। इसी घृणा की भावना ने राष्ट्रीयता के वेग को तीव्र किया, जिसके परिणामस्वरूप 1857 के महान विद्रोह का रूप धारण कर लिया।

तृतीय अध्याय

सन् 1857 के विद्रोह का प्रारम्भ एवं जनता की भागीदारी

अध्याय -तृतीय

सन् 1857 के विद्रोह का प्रारम्भ एवं जनता की भागीदारी

1803 में पूणे की संधि द्वारा अंग्रेजों को बुन्देलखण्ड में जो क्षेत्र प्राप्त हुये थे, वहीं से इस क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का प्रारम्भ हुआ। 1804 में **जॉनवेली** बाँदा आया और इन क्षेत्रों पर शासन करना प्रारम्भ किया। **'वेली'** ने धीरे -धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। **'फूट डालो और राज्य करो'** नीति के अर्न्तगत समय -समय पर विभिन्न शक्तियों से सन्धियां कर साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार की इस नीति के कारण बुन्देलखण्ड की रियासतों और जागीरों को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगा। अतः इस नीति की तेजी से प्रतिक्रियां हुई। फलतः बुन्देलखण्ड के जागीरदार और रियासतों के राजे–महाराजे अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। लार्ड डलहौजी की **'अपहरण नीति'** के कारण झाँसी रियासत अंग्रेज साम्राज्य की अंग बन चुकी थी। जालौन का अधिग्रहण भी बुन्देलखण्ड के राजाओं और जागीरदारों के मन में ब्रिटिश इरादों के प्रति सन्देह पैदा कर चुका था। इन्हीं कारणों से 1857 के पहले ही बुन्देलखण्ड में लोगों का असन्तोष छोटे–मोटे विद्रोहों के रूप में प्रकट होने लगा।[1] 1842 में बुन्देला ठाकुरों ने एक संघ बनाकर अंग्रेजी क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ कर दिये थे।[2]

---

[1] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –39

[2] फॉरेन पॉलिटिकल कॉन्सल्टेशन, 8 जून 1842 कॉन्स0 नं0 – 114

मेजर 'स्लीमैन'[3] ने 1857 के विद्रोहों के कारण की विवेचना करते हुए यह लिखा था कि इस विद्रोह के बुन्देलखण्ड मे प्रमुखतः चार कारण थे –1. जालौन का अधिग्रहण और झाँसी रियासत के अपरहण की आशंका। 2. बुन्देलखण्ड के जमींदारों एवं जागीरदारों की यह आशंका की उनकी अनुशासनहीनता पर कभी भी अंकुश लगाया जा सकता है। 3. ब्रिटिश सरकार की लचीली नीति जिसके द्वारा जागीरदारों को लगाया गया तथा जमीदारों के अन्यायपूर्ण नीति एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों को प्रायः माफ कर दिया जाता था। 4. बुन्देलखण्ड में विद्रोहों को दबाने के लिए पर्याप्त सेना की कमी।

मेजर 'स्लीमैन' की उपर्युक्त विवेचना है तो सही किन्तु सीमित है। यदि बुन्देलखण्ड में 1857 के विद्रोह की परिस्थितियों की विवेचना की जाए तो ज्ञात होगा कि ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के कारण इस क्षेत्र के जन–जीवन तथा परम्परावादी विचारधारा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोगों में ब्रिटिश प्रशासकों तथा उनकी नीतिओं के प्रति असन्तोष पैदा हुआ। अंग्रेजी सत्ता से असन्तुष्ट लोग ऐसे अवसर की तलाश में थे, जब वे विदेशी शासक के विरूद्ध उठ कर खड़े हो सकें। इसके लिए 1857 का विद्रोह एक उचित अवसर था।

10 मई, 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।[4] दूसरे दिन प्रातः सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली पहुँचकर उन्होंने नाम मात्र के मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को हिन्दुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। असन्तोष शीघ्र ही यमुना के

---

[3] सिन्हा, एस०एन०, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ० –38

[4] वही पृ० –38

पास वाले क्षेत्र से होता हुआ बुन्देलखण्ड में विकसित हो गया। बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध जो विद्रोह हुआ, उसे समझने के लिए हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता के प्रति उभरते हुए असन्तोष को देखना उचित होगा। डलहौजी की **"अपहरण नीति"** जिसका कोई औचित्य नहीं था, वह पूरे भारत में विद्रोह प्रारम्भ किये जाने का प्रमुख कारण रही। अपहरण की नीति द्वारा अधिग्रहीत रियासतों के अनेक कर्मचारियों को ब्रिटिश सरकार ने छटनी कर दिया। अतः उन्हें मान देय तथा वेतन के रूप में जो जागीरें अथवा जायदाद मिली हुई थी, उसे अंग्रेज सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया।[5]

अंग्रेजी नियंत्रण में जो क्षेत्र आए, उनके राजस्व निर्धारण हेतु बन्दोबस्त किए गए और उनमें राजस्व की जो दरें निर्धारित की गई, वे अत्यन्त ही कठोर थी। इनका भुगतान करना लोगों की क्षमता से परे था। बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में विशेषतः बाँदा में किसानों ओर जागीरदारों को राजस्व भुगतान के लिए अपनी भूमि बेचनी पड़ी। यह असन्तोष का वृहद कारण बना। बुन्देलखण्ड में इस विद्रोह के जो कारण थे, उनका वर्गीकरण निम्नवत किया जा सकता है –

1– अपहरण की नीति 2– भू–राजस्व नीति 3– लोगो में ईसाई मत में दीक्षित किये जाने का भय 4– ईसाई मिशनरियों के क्रिया–कलाप 5– गाय तथा सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से सैनिकों में उत्पन्न असन्तोष 6. तथा अन्धविश्वास तथा अफवाह आदि तत्वों ने लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।

---

[5] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –39

उपर्युक्त सभी का कारण सामान्य प्रकार के थे, जो इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। इनके अलावा अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ और विस्तार के क्रम में बुन्देलखण्ड में जो असन्तोष व्याप्त हुआ, वह इस क्षेत्र के विद्रोह का प्रमुख कारण था, जिनको हम मुख्यतः तीन भागों में बाँट सकते है –:

1–बुन्देलखण्ड के जमीदारों एवं राजाओं में व्याप्त निराशा, 2– सामान्य लोगों में व्याप्त निराशा और असन्तोष तथा 3– बुन्देलखण्ड स्थित सेना में व्याप्त असन्तोष ।

1- बुन्देलखण्ड के जमींदारों एवं राजाओं में व्याप्त निराशा

बुन्देलखण्ड के राजे–महाराजे जो अंग्रेजी नीति व रवैये से असन्तुष्ट थे, उनमें सर्वप्रथम झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई का नाम अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। इसके पश्चात् बानपुर के राजा मर्दनसिंह, शाहगढ़ के बख्तबली, कर्वी के नारायण राव और माधव राव, बाँदा के नवाब अलीबहादुर, जालौन की ताराबाई तथा जैतपुर के प्रमुख परीक्षित की पत्नी उल्लेखनीय है।

ये सभी ब्रिटिश सरकार की कठोरता तथा इनके रियासतों में किए जाने वाले हस्तक्षेप और दिन– प्रतिदिन के व्यवहार के कारण दुःखित और आक्रोशित थे। इन सामन्तों, जागीरदारों व राजाओं के मस्तिष्क में जिज्ञासा और असन्तोष उत्पन्न हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप इनमें यह धारणा बन चुकी थी कि ब्रिटिश शासन ही इनके तक्लीफों के लिये

उत्तरदायी है। निःसंदेह इनमें पनपता हुआ असन्तोष 1857 के विद्रोह के लिये उत्तरदायी रहा।

1-(अ) बुन्देलखण्ड और अपहरण की नीति

"अपहरण नीति" के जनक लॉर्ड डलहौजी की मंशा और कार्यक्रम के बारे में अलग-अलग इतिहासकारों ने अपने मत दिये। वास्तविकता यह है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिये अपहरण की नीति को एक बहाना के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी इस नीति के पीछे की सामाजिक, धार्मिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी। हिन्दू विधि शास्त्रियों ने अपहरण की नीति को धर्म विरूद्ध माना। अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने भी गोद लेने के नियम को हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुकूल बताया। लॉर्ड डलहौजी किसी-न-किसी बहाने गोद लेने के अधिकार को मान्यता न देकर प्रत्येक तरह ब्रिटिश साम्राज्य को तेजी से विस्तारित करने के लिये कटिबद्ध था। फलतः 1840 में जालौन, 1849 में जैतपुर तथा 1853 में झाँसी की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। झाँसी की रियासत के विलय ने तो 1857 के विद्रोह के सूत्रपात्र न केवल झाँसी में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में कर दिया।[6]

(ब)- झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई के प्रति अन्याय

यह भली-भाँति ज्ञात है कि लॉर्ड डलहौजी ने झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गोद लिये गये पुत्र (दामोदर राव) को मान्यता नहीं दी गई। इस प्रकार **"अपहरण नीति"**के अंतर्गत झाँसी की रियासत को ब्रिटिश

[6] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन-1, 1982, पृ॰ -48

साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इस घटना के बाद भी कुछ अन्य घटनायें क्रमबद्ध रूप से ऐसे शुरू हुई, जिनसे न केवल रानी (लक्ष्मीबाई) की भावना को ठेस लगी बल्कि झाँसी रियासत की प्रजा की भी भावनायें आहत हुई। उदाहरण के लिये ब्रिटिश हुकूमत ने रानी झाँसी को यह आदेश जारी किया कि वह दिवंगत राजा गंगाधर राव की व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये एक बॉण्ड (Bond) दाखिल करे।[7] आदेश के इस क्रम में रानी को पुनः यह निर्देश किया गया कि दिवंगत राजा गंगाधर राव को दी जानेवाली रू0 60,000/– (साठ हजार रूपये) प्रति वर्ष की पेंशन में से उनके पूर्व राजा द्वारा लिये गये कर्ज की भरपाई की जाय।[8] घटनाओं के इसी क्रम में झाँसी में गौ–हत्या प्रारम्भ कर दी गई यद्यपि रानी लक्ष्मी बाई ने और झाँसी की जनता ने इस आदेश का प्रतिरोध किया था।[9] झाँसी के राजा के पैतृक महालक्ष्मी मंदिर के खर्च के लिये अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ गाँव दान में दिए गए थे किन्तु सरकार ने दान दिए गए इन गाँवों को अपने अधिकार में ले लिया।[10]

इसी तरह अपने मृत पति राजा गंगाधर राव के दाह–संस्कार के समय लक्ष्मी बाई ने जो भूमि दान में दी थी, उनपर भी ब्रिटिश सरकार ने अधिकार कर लिया।[11] रानी झाँसी के नियंत्रण में जो भूमि तथा आस पास के बगीचे थे, उन्हें भी अंग्रेजी सरकार ने अधिगृहीत कर लिया।[12] जिस समय रानी ने अपने मृत पति के दाह संस्कार के लिए बनारस जाने की

---

[7] झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकार्ड, जिल्द 47, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 –319

[8] वही, जिल्द 46, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 –298

[9] वही, जिल्द 88, डिपार्टमेण्ट XXVIII, फाईल नं0 –7

[10] वही, जिल्द 84, डिपार्टमेण्ट XIX, फाईल नं0 –175

[11] वही, जिल्द 22, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 –199

[12] वही, जिल्द 47, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 –301

अनुमति माँगी, सरकार ने यह अनुमति प्रदान नहीं की।[13] रानी लक्ष्मीबाई ने जब अपने गोद लिये हुए पुत्र के जनेऊ संस्कार के लिए रियासत के अंग्रेजी कोष में जमा 6,00000/-(छः लाख रूपये) में से रू0 1,00000/-(एक लाख रू0) खर्च हेतु माँगा तो सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया,[14] जिससे लोगों में असन्तोष और गम्भीर हुआ। यह रानी के प्रतिष्ठा के प्रति आघात था।

निराश रानी को अब सेण्ट्रल इण्डिया के गवर्नर जनरल के एजेण्ट की देखरेख में कर दिया गया। इससे पूर्व उन्हें उत्तर–पश्चिम (N.W.) प्रांत के लेफ्टीनेण्ट गवर्नर की देखरेख वाले क्षेत्राधिकार के अधीन रखा गया था।[15] निःसन्देह ब्रिटिश सरकार की रानी के प्रति दृष्टिकोण नितांत अनुचित था। रानी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों का निस्तारण भी बिना किसी ठोस आधार के जल्दबाजी में किया गया। रानी के प्रति किए गए अशोभनीय व्यवहार से इस क्षेत्र की जनता अंग्रेजों से असन्तुष्ट हुई, जो विद्रोह का प्रमुख कारण बना।

बानपुर के राजा मर्दन सिंह का असन्तोष

बानपुर रियासत के राजा मर्दनसिंह बुन्देला के पितामह चन्देरी के किले के न केवल नियंत्रक थे बल्कि इससे जुड़ा सभी क्षेत्र इनके अधीन था। मर्दनसिंह के पिता मोर प्रहलाद थे, जिन्होंने अपनी पूर्व रियासत (चन्देरी) का 1/3 भाग ग्वालियर के राजा (सिंधिया) को दे दिया था। चन्देरी मर्दनसिंह के ही नियन्त्रण में रहा और तभी से उन्हें बानपुर के

---

[13] गोडसे विष्णु–माझा प्रवास (मराठी) हिन्दी अनुवाद द्वारा–नागर अमृत लाल (लखनऊ से 1957 में प्रकाशित), शीर्षक–**आँखों देखा गद्दर। पृ0 –79**

[14] पारसनिस, डी0वी0– झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, पृ0 81–82

[15] फॉरेन पॉलिटिकल कान्सलटेशन – 28 फरवरी, 1856 कॉन्स0 सं0 –29, 31

राजा के नाम से पुकारा जाता था। 1843 में अपने पिता की मृत्यु पश्चात् मर्दनसिंह बानपुर के राजा हुए। 1844 में सिंधिया ने चन्देरी रियासत में प्राप्त अपने हिस्से को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। ग्वालियर रियासत से प्राप्त इस क्षेत्र के प्रबन्धन को अंग्रेज सरकार ने डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट की नियुक्ति की[16]।

अप्रैल 1857 के लगभग ठाकुर जुझार सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरान्त उनकी जागीर अंग्रेजी शासन द्वारा अधिगृहीत कर ली गई। कुछ दिनों पश्चात् जुझार के उत्तराधिकारियों के पृथक रूप से जागीर की प्रबन्धन हेतु समझौता किया गया। इस समझौते के समय पूर्व में स्वीकृत शर्तों के अनुसार राजा मर्दनसिंह के 1/3 हिस्से को वर्तमान समझौते द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से मर्दनसिंह केवल असन्तुष्ट ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने ठाकुर जुझार सिंह के उत्तराधिकारी जवाहर सिंह को भी अंग्रेजी भेदभाव की पूर्ण नीति के प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाया,[17] ताकि ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर नानिकपुर के जागीर पूर्ववत् जुझार सिंह के उत्तराधिकारी को देने के लिए बाध्य किया जाए। मर्दनसिंह के नाराजगी के कारण यह भी था कि वे अपने पूर्वजों के समय की ही भांति चन्देरी रियासत का नियंत्रण चाहते थे, जबकि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें यह अधिकार न देकर अपमानित किया[18]।

---

[16] नरेटिव इवेन्ट्स झाँसी डिवीजन, पृ0 – 3 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the Division of Jhansi in 1857-1858 by Captain Pinkney)

[17] नरेटिव इवेन्ट्स झाँसी डिवीजन, पृ0–3 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the Division of Jhansi in 1857-1858 by Captain Pinkney)

[18] नरेटिव इवेन्ट्स झाँसी डिवीजन, पृ0 – 3 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the Division of Jhansi in 1857-1858 by Captain Pinkney)

शाहगढ़ के राजा बख्तबली की नाराजगी

मर्दनसिंह की ही भांति शाहगढ़ रियासत का राजा बख्तबली भी ब्रिटिश सरकार से नाराज था। शाहगढ़ का क्षेत्र गढ़कोटा स्टेट का हिस्सा था। इसके बचे हुए भाग सागर स्थित पेशवा के प्रबन्धन अथवा ग्वालियर के राजा (सिंधिया) के नियंत्रण में चले गये थे। गढ़कोटा अथवा शाहगढ़ रियासत के वंशज छत्रशाल के पुत्र हृदयशाह के वंशज थे। 1817 की संधि के अनुच्छेद 13 द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर का क्षेत्र अंग्रेजों के पक्ष में छोड़ दिया था।[19] सागर के शासक विनायक राव को हटा कर इस क्षेत्र को 1818 में ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था।[20] लेकिन ब्रिटिश अधिपत्य से पहले ही शाहगढ़ के राजा ने सिंधिया से गढ़कोटा रियासत पर नियंत्रण कर चुका था। यहाँ से निष्कासित होने के बाद उसने शाहगढ़ में शरण ले ली थी। इसी बीच अंग्रेजो ने सिंधिया की ओर से गढ़कोटा पर अधिकार कर लिया।[21]

1857 के विद्रोह के समय शाहगढ़ के राजा बख्तबली गढ़कोटा की जागीर तक अपना वंशानुगत नियंत्रण मानते थे तथा यह भी समझते थे कि गढ़कोटा राज्य को उसके वंशजों से अंग्रेजी हुकूमत ने अवैधानिक रूप से हड़प लिया है।[22] इस प्रकार शाहगढ़ का राजा भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था। वह इस आशा में था कि ~~क्योंकि~~ जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ दी जायेगी, वैसे ही बख्तबली गढ़कोटा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा।

---

[19] एचिन्सन, सी0यू0–ट्रिटीज इन्गेजमेण्ट ऑफ सनद, जिल्द III , (वही) पृ0 – 84

[20] बुन्देलखण्ड एजेन्सी रिकॉर्ड, फाईल नं0 – 3, 1857

[21] वही

[22] फॉरेन सीक्रेट कॉन्सल्टेशन –18 दिसम्बर, 1857, कॉन्स0 नं0 – 235 (I,VI)

कर्वी के नारायण राव और माधव राव का असंतुष्ट होना

अमृतराव के पुत्र विनायक राव ने नारायण राव तथा माधव राव को गोद लिया था। बेसिन की संधि से जसवन्त राव होल्कर नाराज था। अतः वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्थान पर रघुनाथ राव के पुत्र अमृत राव (जिसे राघोवा के नाम से भी पुकारा जाता था) को पेशवा बनाना चाहता था लेकिन पूना की ओर अंग्रेजी सेना के प्रस्थान के कारण उसकी यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। अमृतराव ने अंग्रेजों से मित्रता करने के लिए वार्ता प्रारम्भ की जिसके परिणाम– स्वरूप 14 अगस्त, 1803 को दोनों के बीच सन्धि हुई। इस संधि के द्वारा अमृतराव ने पेशवा पद की दावेदारी त्याग दी। इसके बदले इस सन्धि में यह व्यवस्था कर दी गई कि उसे तथा उसके पुत्रों को 7,00000/– (सात लाख रू०) प्रति वर्ष दिया जाता रहेगा।[23] अमृतराव ने बुन्देलखण्ड में तरौंआ (कर्बी)में अपने निवास का निश्चय किया, जहाँ उसकी सेनाओं के लिये एक छावनी बनाई गई और इस क्षेत्र का वह शासक बना। इस प्रकार कर्बी का क्षेत्र अमृतराव के नियंत्रण में आया। 1824 में अमृतराव की मृत्यु हुई और उसका एक मात्र पुत्र विनायक राव उत्तराधिकारी हुआ किन्तु दुर्भाग्य वश जुलाई 1853 में उसकी भी निःसन्तान मृत्यु हो गई। विनायक राव ने सबसे पहले नारायण राव को गोद लिया लेकिन उसकी कर्त्तव्यहीनता के कारण शासन से वंचित कर कारागार में डाल दिया। इसके पश्चात् माधव राव को गोद लिया जो विनायक राव की मृत्यु के समय तक अल्पव्यस्क था।[24]

---

[23] एचिन्सन, सी0यू0–ट्रिटीज इन्गेजमेण्ट ऑफ सनद, जिल्द III , (वही) पृ0 – 188–189

[24] बॉदा कलेक्ट्रिएट प्री म्यूटिनी रिकॉर्ड, जिल्द 36, डिपार्टमैण्टल XVIII, भाग – 2

विनायक राव की मृत्यु के बाद प्राप्त हो रही पेंशन को बन्द कर दी गई। इसके साथ ही उसकी सेना भी भंग कर दी गई तथा सेना के हथियार और गन ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिये। उसके उत्तराधिकारी माधव राव को 200 स्थाई पैदल सेना, 25 सवार तथा 4 छोटी गनों को अपने सम्मान के लिये रखने की अनुमति दी गई। कर्बी स्थित उसकी छावनी ब्रिटिश प्रशासन के अन्तर्गत ले ली गई और अन्य अचल सम्पत्ति भी अंग्रेजी नियंत्रण में आ गई।[25] इसी बीच विनायक राव द्वारा माधव राव को गोद लिये जाने पर विवाद उठ खड़ा हुआ। उसने माधव राव के पक्ष में जो विल (Will) लिखी थी, उसकी वैधानिकता पर भी प्रश्न उठा। बाद में इसका निपटारा एक समझौते के माध्यम से हुआ, जिसमें नारायण राव तथा माधव राव दोनों को संयुक्त मालिक मान लिया गया। माधव राव के वयस्क होने तक उसकी जागीर प्रबन्धन हेतु संरक्षक नियुक्त कर दिया गया।[26]

विनायक राव की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों (नारायण राव तथा माधव राव) की शक्ति और पेंशन में अचानक कटौती कर दी गई, जिससे इन दोनों परिवारों में अंग्रेजी शासन के प्रति घोर असन्तोष पैदा हुआ। विनायक राव की मृत्यु के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने उसके उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले भुगतान पर ब्याज देना रोक दिया। इस घटना से लोगों ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार के वायदों पर विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है। इससे जो असन्तोष उत्पन्न हुआ, वह 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रहा।

---

[25] बाँदा कलेक्ट्रिएट प्री म्यूटिनी रिकॉर्ड, जिल्द 36, डिपार्टमेण्टल XVIII, भाग – 2
[26] वही

बाँदा नवाब – अली बहादुर

बाँदा के नवाब अलीबहादुर का असन्तुष्ट होना

बाँदा का नवाब अलीबहादुर द्वितीय नवाब जुल्फीकार अली का पुत्र तथा अलीबहादुर का पौत्र था। 1849 में अपने पिता जुल्फीकार अली की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। पूर्व नवाब तथा उनके बड़े भाई नवाब शमशेर बहादुर जिससे ब्रिटिश सरकार ने कई समझौते किए थे, उनके द्वारा उन्हें कई विशेषाधिकार अनुमन्य थे। जो निम्नलिखित है : – (1). ये सभी नवाब सिविल मामलों में ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर थे। उनके कुछ प्रमुख सेवक भी इसी श्रेणी में आते थे।

(2) नवाबों का बाँदा में सैनिक शक्ति गठन करने का अधिकार दिया गया, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना भी शामिल था। नवाबों को अपनी छावनी गठित करने का अधिकार दिया गया था तथा उनको 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसे घटाकर नवाब जुल्फीकार अली के समय 11 तोपों की सलामी तक सीमित कर दी गयी।[27]

नवाब अली बहादुर द्वारा गद्दी प्राप्त किये जाने के बाद पूर्व के नवाबों को अनुमन्य सभी विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया। अली बहादुर के पास कुछ भी ऐसा विशेष नहीं छोड़ा गया, जिससे कोई भी व्यक्ति शासक या राज्य प्रमुख आदि की श्रेणी में रख सकें। उन्हें नवाब बाँदा सम्बोधन के स्थान पर केवल यह कह दिया गया कि वह केवल अपने नाम के बाद नवाब शब्द जोड़ सकते है। उन्हें सलामी देने की प्रथा भी बन्द कर दी गई। उनकी सेना को घटा कर मात्र 25 सवारों तथा पैदल सेना की एक कम्पनी तक सीमित कर दिया गया। नवाब को मात्र

[27] आगरा नॉरेटिव, फॉरेन डिपार्टमेण्ट, 1844–1852 भाग नं0 15, पृ0 781–783

एक सुविधा दी गई थी कि वे अपने जीवन पर्यन्त तक ब्रिटिश अदालतों के क्षेत्राधिकार से अलग रहेंगे।[28] उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि बाँदा स्थित महल तथा वहाँ स्थित छावनी की वह भूमि (इसमें वह भी क्षेत्र शामिल था, जिसे बाँदा नवाब के नाम से पुकारा जाता था) क्रमशः ब्रिटिश सरकार को सौंप देंगे।[29] सबसे अशोभनीय बात यह थी कि नवाब के पुत्र के जन्म अथवा अन्य खुशी के समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा परम्परागत रूप से जो बधाई दी जाती थी, उसे भी बन्द कर दिया गया।

इससे नवाब की भावना स्वाभाविक रूप से आहत हुई। उन्हें अपमानित करने के लिए बाँदा के स्थानापन्न कलेक्टर ने नवाब की राजस्व मुक्त भूमि जो मौजा, लरकनपुरवा (बाँदा) में स्थित थी, उनकी जाँच के लिए नवाब को नोटिस भेजी गई । नवाब ने इस नोटिस का प्रतिरोध किया और यह माँग की, कि इसे वापिस करते हुए नवाब की पुरानी स्थिति व सम्मान को बहाल किया जाये।[30] इन सभी कृत्यों से नवाब अली बहादुर असन्तुष्ट थे।

विद्रोह के अन्य कारणों में यह भी उल्लेखित है कि ब्रिटिश सरकार ने जालौन रियासत का अपहरण करते हुए वहाँ की रानी ताईबाई के हितों की अवहेलना की। वह नाना गोविन्द राव की पौत्री थी, इसलिए रियासत जालौन के उत्तराधिकार के प्रबल दावेदार थी, किन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की सिमाओं का असीमित विस्तार की नीति ने अंग्रेज अधिकारियों को ताईबाई

---

[28] आगरा नॅरेटिव, फॉरेन डिपार्टमेण्ट, 1844–1852 भाग नं0 15, पृ0 781–783

[29] फॉरेन डिपॉर्टमेण्ट, परसियन पत्र नं0 – 256, दिनांक 15 अप्रैल 1856

[30] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –52

के अधिकारों की बलि चढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया।[31] स्थानीय जनता इससे अत्यधिक असन्तुष्ट हो गई। ठीक इसी तरह जैतपुर रियासत पूर्व रानी भी अंग्रेजी नीतियों से दुःखी थी। 1942 में जैतपुर के राजा परीक्षित को षडयन्त्र रच कर आरोपित किया गया। फलतः इन्हें हटाकर इस रियासत का प्रशासन दिवान खेतसिंह को सौंप दिया गया। 1849 में खेतसिंह के मृत्यु के साथ ही उनके अन्य कोई जीवित पुत्र न होने के कारण जैतपुर रियासत का भी अपहरण कर लिया गया, वावजूद इसके परीक्षित की विधवा स्वयं को रियासत के उत्तराधिकार पर प्रमुख दावेदार मानती रही। जैसे ही हमीरपुर में विद्रोह प्रारम्भ हुआ वैसे ही रानी ने वहाँ अपने शासन की घोषणा कर दी।[32]

सामान्य जनता का असन्तुष्ट होना

ब्रिटिश नीतियों तथा अधिकारियों के व्यवहार से न केवल बुन्देलखण्ड के राजे–महाराजे, दीवान तथा सामन्त ही पीड़ित नहीं थे बल्कि यहाँ की जनता भी असन्तुष्ट थी, इसके निम्नलिखित कारण थे :–

1– अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ के साथ ही साथ बुन्देलखण्ड के जिलों के पहले कलेक्टर अर्सकिन ने एक वर्ष (1805–06) के लिये राजस्व की दरें निर्धारित की जो न केवल अत्यन्त कठोर थी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की क्षमता के बाहर थी।

---

[31] फॉरेन पॉलिटिकल कान्सलटेशन – 13 अगस्त, 1858 कॉन्स0 सं0 –140

[32] नरेटिव इवेन्ट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, पृ0 – 8 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the District of Hamirpur in 1857-1858 by G.H. Freeling)

2– दूसरा बन्दोबस्त 1806–07 तथा 1808 के लिये किया गया, इसकी दरें भी असामान्य थी।[33] समय–समय पर इसी प्रकार राजस्व प्रबन्ध किये जाते रहें। इन सभी राजस्व प्रबन्धों का मूल्यांकन करने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार का मुख्य उद्देश्य बुन्देलखण्ड के जिलों से अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था, चाहे जनता उसकी भुगतान करने की स्थिति में हो अथवा नहीं। प्राकृतिक आपदाओं ने भी समय–समय पर जैसे – अकाल, बाढ़ आदि के रूप में अपने खेल दिखायें, जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों को गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी का सामना करना पड़ा। कठोर राजस्व नीति के कारण लोग अपनी भूमि गिरवीं रखने लगे जिसे बाद में ऋणदाताओं ने अपने अधिकार में ले लिया। जो विद्रोह के लिए उत्तरदायी रहा।

राजस्व मुक्त जागीरों का अधिग्रहण

बुन्देलखण्ड के राजाओं–महाराजाओं ने राज्य की सेवाओं के बदले कुछ विशेष लोगों को राजस्व से मुक्त भूमि जागीर के रूप में दे रखी थी। ऐसी भूमि कई प्रकार की थी। कुछ के साथ शर्ते जोड़ दी गई थी, जबकि कुछ जागीरों को बिल्कुल मुक्त प्रदान किया गया था। कुछ जागीरें सेवकों के जीवन पर्यन्त उपभोग के लिए थी, जबकि कुछ जागीरें ऐसी थी जो वंशानुगत क्रम में हमेशा के लिये दे दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था प्रारम्भ की तो उन्हें ऐसी जागीरें खटक रही थी। अतः अंग्रेजों ने उन जागीरों की जाँच करायी। सरकार ने यह निर्देश दिया कि राजस्व प्रबन्ध करने वाला अधिकारी यदि चाहे तो ऐसी

---

[33] देखिए अध्याय द्वितीय – सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि

भूमि का अधिग्रहण कर ले या उन्हें यथावत बनायें रखें।[34] कुछ ऐसी भी जागीरें थी, जिन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति सही था किन्तु उसके कागजात मौजूद नहीं थे।[35] अतः इन्हें जब्त कर लिया गया।

इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले से चली आ रही जमींदारीं अथवा राजस्व भूमि प्राप्त लोगों को उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर राजस्व देने के लिये बाध्य कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों के इन निर्देशों ने असन्तोष रूपी आग में घी डालने का काम किया।[36]

उद्गाँव, नुनेर तथा जिगना के प्रभावशाली उबारीदारों को अनेक गाँव जो जागीर के रूप में दिए गए थे, उन्हें भी जब्त कर इन प्रभावशाली लोगों को अपना विरोधी बना लिया था। फलतः 1857 के विद्रोह प्रारम्भ होते ही इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभायी।[37]

उद्योग तथा व्यापार का पतन

1803 में बेसिन की संधि से जैसे ही इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन का प्रारम्भ हुआ, वैसे ही बुन्देलखण्ड के विकसित उद्योग–धन्धों पर भी निषेधात्मक कर लगाते हुए इन उद्योगों को हतोत्साहित कर दिया गया। जिससे बुन्देलखण्ड में पूर्व में विकसित उद्योग–धन्धों का पतन हो गया। कोंच, कालपी तथा मऊरानीपुर का वाणिज्य और व्यापार के प्रमुख केन्द्र

[34] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –58

[35] वही

[36] फॉरेन पॉलिटिकल कान्सलटेशन – 8 अक्टूबर, 1858 कॉन्स0 सं0 –82

[37] नरेटिव इवेन्ट्स झाँसी डिवीजन, पृ0 – 2 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the Division of Jhansi in 1857-1858 by Captain Pinkney)

थे, जो महत्वहीन हो गए। 1840 तक कोंच पूरे बुन्देलखण्ड में एक विकसित मण्डी थी, जहाँ 52 बैंकिंग घराने थे। नमक, चीनी, गुड़, घी और अनाज जैसी वस्तुएं दतिया तथा ग्वालियर की मण्डियों से प्राप्त होती थी। कालपी तो उत्तर–भारत की एक प्रमुख मण्डी थी। ये सभी व्यापारी प्रतिष्ठान और उद्योग ब्रिटिश निषेधात्मक नीति के कारण नष्ट हो गए।[38] इससे जनता में जो असन्तोष फैला वह विद्रोह का कारण बना।

नमक कर

9 मई, 1855 को उत्तर–पश्चिम प्रान्त के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने एक आदेश जारी कर नमक पर कर (Tax) लगा दिया।[39] इस कानून की चपेट में पूरा मध्य भारत तथा बुन्देलखण्ड आ गया। नमक पर यह कर एक रूपया से दो रूपया प्रति मन की दर से लगता था। इसके साथ ही लोगों को नमक बनाने की मनाही कर दी गई। जगह–जगह कस्टम विभाग स्थापित किए गए। इस कानून का कठोरता से पालन किया गया। बुन्देलखण्ड की गरीब जनता जो पूर्व में बिना किसी कर के नमक प्राप्त करती थी, उसे कर के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इस कानून से लोगों के मन में असन्तोष पैदा हुआ, जो विद्रोह के कारण रहा।[40]

अन्य कारण

1857 के विद्रोह के अन्य कारणों में कुछ ऐसे भी कारक थे, जिससे जनता में असन्तोष व्याप्त हुआ। उदाहरण के लिए दिवानी न्याय प्रक्रिया तथा स्टैम्प पेपर आवेदन देने के लिए प्रतिबद्धता पर भी लोगों ने असन्तोष

---

[38] देखिए अध्याय द्वितीय – सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि

[39] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –60

[40] फॉरेन पॉलिटिकल कॉन्सलटेशन – 12 दिसम्बर, 1856 कॉन्स0 सं0 –195

व्यक्त किया। दिवानी न्याय प्रक्रिया अत्यन्त जटिल थी, जिसमें न्याय करने में काफी समय लगता था।[41] यह प्रक्रिया न केवल उलझनपूर्ण ही थी बल्कि खर्चीली भी थी। सही याची इस प्रक्रिया से गुजरते–गुजरते या तो समझौता करने के लिए बाध्य हो जाता था अथवा इस खर्चीली प्रणाली का शिकार होकर आर्थिक तंगी के कगार पर आ जाता था।[42] इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने अदालतों में वाद (मुकदमा) दायर करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगा दी, जिसके अन्तर्गत यह नियम बना दिया गया कि जब तक कोई याची स्टैम्प युक्त पेपर पर पत्र नहीं देता तब तक उसकी याचिका पर विचार नहीं किया जायेगा। स्टैम्प युक्त पेपर की खरीद के लिए वादकारियों को निर्धारित राशि देनी पड़ती थी। **सर सैयद अहमद खान** ने 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करने वाले अपने निबन्ध में यह ठीक ही उल्लेख किया है – "**इस देश की गरीब जनता ऐसे स्टैम्प युक्त कागजों की खरीदारी करने में एक बोझ समझती थी और उसे अनुचित मानती थी।**[43]"

1857 के प्रारम्भ में नानीकपुर के ठाकुर जमींदार जवाहर सिंह के पुत्र गणेश जू ने एक याचिका डिप्टी कलेक्टर चन्देरी के समक्ष बिना स्टैम्प लगे हुए कागज पर प्रस्तुत की थी। गणेश जू दो से तीन दिन तक इसे सुनवाई के लिए प्रतीक्षा करते रहे। किन्तु इस पर इसलिए सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यह प्रार्थना पत्र स्टैम्प वाले कागज पर नहीं दिया गया

---

[41] फॉरेन पॉलिटिकल कान्सलटेशन – 8 अक्टूबर, 1858 कॉन्स0 सं0 –82

[42] नरेटिव इवेन्ट्स आगरा डिवीजन, पृ0 – 41 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the Division of Agra in 1857-1858 by G.F. Harvey)

[43] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –61

था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जवाहर सिंह तथा अन्य ठाकुर ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह में शामिल हो गए।

ऐसी रियासतें जिनका अपहरण कर लिया गया था, उनके कर्मचारियों तथा सेवकों की छटनी कर दी गई। अतः वे बेरोजगार हो गए। ऐसे लोग ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। अंग्रेजी शासन काल में ईसाई मत के प्रचार के लिए जो मिशनरी बुन्देलखण्ड आये और धर्म प्रचार के जो तरीके अपनाए उसकी प्रतिक्रिया जनमानस में तीव्र गति से हुई। ईसाई मत के प्रचार और प्रसार के तरीकों से हिन्दू तथा मुसलमान दोनों में खलबली मच गई। इन तरीकों से क्रोधित स्थानीय लोगों ने ईसाई धर्म प्रचारक **जरमी** तथा उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया।[44] 1857 के विद्रोह के दूसरे दिन ही बाँदा स्थित मिशनरी स्कूल को लूट लिया गया। क्रांतिकारियों ने इस स्कूल के **पेपना पाल खान** को पकड़ लिया और जब वह इस्लाम धर्म में दीक्षित हुआ तभी उसे छोडा गया।[45] बाँदा स्थित चर्च को भी लूट कर उसकी छत में आग लगा दी गयी। जिस समय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसी समय बुन्देलखण्ड में अफवाहों का भी बाजार गर्म हुआ। एक अफवाह यह फैली कि बुन्देलखण्ड मे धर्म भ्रष्ट करने के लिये चपाती वितरित की जा रही है। बाजार में जो आटा बिक रहा है, उसमें गाय तथा सूअर की हड्डी का चूर्ण मिला हुआ है। इन अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया।

---

[44] नरेटिव इवेन्ट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, पृ0 – 5 (Narrative of Events attending the outbreak of disturbances and the Restoration of Authority in the District of Hamirpur in 1857-1858 by G.H. Freeling)

[45] फॉरेन सीक्रेट कॉन्सल्टेशन –31 जुलाई, 1857, कॉन्स0 नं0 – 182

जहाँ एक ओर जन–सामान्य असंतुष्ट थे, वही दूसरी ओर सैनिक भी आक्रोशित थे। बुन्देलखण्ड मे झाँसी तथा नवगाँव में 12वीं नेटिव पैदल सेना, उरई में 53वीं नेटिव पैदल सेना, बाँदा में 56वीं नेटिव स्थल सेना तथा ग्वालियर मे 1, 2, 4, क्रमांक वाली स्थल सेना तैनात थी। इसके अलावा घुड़सवार सेना की रेजीमेण्ट ग्वालियर तथा अन्यत्र स्थित थी। सेना में तरह–तरह की अफवाहें फैलने लगी। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग वाली अफवाह इतनी तेजी से फैली जो विद्रोह के लिये उत्तरदायी रही।

बाँदा में विद्रोह का सूत्रपात्र

जुल्फिकार अली का पुत्र अली बहादुर बाँदा के नवाबों का अंतिम वंशज था। जो 1850 में नवाब की गद्दी पर बैठा। जिले में 1857 के विद्रोह प्रारम्भ होने तक उसका निवास बाँदा ही रहा।[46] जिस समय 10 मई, 1857 को मेरठ में क्रांतिकारियों ने विद्रोह का झण्डा उठाया उस समय बाँदा के प्रशासन का प्रमुख मजिस्ट्रेट **एफ0ओ0 मेन** था। कर्बी का प्रशासन संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में **'काकरेल'** देख रहा था, जिसका कार्यालय कर्बी में ही था। विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् काफी समय तक जिले में अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिश्रम तथा प्रभाव से शांति व्यवस्था बनायी रखी। कुछ ही दिनों पश्चात् कानपुर तथा इलाहाबाद के विद्रोहियों का बाँदा आगमन हुआ। परगना बबेरू में, **'मरका'** तथा **'दर्शोण्डा'** परगने में यमुना के समीप **'मऊ'** नामक स्थान पर विदेशी

[46] एटकिन्सन, ई0टी0, –स्टैटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउट ऑफ एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग – प्रथम (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद 1874, पृ0 – 130

शासन के विरूद्ध विद्रोह का सूत्रपात हो गया।[47] विद्रोह प्रारम्भ होने पर मऊ के जमींदारों ने तहसील कार्यालय को लूट लिया। एक एक करके जिले की सभी तहसीले लूट ली गई। कुछ स्थानों पर स्थानीय राजस्व तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा विद्रोह करने वालों का प्रतिरोध किया गया लेकिन यह अधिक टिकाऊ साबित नहीं हुआ। **'गौरिहार'** तथा **'अजयगढ़'** की पडोसी रियासतों की सैन्य सहायता के बल पर कुछ दिनों तक जिले के परगना और कस्बे में शान्ति बनी रही। ऐसे समय में चरखारी के राजा ने अंग्रेजी प्रशासन की मदद करने में असमर्थता व्यक्त की।[48]

विद्रोह के समय बाँदा में प्रथम पैदल सेना तीन कम्पनियां तैनात थी लेकिन यहाँ नियुक्त यूरोपियन तथा अंग्रेज अधिकारी सैनिकों की कार्यशैली और व्यवहार से इतने अधिक भयग्रस्त थे कि उन्होंने बाँदा जेल में शरण ले ली। यहाँ उनकी सुरक्षा के लिय सैनिक नियुक्त थे। इसी बीच नवाब के राज महल में बहुत तेजी से हैजा फैला, जिससे भयभीत होकर सभी यूरोपियन अधिकारी जेल वाले निवास से बाहर आ गये।[49] यूरोपियन अधिकारियों ने यह महसूस किया कि उनके सबसे बड़े शत्रु बाँदा के पूर्व नवाब अली बहादुर के वंशज तथा पूर्व सेवक ही थे। इसी बीच बाँदा स्थित प्रथम पैदल सेना के सैनिकों ने जेल पर अधिकार कर लिया और राजकीय कोषागार तथा शस्त्रागार को भी कब्जे में ले लिया। शीघ्र ही नवाब की सेना और उसके समर्थकों ने इन विद्रोही सैनिकों का

---

[47] देखिए म्यूटिनी नरेटिव –एफ0ओ0मेन, 1858. (Narrative of Events attending the outbreak of Disturbances and the Restoration of Authority in the District of Banda in 1857-58, Part – I & II by F.O. Mayne)

[48] वही

[49] वही

सहयोग प्रारम्भ कर दिया। इन सभी ने यूरोपियन अधिकारियों को कत्ल करने का आदेश दिया तथा ऐसे लोगों को भी मृत्युदण्ड की चेतावनी दी जो विदेशियों को मदद देना चाहते थे।[50]

14 जून, 1857 तक बाँदा के कस्बे पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रयास किये जाते रहे। क्रांतिकारियों के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लेना पड़ा कि बाँदा के कस्बे को खाली कर दिया जाए। अतः सभी यूरोपियन अधिकारी जिसमें फतेहपुर से बन्दी बनाकर लाये गये कुछ अन्य यूरोपियन अधिकारी भी शामिल थे। ये सभी **कांलिजर** से **नवगढ़** की तरफ भाग गये। कर्बी में **काकरेल** ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी कुछ समय तक अपनी स्थिति बनाये रखी। जब वह 15 जून तक कर्बी का खजाना लेकर नहीं पहुँचा, तो यह ज्ञात हुआ कि बाँदा नवाब के पहरेदारों ने उसकी हत्या कर दी।[51]

'काकरेल' की हत्या में बाँदा नवाब का भी हाथ होना माना जाता है, क्योंकि उसने अपने राजमहल के पहरेदारों को यह निर्देश दे रखा था कि **'काकरेल'** के शव को क्षत–विक्षत हो जाने के बाद रात्रि में घसीटकर कुत्तों के सामने फेंक दिया जाये।[52] **'काकरेल'** की हत्या के शीघ्र बाद नवाब की सेवा में नियुक्त यूरोपियन अधिकारियों **'बेन्जामिन ब्रूश'** और **'लॉपर्ड'** का भी वध कर दिया गया। इन दोनों अधिकारियों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए विद्रोही सैनिकों को समझाने का प्रयास अवश्य किया। लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए एक स्थानीय निवासी **'मोहम्मद**

---

[50] एटकिन्सन, ई0टी0, –स्टैटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउट ऑफ एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग – प्रथम (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद 1874, पृ0 – 130

[51] वही

[52] वही

सरदार खान' को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर लिया था। सरदार खान ने सूबेदार सिपाही बहादुर के नाम से नवाब के अधीन एक ऑफिस भी बना लिया था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनाये गए ऐसे सभी तरीके लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकें।

लूटपाट व कत्लेआम

जनपद में जैसे ही विद्रोह प्रारम्भ हुआ, वैसे ही बाँदा तथा कर्बी में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल होने लगा। चारों ओंर लूटपाट, तोड़–फोड़ तथा कत्लेआम की घटनाएं तेजी से फैलने लगी। कलेक्टर **'मेन'** ने इस सारी घटना का आँखों देखा हाल लिखा है –

"परगनों में विद्रोह की खबर जंगल में आग की तरह फैल गयी और चारों ओर ग्राम निवासियों ने लूटपाट व कत्लेआम कर दिया। अनेक लोगों ने आपस में चली आ रही पुरानी शत्रुता के आधार पर अपने पूर्व विरोधियों का भी कत्ल करना प्रारम्भ कर दिया, ताकि उनसे बदला लेकर स्वयं को सन्तुष्ट किया जा सकें। अनेक यात्री तथा व्यापारी भी अराजक तत्वों के हाथ लगे और उन्हें भी बूरी तरह लूटा गया। सरकारी सेवकों को बाध्य होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दफ्तर छोड़कर भाग जाना पड़ा। लगभग सभी सरकारी भवन व सम्पत्ति लूटकर नष्ट कर दी गई। उस समय बिना किसी रोक टोक के अराजकता का साम्राज्य छा गया था। यद्यपि बुन्देलखण्ड में तलवार व तीरकमान का प्रयोग ग्रामीण जनता द्वारा प्रायः कम किया जाता था, किन्तु उनके स्थान पर बल्लम, गड़ासे, लोहे की मुट्ठियां लगी हुई बड़ी–बड़ी लाठियां और धारदार कुल्हाड़ी एवं लम्बे नुकीले चाकू लिए लोग स्वयं को बहादुर समझते हुए विध्वंसक

कार्यवाही में लिप्त थे। इससे पूर्व कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी।[53]"

बाँदा की गद्दी पर रणजोर दउवा की दावेदारी

जनपद बाँदा 1857 के विद्रोह की चपेट में व्यस्त था कि इसी बीच रणजोर दउवा बाँदा की गद्दी पर अपना दावा ठोंक दिया।

यह उल्लेखनीय है कि रणजोर दउवा के वंशज बुन्देलों के शासनकाल में बाँदा के शासक थे।[54] यद्यपि विद्रोही सैनिक एवं अन्य देशभक्त यह नहीं चाहते थे कि उपर्युक्त परिस्थिति में जबकि देश में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़क रही थी। उस समय बाँदा की गद्दी पर उत्तराधिकार सम्बन्धी विवाद पैदा हो। अतः लोगों ने नवाब तथा रणजोर दउवा में समझौते कराने का प्रयास किया। दउवा इस समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में 8 अक्टूबर को नवाब अलीबहादुर की सेनाओं और विद्रोही सैनिकों ने मिलकर दउवा के अजयगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अजयगढ. के सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से किले की सुरक्षा का प्रयास किया किन्तु विरोधी अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित थे। फलतः दउवा की सेना मुकाबला नहीं कर सकी। तीनों ही दिन अस्त्र–शस्त्र की कमी, पानी और खाद्य सामग्री के अभाव के कारण दउवा के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दउवा को भी बन्दी बना लिए गया। दउवा के तीनों सामन्तों को नवाब ने तबतक बन्दी बनाए रखा, जबतक अंग्रेजों से वह स्वयं पराजित नहीं हो गया। 9 अप्रैल 1858

[53] एटकिन्सन, ई0टी0, –स्टैटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउट ऑफ एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग – प्रथम (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद 1874, पृ0 – 131

[54] वही

को नवाब के ही कारागार में तीनों को कत्ल कर दिया गया। इसके पश्चात् अजयगढ़ व गौरिहार की सामन्तों के किले और अन्य भवनों को भी धराशायी कर दिया गया।[55]

बाँदा से क्रांतिकारी सैनिकों का पलायन तथा नवाब द्वारा पुनः शासन प्रारम्भ

रणजोर दउवा के वध के पश्चात् क्रांतिकारी सैनिकों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति समझकर बाँदा से प्रस्थान कर दिया। क्रांतिकारियों के जाने के पश्चात् जिले का प्रशासन नवाब के हाथ में सौंप दिया गया। नवाब बाँदा ने प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य की एक सलाहकार कौंसिल का गठन किया गया, जिसमें **मो0 सरदार खान** को नाजिम तथा **मीर इंसाअला खान** को सेनानायक नियुक्त किया गया। इसके अलावा निलायत हुसैन, इमदाद अली बेग और फरहत अली को भी इस कौंसिल में शामिल किया गया।[56]

जिस समय बाँदा में नवाब अपने प्रशासन तन्त्र का गठन कर रहा था, उसी समय कर्बी में नारायण राव व माधवराव ने अपनी शासन की घोषणा कर दी। विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति का लाभ लेते हुए खानदेह में जालौन के पण्डितों ने अधिकार कर लिया। शेष परगनों में स्वामित्व अन्य जमींदारों को सौंप दिया गया। इस अवधि तक कालिंजर का

---

[55] एटकिन्सन, ई0टी0, –स्टैटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउट ऑफ एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग – प्रथम (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद 1874, पृ0 – 132

[56] वही

प्रशासन **लेफ्टिनेंट रेमिंगटन** के ही हाथ में रहा, जो पन्ना राज्य की सहायता से कांलिजर में अंग्रेज अधिकारी के रूप में शासन कर रहे थे।[57]

बाँदा जिले से अंग्रेज अधिकारियों के पलायन के पश्चात् बाँदा के नवाब पूर्णतः क्रांतिकारियों की योजना के अनुरूप कार्य कर रहा था व उन्हीं द्वारा घिरा हुआ था। क्रान्तिकारियों के प्रभाव से वह अंग्रेज अधिकारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाये हुए था। उसके इस रवैये के प्रति दानापुर से भागकर आये हुए क्रान्तिकारी सैनिक तथा उनका नेता वीरकुँअर सिंह जो इन दिनों बाँदा के रास्ते ही उत्तर की ओर जा रहे थे, पूर्णरूपेण सहमत थे।[58] कुँअर सिंह बाँदा के नवाब को प्रोत्साहित कर रहे थे।

जिले में शांति व्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए जनरल **विटलॉक** की मद्रास सेना की टुकड़ी ने अप्रैल 1858 में बाँदा की ओर प्रस्थान किया। क्रान्तिकारियों से अंग्रेजी सेना की प्रथम मुठभेड़ (बाँदा से 24 मील पश्चिम की ओर) कबरई में हुई। 20 अप्रैल को नवाब की सेनाओं के साथ **गौरामुगाली** नामक गाँव में (बाँदा से 8 मील पश्चिम की ओर) नवाब की सेनाओं के साथ जनरल **विटलॉक** की भिड़न्त हुई, जिसमें विद्रोही केन नदी के उस पार खदेड़ दिये गये। इस मुठभेड़ में आठ सौ लोग मारे गये तथा उनकी नौ तोपें जब्त कर ली गयी। इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप कर्बी मे स्वयं का शासन घोषित किये हुए। पेशवा के वंशज नारायण राव तथा माधव राव ने बिना किसी शर्त के अंग्रेजी सेना के

---

[57] एटकिन्सन, ई0टी0, –स्टैटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउट ऑफ एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग – प्रथम (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद 1874, पृ0 – 132

[58] वही

समक्ष कर्बी में समर्पण कर दिया। तत्पश्चात् उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए 42 तोपें तथा विशाल खजाना प्रदान किया। विद्रोह के समय बाँदा में यूरोपियन अधिकारियों के कत्लेआम की सजा के आरोप में अंग्रेजों ने बाँदा के नवाब को दण्डित किया। अतः उसकी पेंशन जब्त कर ली गई और उसे इन्दौर में शरण लेने की अनुमति दे दी गई। कुछ समय पश्चात् बाँदा नवाब की वार्षिक पेंशन घटा कर 36,000/– कर दी गई। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए नवाब को प्रत्यक्षरूप से दोषी तो नहीं माना गया किन्तु इस घटना के समय उसके मूक दर्शक बने रहने के कारण अपरोक्षरूप में दोषी अवश्य माना गया। यहीं कारण था कि नवाब को दी जानी वाली सजा में कटौती हुयी। कूटनीति का प्रयोग करते हुए अंग्रेज अधिकारियों नवाब बाँदा को इसलिए अत्यधिक दण्ड नहीं दिया ताकि जन–भावनाएं भड़क न पाए। अन्यथा शान्ति व्यवस्ता प्रभावित हो सकती थी।

ब्रिटिश दमनात्मक तरीकें

1857 में विद्रोह का प्रारम्भ होते ही बाँदा जिले से ब्रिटिश सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। ब्रिटिश सत्ता की पुनः स्थापना के लिए मध्य भारत के खोये हुये क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिये गर्वनर के एजेण्ट **'रार्बट हेमिल्टन'** ने योजना बनानी प्रारम्भ की।[59] यद्यपि विद्रोह प्रारम्भ होने से पूर्व हेमिल्टन अवकाश बिताने इंग्लैण्ड चला गया था किन्तु नाजुक स्थिति को समझते हुए अवकाश निरस्त करा कर अतिशीघ्र कार्यभार ग्रहण कर लिया। हेमिल्टन इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा लोगों की मनोदशा से परिचित था, अतः शान्ति व्यवस्था स्थापित करने की अपनी

[59] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –105

योजना को क्रियान्वित करने के लिये जनरल **'विट लॉक'** को बाँदा पहुँचने का आदेश दिया। पन्ना व चरखारी की रियासतों ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाते हुए **'विटलॉक'** की मदद की। **विटलॉक** की प्रथम मुठभेड़ नवाब अलीबहादुर से 17 अप्रैल को हुई, जिसमें ब्रिटिश उच्चकोटि के हथियारों तथा अंग्रेजी कूटनीति के समक्ष अली बहादुर को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। फलतः विटलॉक ने 1858 में बाँदा पर अधिकार कर लिया।[60]

इसके बाद उसने कर्बी की ओर प्रस्थान किया जहाँ माधव राव व नारायण राव ने भी आत्म–समर्पण कर दिया। इस घटना के बाद पूरे जिले में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमानुषिक तरीके अपनाते हुये निहत्थे लोगों की लूट तथा हत्या की गई। लूट व हिंसा का यह ताण्डव 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलता रहा।[61] हजारों की संख्या में ऐसे निर्दोष व्यक्ति इस क्रूरता के शिकार हुये, जिनका विद्रोह से कोई सम्बन्ध नहीं था। बाँदा में शायद ही कोई ऐसा घर रहा हो, जिसे ब्रिटिश सैनिकों के आक्रोश को न झेलना पड़ा हो। पूरे नगर तथा आसपास के इलाके में जहाँ कहीं भी अच्छे भवन दिखाई पड़े, उसे धराशायी कर दिया गया। अंग्रेज सैनिक यह मानते थे कि इन भवनों में क्रान्तिकारी छिपे हुये हैं। ब्रिटिश सैनिकों की क्रूरता तथा लूट ने लोगों के दिलों पर आतंक स्थापित कर दिया। ऐसे लोग जो अंग्रेजी सैनिकों का तनिक भी प्रतिरोध का साहस दिखाते थे, उन्हें उनकी सम्पत्ति तथा भूमि से बेदखल कर दिया गया। ऐसे सामन्त व जागीरदार जिन्होंने विदेशी शासन के प्रति वफादारी तथा सम्मान प्रदर्शित किया था, उन्हें उदारता पूर्वक **सर, राय साहब, राय बहादुर** तथा **खान**

---

[60] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन–1, 1982, पृ॰ –105
[61] वही

बहादुर जैसे उपाधियों से विभूषित ही नहीं किया गया बल्कि जागीरें भी दी गई। बाँदा के नवाब अलीबहादुर का भव्य भवन उसके द्वारा विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने की सजा के रूप में धराशायी कर दिया गया। नवाब की सम्पत्तियों को भी अधिग्रहित कर लिया गया।[62]

ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किये जा रहे अत्याचार व अन्याय इतने अधिक थे कि क्रान्तिकारियों ने पुनः एकत्रित होना प्रारम्भ किया। जनपद के इन क्रान्तिकारियों ने यह तय किया कि अंग्रेजों के इस अत्याचार को स्वीकार करने से यह अधिक अच्छा है कि एकजुट होकर शरीर में रक्त की अन्तिम बूँद तक संर्घर्ष ही कर लिया जाये। चुपचाप मृत्यु का वरण करने से विदेशी सैनिकों से लड़कर मरना श्रेयस्कर है।

क्रान्तिकारियों की इस विचारधारा का नेतृत्व **राधा गोविन्द**, **धीरसिंह**, **पंजाब सिंह** तथा **राम मस्त सिंह** जैसे लोगों ने किया। कर्बी के नारायण राव के नेतृत्व में इन सभी ने अंग्रेजों से लडने में ख्याति प्राप्त कर रखी थी। अंग्रेज अधिकारियों ने क्रान्तिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थे।[63]

ब्रिटिश दमनात्मक तरीके के दूरगामी परिणाम निकले जिसके कारण जनपद के लोग ब्रिटिश शासन को अपने दुःख दारिद्र का कारण समझते हुये, उनके प्रति घृणा करना प्रारम्भ किया। विदेशी शासकों से घृणा की भावना 1947 तक जारी रही।

---

[62] फॉरेन सीक्रेट कॉन्सल्टेशन – 25 सितम्बर, 1858, कॉन्स0 नं0 – 326–328

[63] श्रीवास्तव, एम0पी0 इण्डियन म्यूटिनी पृ0 – 122

1858 के पश्चात् जनपद का आर्थिक शोषण

1857 में जनपद के लोगों की सक्रिय भागीदारी को देखते हुये अंग्रेज अधिकारियों ने यह नीति बना ली कि बुन्देलखण्ड के लोगों को सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखा जायें ताकि लोग दो समय की रोटी एकत्रित करने के लिए व्यस्त रहें। अंग्रेज यह समझते थे कि भूखे व नंगे लोग ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध किसी प्रकार विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगें।[64] इस पिछड़ेपन की नीति को क्रियान्वित करने के लिये बाँदा जनपद की कृषि व्यवस्था को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यहाँ के उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया गया।[65] यद्यपि बाँदा जनपद मूलतः कृषि प्रधान था, लेकिन फिर भी यदि इस क्षेत्र के कल्याण के प्रति विदेशी शासन चिन्तित रहा होता तो कम से कम नगद राशि प्रदान करने वाली कपास की खेती, नील तथा अल पौधों की खेती को अवश्य प्रोत्साहन दिया गया होता। 1858 के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने इन फसलों के उत्पादन को संरक्षण प्रदान नहीं किया।[66]

कृषि की खराब स्थिति होने के साथ-ही-साथ उद्योग तथा व्यापार को भी किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया। इस बात की पुष्टि जिले से निर्यात करने वाले आँकड़ों से होती है। बाँदा जिले से केवल मोटे अनाज जैसे **ज्वार, बाजरा, तिली, कपास** और **घी** जैसी वस्तुए ही अन्य जिलों को भेजी गई।[67] इस निर्यात से जिले की कृषि व्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिला। 1880-81 में उपर्युक्त वस्तुएं 864

---

[64] सिन्हा, एस॰एन॰, – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन-1, 1982, पृ॰ -105

[65] वही

[66] कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881, पृ0 – 47

[67] वही, पृ0 – 42

मन के वजन की निर्यात की गई।[68] उसके बाद अच्छी किस्म के गेहूँ, नमक, शक्कर तथा उच्च किस्म का चावल रू0 5,88,907/– मूल्य का आयात किया गया।[69] इस प्रकार आयात–निर्यात के आँकड़ों की तुलना से प्रतीत होता है कि व्यापार का संतुलन जिले के पक्ष में नहीं था। अंग्रेजी शासनकाल में कपास तथा नील की उत्पादन में काफी गिरावट आयी। इसके अलावा लघु उद्योग–धन्धें जो कि पहले विकसित दशा में थे, उन पर अधिक–से–अधिक कर लगा दिया गया। अतः इनका भी पतन हुआ। बाँदा जिले में केन नदी कि तलहटी से प्राप्त किए गए छोटे–छोटे पत्थर के टुकड़ों को चिकना बनाकर पाँलिस के पश्चात् आर्कषक रूप देकर बाजार में बेचने का उद्योग प्रगति पर था।[70] इस कार्य में लगे हुए प्रतिष्ठानों में से एक प्रतिष्ठान को दिल्ली की प्रदर्शनी में पदक भी प्राप्त हुआ था। इस उद्योग को भी विकसित नहीं किया गया, अंततः इसका भी पतन हो गया।

कर्वी में कपास साफ करने की एक फैक्ट्री अवश्य प्रारम्भ कि गई थी जहाँ उस जनपद में उत्पादित कपास कि सफाई की जाती थी। इसके पश्चात् इस कपास को कानपुर भेजा जाता था, लेकिन आश्चर्य यह है कि जनपद से कपास कि खेती का क्षेत्रफल निरन्तर कम होता गया। कपास उत्पादन में लोगों को लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फलतः 1903 में यह कपास की फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, जिसमें कार्यरत 140 कर्मचारी बेरोजगार हो गए।[71] जिले में उद्योग व व्यापार कि स्थिति अच्छी न होने के कारण

---

[68] कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881, पृ0 – 42

[69] वही

[70] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909 पृ0 – 76, 77

[71] कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881, पृ0 – 102

महत्वपूर्ण बाजार भी नहीं थे। **बाँदा, अंतर्रा, बदौसा, कर्बी** व **मऊरानीपुर** आदि मंडी अवश्य थी, लेकिन व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में उनमें कोई अत्यधिक महत्व नहीं था। इसी तरह खनिज सम्पदा का भी दोहन नहीं किया गया, जिसे सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन बना रहा ।

अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शासन तथा लोगों को प्रताड़ित करने के लिए पिछड़ेपन की नीति का यह नतीजा निकला की कृषि-उद्योग तथा व्यापार दोनों की स्थिति असंतोषजनक हो गई। कृषि उत्पादन में कमी होने के बारे में तो यह कहा सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, बाढ, ओलावृष्टि आदि तत्व कृषि उत्पादकता को गिराने में सहायक रहें लेकिन अंग्रेजी शासन में कृषकों को प्रोत्साहन नहीं मिला। उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में स्थिति और खराब थी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर अंग्रेजी शासन ने निषेधात्मक कर लगाए। प्रोत्साहन के अभाव में ही कर्बी की सूती मील बंद हो गई तथा कपास उत्पादन में कमी आई। यही स्थिति नील तथा अल पौधे की खेती के क्षेत्र में भी रही। संक्षेप में यह कह सकते है, कि इस जनपद में 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने जो कटु अनुभव किए थे, वे उनके दिमाग में निरन्तर बना रहा। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों का शोषण कर एक सुनियोजित नीति के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन बनाए रखा।

चतुर्थ अध्याय

राष्ट्रीय आन्दोलन में बाँदा जनपद की भागीदारी (1858–1885)

अध्याय–चतुर्थ

राष्ट्रीय आन्दोलन में बाँदा जनपद की भागीदारी (सन् 1858–1885)

1857 के विद्रोह की समाप्ति के पश्चात् जनपद बाँदा में औपनिवेशिक शक्ति द्वारा लोगों के दमन का जो क्रूर तरीका अपनाया गया, उसका अन्त शान्ति व्यवस्था स्थापित होने के बाद भी नहीं हुआ। 1858 के पश्चात् भी यहाँ की क्रांतिकारी जनता को दण्डित करने के उद्देश्य से अंग्रेज अधिकारियों ने जनपद के लोगों को एक नीति के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखा। निःसंदेह कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अपने अर्न्तमन के विरूद्ध शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में अपने ही लोगों से धोखा करते हुए अंग्रेज सरकार का साथ दिया था और इसके प्रतिफल में कुछ सुविधायें प्राप्त कर ली थी लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा अपनाये गए सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन की नीति के शिकार होने से वे भी वंचित नहीं रहें।

अंग्रेजी शासन में उत्तरी भारत में जमींदारी प्रथा लागू की जा चुकी थी। इस पद्धति के कारण किसानों और सरकार के बीच में एक विशेष वर्ग पैदा हो चुका था, जिन्हें हम जमींदार के नाम से पुकारते है। अतः जमीन का मालिक अब जमींदार बन चुका था और अब जमीन एक बिकाऊँ माल बन चुकी थी।[1] इस नई भूमि व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गाँवों को कृषि सम्बन्धी आर्थिक और न्यायिक कार्यो से वंचित कर दिया गया। गाँवों की स्वाधीनता समाप्त कर दी गई और ग्राम समाज के सारे

---

[1] शुक्ल, रामलखन – आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987 पृ – 374

काम केन्द्रीय राज्य के हाथ में सौंप दिये गये। वे सारे बन्धन तोड़ दिए गए जो किसान को सामूहिक तौर पर गाँव में बाँधे रखते थे। अतः किसान अब अन्यत्र काम के लिए जाने लगा और उसकी एकता कमजोर हो चली। लगान की राशि अधिक होने के कारण किसान लगान अदायगी के लिए और महाजन का ऋण चुकाने के लिए उसे अधिक पैसे की आवश्यकता हुई। अतः वह सूदखोरों के चंगुल में फँसता चला गया एवं बाजार के लिए उत्पादन करने को बाध्य हुआ। इस प्रकार कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ।[2]

कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने महाजन–सह–सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद दी। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले, उस पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि उसे सरकार, जमींदार तथा महाजन की माँग को समय पर पूरा करना पड़ता था।[3]

इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बाँदा जिले में दिखाई पड़ता है, जहाँ अपनी रोजी–रोटी प्राप्त करने के लिए लोग इस जिले से अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगे। इसका सबसे अधिक कुपरिणाम बाँदा जिले की बबेरू तहसील में देखने को मिलता है, जहाँ 1901 की जनगणना[4] के समय पाया गया कि इस तहसील के 19% से भी अधिक लोगों ने पलायन कर दिया है।

---

[2] शुक्ल, रामलखन – आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987 पृ – 374

[3] विपिन चन्द्र – आधुनिक भारत, प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0, 1990 पृ – 127

[4] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–88

बबेरू के पश्चात् दूसरा स्थान बाँदा तहसील का था, जहाँ पलायन करने वालों की संख्या 12% से कुछ अधिक थी।[5] अन्य तहसीलों में भी इस पलायन का प्रभाव देखने को मिलता है। फलतः इस जिले का जनसंख्या घनत्व 234 प्रति वर्ग मील से घटकर 206 प्रतिवर्ग मील हो गया[6]।

दण्ड स्वरूप राजस्व दरों का कठोर निर्धारण

जनपद के लोगों द्वारा किए गऐ ब्रिटिश शासन के विरोध के कारण 1858 के पश्चात् अंग्रेज अधिकारियों ने लोगों को सामाजिक –आर्थिक पिछड़ापन बनायें रखने केंलिये दण्डस्वरूप राजस्व की दरों की लगातार बढ़ोत्तरी की। राजस्व दरों की अधिकतर दर का निर्धारण यद्यपि 1858 से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था[7], किन्तु इसमें अधिक बढ़ोत्तरी 1858 के बाद दिखाई पडी। इन कठोर दरों के कारण जनपद के लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि बाध्य होकर ब्रिटिश अधिकारियों को 1881 तथा 1905 में राजस्व की दरों को घटाना पड़ा।[8] इससे यह प्रमाणित होता है कि राजस्व की निर्धारित दरें अत्यधिक कठोर थी और ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार यहाँ के क्रांतिवीरों को दण्डित करने का यही सही उपाय था।

कठोर राजस्व नीति के कुपरिणाम शीघ्र ही दिखाई पड़े। फलतः लोग ऋणदाताओं को अपनी जमीन गिरवीं रखने के लिए बाध्य हुए।

---

[5] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–88

[6] वही

[7] कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ – 98

[8] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–127

निरन्तर बढ़ते हुए ब्याज के दबाब के कारण किसान अपने जमीन ऋणदाताओं से वापस नहीं ले सकें।[9]

1858 में एटकिंसन ने लिखा था कि **'बाँदा जनपद की अधिकांश भूमि किसानों तथा भूमिपतियों के हाथ से निकलकर ऋणदाताओं के हाथ में आ गई है।'** निःसन्देह लोगों की यह स्थिति ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपनाई गई शोषण की नीति का परिणाम थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस जनपद को 1857–1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जमकर लूटा गया।[10]

1858 में लूट के पश्चात् ही लोगों में राजस्व की वसूली की जाने लगी। इससे लोगों की बेचैनी और बढ़ी। इसके अलावा बाँदा की पड़ोसी रियासते जैसे चरखारी व पन्ना के शत्रुतापूर्ण रवैये ने जनपद बाँदा के लोगों का उत्पीड़न किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के विद्रोहों में इन रियासतों की सेनाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। जनपद के कृ-षकों के हाथ से भूमि का हस्तान्तरण ऋणदाताओं के हाथ में होने लगा। इस स्थिति से अंग्रेज अधिकारी भी चितिंत हुए व भूमि के इस हस्तान्तरण को रोकने के लिए इस आशय का कानून पास किए जाने पर विचार किया ताकि भूमि का हस्तान्तरण कृषकों के हाथ से ऋणदाताओं के हाथ में न आ पाए।[11]

---

[9] एटकिन्सन, ई0टी0– स्टैटिस्टिकल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउण्ट ऑफ एन0डब्ल्यू0प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग I (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद, 1874 पृ – 109

[10] सिन्हा, एस0एन0 – द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड , संकलन I 1982 पृ – 20

[11] इम्पे, डब्ल्यू0एच0एल0 एण्ड मेस्टन, जे0एस0 – रिपोर्ट ऑन द सेकेण्ड सेटेलमेण्ट ऑफ द झांसी डिस्ट्रिक्ट, (इक्सक्लूडिंग द ललितपुर सबडिवीजन प्रोविन्सेज) एन0डब्ल्यू0, इलाहाबाद 1892, पृ – 55

इसी उद्देश्य से 1903 का बुन्देलखण्ड भूमि हस्तान्तरण कानून पारित किया गया।[12] लेकिन तब तक जिले की अधिकांश जमीन मारवाड़ियों एवं जैनियों के हाथ में आ चुकी थी ।

1858 के पश्चात् सामाजिक–आर्थिक उत्पीड़न ने लोगों पर गरीबी का कहर बरसाया। गरीब किसानों ने अपने भूमि का अधिकांश हिस्सा खाली छोड़ दिया। भूख और गरीबी से पीड़ित लोगों ने लूट–पाट, डकैती एवं अन्य अपराधों को अपना पेशा बना लिया।[13] लोगों ने डकैती का गैंग बना लिया, जिससे जन–सामान्य का जीवन असुरक्षित हो गया।[14]

गरीबी इस सीमा तक बढ़ गई थी कि लोग **महुआ**, **कैथा** व **बेरी** खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। खाद्य पदार्थों में **चना**, **ज्वार–बाजरा** तथा अन्य मोटे किस्म के अनाज ही लोगों की उदर पूर्ति का साधन बनें। इस तरह अंग्रेजों के इस दण्डात्मक नीति के परिणाम स्वरूप 1858 के पश्चात् जनपद के लोग गरीबी व भूखमरी से तंग आ चुके थे। लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य हुए।

बुन्देलखण्ड में एक विश्वसनीय प्रजा के निर्माण का प्रयास तथा ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन

1698 ई0 के चार्टर एक्ट के समय पार्लियामेण्ट ने कम्पनी के कारखानों तथा इसकी बस्तियों में इंग्लैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रसार के लिए व्यवस्था की थी। 1700 ई॰ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों ने

---

12 ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–135

13 कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ – 46

14 कैडल, ए0 – सेटेलमेण्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, 1881 पृ – 46

कम्पनी के जहाजों तथा एजेन्टों को लन्दन के धर्माध्यक्ष द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर भारत में ईसाई धर्म को प्रचार हेतु सुविधायें प्रदान करने के लिए आदेश दिये।

लार्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आये तो उसने मिशनरियों को सुविधायें देना प्रारम्भ कर दिया तथा **कैरी** को उसने एक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। 1813 ई० के चार्टर ऐक्ट इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट में जब प्रस्तुत हुआ, उस समय मिशनरियों को भारत भेजने तथा ईसाईयत के प्रचार के लिए इंग्लैण्ड में जन–समर्थन उमड़ने लगा।[15] कम्पनी के ईसाईयत प्रचार सम्बन्धी कार्यो की देखरेख के लिए एक **पादरी कैथरीन** को नियुक्त कर दिया गया। फलतः 1813 से 1833 ई० के बीच मिशनरियों ने हिन्दुस्तान में अनेक संख्या में ईसाई बना लिये।[16] 1858 के ऐक्ट को पास करके पार्लियामेण्ट ने कम्पनी के हाथ से भारतीय शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ली और भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन तेजी से होता रहा तथा धर्म परिवर्तन हेतु अनेक प्रयास यथावत् चलते रहें। बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए इलाके में ईसाईयत के प्रचार तथा प्रसार का कार्य सर्वप्रथम प्रोटेस्टैन्ट मिशनरियों ने ही किया था।[17]

1857 में अंग्रेजी सेनाओं की दमन की नीतियों से लोगों में अंग्रेजी सेना के विरूद्ध घृणा की भावना जागृत हुई। उपर्युक्त घृणा के वातावरण में अंग्रेजी शासकों ने यह उचित समझा कि इस कटुता को दूर करने का

---

[15] मील और विल्सन –हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, भाग–I पृ – 389

[16] वही, भाग–II पृ – 124

[17] रत्नाकर, एम0राव (रिसर्च पेपर) – ए क्रिस्टिकल इनक्वायरी इन टू द बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्ग इन द बुन्देलखण्ड एरिया पृ – 10–1–85

एक रास्ता यह हो गया कि ईसाई मिशनरियों को बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में धर्म प्रचार की सुविधायें दी जायें ताकि मानवीय कार्यो जैसे–स्कूल, अस्पताल तथा अन्य कल्याणकारी संगठनों के माध्यम से जनता का दिल जीत सकें।[18]

वास्तव में 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद पूरा बुन्देलखण्ड भूखमरी की कगार पर आ गया। इसके बाद समय–समय पर अकाल पड़ते रहें। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से स्थिति और विषम होती गई।[19] इस परिस्थिति में मिशनरियों को अपने कल्याणकारी कार्यो को आगे बढ़ाने का मौका मिला।

बुन्देलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में निम्न वर्ग की जनता पर्याप्त संख्या में थी। जिसे आसानी से ईसाईयत की ओर आकृष्ट किया जा सकता था।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी ने झाँसी में अपने मिशनों की स्थापना की।[20] इस मिशन की दो शाखायें थी – 1. **ललितपुर** तथा 2. **मऊरानीपुर**।[21]

बुन्देलखण्ड में आने वाले मिशनरियों के एक महत्वपूर्ण मिशन अमेरिका के **प्रेस विटेरियन चर्च** का था। 1886 में **प्रेस विटेरियन चर्च**

---

18 पाठक, एस0पी0 – झाँसी डॅयूरिंग द ब्रिटिश रूल, प्रथम संस्करण 1987, रामानन्द विद्याभवन, कालकाजी, नई दिल्ली, पृ – 149

19 वही

20 वही

21 ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–87

के कुछ मिशनरी झाँसी मण्डल आये तथा यहाँ धर्म का प्रचार केन्द्र बनाया।[22] बुन्देलखण्ड के अत्यन्त पिछड़ेपन के कारण यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार की प्रबल सम्भावनाएं थी। 1858 के बाद के वर्षो में जैसे – 1868, 1873, 1890, 1892 तथा 1899 आदि के वर्षो में बुन्देलखण्ड के प्रायः सभी जिलो में भयंकर अकाल पड़े। इन अकालों से लगभग पूरा बुन्देलखण्ड प्रभावित रहा। इससे जन–जीवन चरमरा गया। उद्योग–धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। अधिकांश लोगों की जीविका खेती पर निर्भर थी किन्तु सरकार ने सिंचाई सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अकाल से होने वाली क्षति कई गुना अधिक हो गई। 1868–69 के अकालों की भयंकरता को तो लोग अब भी याद करते हैं। इस अकाल की विभीषिका का वर्णन करते हुए **हैनवी** ने लिखा है कि "यद्यपि पूरा बुन्देलखण्ड (झाँसी मण्डल सहित) अकाल की विभीषिका से ग्रस्त था किन्तु सबसे प्रभावित इलाके तालवेहट, झाँसी व बानपुर थे।[23]

अकालों द्वारा उत्पन्न भयावह स्थिति में बुन्देलखण्ड में आये मिशनरियों ने लोगो को मदद देकर ईसाई बनाना प्रारम्भ किया। शीघ्र ही इन मानवतावादी तरीकों का परिणाम दिखाई पड़ा और इससे इस क्षेत्र में ईसाई अनुयाईयों की संख्या बढ़ने लगी और झाँसी मण्डल में इससे अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसकी पुष्टि जनगणना की रिपोर्ट से होती है। 1901 ई॰ की जनगणना के अनुसार झाँसी जिला (ललितपुर सब डिविजन सहित) ईसाईयों की संख्या 3064 थी।[24] अंग्रेजी सैनिक छावनियों में भी

---

22 ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–87

23 एटकिन्सन, ई0टी0– स्टैटिस्टिकल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउण्ट ऑफ एन0 डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग I (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद, 1874 पृ – 318

24 ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0–बाँदा गजेटियर, भाग–XXI, इलाहाबाद 1909 पृ–87 तथा इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया भाग II पृ – 91

ईसाईयत का प्रचार किया जाता था एवं प्रत्येक छावनी में प्रार्थना, सभा एवं चर्च की स्थापना की जाती थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन के पश्चात् मिशनरी धर्म प्रचारकों का कम्पनी के जहाजों में किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाता था। बुन्देलखण्ड स्थित अंग्रेजी छावनियों में अंग्रेज अधिकारियों तथा सैनिकों के पूजा–पाठ हेतु ईसाई धर्म प्रचारक रखे जाते थे, जो नियमित रूप से धार्मिक कार्य किया करते थे। इसके अलावा यूरोप से आने वाले मिशनरियों को बुन्देलखण्ड के अंग्रेजी अधिकारी संरक्षण ही नही देते थे बल्कि उन्हें अनेक प्रकार की सहायता भी देते थे। धर्म प्रचार के द्वारा ये अंग्रेज अधिकारी भारत के मध्य में स्थित इस क्षेत्र में एक ऐसी प्रजा का निर्माण करना चाहते थे, जो धार्मिक रूप से अंग्रेजों से जुड़ी हुई हो ऐसा करके इस क्षेत्र में एक वफादार प्रजा का निर्माण किया जा सकता था।

वफादार प्रजा के निर्माण के उद्देश्य के अलावा औपनिवेशिक शासन धार्मिक सामिप्य स्थापित कर स्थानीय लोगों को ब्रिटिश छावनियों तथा स्थानीय लोगों के मध्य क्षेत्र में बसाना चाहती थी और यह कार्य बुन्देलखण्ड के संवेदनशील जिलों में इसलिए किया गया ताकि इन ईसाई अनुयायियों के द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों की गतिविधियों की प्रतिदिन जानकारी प्राप्त की जाती रहें। यह जानकारी अत्यन्त गोपनीय होती थी जिन्हें स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता था। बाँदा में भी यही कार्य चर्च से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता था। यही कारण था कि मिशनरियों को कम्पनी की ओर से भारत आने और धर्म प्रचार हेतु सुरक्षा तथा सुविधाएं

प्रदान की जाती थी। सभी कार्य साम्राज्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए गए।

यह उल्लेखनीय है कि साम्राज्यवाद के तंत्र को और मजबूत करने के लिए वफादार प्रजा के निर्माण का जो प्रयास किया गया उसी कड़ी में औपनिवेशिक शासन ने जैनियों, मारवाड़ियों तथा ऋण का लेन–देन करने वाले धनाड्य वर्ग के उदय में भी योगदान दिया।

यह वर्ग क्षेत्र की प्रजा का शोषण करते थे और साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारियों से मिलकर उन्हें समान आदि की आपूर्ति करते थे। ब्रिटिश छावनियों में उच्च अधिकारियों तक इनकी पहुँच होती थी, जो सिविल जनता तथा अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाते थे।

इस नव धनाड्य वर्ग को अंग्रेजी साम्राज्य का पोषक मानते हुये इन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने **'सर'**, **'रायसाहब'** तथा **'रायबहादुर'** जैसी उपाधियाँ भी प्रदान की। यह वर्ग भी अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए स्थानीय जनता की गतिविधियों की गोपनीय सूचनाए अंग्रेजी अधिकारियों को पहुँचाया करते थे।

जनमानस के मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का परिवर्द्धन

1858 में विद्रोह के समाप्ति के बाद बाँदा तथा आसपास के क्षेत्रों में स्वतन्त्रता की भावना अन्दर–ही–अन्दर सुलगती रही और यह भावना

पूर्णरूपेण कभी भी समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजी शासन की असीमित शक्ति, आँतंक, गोपनीय तंत्र की मजबूती के कारण लोग खुलकर विद्रोह नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में अपने सीमित साधनों से क्रांतिकारियों ने जो सैन्य सामग्री एकत्रित किया था, उसकी काफी क्षति हो चुकी थी। विद्रोही गतिविधियों में अधिक दिनों तक संलग्न होने के कारण आर्थिक संसाधन भी समाप्त हो चुके थे। **रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे**, **नानासाहब, अलीबहादुर, मर्दनसिंह, बख्तबली** देवगढ़ के **देवी सिंह व भुजबल**, दिलवाड़ा के **यशवन्त सिंह** आदि क्रान्तिकारी नेता भी दृश्य से बाहर हो चुके थे। विद्रोह समाप्त हो जाने के पश्चात् स्थानीय लोग पुनः शक्ति का संचय करने के ध्येय से शान्ति बनाये रखने का दिखावा कर रहे थे।

1856—1876 के बीच के 20 वर्षो के परिदृश्य को कुछ लोग भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रगति व पुर्नस्थापना का युग मानते हैं,[25] किन्तु यह अवधारणा असंगत प्रतीत होती है। वास्तविकता यह है कि इन वर्षो में स्वतंत्रता की भावना तथा राजनीतिक गतिविधियां लोगों के मन में अन्दर—ही—अन्दर विकसित हो रही थी। ये तूफान के पश्चात् की शान्ति के वर्ष माने जा सकते हैं, जिसमें लोग क्या पाया—क्या खोया का मूल्यांकन कर रहे थे और ऐसे अवसर की तलाश में थे जो नये आन्दोलन के सूत्रपात के लिए अनुकूल हों। 8 जून, 1880 को जैसे ही लार्ड रिपन ने भारत के गर्वर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया,[26] वैसे ही राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा में एक नई आशा का संचार हुआ।[27]

---

[25] रघुवंशी, एम0वी0पी0एस0 — इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट, पृ — 31
[26] सिंह एस0 — फ्रीडम मूवमेण्ट इन दिल्ली (1858—1919 तक), 1992 नई दिल्ली, पृ — 57
[27] बरगेस जैम्स — द क्रोनोलॉजी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, पृ — 404

रिपन एक उदारवादी गवर्नर जनरल था। उसको भारत में इसलिए भेजा गया था कि ब्रिटिश प्रजा के मन में इस देश में जो असन्तोष पनप रहा था, उसे अपने उदारवादी तरीकों द्वारा शांत कर दें। वास्तव में रिपन का समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीजारोपण का समय था।[28]

अंग्रेजी शासन में भारत में एक केन्द्रीय सत्ता की स्थापना हुई फलतः इस देश में पहली बार राजनैतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। यद्यपि भौगोलिक एकता और हिन्दुओं की धार्मिक–सांस्कृतिक एकता पहले से ही यहाँ विद्यमान थी लेकिन ब्रिटिश काल में यहाँ राजनैतिक एकता भी स्थापित हुई।[29]

यहाँ राष्ट्रीयता की भावना के जन्म का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा किये जा रहे शोषण को माना जा सकता है।[30] लार्ड लिटन की नीतियों ने तो घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। दूसरे अफगान युद्ध के कारण हमारे देश पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन उस समय किया गया, जबकि इस देश की जनता अकाल और भूखमरी से त्रस्त थी। ऐसे राष्ट्रीय शोक की घड़ी में बाँदा जनपद में राजस्व की कठोर दर लागू की गई और उनको कड़ाई से वसूल भी किया गया। निःसन्देह राष्ट्रीय परिदृश्य पर लिटन के कार्यकाल में घटित होने वाली घटनाओं से देश के राष्ट्रवादी लोगों के मन में औपनिवेशिक सत्ता के प्रति उबाल पैदा हो रहा था। इन घटनाओं का बुन्देलखण्ड तथा बाँदा जनपद के जनमानस पर भी प्रभाव पड़ना

---

28 रघुवंशी, एम0वी0पी0एस0 – इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट, पृ – 58

29 शुक्ल, रामलखन – आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987 पृ – 383

30 एटकिन्सन, ई0टी0– स्टैटिस्टिकल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउण्ट ऑफ एन0 डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग I (बुन्देलखण्ड), इलाहाबाद, 1874 पृ – 335–336

स्वाभाविक था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किये जा रहे शोषण के विरूद्ध जनपद भी सम्पूर्ण देश की भाँति अंग्रेजों के विरूद्ध जन–आन्दोलनों का श्री गणेश करने में अग्रणी हुआ।

स्वदेशी का प्रसार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

ब्रिटिश राज्य में भारत को न केवल राजनीतिक एवं आर्थिक गुलामी के अधीन बनाये रखा गया बल्कि इस अवधि में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट–भ्रष्ट करने की कोशिश की गई।[31] ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस दिशा में अधिक कार्य किया और हिन्दू समाज के गरीब वर्ग को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। बुन्देलखण्ड सामाजिक–आर्थिक रूप से शोषित होने के कारण गरीबी तथा भूखमरी से बुरी तरह ग्रस्त था। इस परिस्थिति की जानकारी यूरोप तथा अमेरिका की मिशनरियों को थी। यही कारण था कि उन्होंने बुन्देलखण्ड में **नौगाँव** छावनी में मिशनरियों को भेजकर सर्वप्रथम अनाथालय की स्थापना करायी।

यह सर्वविदित है कि ब्रिटिश शासन इन मिशनरियों के माध्यम से बुन्देलखण्ड में अपरोक्षरूप से सहायता पहुँचाकर एक वफादार प्रजा का निर्माण करना चाहती थी, यही कारण था कि **नौगाँव** के पॉलिटिकल एजेण्ट ने **सिस्टर डेलिया फिसलर** को वहाँ पर अनाथालय खोलनें तथा मिशनरी कार्यो को आगे बढाने में सहायता प्रदान की।[32] ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर तथा टिकाऊँ बनाने के उद्देश्य से मिशनरी संस्थाओं का

[31] राष्ट्रीय गौरव (1995–96) – बुन्देलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम, (प्रधान सम्पादक दशरथ जैन,), बुन्देलखण्ड केशरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, म0प्र0 पृ – 114

[32] अन्नानिष्कन, ई0 – ए0 सेन्चुरी ऑफ प्लान्टिंग मिशनरी इन इण्डिया, (1940–1984) पृ – 13

विकास और परिवर्द्धन किया गया। बुन्देलखण्ड पिछड़े हुए क्षेत्र में यह कार्य सुनियोजित ढंग से हुआ।[33] डेलिया फिसलर 1892 में इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत के इस हृदय प्रदेश की ओर आने की योजना बनाने लगी। 1896 में दो अन्य महिला सहयोगियों के साथ उन्होंने नौगाँव में **फ्रेन्ड्स मिशन** की स्थापना की। उन्होंने गरीब बस्तियों में जाकर अपने सेवा कार्यो से ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार किया।

इन घटनाओं का अपरोक्ष प्रभाव यह हुआ कि बुन्देलखण्ड के लोग जो हिन्दू धर्म और संस्कृति धर्म के पोषक थे, उनके मन में अंग्रेजी इरादों के प्रति असन्तोष पैदा हुआ।

उधर राजाराम मोहन राय जैसे अनेक समाजसेवक एवं धर्म सुधारक हिन्दू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर उनमें नई स्फूर्ति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे प्रखर व तेजस्वी सुधारकों ने हिन्दू धर्म की ओर से ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा की जा रही आलोचनाओं का मुँह–तोड़ जवाब दिया।[34]

ऐसी पृष्ठभूमि में जो बौद्धिक जागरण हुआ, वह कांग्रेस जैसी संस्थाओं की स्थापना का वातावरण बना सका। इन घटनाओं ने बुन्देलखण्ड के स्थानीय मानस को भी प्रभावित किया और यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में रूचि दिखाई और स्वदेशी तथा अन्य कार्यक्रमों मे स्थानीय लोगों ने भागीदारी की।

---

[33] अन्नानिष्कन, ई0 – ए0 सेन्चुरी ऑफ प्लान्टिंग मिशनरी इन इण्डिया, (1940–1984) पृ – 13

[34] राष्ट्रीय गौरव (1995–96) – बुन्देलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम, (प्रधान सम्पादक दशरथ जैन,), बुन्देलखण्ड केशरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट छत्तरपुर, म0प्र0 पृ – 116

पंचम अध्याय

1885–1920 तक बाँदा जनपद में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति

अध्याय - पंचम

1885-1920 तक बाँदा जनपद में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति

1858 में विद्रोह समाप्ति के पश्चात् कॉंग्रेस की स्थापना (1885) के लगभग 30 वर्षों की अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में एक प्रकार से थकान तथा निराशा का युग माना जा सकता है। 1857 के विद्रोह के समय राष्ट्रीय चेतना का जो वेग दिखाई पड़ा था, वह 1858 के पश्चात् मन्द पड़ गया। लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष तथा निराशा रूपी छाया परिलक्षित हो रही थी लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं था कि लोग अंग्रेजी सत्ता और वैभव से डरे हुए थे। वास्तविकता यह थी कि भारत में अनेक बुद्धिजीवी तथा अंग्रेजी विचारधारा से ओत-प्रोत, देश-भक्त समूचे भारत के लिए एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना कर संगठित रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन की गति को बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार लोगों में छायी हुई निराशा को दूर करना चाहते थे। **सुरेन्द्रनाथ बनर्जी** जैसे तेज युवाओं ने ब्रिटिश भेदभाव की नीति के विरूद्ध लोगों में चेतना पैदा करने के लिए **इण्डियन एसोसियेशन** की स्थापना कर अखिल भारतीय कॉंग्रेस का मार्गदर्शन किया।

18 दिसम्बर, 1885 को **ए.ओ. ह्यूम** के सघन प्रयासों से कॉंग्रेस की स्थापना हुई। इसका मुख्य ध्येय यह था कि तत्कालीन भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग जो शिक्षित होकर उभर रहा था, उसके अन्दर राजनैतिक चेतना और अधिक मजबूत हो। ह्यूम ने जिस अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कराई उसका उसने अपरोक्ष रूप से समर्थन भी

किया था।[1] यह सच है कि काँग्रेस की स्थापना के प्रारम्भिक 10 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य की कृपा दृष्टि उस पर बनी रही लेकिन धीरे–धीरे अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं उच्च कोटि के विद्वानों ने जैसे ही इस संगठन में प्रवेश किया वैसे ही ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों एवं कार्यो का विरोध होने लगा। 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 की मार्ले–मिण्टो सुधार कानून आदि से काँग्रेस के ये राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए लोगों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते रहे। प्रथम विश्वयुद्ध के समय गाँधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से काँग्रेस का रूप ही बदल गया।

बुन्देलखण्ड में काँग्रेस की स्थापना

गाँधी जी के काँग्रेस में प्रवेश से तथा उनके क्रियाशील होने से बुन्देलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में भी काँग्रेस संगठन की स्थापना की जाने लगी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद झाँसी के कुछ राष्ट्रवादी विचार वाले लोगों ने एकत्रित होकर इस संगठन की स्थापना का प्रयास किया।[2] इसका मुख्य केन्द्र सरस्वती पाठशाला एवं झाँसी में टकसाल मोहल्ला स्थित मास्टर रूद्र नारायण का आवास था।[3] ऐसे लोगों में एस॰पी॰आई॰के अध्यापक हरि नारायण गौरहार, मास्टर रूद्रनारायण, रघुनाथ विनायक से लेकर आत्माराम गोविन्द खरे, लक्ष्मण राव कदम एवं अयोध्या प्रसाद आदि प्रमुख थे।[4]

---

[1] भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द – भारतीय इतिहास कोष, प्रकाशक – उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ 1976, पृ –330

[2] माहौर, भगवानदास–यश की धरोहर, प्रकाशक–आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, 1984, पृ – 59

[3] वही

[4] वही

1916 में सरस्वती पाठशाला (एस॰पी॰आई॰) में संयुक्त प्रान्त का राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष सी॰वाई॰चिन्तामणी जी थे। 1916 में इसी स्थान पर काँग्रेस कमेटी की स्थापना की गई।[5] बाद में इसका कार्यालय झाँसी नगर के मानिक चौक स्थित तिराहे पर स्थानान्तरित कर दिया गया।[6] इसी तरह 1920 में मऊरानीपुर के घासीराम ब्यास, रामनाथ त्रिवेदी तथा लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आदि के सौजन्य से काँग्रेस की स्थापना हुई। हमीरपुर जिले के कुल पहाड़ मे सबसे पहले काँग्रेस कमेटी गठित हुई, इसके बाद महोबा तथा राठ आदि स्थानों में भी इस संस्था की शाखाएं स्थापित हुई। 1921 मे गाँधी जी झाँसी आए और उसमें नगर के लोगो ने उनका हृदय से स्वागत किया।[7] लगभग इसी समय दीवान शत्रुधन सिंह ने राठ तथा भगवान दास बालेन्दु ने कुल पहाड़ मे काँग्रेस की स्थापना की।[8]

कुल पहाड़ जैसा छोटा कस्बा समस्त बुन्देलखण्ड मे खादी भण्डार का प्रमुख केन्द्र बना, जहाँ से गाँधीवादी आन्दोलनों को नई दिशा मिली। महात्मा गाँधी, पं0 जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, आचार्य कृपलानी तथा बादशाह खान आदि प्रमुख नेता समय–समय पर कुलपहाड़ आते रहे।[9] बाँदा जनपद राष्ट्रीय क्षितिज पर हो रहे राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा काँग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों से अप्रभावित न रहा। **पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** यहाँ के प्रमुख काँग्रेसी नेता थे ।

---

5 वीणावादिनी (पत्रिका)– हीरक जयन्ति विशेषांक 1991–92 स0 पा0 इ0 कॉलेज, झाँसी, (रमेशचन्द्र जी से उपलब्ध), पृ – 5

6 साक्षात्कार–पं0 बालकृष्ण मिश्र (झाँसी) के अनुसार,।

7 जोशी, ई0बी0–झाँसी गजेटियर, गजेटियर विभाग, लखनऊ, 1965 पृ – 71

8 अनाशक्त मनस्वी – भगवानदास 'बालेन्दु' अभिनन्दन ग्रन्थ पं0 द्वारिकेश मिश्र (सम्पादक) श्री राम प्रेस झाँसी – 1983 में प्रकाशित पृ – 11, 26

9 वही पृ – 63

इन्होंने सितम्बर 1920 में गाँधी जी के आह्वान पर असहयोग आन्दोलन मे सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, राजकीय नौकरी से त्याग पत्र दे दिया।[10] श्री अग्निहोत्री को उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रियता को देखते हुए बुन्देलखण्ड का गाँधी कहा जाता था। वे 1914 मे राजकीय विद्यालय बाँदा में अध्यापक के पद पर तैनात थे, और प्रारम्भ से ही गाँधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक थे। उनके साथी शिक्षक **नारायण प्रसाद**, **सुखवासी लाल**, **शम्भू दयाल** तथा **द्वारिका प्रसाद सिन्हा** थे।[11] श्री अग्निहोत्री घोड़े पर चढ़कर गाँव–गाँव खादी का प्रचार करते तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे। वे हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। असहयोग आन्दोलन में वे 16 दिसम्बर 1921 को गिरफ्तार हुये और 6 माह जेल में रहे।[12]

इस प्रकार बाँदा जनपद के इस कर्मवीर नेता ने गाँधी जी के प्रेरक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुये जनपद में असहयोग आन्दोलन का नेतृत्व किया।

गाँधीजी का प्रथम विश्वयुद्ध में अंग्रेजों का समर्थन

अगस्त 1914 में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया। जिसने आगे चलकर विश्वयुद्ध का रूप धारण कर लिया। इस युद्ध में **आस्ट्रिया**, **हंगरी**, **इटली**, **जर्मनी** तथा **टर्की** एक पक्ष में थे। **ब्रिटेन**, **फ्रांस रूस** और **जापान** दूसरे पक्ष में थे।[13] इस युद्ध में दोनों ही पक्षों का लक्ष्य अपने

---

10 राष्ट्र गौरव – बुन्देलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम, प्रकाशक – बुन्देलखण्ड केशरी छत्रसाल स्मारक पब्लिक ट्रस्ट छत्तरपुर (म0प्र0), 1995–96, पृ – 389

11 वही

12 वही

13 चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 212–213

साम्राज्यवादी आधिपत्य की रक्षा और वृद्धि करना था, पर संसार की प्रगतिशील शक्तियों को अपनी और आकृष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने घोषित किया कि संसार में लोकतन्त्र को प्रतिष्ठित करना ही मित्र राष्ट्रों का मुख्य लक्ष्य हैं।[14] लोकतन्त्र की रक्षा के लिये भारतीय जनता से भी सहायता की माँग की गई।

ब्रिटिश सरकार की बातों पर भरोसा कर अधिकांश काँग्रेसी नेता कुछ शर्तों के साथ युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते थे। हाल ही काँग्रेस में शामिल हुई **ऐनी बेसेन्ट** का कहना था कि **युद्ध में सहायता देना तभी संभव है जब विश्वास हो कि बलिदान के बदले उन्हें भी अपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।**[15] तिलक का भी कुछ ऐसा ही विचार था। विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ माह बाद ही महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। वे युद्ध में बिना किसी माँग के सहायता देने के पक्ष में थे। अतः भारत के नेताओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध में हर सम्भव तरीके से मदद की।

प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भिक वर्षो मे बाँदा जनपद भी ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध प्रयत्नों में जुट गया। जगह–जगह भर्ती कैम्प खोले गये। सैकडों नवयुवकों ने सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लिया।[16] बाँदा जनपद की जनता द्वारा भी युद्धकाल मे धन एकत्रित कर **वारफण्ड** में दान दिया गया।[17]

---

[14] सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ – 55

[15] बेसेण्ट, एनी – विल्डर ऑफ न्यू इण्डिया, पृ – 75

[16] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–62

[17] वही

प्रथम विश्वयुद्ध ने भारत में एक नई मनोवृति जगाई। इसने उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई भावना जगाई, और लोगों में चेतना के विकास की वेग को बढ़ा दी।[18] राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को भी इस युद्ध ने जागृत किया।

युद्ध से पूर्व जनपद में राष्ट्रवाद की भावना का परिचायक केवल आर्य समाज के उपदेश ही थे, जिनमे कुछ–कुछ राष्ट्रीयता का भी पुट रहता था परन्तु अब दृश्य बदल रहा था।

पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री ने 1914 में अपना अध्यापकीय प्रशिक्षण के पश्चात् राजकीय विद्यालय बाँदा में अध्यापक पद हेतु चयन किए गए।[19] प्रखर प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण राजनैतिक गतिविधियों से अग्निहोत्री जी सहज रूप से परिचित थे। इस समय विद्यालय में राष्ट्रीय भावना रख कर कार्य करना और राष्ट्रीय भावनाओं को अपने सहयोगियों तथा छात्रों में पैदा करना टेढी खीर थी। उन्होंने अपने साथी अध्यापकों के राजनैतिक विचारों को जानने हेतु एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें विषय रखा गया **'छात्र राजनीति में भाग ले या नहीं'** अध्यापकों के सामने विषम स्थिति थी कुछ तो बोले ही नहीं, कुछ ने कौशल पूर्वक अपनी भावनाओं और विवशताओं के बीच का रास्ता चुना। देश–प्रेम और राजनीति मे विभाजक रेखा खींचकर छात्रों को देश–प्रेम करते हुए भी अध्ययन को प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही। लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री गम्भीर विचारक और स्पष्टवक्ता थे। उन्होंने खुल कर छात्रों को राष्ट्रप्रेम, देश–भक्ति, और देश के लिये सर्वस्व न्यौछावर

---

[18] पोल, ग्राहम– इण्डिया इन ट्रांजिसन पृ –22

[19] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–54

कर देने की प्रेरणा दी।[20] बाँदा जनपद में यह राष्ट्रीयता और आत्मसम्मान का प्रथम उद्‌गार था।

युद्ध दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गया परन्तु ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वायत्त शासन देने की कोई घोषणा नहीं की। भारत के नेताओं में ब्रिटिश सरकार के प्रति असन्तोष बढ़ने लगा। वर्ष 1915 में काँग्रेस के बम्बई अधिवेशन में सर ए॰पी॰सिन्हा ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि वह स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दें कि उनका लक्ष्य भारतीयों को स्वायत्त शासन देना है।[21] परन्तु सरकार ने इसका कोई उत्तर नही दिया।

काँग्रेस नरम दल और उग्रदल में बँटी हुई थी। लगभग दस वर्ष के अन्तराल के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों में पुनः एकता स्थापित हो गई।[22] इसी लखनऊ अधिवेशन में काँग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया और दोनों ने एक साझा कार्यक्रम तैयार किया।[23]

युद्धकाल में भारतीय राजनीति शिथिल पड़ गई थी। सक्रिय कार्यक्रम के अभाव में राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति अवरूद्ध हो गई थी। भारतीय जनता को सुप्तावस्था से जगाने के लिए **ऐनीबेसेंट** और **लोकमान्य तिलक** ने **होम रूल आन्दोलन** प्रारम्भ किया।

---

[20] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–54

[21] भगवान, विष्णु तथा मोहला, पी0ए0–भारत का संवैधानिक विकास, भाग–I प्रकाशक आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ –204

[22] चन्द्रा, बिपिन – मार्डुन इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 215 तथा पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास 1957–1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराण्सी, 1993 पृ – 124

[23] चन्द्रा, बिपिन – मार्डुन इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 216

होम रूल आन्दोलन भारत के लिए स्वशासन की याचना नहीं वरन् अधिकारपूर्ण माँग की अभिव्यक्ति थी। श्रीमती ऐनीबेसेंट के अनुसार –'**होमरूल भारत का अधिकार है और राजभक्ति के पुरस्कार रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खता पूर्ण है। भारत इसको युद्ध से पूर्व माँगता था, इसे युद्ध के बीच माँग रहा है और युद्ध के बाद माँगेगा, परन्तु वह इस न्याय को एक पुरस्कार के रूप में नहीं वरन् अधिकार के रूप में माँगता है, इस बारे में किसी को कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए।**[24] उन्होंने कहा '**ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए बुद्धिमत्ता और विवेक का तकाज़ा है कि भारत को होमरूल देकर सन्तुष्ट रखा जायें।**[25]

लोक मान्य तिलक ने ऐनी बेसेन्ट को पूरा सहयोग दिया। **"स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।"** तिलक का यह नारा देश भर में हर व्यक्ति की जुबान पर ही नहीं बल्कि बाँदा में भी लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री और कुँवर हर प्रसाद सिंह जैसे अनेक व्यक्तियों को स्वतन्त्रता आन्दोलन में सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रेरणा सूत्र बना।

होम रूल आन्दोलन से देश में एक नई चेतना का संचार हुआ। होमरूल आन्दोलन में बाँदा के किसी व्यक्ति के सक्रिय रूप से भाग लेने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा

---

24 बेसेण्ट, एनी – हाउ इण्डिया रौट फार फ्रीडम (मद्रास : थियोसाफिकल पब्लिशिंग हाउस, 1915) पृ –566–67

25 बेसेण्ट, एनी – विल्डर ऑफ न्यू इण्डिया, पृ – 75, 84

सकता है कि बाँदा के प्रबुद्ध जन चैतन्य जरूर हो गये। उनकी समझ में भी यह आने लगा कि होमरूल पुरस्कार नहीं वरन् अधिकार है, सारा देश नये विचारों से आन्दोलित हो उठा और ऐसे नव–जीवन से भर उठा जैसे कि इसके पहले कभी नहीं हुआ था।[26] इस प्रकार होमरूल आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया।

सरकार आन्दोलन की गति से घबरा उठी और उसको कुचल डालने का निश्चय किया। तिलक के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गई।[27] सरकार ने ऐनी बेसेन्ट को 16 जून, 1917 को उनके दो साथियों के साथ नजर बन्द कर दिया,[28] लेकिन होमरूल आन्दोलन के कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अब भारतीय समस्या पर निर्णय और अधिक उठा रखने की स्थिति में नहीं थे।[29]

भारत मंत्री माण्टेग्यू ने उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि साम्राज्य की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी सहमत है यह है कि शासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाय। स्वशासन के कार्य में लगी संस्थाओं को उत्साहित किया जाय। जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सकें।

---

[26] पूनिया, के0बी0 –दि कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ – 142

[27] पार्वते, टीबी0–बालगंगाधर तिलक (अंग्रेजी में) प्रकाशक – नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1972 पृ–349–50

[28] ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–III निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली 1982, पृ–436 तथा पाण्डेय, बी0एन0–कॉनसाइस हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस (1885–1947) संस्करण, दिल्ली 1985 पृ – 98

[29] ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–III निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली 1982, पृ–482

मैं इतना और कहना चाहूँगा कि केवल क्रमिक विकास द्वारा ही इस दिशा में उन्नति हो सकेगी। प्रगति के प्रत्येक चरण में उचित अवसर तथा परिणाम का निर्णय ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय सरकार ही कर सकती है, जिस पर भारतीय जनता की समृद्धि तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है और वह भी यह निर्णय जिन लोगों को इस प्रकार की सेवा का नवीन अवसर प्राप्त हुआ है, उनके सहयोग तथा उनको किस सीमा तक उत्तरदायी समझा जा सकता है, इन दो बातों को ध्यान में रख कर करेगी।[30]

काँग्रेस को यह घोषणा भाषा और सारतत्व दोनों ही दृष्टि से असंतोषजनक लगी। सबने इस घोषणा को भारतीयों की आँख मे धूल झोंकने वाली चाल कहा। भारत की प्रगति केवल ब्रिटिश संसद और भारत सरकार द्वारा ही आंकी जा सकती थी। 1917 की घोषणा एक अस्पष्ट, अनिश्चित और टाल–मटोल करने का उपाय थी,[31] लेकिन इसी योजना के आधार पर 1919 का भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। 5 दिसम्बर 1919 का **हाउस ऑफ कॉमन्स** ने तथा 19 दिसम्बर को लार्डस ने भारत प्रशासन विधेयक पारित किया। 23 दिसम्बर को सम्राट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय **'भारत रक्षा विधेयक'** को पारित कराते समय सरकार ने वायदा किया था कि युद्ध के बाद इसको रद्द कर दिया जायेगा परन्तु भारत सरकार अपनी दमन शक्ति को बनाये रखना

---

30 रमणराव, एम0वी0–ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस, प्रकाशक – एस0 चॉद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1959, पृ– 72

31 भगवान, विष्णु तथा मोहला, पी0ए0–भारत का संवैधानिक विकास, भाग–I प्रकाशक आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ –129

आवश्यक समझती थी। 10 दिसम्बर 1916 को भारत सरकार ने न्यायाधीश **सिडनी रोलेट** की अध्यक्ष्यता में एक कमेटी की नियुक्ति की। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायधीश **सर बेसिल स्कॉट**, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायधीश **कुमार स्वामी**, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील **सर पी॰सी॰मित्र** इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य **वरने लावेट** इसी के सदस्य थे। इस कमेटी ने संस्तुति की कि भारत रक्षा अधिनियम के स्थान पर उससे मिलता जुलता एक स्थाई कानून बनाया जाय तथा राज विद्रोह की सम्भावनाओं को कम करने के लिए साधारण दण्ड विधान को संशोधित करके उसे कठोर बनाया जाए।[32]

इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने दो विधेयकों का मसवदा बनाया। इसके विरूद्ध सारे देश ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि उदारवादी नेताओं ने भी इन विधेयकों का विरोध किया, लेकिन सरकार ने इस विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया। परिषद मे गैर–सरकारी भारतीय सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों सबने विधेयकों का समान रूप से विरोध किया, परन्तु सरकार अपनी बात पर अडी रही और तनिक भी नहीं झुकी।[33] सरकार द्वारा फरवरी–मार्च 1919 में अराजकतावादी व क्रांतिकारी अधिनियम के नाम से कानून बना दिया गया। **रौलेट ऐक्ट** के नाम से यह कानून मशहूर हुआ।

---

[32] पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास, 1857–1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 144 तथा ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–III निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली 1982, पृ–498 तथा चन्द्रा, बिपिन – माडुर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 221 तथा सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ – 87–88

[33] चिन्तामणि, सी0वाई0–इण्डियन पॉलिटिक्स सिन्स म्युटिनी, (इलाहाबाद 1941) पृ – 11

रौलेट ऐक्ट का शुरू से ही भारत में विरोध होने लगा। इस विरोघ का नेतृत्व गाँधीजी ने किया। उन्होंने रौलेट कानून की भर्त्सना करते हुए कहा– **रौलेट बिल इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश नौकरशाही तथा ब्रिटिश व्यापारियों के हितों को भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के ऊपर मानती है। इसलिए रौलेट एक्ट हमारी व्यक्तिगत स्वंतत्रता को खुली चुनौती है।**[34] गाँधी जी ने इस बिल का विरोध उसके कानून बनाने के पूर्व ही कर दिया था तथा उसका विरोध करने के लिए जनता से एक शपथ ग्रहण करने का अनुरोध किया जिसका प्रारूप इस प्रकार था–

'चूँकि हमलोग इस बात से पूरी तरह अवगत है कि रौलेट बिल जिसे क्रिमिनल –लॉ–एमेन्डमेण्ट नं० 1,1919 और क्रिमिनल ला इमरजेन्सी पावर बिल नं० 2,1919 कहते है, अन्यायपूर्ण है तथा स्वतंत्रता और न्याय को समाप्त करने के लिए बनाये जा रहे है एवं उनके द्वारा भारतीयों के बुनियादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे भारत और राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमलोग यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर यह बिल कानून बन जाये, तो हम सब उसका विरोध करेंगे और हमलोग यह भी प्रतिज्ञा करते है कि इस संघर्ष में ईमानदारी के साथ सत्य का पालन करेंगे और किसी भी व्यक्ति के शरीर, सम्पत्ति अथवा जीवन को हिंसा के द्वारा नुकसान नहीं पहुँचायेंगे।'[35]

[34] तेन्दुलकर,डी०जी० – महात्मा, भाग–III बम्बई 1952, पृ–294

[35] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग–II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–273–74 तथा सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस (1885–1935) भाग– I प्रकाशन ऑल इण्डिया काँग्रेस कमिटी, वर्धा 1935 पृ–161

कानून बन जाने के बाद 6 अप्रैल 1919 को रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का श्रीगणेश हुआ। पंजाब में आन्दोलन ज्यादा मुखर था। सरकार ने **डॉ॰सत्यपाल** और **डॉ॰सैफुद्दीन किचलू** को नजरबन्द कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग मे एक सभा का आयोजन किया गया। बैसाखी का दिन था। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही **ब्रिगेडियर डायर** ने सेना की टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँचा और गोली चलाने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार हजारों लोग वहीं मारे गये। सारा देश आक्रोश से भर उठा। **रवीन्द्र नाथ टैगोर** ने अपने **"सर"** की उपाधि लौटा दी, **शंकरन नायर** ने वायसराय की **कार्यकारिणी परिषद** से इस्तीफा दे दिया।[36] रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह फिर अमृतसर में जलियावाला बाग की घटना से बाँदा के कुछ स्थानीय लोगों ने जो आन्दोलन चलाया वह फिर अनवरत चलता ही रहा।[37]

देश–व्यापी आक्रोश को देखते हुए सरकार ने **लार्ड हण्टर** की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग की घटनाओं की जाँच करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे डायर के कारनामें पर लीपापोती कर उसे निर्दोष बतलाया।

इस प्रकार रौलेट ऐक्ट, जलियांवाला बाग काण्ड हन्टर कमेटी रिपोर्ट और खिलाफ़त समस्या के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी गाँधी 1920 में असहयोगी गाँधी बन गये।

---

[36] पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास, 1857–1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 147

[37] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–62

सितम्बर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कुछ नेता इस प्रस्ताव के विरोध में थे, परन्तु मतदान में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।[38] इस प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही भारतीय राजनीति में **'गाँधी युग'** प्रारम्भ हो गया। असहयोग आन्दोलन मे दो प्रकार के उद्देश्य थे। **नकारात्मक और रचनात्मक**। नकारात्मक उद्देश्यों के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां थी:–

1– वकीलों द्वारा कचहरियों और अदालतों का बहिष्कार।

2– सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार।

3– धारा, सभा और प्रान्तीय परिषद के लिये चुनावों का बहिष्कार।

4– सम्मान, पदवियों का परित्याग सरकारी समारोहों का बहिष्कार।

5– विदेशी माल का बहिष्कार।

6– मद्य निषेध।

रचनात्मक पक्ष की प्रमुख बातें थी। –1– राष्ट्रीय शिक्षा–संस्थानों की स्थापना । 2– विवादों के निपटारे के लिये लोक–पंचायतों का उपयोग । 3–स्वदेशी का प्रचार । 4– हथ–करघा, चर्खा, खद्दर का प्रयोग। 5– अस्पृश्यता का अन्त।[39]

कलकत्ता काँग्रेस के अधिवेशन के बाद महात्मा गाँधी ने पूरे देश का भ्रमण कर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। आन्दोलन का सूत्रपात

---

[38] रमणराव, एम0वी0–ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस, प्रकाशक – एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1959, पृ– 94–95

[39] ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–III निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली 1982, पृ–520

उन्होंने अपने **'केसर–ए–हिन्द'** के पदक को वापस देकर किया।[40] गाँधी जी और उनके बहुसंख्यक आस्थावान कार्यकर्ता देश भर में फैल गये तथा असंख्य नगरों और गाँवों में असहयोग का संदेश गुन्जित किया।

महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होने के समय पर बाँदा जनपद **पं॰लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँ॰ हर प्रसाद सिंह** तथा **सेठ विष्णुकरण मेहता** के नेतृत्व में आन्दोलन के लिए तैयार था। बाँदा जनपद में **"असहयोग आन्दोलन"** के अध्ययन से यह बात आधिकारिक रूप से कही जा सकती है कि इस जनपद में इस आन्दोलन के प्रारम्भिक चरणों में अध्यापकों और छात्रों की प्रमुख भूमिका रही है, बाद में समाज के अन्य वर्ग इसमें शामिल होते चले गये और असहयोग आन्दोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने मे जुट गये।

वर्ष 1890 मे जनपद कानपुर के नरवल कस्बे में जन्मे पं॰लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री ने वर्ष 1914 मे बाँदा के राजकीय विद्यालय में सरकारी सेवा अध्यापक के रूप में शुरू की। इस प्रतिभाशाली, प्रबुद्ध युवा अध्यापक को समय की हलचल ने आन्दोलित कर दिया। देश के राजनैतिक रंग–मंच पर महात्मा गाँधी प्रगट ही नही हुए बल्कि सूत्रधार की भूमिका भी ग्रहण कर चुके थे। नेहरू जी के अनुसार –"भारतीय राजनीति में गाँधी जी का आगमन ताजी हवा के झोंके समान था और हम लोगों ने खुलकर उस ताजी हवा से अपने फेफड़ों को भर लिया। गाँधी प्रकाश की किरण की तरह आए जिससे अंधकार हटने लगा और हमारी आँखों के सामने प्रकाश फैलने लगा। ....उन्होंने हमें सिखाया कि इन

---

[40] लाल, मुकुट बिहारी–भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भाग–I, प्रकाशक–उत्तर प्रदेश संस्थान, (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,) हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ, 1978 पृ–507

किसानों और मजदूरों का शोषण बन्द करो तथा उस व्यवस्था का नाश करो, जिससे इस देश मे गरीबी और भूखमरी फैलती है।[41] पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री भी गाँधी जी के विचारों से प्रभावित हुये बिना न रह सकें।

गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर वर्ष 1920 में राजकीय विद्यालय बाँदा से अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। फिर वह बाँदा में ही रहते हुए खुल कर विदेशी सत्ता के विरूद्ध तन–मन से सक्रिय हो गये। धन उनके पास कभी रहा ही नहीं। **अग्निहोत्री जी** के साथ **सेठ विष्णु करण मेहता** भी असहयोग आन्दोलन में सक्रिय हो गये। अगस्त 1920 में शुरू हुआ आन्दोलन जल्द ही पूरे जिले में फैल गया।[42]

श्री सुखवासी लाल जी जो उस समय एस0डी0आई0 (डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल) पद पर कार्यरत थे। वे भी नौकरी से त्यागपत्र देते हुए इस आन्दोलन में कूद पड़ें।[43]

बाँदा में तो सरकार विरोधी जुलूस प्रतिदिन निकल रहे थे, परन्तु कर्वी में 6 अप्रैल 1921 को पहला जुलूस निकला। 13 अप्रैल को कर्वी में पूर्ण हड़ताल रही। शाम को धर्मशाला में एक सभा हुई। उसी सभा में श्री **जगन्नाथ प्रसाद करवरिया** तरौंहा (कर्वी) तथा **दुर्गा प्रसाद मिश्र व्यूर**

---

[41] नेहरू, जवाहर लाल–दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, प्रकाशक – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981 पृ – 358

[42] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –62

[43] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–154

(कर्वी) ने अध्यापकीय से त्याग पत्र देने और देश सेवा के लिए अपने को समर्पित करने की घोषणा की।[44]

बाँदा जनपद के बहुत से पढ़े–लिखे नवयुवक जिले से बाहर दूर–दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे। वे भी देश सेवा में पीछे नहीं रहें। **श्री जुगुल किशोर सिंह** इलाहाबाद नगर पालिका की अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बाँदा आ गये और देश सेवा में जुट गये। श्री सिंह वहाँ पर इन्जीनियर के पद पर कार्यरत थे। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण कैद की सजा मिली। 1923 के प्रारम्भ में जेल से छोड़े गये।[45]

श्री शम्भू दयाल श्रीवास्तव भी बाँदा जिले के निवासी थे। ये छिंदवाड़ा (म॰ प्र॰) में वन विभाग में सरकारी नौकर थे। असहयोग आन्दोलन के समय नौकरी से त्याग पत्र देकर बाँदा जिले में स्थित गाँव रामपुर, एचवारा आ गये और असहयोग आन्दोलन की गतिविधियों में लिप्त हो गये।[46] गाँधी जी का आदेश यह भी था कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। बाँदा जनपद मे भी विद्यार्थियों में इस प्रकार से राष्ट्रीय देश–प्रेम की चेतना अग्रणी नेताओं द्वारा जागृत की गई कि वे सरकारी स्कूलों से अपना नाम कटवा लें।[47]

असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा के सरकारी स्कूल से बहुत से विद्यार्थियों ने अपने नाम कटवा लिए– **चन्द्रभान विभव, मिथिला शरण, जगन्नाथ कलार, शम्भूनाथ सिन्हा, श्यामसुन्दर श्रीवास्तव,**

[44] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–157
[45] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100
[46] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125
[47] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –62

सत्यनारायण पाण्डेय, मुन्नी लाल अग्रवाल, राधेश्याम सेठ, बृजबिहारी सेठ, भगवानदास पुरवार, भूपेन्द्र निगम, मदन मोहन पुरवार, रामगोपाल गुप्त, तथा **मातादीन चौरसिया** जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने स्कूलों को तिलान्जलि देकर गाँधी जी के मिशन को पूरा करने के लिये जी–जान से जुट गए।[48]

ये विद्यार्थी प्रतिदिन अपने–अपने मोहल्लों में लोगों को एकत्रित करके प्रातः काल प्रभात फेरी निकालकर, देश–भक्ति के नारे लगाते थे। दिन भर घूम–घूम कर लोगों को विदेशी कपड़े त्यागने को कहते थे। लोगो ने विदेश में बने कपड़े एकत्रित करके कभी राम लीला मैदान में, कभी महेश्वरी देवी के चौराहे पर, कभी कोतवाली के दरवाजे पर जलाते थे। इस प्रकार हजारों रूपये का विदेशी कपड़ा प्रतिदिन जलाया जाने लगा।[49]

बाँदा में इसी समय जिला काँग्रेस कमेटी की विधिवत् स्थापना की गई।[50] जिले में आन्दोलन को और गति प्रदान करने के लिये एक पॉलिटिकल कान्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय भी लीडरों ने लिया। गयागंज मे पॉलिटिकल कान्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें **पुरूषोत्तमदास टण्डन** और **पं० जवाहर लाल नेहरू** ने भी भाग लिए।[51] अपने भाषण में नेहरू जी ने जनसमुदाय से विदेशी वस्त्रों को त्यागने और खद्दर के वस्त्रों को अपनाने का आग्रह किया।

---

[48] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–58
[49] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –62
[50] श्री नारायण प्रसाद पुत्र तुलाराम, बलखण्डी नाका, बाँदा, 1920–21 में काँग्रेस के सचिव बने
[51] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –62

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया। जिले मे स्थान–स्थान पर विदेशी वस्त्रों की होली के अभूतपूर्व दृश्य देखे गए। विदेशी वस्त्रों की एक बहुत बड़ी होली **रामलीला मैदान** में जलाई गई। लगभग एक लाख रूपये के कीमती कपड़े उस दिन जलाये गये। इस कार्यक्रम मे भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में **लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री**, **बाबा जीवन दास** व **स्कूल छोड़नें वाले छात्र** थे। बाँदा नगर की जनता ने अपने विदेशी कपडों को होली में झोंक कर अपना सक्रिय योगदान दिया। अनेक घरों में फिर विदेशी कपड़ों का उपयोग हमेशा के लिये समाप्त हो गया।[52]

प्रारम्भ में असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के लिये सरकार ने **'अमन सभाएं'** स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु शासन की यह चेष्टा नितान्त असफल सिद्ध हुई। अधिकारियों की समझ में नहीं आता था कि इस अद्भुत स्थिति का सामना कैसे किया जाए। आन्दोलन को आशा से अधिक बढ़ता देखकर सरकार ने क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारम्भ किया। सरकार ने **'राजद्रोह सभा अधिनियम'** का खुल कर प्रयोग करना शुरू करके आन्दोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले पकड़े जाने वालों में काँग्रेस के अग्रणी गाँधीवादी नेता **पं०लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** थे। मजिस्ट्रेट ने उनको दो वर्ष के कारावास की सजा दी।[53]

[52] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–58 तथा श्री देवेन्दनाथ खरे के लेख **त्यागमूर्ति पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** से उद्धृत

[53] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–122

कर्वी तहसील में असहयोग आन्दोलन की भूमिका तो काँग्रेस के नागपुर अधिनियम (दिसम्बर 1920) के बाद ही तय हो गई थी। **श्री रामबहोरी करवरिया** अपने किसी काम से प्रयाग गये थे। वहीं उनके एक सम्बन्धी ने उनका परिचय **पं॰मदन मोहन मालवीय** जी से करवाया। मालवीय जी से प्रभावित होकर और उनके आग्रह पर रामबहोरी करवरिया ने काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन मे भाग लिया। उनके साथ **सेठ जानकी प्रसाद** तथा **रामविशाल मुख्तार** भी नागपुर गये, वहाँ के वातावरण तथा गाँधी जी व अन्य नेताओं के भाषणों का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे देश–प्रेम की भावना से ओत–प्रोत हो गये। वहाँ से लौटने के बाद वे खुद उनका परिवार और उनके प्रभाव से गांवों के सभी लोग भी असहयोग आन्दोलन में भाग लेने लगे और **राम बहोरी करवरिया** कर्वी क्षेत्र में असहयोग आन्दोलन के प्रतीक बन गये।[54]

कर्वी में राष्ट्रीय जागरण की प्रथम लहर इसी समय दिखाई पड़ी। अब जुलूसों में, सभाओं में शराब की दुकानों पर पिकेंटिग करते हुए शुभ्रवस्त्रधारी पढ़े–लिखे लोगों के अलावा मटमैले कपड़े पहने हुए श्रमजीवी किसानों को भी देखा जा सकता था। आन्दोलन व्यापक होता जा रहा था। **श्रीराम बहोरी करवरिया** के अलावा **दुर्गा प्रसाद, जगन्नाथप्रसाद, मास्टर सुखवासी लाल, बाबा जीवनदास** आदि प्रमुख कार्य–कर्ता थे। चित्रकूट के **गोदिन शर्मा** पुत्र **दीनदयाल** ने भी 1921 में काँग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।[55] असहयोग आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर

---

[54] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–157

[55] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–96

हिस्सा लेने के कारण **रामबहोरी करवरिया** प्रशासन की आँख की किरकिरी बने रहें।

असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण **पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** औंर **रामानन्द करवरिया** को सबसे अधिक दो वर्ष की कैद की सजा दी गई, परन्तु जनता का मनोबल इससे टूटा नहीं बल्कि आन्दोलन में और बढ़–चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे वर्ष भर (1921) जनपद में गिरफ्तारियाँ होती रही। 1921 में कर्वी के **जगन्नाथ प्रसाद करवरिया**, बाँदा के **गोपी वैश्य** तथा ग्राम दिखितवारा पो० अतर्रा के **रामदेव पिछौरिहा** सहित 12 सत्याग्रहियों का एक जत्था पकड़ा गया। 23 दिसम्बर 1921 को बाँदा के मजिस्ट्रेट ने सबको 6–6 माह की सज़ा दे दी। सत्याग्रही अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात न कर सकें, इस कारण कैदियों को बाँदा से दूसरे जिले की जेलों में भेजा जाने लगा। फलतः **जगन्नाथ करवरिया** को बाँदा जेल से वाराणसी जेल स्थानान्तरित कर दिया गया।[56]

असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा में **भगवानदास पुत्र रामदास** कक्षा 8 के विद्यार्थी थे। शिक्षा छोड़कर आन्दोलन में भाग लेने लगें। धरना देने और प्रभात फेरी के जुलूस में बहुत सक्रिय रहे। एक दिन प्रभात फेरी निकालते हुए कोतवाली बाँदा के दरवाजे पर पहुँचे। कोतवाल ने प्रभात फेरी रोक कर कुछ लोगों को कोतवाली में बन्द करके चालान भेज दिया। उनमें भगवानदास भी थे। मजिस्ट्रेट **हसमत अली** ने छह महीने का करावास व रु0 100/– जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने

[56] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–174

पर दो हफ्ते के कारावास की सजा और भुगतनी थी। सत्याग्रही जुर्माना नहीं देते थे परन्तु आर्थिक दण्ड भगवानदास के जेल जाने के बाद घरवालों से जबरन वसूल कर लिया गया। भगवानदास को कारावास भोगने के लिए फैजाबाद जेल में भेज दिया गया जहाँ से 4–7–1922 को मुक्त किए गए।[57]

असहयोग आन्दोलन में नरैनी तहसील की भी प्रमुख भूमिका रही है। **श्रीराजाराम द्विवेदी** पुत्र **श्री वंश स्वरूप द्विवेदी** में राष्ट्रीय चेतना यौवन काल से ही थी। 1921 के आन्दोलन में भाग लिया और छः माह की सजा पाई। आप नरैनी तहसील के मुतियारी ग्राम के निवासी थे।[58]

नरैनी क्षेत्र के **ठाकुर दिलीपसिंह** ग्राम महुआ, **श्रीमन्नीलाल**, **श्री महादेव प्रसाद** नरैनी खास के **श्री रघुनन्दन प्रसाद**, **श्रीराम दयाल पसारी**, **श्रीरामदेव**, **श्रीरामलाल जी** निवासी खुरहड़ के **श्रीरामानन्द करवरिया** आदि प्रमुख सत्याग्रही थे, सभी को असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6–6 माह के कारावास की सजा हुई।[59]

असहयोग आन्दोलन में बाँदा जनपद के मुसलमानों ने भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया। बाँदा के छिपटहनी मोहल्ले के **फैयाज** पुत्र **इब्राहिम** की असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा पाई।[60]

---

[57] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–131

[58] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–114 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–167

[59] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–167–70

[60] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–104–05

बाँदा के ही मोहल्ला मोचियाना निवासी **श्री हारूल रशीद** को भी असहयोग मे भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा हुई।[61]

बाँदा जनपद में असहयोग आन्दोलन के समय का एक महत्वपूर्ण पक्ष आग उगलने वाली पत्रकारिता थी, जो **'सत्याग्रही'** पत्र के रूप में साईक्लोस्टाइल के द्वारा छप कर न केवल बाँदा जनपद में वरन् हमीरपुर जनपद में भी आन्दोलनकारियों का मार्गदर्शन करती रही।[62] उस युग में पत्र लेखन, सम्पादन, मुद्रण और वितरण का कार्य लोहे के चने चबाने के समान कठिन था। वर्ष 1920 से 1922 तक चलने वाले असहयोग आन्दोलन में इस पत्रिका का कार्यभार **मा॰ रामनाथ विशारद**, **श्री मथुरा प्रसाद खरे** तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के हाथ में था।[63] बाँदा से सत्याग्रही का प्रकाशन जिले की राजनीतिक घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने जिले में क्रान्तिकारी विचारधारा का भी उभार हुआ। जनता की रुचि सत्याग्रही में प्रकाशित समाचार से ज्यादा उसमें प्रकाशित उच्च–प्रखर राष्ट्रीयता वाले विचारों के कारण थी।[64]

असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा के बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से नाम कटवा लिए थे। इन विद्यार्थियों के शिक्षा की व्यवस्था करना प्राथमिकता थी। गाँधी जी का भी विचार था कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाय। अतः वर्ष 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय

---

61 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–128

62 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–138 में श्री सुधीर खरे के लेख सत्याग्रही पत्र : एक परिचय से उद्धृत

63 वही

64 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–62

खुला।[65] वर्तमान में जहाँ पर पशु चिकित्सालय है उसके सामने श्री कालूराम मनसुखराम फर्म के गोदाम में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई।[66] विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, सुखवासी लाल भूत पूर्व एस॰ डी॰ आई॰, शम्भू दयाल श्रीवास्तव, द्वारिका प्रसाद सिन्हा ने अध्यापन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया। ये सभी असहयोग आन्दोलन के जनपदीय नेता थे। विद्यार्थियों में देश–प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता का जोश कूट–कूट कर भरा जाता था।[67]

बाँदा की नारियाँ भी असहयोग आन्दोलन में पीछे नहीं रही । पुरूषों से कंधा से कंधा मिला कर उन्होंने इसमे भाग लिया। स्वयंसेवकों के लिए घर–घर जाकर चन्दा माँगा और काँग्रेस कार्यालय में जमा करवाया। 1920 में सावित्री देवी का विवाह बाँदा में नारायण दास के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के 6 माह बाद ही असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। बाँदा में उस समय एक राष्ट्रीय कन्या पाठशाला थी, इसे कुछ सरकारी ग्राण्ट भी मिलती थी। श्रीमती सावित्री देवी ने 1921 में राष्ट्रीय कन्या पाठशाला की अध्यापिकाओं को साथ लेकर जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व गंगाबाई, रुक्मणीबाई और तुलसी देवी ने किया। सरकार ने इस घटना से नाराज होकर स्कूल की ग्राण्ट बन्द कर दी।[68]

---

65 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–62
66 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125
67 वही, पृ–55
68 वही, पृ–147

चौरी-चौरा काण्ड और असहयोग आन्दोलन का अन्त

1922 का प्रारम्भ भी लार्ड रीडिग के कड़े रुख से प्रारम्भ हुआ। आन्दोलनकारियों के ऊपर दमन चक्र पूरे जोर–शोर से चलने लगा। 1921 के अन्त तक बाँदा जनपद के अधिकांश नेता जेलों में सजा भुगत रहे थे। कुछ जो सजा पूरी करके छूट गये थे, वे वालन्टियर तैयार करने में जुटे थे कि चौरी–चौरा की घटना ने सम्पूर्ण राजनीतिक स्थिति को ही परिवर्तित कर दिया।

5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी–चौरा ग्राम में काँग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, इससे पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गयी। जनता ने उत्तेजित होकर पुलिस को थाने में खदेड़ दिया और उसमें आग लगा दी। इस घटना में पुलिस वाले जल कर मर गये।[69]

इस घटना से गाँधी जी के अहिंसावादी मन को तीव्र आघात पहुँचा। गाँधी जी मन, वचन और कर्म से अहिंसावादी थे, लेकिन जनता उस भावना को नही समझ पाई थी जो उनके जीवन–दर्शन का मूल आधार थी। जिस नैतिक–निष्ठा को वह अपने जीवन और राष्ट्र की स्वाधीनता से भी ज्यादा चाहते थे, उसी के उल्लंघन पर उनकी आत्मा उनको कचोटने लगी। इस स्थिति में उन्होंने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर देने का निश्चय किया।[70] उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में

---

[69] ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग–III निदेशक प्रकाशन विभाग पुराना सचिवालय, दिल्ली 1982, पृ–526 तथा अर्जुन देव–सम्यता की कहानी, भाग–II प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0 प्रथम संस्करण 1990 पृ–441 तथा पाण्डेय, बी0एन0–कॉनसाइस हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस (1885–1947) संस्करण, दिल्ली 1985 पृ – 136

[70] शर्मा, एस0आर0–आधुनिक भारत का निर्माण, बम्बई, 1974 पृ–335

काँग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें उनके द्वारा चौरी–चौरा घटना के आधार पर आन्दोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया और रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया गया "जिसमे काँग्रेस के लिये एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, मादक द्रव्य निषेध और पंचायतें संगठित करना आदि शामिल था।"[71]

इस प्रकार असहयोग आन्दोलन का अन्त हो गया। महात्मा गाँधी द्वारा आकस्मिक रूप से आन्दोलन स्थगित करने का जो कार्य किया गया उसका देश के अनेक नेताओं जैसे – मोतीलाल नेहरू, लालालाजपत राय, सुभाषचन्द्र बोस, डॉ० मुंजे आदि ने विरोध और आलोचना की। लोगों का विचार था कि यदि गाँधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन उस समय समाप्त नहीं किया जाता तो वह शासन के लिए चिन्ता का विषय बन रहा था, सम्भवतया सरकार भारतीय जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए कोई कार्य करने को बाध्य हो जाती।[72]

बाँदा जनपद के संदर्भ में जब असहयोग आन्दोलन में यहाँ के सेनानियों के योगदान को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अपने क्रिया कलापों से साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की। पहले जनता सरकार का विरोध करने से घबराती थी, जेलों से डरती थी। अब जनता निर्भीक हो गई। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से नहीं डरती थी। सार्वजनिक सभाओं में सरकार की आलोचना करना अब साधारण बात थी। बच्चे–बच्चे के मुँह से स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा।

---

[71] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–398

[72] मेनन, बी०पी०–ट्रान्सफर ऑफ पॉवर इन इण्डिया, प्रकाशक–ओरिएण्ट लॉगमेण्ट, दिल्ली, 1950, पृ–29

असहयोग आन्दोलन में बाँदा जिले के स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया

1. **लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** :– बाँदा के राजकीय विद्यालय में अध्यापक थे। असहयोग आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही नौकरी से त्याग पत्र देकर आन्दोलन में सक्रिय हो गये।[73]

2. **जुगुल किशोर सिंह** :– बाँदा निवासी जुगुलकिशोर सिंह ने रूढ़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। 1917 से 1920 तक इलाहाबाद नगरपालिका में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। असहयोग आन्दोलन शुरू होने पर नौकरी से इस्तीफा देकर बाँदा आ गए और असहयोग आन्दोलन में सक्रिय हो गए।[74]

3. **सुखवासी लाल** :– आप बाँदा में एस॰ डी॰ आई॰ के पद पर कार्यरत थे। गाँधी जी की पुकार पर आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी और असहयोग आन्दोलन में भाग लेने लगे।[75]

4. **शम्भू दयाल श्रीवास्तव** :– बाँदा जिले के ग्राम रामपुर ऐचवारा के रहने वाले शम्भूदयाल जी छिदवाड़ा (म॰प्र॰) में वन विभाग में सरकारी नौकर थे। असहयोग आन्दोलन के समय नौकरी से त्याग पत्र देकर बाँदा जिले में अपने गाँव आ गये और फिर जिले की असहयोग आन्दोलन की गतिविधियों में लिप्त हो गये।[76]

---

[73] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–122

[74] वही पृ–100

[75] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125

[76] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125

5. **दुर्गा प्रसाद** –: ब्यूर (कर्वी) के निवासी दुर्गा प्रसाद ने 1921 में अध्यापक की नौकरी से इस्तीफा देकर असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी की।[77]

6. **अनसुइया प्रसाद गुप्त** –: बबेरू के अनसुइया प्रसाद जी ने अध्यापक के रूप में अपने छात्रों में नई चेतना भरी। अध्यापक का पद छोड़ कर आन्दोलन में कूद पड़े।[78]

असहयोग आन्दोलन के समय विद्यालय छोड़कर सक्रिय रूप से आन्दोलन में भाग लेने वाले छात्र[79]

1. चन्द्रभान विभव	2. मिथिलाशरण	3. जगन्नाथ कलार
4. शम्भूनाथ सिन्हा	5. श्याम सुन्दर श्रीवास्तव	6. सत्यनारायण पाण्डेय
7. मुन्नी लाल अग्रवाल	8. राधेश्याम सेठ	9. बृज बिहारी सेठ
10. भगवानदास पुरवार	11. भूपेन्द्र निगम	12. मदन मोहन पुरवार
13. राम गोपाल गुप्त	14. मातादीन चौरसिया	

बाँदा जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची जो असहयोग आन्दोलन में भाग लिए तथा जेल गये

1. **लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** :– निवास स्थान बाँदा, असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और 1920 में दो वर्ष कैद की सजा पाई।[80]

2. **अनसुइया प्रसाद गुप्त** :– बबेरू, (बाँदा) असहयोग आंदोलन में भाग लिया और 1920 मे 6 माह की कैद की सजा पाई।[81]

---

[77] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–154
[78] वही, पृ–153–154
[79] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93–103
[80] वही पृ–122
[81] वही पृ–93

3. **बाबा जीवन दास** :– ग्राम गौरही जिला बाँदा। असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। 4 जुलाई 1921 को गिरफ्तार किए गए और 6 माह की सजा पायी।[82]

4. **नारायण दास** :– बलखन्डी नाका बाँदा, असहयोग आन्दोलन मे भाग लेने के कारण 1920 में फौजदारी कानून संसोधन की धारा 17 के अर्न्तगत 6 माह की कैद की सजा पायी।[83]

5. **मिथिला शरण** :– ग्राम मदनपुर (बाँदा) असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 3 माह कैद की सजा पायी।[84]

6. **गोपी चरण** :– चौक बाजार बाँदा, असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 1921 में 6 माह कैद की सजा पाई।[85]

7. **ठा॰दिलीप सिंह** :– निवासी ग्राम महुटा, तहसील नरैनी, जिला बाँदा, असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 1921 मे 6 माह की कैद की सजा पाई।[86]

8. **रामनाथ गुप्त** :– बाँदा के कैलाशपुरी मोहल्ले के निवासी रामनाथ गुप्त को असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण वर्ष 1921 में 6 माह का कारावास और 500 रू॰ जुर्माने की सजा दी गई।[87]

9. **रामानन्द करवरिया** :– पसारी, नरैनी, 1921 में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। दो वर्ष तक जेल में रहे।[88]

---

[82] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–157

[83] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–123

[84] वही पृ–112

[85] वही पृ–97

[86] वही पृ–101

[87] वही पृ–117

[88] वही पृ–121

10. **दुर्गा प्रसाद** :– ब्यूर (कर्वी) असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। 1921 में धारा 144 के अर्न्तगत 6 माह की सजा पायी।[89]

11. **रघुनन्दन प्रसाद** :– नरैनी (बाँदा) 1021 में असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा पाई।[90]

12. **राजाराम** :– ग्राम मुतियारी, तहसील नरैनी, बाँदा असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह की सजा पायी।[91]

13. **रामदेव पिछौरिया** :– ग्राम मूहतरा, अतर्रा (बाँदा) असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 16 दिसम्बर 1921 को 6 माह कैद और 500 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।[92]

14. **रामदयाल** :– पसारी, नरैनी (बाँदा) असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह की कैद की सजा पायी।[93]

15. **गोवर्धन** :– निवासी बाँदा को भी आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कैद और 50 रू॰ जुर्माने की सजा मिली।[94]

16. **फैयाज खाँ** :– छिपीटोला, बाँदा, असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। 1921 में 6 माह के कैद की सजा पायी।[95]

17. **हारूल रसीद** :– मोहल्ला मोचियाना, बाँदा असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह की सजा पायी।[96]

18. **जगन्नाथ प्रसाद करवरिया** :– कर्वी, जिला बाँदा असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण 23 दिसम्बर 1921 को बाँदा के

---

[89] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–102
[90] वही पृ–113
[91] वही पृ–114
[92] वही पृ–116–117
[93] वही पृ–116
[94] वही पृ–97
[95] वही पृ–104
[96] वही पृ–128

मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह कैद और 50 रू॰ जुर्माने की सजा दी गई। बाँदा से वाराणसी जेल स्थानान्तरित कर दिए गए।[97]

19. **मातादीन** :– बाँदा निवासी मातादीन 1921 में एक माह तक जेल में नजर बन्द रहे।[98]

20. **जुगुल किशोर सिंह** :– निवास स्थान बाँदा भी असहयोग आन्दोलन में जेल गये ओर 1923 में छोड़े गये।[99]

21. **शिवपाल** :– तहसील बबेरू जिला बाँदा, असहयोग आन्दोलन में वर्ष 1921 में 6 माह कैद की सजा मिली।[100]

22. **रामलाल सिंह** :– ग्राम खुरहंड, तहसील, नरैनी, जिला बाँदा, असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण धारा 38 (अ) 129 में एक माह जेल में रहना पड़ा।[101]

---

[97] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–174

[98] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–111–112

[99] वही पृ–100

[100] वही पृ–124

[101] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–169

षष्ठ अध्याय

1820–1942 तक के राष्ट्रीय आन्दोलन की रूप रेखा व बाँदा क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का योगदान

अध्याय - षष्ठ

1920 से 1942 तक के राष्ट्रीय आन्दोलन की रूप रेखा व बाँदा क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान

1922 में असहयोग आन्दोलन को गाँधी जी द्वारा समाप्त करने के बाद से 1929 तक भारत वर्ष में कोई भी राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं चला। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में गाँधी जी ने काँग्रेस कार्यसमिति की बैठक में आन्दोलन को स्थगित करने के प्रस्ताव के साथ-ही-साथ रचनात्मक कार्यक्रम पर भी बल दिया गया था 'जिसमें काँग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे और खादी का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रब्य निषेध और पंचायतें आदि संगठित करना शामिल था।'[1]

असहयोग आन्दोलन के स्थगन पर गाँधी जी का बड़ा विरोध हुआ। **मोतीलाल नेहरू** और **लाला लाजपतराय** ने जेल से ही गाँधी जी को विरोध पत्र लिखकर कहा कि **'किसी एक स्थान के पाप के कारण वे सारे देश को दण्डित कर रहे हैं।'**[2] **सुभाषचन्द्र बोस** के अनुसार **ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना, राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था।**[3]

---

1 सीतारमैया, पट्टाभि-दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935-1942) भाग- II, प्रकाशन -सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली-1948, पृ-398

2 वही, पृ-399-400

3 बोस, सुभाषचन्द्र - दि इण्डियन स्ट्रगल, कलकत्ता, 1964 पृ - 108

चौरी–चौरा की घटना के अलावा कुछ अन्य घटनायें भी इस स्थगन का कारण थीं। **जवाहरलाल नेहरू** के अनुसार **आन्दोलन केवल चौरी–चौरा के कारण स्थगित नहीं किया गया, बल्कि सच बात तो यह थी कि यद्यपि बाहर से आन्दोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था, लगता था कि वह बड़ी प्रगति कर रहा है, किन्तु आन्दोलन अन्दर से छिन्न–भिन्न हो रहा था। यदि आन्दोलन स्थगित नहीं किया जाता तो शासन के द्वारा खूनी पद्धति से आन्दोलन का अन्त कर दिया जाता और आँतंक का ऐसा राज स्थापित हो जाता जो जनता के उत्साह को ही समाप्त कर देता।**[4]

कारण कुछ भी रहे हों आन्दोलन का स्थगन दुर्भाग्यपूर्ण था। आन्दोलन के स्थगित किए जाते ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हुई। अगले दिन ही गाँधी जी को कैद कर लिया गया। **यंग इंडिया** में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला कर 6 वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया गया। गाँधी जी ने तो आन्दोलन को रोक कर महानता का परिचय दिया। सरकार ने नीचे उतर आन्दोलन की गड़बड़ स्थिति का फायदा उठा कर ओझा और कायरतापूर्ण आघात कर दिया।

इन घटनाओं ने भारत की जनता को किंकर्त्तव्यविमूढ़ कर दिया। बाँदा के स्वतंत्रता सेनानी भी जड़ता की स्थिति में आ गये लेकिन जल्द ही वे इस स्थिति से उबरने में कामयाब भी हो गये। असहयोग आन्दोलन से कुछ प्राप्त हुआ या नहीं यह अलग विषय है परन्तु यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आन्दोलन ने जनता को निर्भीकता

---

[4] नेहरू, जवाहर लाल– ऐन ऑटोबॉयोग्राफी, प्रकाशक – एलाइड पब्लिशर्स, 1962 पृ–86–87

प्रदान की। सरकार के विरूद्ध विद्रोह करने में अब डर नहीं लगता था। निर्भीकता तो बाँदा के जन–समुदाय के रक्त में ही घुली–मिली है। अतः बाँदा के नेता जल्द ही किंकर्त्तव्यविमूढ़ता की स्थिति से उबर गये और गाँधी जी के 12 फरवरी 1922 के प्रस्ताव के रचनात्मक कार्यक्रम वाले भाग को पूरा करने के लिए प्राण–पण से जुट गये।

असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण कारावास की सजा पूरी करके बाँदा जनपद के अग्रणी काँग्रेसी नेता **पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** जब जेल से बाहर आये तो उन्होंने पाया कि उनके द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय विद्यालय बुरी हालत में था। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों जिनमें **कुँवर हरप्रसाद सिंह, सुखवासी लाल, द्वारिका प्रसाद सिन्हा** आदि प्रमुख थे के साथ मिल कर राष्ट्रीय विद्यालय की व्यवस्था को पटरी पर ला दिया।

असहयोग आन्दोलन के समय राजकीय विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के सर्वागीण विकास को ध्यान में रख कर, महात्मा गाँधी के राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना की नीति को ध्यान में रखते हुए बाँदा नगर स्थित पशु चिकित्सालय के सामने **श्री कालूराम मनसुखराम** फर्म के गोदाम में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की।[5]

इस राष्ट्रीय विद्यालय में लगभग दो सौ छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। यह संख्या बाँदा जनपद में शैक्षिक क्रान्ति को घोषित करती है, क्योंकि उस समय स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी।

---

[5] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125

इस विद्यालय में अध्यापन का कार्य **पं॰लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, शम्भूदयाल श्रीवास्तव, श्रीसुखवासी लाल, मास्टर नारायण प्रसाद, गणेश प्रसाद खरे** और **चन्द्रभान विभव** करते थे। राष्ट्रीयता के वातावरण से ओत–प्रोत नाटक, बाहरी कम्पनियों से आए हुए अभिनेता इस विद्यालय में अभिनीत करते थे। छात्रो में देश–प्रेम, स्वार्थ–त्याग, आत्म–विकास तथा आत्मोत्सर्ग की उच्च भावनाएं भरते थे। इस विद्यालय के सभी छात्र सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और टोलियां बना बनाकर अपने–अपने मोहल्लों में प्रभात फेरियाँ और जुलूस निकाल कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देकर खादी पहनने का आग्रह करते थे।[6]

बाँदा में स्वराज्य दल की स्थापना

महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के स्थगित करने और अपनी शक्ति व ध्यान को रचनात्मक कार्यक्रम पर केन्द्रित करने से काँग्रेस के नेताओं और अनुयायियों में बहुत विक्षोभ उत्पन्न किया। इस निश्चय के विरुद्ध असन्तोष की अभिव्यक्ति **'स्वराज्य दल'** के निर्माण में हुई, जिसके नेता **चितरंजनदास** और **मोतीलाल नेहरू** थे।[7] देशबन्धु चितरंजनदास ने असहयोग आन्दोलन के समय कारावास अवधि में ही स्वराज्यदल की स्थापना की एक योजना बना ली थी तथा जुलाई 1922 में जेल से मुक्त होने पर उन्होंने **'कौन्सिल प्रवेश'** के पक्ष में प्रचार प्रारम्भ कर दिया।

---

6 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125–126

7 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–96–97 तथा पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास, 1857–1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 157 तथा शर्मा, एस0आर0– आधुनिक भारत का निर्माण, बम्बई, 1974 पृ–335

1922 में काँग्रेस का अधिवेशन **गया** में हुआ।[8] इस अधिवेशन का काँग्रेस के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी कार्यक्रमों तथा नीतियों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। प्रमुख मुद्दा विधान परिषदों और कौन्सिलों के बहिष्कार का था। सरदार पटेल, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ॰ अंसारी तथा राजगोपालाचारी आदि प्रमुख नेता कौंसिल प्रवेश के विरोध में थे।[9] देशबन्धु के कौंसिल प्रवेश के विचार को मोतीलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था।

काँग्रेस के गया अधिवेशन मे सभापति देशबन्धु चित्तरंजन दास ही थे। उन्होंने अपने श्रेष्ठ तर्कपूर्ण भाषण में कहा कि **'हम शेर को उसकी माँद में ही पराजित करेंगे, खर्च की स्वीकृति न देंगे, निन्दा का प्रस्ताव पास करेंगे और सरकारी यंत्र का चलना असम्भव कर देंगे।** देशबन्धु का विचार था कि **व्यवस्थापिका सभाओं में घुस कर विरोध द्वारा सरकार का असहयोग करना, असहयोग कार्यक्रम का ही एक अंग है।**

कौंसिल प्रवेश का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। इसके विपक्ष में 1748 मत पड़ें, जबकि प्रवेश के पक्ष में केवल 890 मत पड़ें। चित्तरंजनदास ने अधिवेशन के अन्दर ही काँग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभापतित्व से त्यागपत्र दे दिया। काँग्रेस के महामंत्री श्री मोतीलाल नेहरू ने भी त्याग पत्र दे दिया। चितरंजनदास ने घोषणा की' **मैं और मेरे साथी विधान परिषदों के बहिष्कार के विरूद्ध है।**' यद्यपि इस समय

---

8 मत्तल, ए0के0–आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), प्रकाशक साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा 1999 पृ–421.

9 चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 235

काँग्रेस का बहुमत उनके विरूद्ध है लेकिन शीघ्र ही बहुमत उनके कार्यक्रम को अपनायेगा।[10]

चित्तरंजन दास के त्यागपत्र के पश्चात् काँग्रेस में दो दल हो गए। एक **परिर्वतनवादी** तथा दूसरा **अपरिवर्तनवादी**।

परिवर्तनवादी

देशबन्धु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो परिवर्तनवादी गुट के थे, उन्होंने भारत के लिए औपनिवेशिक स्तर प्राप्त करने, अंग्रेजी शासन को विधायिका के क्षेत्र में टक्कर देने और अंग्रेजी शासन की साम्राज्यवादी आकांक्षा को कुण्ठित करने के उभय लक्ष्यों की सिद्धि के लिए 1 जनवरी, 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना की।[11] इन नेताओं की योजना यह थी कि 1919 के **माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड** सुधार अधिनियम के अर्न्तगत होने वाले 1923 के चुनाव में भाग लिया जाय, ताकि चुने जाने पर व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर सरकार का विरोध किया जा सकें।[12]

अपरिवर्तनवादी

अपिरवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार पटेल, डॉ. अंसारी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा दूसरे अन्य लोगों ने विधान मण्डलों में जाने का विरोध किया।[13] उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता

---

[10] गुप्ता, एच0डी0 तथा दास, सी0आर0– विल्डर्स ऑफ मॉर्डन इण्डिया पृ – 85

[11] दीक्षित, जगदीशचन्द्र (सम्पादक)–शब्द जिन्होंने प्रेरित किया (पं0 गोविन्द बल्लभपन्त के भाषणों का संकलन, 1924–1929, भूमिका से

[12] मित्तल, ए0के0–आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), प्रकाशक साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा 1999 पृ–421–422

[13] चन्द्रा, बिपिन –आधुनिक भारत, एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990 पृ –205

के बीच काम की उपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी, इसलिए ये लोग चरखा चलाने, चरित्र निमार्ण, हिन्दू–मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा तथा गाँव में और गरीबों के बीच निचले स्तर पर कार्य, रचनात्मक कार्यो पर जोर देते रहे।[14] इनका कहना था कि इससे देश में धीरे–धीरे जनसंघर्ष का एक और दौर तैयार होगा।

1 जनवरी 1923 में बने स्वराज्य दल का प्रथम **'स्वराज्य दलीय सम्मेलन'** इलाहाबाद में हुआ।[15] इस सम्मेलन में दल का संविधान बनाया गया और कार्ययोजना तैयार की गई।[16] इस प्रकार अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियों में अब खुले तौर पर कटुता दृष्टिगोचर होने लगी।[17] कुछ समय पश्चात् मौलाना आजाद जेल से मुक्त हुए और उन्होंने काँग्रेस और स्वराज्यदल में समझौते के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। समझौता कराने के लिए सितम्बर 1923 में काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। मौलाना आजाद इसके सभापति थे। एक तरह का **'अनुमतिसूचक'** प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि **'जिन काँग्रेसियों के विधान मण्डलों में प्रवेश करने में कोई धार्मिक या आत्मिक एतराज न हो, उन्हे छूट दी जाती है कि वे अगामी चुनावों में उम्मीदवार बन कर खड़े हो सकते है या वोट देने का अपने**

---

14 चन्द्रा, बिपिन –आधुनिक भारत, एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990 पृ –205

15 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–97

16 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–97 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–215

17 वही पृ–215–16

अधिकार का प्रयोग कर सकते है।[18] इस प्रकार अब काँग्रेस दो क्षेत्रों में कार्य करने लगी (i) रचनात्मक कार्य तथा (ii) कौंसिल प्रवेश।

राष्ट्रीय क्षितिज पर स्वराज्य दल की स्थापना से बुन्देलखण्ड के अंचलों मे राष्ट्रवादियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा प्राप्त हुई। फलतः यहाँ के जनपदों में स्वराज्य दल की स्थापना की गई। झाँसी नगर मे बिलैया खिड़की के बाहर तथा झाँसी से आठ मील दूर बड़ागाँव नामक स्थान पर स्वराज्य दल का कैम्प लगाया गया। इस कैम्प को **स्वराज्य दल** का नाम दिया गया।[19] इसी आश्रम से बाद में 28 कार्यकर्त्ताओं को बन्दी बना लिया गया।[20]

बाँदा जनपद के लोग भी स्वराज्य दल की स्थापना से प्रेरित हुए। बाँदा के प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता कुँवर हरप्रसाद सिंह ने बाँदा और जनपद हमीरपुर में स्वराज्य दल गठित किया। उनके प्रयास से बाँदा और हमीरपुर के लोगों ने स्वराज्य दल को एक नई स्फूर्त्ति देने वाले संगठन के रूप में देखा। 1923 के कौंसिल के चुनाव में हमीरपुर–बाँदा सीट से बाँदा के लोकप्रिय नेता **कुँवर हरप्रसाद** ने स्वराज्य दल के उम्मीदवार के रूप मे चुनाव लड़े और विजयी हुए।[21]

जनवरी 1924 में कुँवर हरप्रसाद सिह ने संयुक्त प्रान्त की कौंसिल में स्वराज्य दल के सदस्य के रूप में प्रवेश किया। 8 जनवरी 1924 को

---

[18] भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–216

[19] जोशी, ई0बी0–झाँसी गजेटियर, गजेटियर विभाग, लखनऊ, 1965 पृ – 73

[20] वही

[21] अनाशक्त मनस्वी – भगवानदास 'बालेन्दु' अभिनन्दन ग्रन्थ पं0 द्वारिकेश मिश्र (सम्पादक) श्री राम प्रेस झाँसी – 1983 में प्रकाशित पृ – 198 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–70

पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने भी कौंसिल में प्रवेश किया। कुछ ही समय के बाद वे उसमें स्वराज्य दल के नेता हो गये और उस दायित्व का निर्वाह पूरे 6 वर्ष तक किया।[22]

फरवरी 1924 में सोचनीय स्वास्थ्य के कारण कारावास की अवधि पूरी होने के पूर्व ही गाँधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 1924 में गाँधीजी बेलगाँव अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यद्यपि गाँधीजी स्वराज्य दल के कार्यक्रम के पक्ष में नही थे, लेकिन वे इस स्थिति में भी नही थे कि असहयोग आन्दोलन पुनः चला सकें, क्योंकि न तो जनता और न ही नेता इसके लिए तैयार थे। अतः उन्होंने कौसिल प्रवेश पर अपनी मौन अनुमति दे दी। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा **'मैं स्वराज्यवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरूद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता, यद्यपि मैं ऐसी योजना की सक्रिय सहायता नहीं कर सकता, जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं।'**[23]

उन्होंने विदेशी माल के वहिष्कार, हाथ से कताई–बुनाई तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों में बल दिया।[24] स्वराज्यवादियों ने गाँधीजी के कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा इस प्रकार इन दोनों विचार धाराओं के मध्य समझौता हो गया।

इसका फल यह मिला कि फिर हुए चुनाव में स्वराज्य दल के टिकट पर झाँसी से **भगवत नारायण** और जालौन से **श्री मुन्नी लाल**

---

22 दीक्षित, जगदीशचन्द्र (सम्पादक)–शब्द जिन्होंने प्रेरित किया (पं0 गोविन्द बल्लभपन्त के भाषणों का संकलन, 1924–1929, भूमिका से

23 राम गोपाल – भारतीय राजनीति, प्रकाशन – ज्ञानमण्डल, लि0 बनारस (उ0प्र0), 1953 पृ –305

24 सुमन, श्रीरामनाथ–उत्तर प्रदेश में गाँधीजी, प्रकाशन– सूचना विभाग, लखनऊ, 1969 पृ–103

पाण्डेय चुनाव जीते। इन लोगों ने पंत जी के सहयोग से बहुत से प्रश्न बुन्देलखण्ड के विषय में कौंसिल में उठवाये।

एक प्रश्न झाँसी में यूरोपियन सैनिकों द्वारा बलात्कार किए जाने के विषय में था। पं॰ गोविन्द वल्लभ पंत (क) क्या कभी हाल में झाँसी में यूरोपियन सैनिकों द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार की रिपोर्ट आयी है?

(ख) क्या सरकार जाँच के द्वारा प्राप्त तथ्यों से हमें अवगत कराने की कृपा करेगी और निर्णय की एक प्रति हमें प्रदान करेगीं ?

उत्तर देते हुए – राजा सर मुहम्मद अली खां (क) हां

(ख) दो सिपाहियों पर अभियोजन और दोष सिद्ध हुई और उन्हें क्रमशः 6 वर्ष और 3 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।[25]

इसी प्रकार स्वराज्य दल द्वारा एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्या सरकार ने श्री मैथली शरण गुप्त की पुस्तक **"भारत–भारती"** के अन्त में स्थित **"ईश विनय"** को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यह इन प्रदेशों में सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई ? इसके अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने सूचित किया कि **'ईश विनय'** को प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1915 में प्रकाशित हुई थी और अब तक इसके आठ संस्करण आ चुके है।[26]

---

[25] तारांकित प्रश्न सं0 129, दिनांक 8 सितम्बर, 1924

[26] तारांकित प्रश्न सं0 13, दिनांक 23 दिसम्बर, 1925

इन प्रश्नों से पता चलता है कि बुन्देलखण्ड से चुने हुए स्वराज्य दल के सदस्य अपने अधिकार, कर्त्तव्य और क्षेत्र के प्रति कितने सजग रहते थे किन्तु 16 जून 1925 को इस दल के प्रमुख नेता सी॰आर॰दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज्यवादियों को भारी क्षति हुई।[27] कुछ समय बाद इस दल के दूसरे प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू की 6 फरवरी 1931 को मृत्यु हुई। जिससे स्वराज्य दल समाप्त हो गया।[28]

यद्यपि इन नेताओं की मृत्यु से पूरा दल समाप्त हो गया, यह कहना गलत होगा, क्योंकि स्वराज्य दल की आत्मा कभी समाप्त नहीं हुई बल्कि इनकी नीतियां तथा कार्य हमेशा प्रभावी रहे।

मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बाँदा जनपद में भी स्वराज्यदल समाप्त हो गया। बाँदा में स्वराज्यदल के कर्णधार और ध्वजवाहक कुँवर हरप्रसाद सिंह अपने सहयोगियों के साथ काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में एकजुट होकर पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री की सहायता करने लगे।

बाँदा में अग्निहोत्री जी और साथियों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय ज्यादा समय तक नहीं चल सका परन्तु स्वतंत्रता सेनानियों ने हिम्मत नहीं हारी। जनपदीय जनता के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी, जिसके फलस्वरूप युवकों के सहयोग से बाँदा के अन्दरूनी भागों में प्रेरणा पैदा करने के लिए संस्कृत पाठशालाएं स्थापित की गयी। 1923 में **बबेरू** में शिवप्रसाद संस्कृत विद्यालय[29] तथा 1928 में **रासिन** में

---

27 चन्द्रा, बिपिन – माडुर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 236

28 चन्द्रा, बिपिन –आधुनिक भारत, एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990 पृ –206

29 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –242

गोपाल हिन्दू संस्कृत पाठशाला स्थापित हुई।[30] बाँदा मे 1919 में आर्यकन्या स्कूल स्थापित हुआ था, उसमें 1926 में हाईस्कूल तक की व्यवस्था की गई।[31]

खादी का प्रचार व प्रसार

गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में गाँव–गाँव में चरखा और खादी के प्रचार और प्रसार पर बड़ा जोर था। बाँदा जनपद के सभी काँग्रेसी नेता तो असहयोग आन्दोलन के समय से ही खादी के कपड़े पहनने लगे थे। खादी और चरखा को बाँदा के घर–घर तक पहुँचाने का संकल्प **जनपद के गाँधी लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने कर लिया था। अतः इस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के उद्देय से वे गाँधी के पास वर्धा आश्रम में गए। वहाँ से रचनात्मक कार्यक्रमों का निश्चित दिशाबोध ग्रहण किया।[32]

वर्धा से लौट कर अग्निहोत्री जी बाँदा आए और रचनात्मक कार्यो में जुट गये। खादी उनका पहला प्रेम था। स्वंतत्रता प्राप्ति के अभियान के विरूद्ध अंग्रेज समर्थक जो पढ़ा–लिखा था, वे उस समय मजाक उड़ाया करते थे। वे यह कहते थे कि कहीं चरखा चलाने से अंग्रेजी सरकार भाग जायेगी। **कुँवर हरप्रसाद सिंह, पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** और आन्दोलन के नेता गाँव–गाँव का दौरा करते, वहाँ की दशा का अध्ययन करते और राष्ट्रीयता की ज्योति जलाने की अलख जगाते थे। कहीं–कहीं जनता खादी और अहिंसा के उपदेशों को उपहास का अच्छा साधन मान

---

30 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–242

31 वही पृ–241

32 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–62

लेते थे तो इसमें उनका लेशमात्र का भी दोष नहीं था, लेकिन स्वयंसेवक अपनी लगन और उत्साह से इन वाक प्रहारों को सहज रूप से झेल लिया करते थे और अपनी बात को धैर्यता से सबको सुनाते थे।[33]

कुँवर हरप्रसाद सिंह और लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री जी का यह प्रयास रहता था कि बाँदा में बनी खादी की बिक्री भी तीव्र गति से हो जिससे खादी बनाने वाले श्रमिक आर्थिक संकट में न फँसें, दरवाजे–दरवाजे खादी के कपड़ों की गठरी लिये पूरे जिले में अलख जगा रहे थे।

बाँदा की खादी हमीरपुर में भी बेचने की योजना बनी। **कुँवर हरप्रसाद सिंह** काँग्रेस के नेता होने के साथ–साथ बुन्देलखण्ड के नामी–गिरामी वकील भी थे। हमीरपुर–बाँदा क्षेत्र से वे स्वराज्य दल के सदस्य के रूप में कौंसिल के सदस्य भी थे। हमीरपुर में उनके बहुत से मुवक्किल भी थे। हमीरपुर में बाँदा की खादी बेचे जाने का एक रोचक विवरण सेठ बद्री प्रसाद बजाज के आत्मकथा में मिलता है, बद्री प्रसाद बजाज 1925 के कानपुर काँग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर काँग्रेसी हो गए थे। हमीरपुर वापस लौट कर संकल्प को साकार रूप देने में जुट गए। उनके सामने प्रश्न था कि शुद्ध खादी कहाँ से मिले जिसे धारण किया जाए आगे उन्हीं के शब्दों में–

'जहाँ चाह वहाँ राह' की कहावत चरितार्थ हुई। **पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** बाँदा से शुद्ध खादी बेचने हमीरपुर आये। वे अपने साथ बाँदा के महान सेनानी कुँ० हरप्रसाद सिंह एडवोकेट का पत्र

---

[33] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–126

लाए थे, जिसके आधार पर वे सीधे बजाज जी के पास पहुँचे (कुँ० हरप्रसाद सिंह, बद्रीप्रसाद के वकील थे) उन्होंने पिता जी से अनुरोध किया था कि अग्निहोत्री जी की खादी बिकवा दें, किन्तु एक दिन में सारी खादी का बिकवाना सम्भव नहीं था। इस कारण पिता जी ने अग्निहोत्री जी की खादी अपनी दुकान में रखवा ली। आगे वे लिखते है कि लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री बहुत ही त्यागी पुरूष थे। वे अपने पास केवल दो गमछे रखते थे। खाना वे उसी के हाथ का बना खाते जो शुद्ध खादी पहन कर खाना बनाता था। द्रव्य से दूर रहते थे। अग्निहोत्री जी वर्ष में एक बार जरूर हमीरपुर आते थे। वे एम०ए०एल०टी० अध्यापक थे। अध्यापक पद छोड़कर वे देश सेवा में आये थे। वे नंगे पैर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार पूरे वेग के साथ करते थे।[34]

खादी के प्रचार और प्रसार में बाँदा जनपद की स्त्रियाँ भी पीछे नहीं रहीं। वे खुद भी खादी के कपड़े पहनती, चरखे पर सूत कातती और दूसरों को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिये प्रेरित करती। **श्रीमती कंचन कुमारी पत्नी श्री रामप्रसाद सिंह** ने बाँदा के अग्रणी काँग्रेसी नेता **श्री चन्द्रभूषण सिंह चौधरी** की धर्मपत्नी **श्रीमती सुकृता देवी** के साथ–साथ खादी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।[35] **श्रीमती रामादेवी खरे पत्नी श्री रामशरण खरे** ने तो सूत कातने के साथ–साथ कपड़े बुनने के लिये करघा भी अपने घर पर लगवा लिया।[36] **मनका** नाम की

[34] भवानीदीन– वैभव बहे बेतवा धार, प्रकाशक–साहित्य रत्नाकर, गिरीश बाजार, हमीरपुर, 1998 (सेठ बद्री प्रसाद बजाज के हस्तलिखित आत्मकथा के आधार पर उनके जीवनवृत्त को इस कृति में विवेचित किया गया है) पृ – 9

[35] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–147, (24.9.1972 को शशि रस्तोगी को दिया गया साक्षात्कार)

[36] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–151–152

एक बुढ़िया तो सूत कातने में इतनी दक्ष थी कि 80 नं॰ तक का सूत निकाल लेती थी।[37]

पं॰ मातादीन शर्मा भी 1922 में जेल से छूटने के पश्चात् खादी उत्पादन में लग गये। उन्होंने मटौंध में एक खादी केन्द्र खोला। यहाँ अच्छा और महीन सूत काता जाता था।[38]

मुं0 मथुरा प्रसाद खरे, कुँवर हरप्रसाद सिंह के मोहर्रिर थे उन्होंने आपको निर्देश दे रखा था कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में कारागार से बाहर रह कर ही आन्दोलनों का संचालन करें। आपको खादी का प्रचार और प्रसार सौंपा गया। फलतः आपने बाजार में खादी की दुकान खोल ली और इसके प्रचार में लगे रहें।[39]

गौरीखानपुर, मजरा हरदौली, बबेरू के देशभक्त **गज्जू खाँ** का खादी प्रचार का अपना अलग ही ढंग था। आन्दोलन के समय दौरे पर निकलने के लिये आपका छोटा वाहन (टट्टू) था, जिस पर खादी का गट्ठर लदा रहता था और आप गाँव–गाँव गाँधी जी की अलख जगाया करते थे तथा घूम–घूम कर काँग्रेस के मेम्बर बनाते थे।[40]

समय के साथ जनपद में काँग्रेस एक शक्तिशाली दल के रूप में उभरी। यहाँ के लोगों ने गाँधी जी के आन्दोलन को बाँदा जनपद की

[37] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–56
[38] विही, पृ–105
[39] वही, पृ–88
[40] वही, पृ–100

विभिन्न तहसीलों में तीव्र गति से संचालित किया। **पं॰ गोदीन शर्मा** द्वारा कर्वी में **तिलक आश्रम** की स्थापना की।[41]

काँग्रेस के प्रति जनता इतनी जागरूक हो गई थी कि 1925 के जिला बोर्ड के चुनाव में ठाकुर जुगुल किशोर सिंह सरकार समर्थित उम्मीदवार को हराकर चेयरमैन निर्वाचित हुए।[42] अब काँग्रेस की जड़े ग्रामीण क्षेत्रों में भी दृढ़ता से जमने लगीं। राष्ट्रीय विचारधारा वाले युवकों को जिन्होंने असहयोग आन्दोलन में विद्यालय छोड़ दिया था, उनको जुगुलकिशोर सिंह ने जिला बोर्ड में लिपिकों के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ अध्यापकों को फिर से जिला बोर्ड की सेवा में ले लिया गया। ये छात्र और अध्यापक स्वराज्य की चेतना को जनपद के सभी दिशाओं में प्रस्फुटित करने लगे।[43]

1928 में कुँवर हरप्रसाद सिंह जिला बोर्ड के चेयरमैन निर्वाचित हुए। उन्होंने सर्वप्रथम जिले में निःशुल्क प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना के बजट पारित कर सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने इस प्रस्ताव को बहुत घातक समझा और तोड़–फोड़ की नीति से कुँवर साहब को अध्यक्ष पद छोड़ने पर विवश कर दिया किन्तु कुँवर साहब का व्यापक प्रभाव सम्पूर्ण जनपद पर पड़ चुका था और जिला बोर्ड के अध्यापक आने वाले आन्दोलनों के उपयुक्त भूमि तैयार करने लगे थे।

---

[41] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–92

[42] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100

[43] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–126

इस प्रकार सन् 1930–31, 32 में अनेक छात्रों और अध्यापकों ने त्यागपत्र देकर पढ़ना–पढ़ाना छोड़ कर आन्दोलनों में भाग लिया।[44]

क्रान्ति के बाद लगभग बीस–पच्चीस वर्ष तक तो समाचार पत्र ही विचारों के मुख्य साधन थे। ब्रिटिश साम्राज्य की पुष्टि, भारत सरकार की नीति का समर्थन तथा भारत में रह रहे यूरोपियनों और ऐंग्लों इण्डियनों का गौरव, हित तथा व्यापार की रक्षा और वृद्धि इन ऐंग्लों इंडियन पत्रों का मुख्य लक्ष्य था। ये देश की राजनैतिक प्रगति में बाधक थे। प्रगतिशील भारतीय पत्रकारों के लिए उनसे टक्कर लेना आसान नहीं था।

सत्याग्रही-पत्र का प्रकाशन

जनता में जागृति, और स्वतन्त्रता आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए बाँदा से **''सत्याग्रही''** पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रारम्भ में इसका कार्यभार **रामनाथ विशारद[45], मथुरा प्रसाद खरे[46]** तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के हाथ में रहा। धीरे–धीरे यह पत्र और मुखर होता गया। देश में घटित हो रही सशस्त्र क्रान्ति के समाचार छापकर आग उगलने लगा।[47]

पुलिस प्रशासन छापने वाली मशीन और सत्याग्रही पत्र की अद्यतन प्रकाशित प्रतियां प्राप्त करने में असफल होकर बौखला रहा था। सत्याग्रही

---

44 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–127

45 रामनाथ गुप्त विशारद आत्मज बल्देवप्रसाद, क्रान्किारी, पत्रकार, निवासी, कैलासपुरी, बाँदा, 1921 मे 6 माह की कैद व 500 रू0 जुर्माना

46 मथुराप्रसाद खरे निवासी बाँदा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के सूत्रधार। आर्यसमाजी, बाँदा में नागरी प्रचारणी
पुस्तकालय (दयानन्द पुस्तकालय), के संस्थापक, 1942 में भारत छोड़ों आन्दोलन में जेल गए।

47 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–62

साइक्लोस्टाइल मशीन पर छाप कर वितरित किया जाता था। गुप्तचर विभाग पूर्ण रूप से जागरूक और सक्रिय था तथा साइक्लोस्टाइल मशीन की तलाश में घरों में छापा डाल रहा था परन्तु हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। इसका कारण यह था कि प्रतिदिन मशीन नए स्थान पर स्थानान्तरित कर दी जाती बल्कि कभी दूर–दराज के इलाके जैसे कर्वी आदि से **'सत्याग्रही'** छपता। 'सत्याग्रही' के छापने, बँटवाने आदि में बड़े, बूढ़े, बच्चे, स्त्री तथा अपंग लोग भी लगे थे।

नगर में **गोपाल जी खरे** जो अन्धे थे, चुपचाप दुकानों में **'सत्याग्रही'** अखबार बाँट आया करते थे।[48] बाँदा की नारियां भी सत्याग्रही से जुड़ी थी। एक दिन सत्याग्रही **कालूराम वैद्य** के घर में छपा। कालूराम की पुत्री **सुभद्रा देवी** स्वयं अखबार छापा करती थी। एक दिन पुलिस को पता चला कि इनके घर में मशीन है, दरोगा सहित कुछ पुलिस आए, सिपाहियों ने घर की तलाशी लेनी चाही। इस पर सुभद्रा देवी ने निर्भीकता पूर्वक कहा कि तलाशी तो ले लो परन्तु जो समान जहाँ से उठाये, उसे वैसे ही रख दें। सिपाहियों ने गेहूँ के बोरे तक खोल–खोल कर देखा परन्तु मशीन का कहीं पता न चला। मशीन उसी घर में रखी रही जहाँ महरी बर्तन माँजती थी। दरोगा स्वयं उस मशीन के ऊपर खड़ा रहा। घर की तलाशी 8 बजे रात तक चलती रही परन्तु मशीन का कहीं पता नहीं चल सका।[49]

---

[48] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–138

[49] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, (सुभद्रा देवी का शशि रस्तोगी को दिनांक 25 सितम्बर 1972 को दिया गया साक्षात्कार) पृ–147

''सत्याग्रही'' की अब केवल एक प्रति ही उपलब्ध है, उसमें छपी एक कविता से पता चलता है कि वह किस प्रकार से बाँदा की जनता को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये उत्साहित और उत्तेजित करता था।

'रण निमंत्रण'

आओं-आओं समर भूमि के प्यारे मातृभूमि के लाल,
बीती-बीती दु:खद यामनी उदित अस्त निज भाग्य विशाल।
देखों रण में अत्याचारी का फहराता लाल निशान,
सुनो क्षेत्र में रणहुंकारे सैनिक सदल सहित अभिमान।
निकट आ रहे वध करने को बनिता, बान्धव एवं बाल,
जननी जन्म भूमि रक्षा हित वीरों कर में लो करवाल।
वसुन्धरा से वैरी दल को हमको शीघ्र मिटाना है,
रणहित शीघ्र सुसज्जित होकर आगे कदम बढ़ाना है ।
ये दलवल स्वदेश विद्रोही अधम निरंकुशता के दास,
ये हथकड़िया और बेड़ियां महा भंयकर यम के पास।
किसके लिये मातृ वसुधा हित भरे जननी के अर्थ,
कैसी दासता विषम कल्पना की सुत है क्या असमर्थ।
निर्बल है हम किन्तु दासता हेतु झुकें क्या अपने भाल ?
जननी जन्म भूमि की रक्षाहित वीरों कर में लो करवाल।
क्या ये देश शत्रु परदेशी देश विधान बनायेंगे,
धिक! क्या रण में वीर सैन्य से क्रान्ति दास नए पायेंगे।
हम रणकौशल दिखलायेंगे अगर यदि मारे जायेंगे,
उनके चरण चिन्ह अनुरागी हम निज शान दिखायेंगे,

जीवन तन का प्यार नहीं है, जननी जन्म भूमि का प्यार ।
मातृ-भूमि की बलि वेदी पर हँस-हँस के होंगे बलिदान ,
आदि कराल काल के मुख में अथवा विजय विभूषित भाल।
जननी जन्म भूमि की रक्षाहित वीरों कर में लो करवाल,
वसुधम् ओ प्यारी स्वतन्त्रते।[50]

कवि की सुरक्षा हेतु सम्पादक ने उसका नाम नहीं दिया है।

सत्याग्रही–पत्र का प्रकाशन करने के कारण **सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद इन्होंने पुनः सत्याग्रही का प्रकाशन किया। जिसके फलस्वरूप 1932 में पुनः गिरफ्तार कर लिये गए और एक वर्ष का कठोर कारावास मिला।[51] **रामसेवक खरे** और **गोकुल भाई** को प्रेस एक्ट में दो वर्ष की सजा मिली पर अपील पर 2 वर्ष की सजा रद्द हो जाने पर दोनों 6–6 माह का दण्ड भुगत कर छूट गये।[52] **दीनदयाल गुप्त** पुत्र बुद्धू निवासी पलारा तहसील बाँदा को भी प्रेस एक्ट में 3 माह कैद की सजा मिली।[53] **बद्री प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद** निवासी नरैनी, बाँदा ने भी प्रेस एक्ट की धारा 52 के अर्न्तगत 3 माह की सजा पायी।[54]

---

[50] 'सत्याग्रही विशेषांक' –बुधवार 3 दिसम्बर, 1930 (बाँदा से प्रकाशित)
[51] भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–135
[52] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–136
[53] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–101–102
[54] वही पृ–106

'बुन्देलखण्ड केशरी' पत्र का प्रकाशन

हमीरपुर जनपद के प्रमुख काँग्रेसी नेता दीवान शत्रुघ्न सिंह गुप्त रूप से "बुन्देलखण्ड केशरी" को आर्थिक मदद देते थे। पुलिस की सख्ती के कारण "बुन्देलखण्ड केशरी" बाँदा से चोरी–चोरी छपने लगा। दीवान साहब "बुन्देलखण्ड केशरी" और "सत्याग्रही" दोनों की आर्थिक मदद करने लगे। **श्याम बिहारी मिश्र** हमीरपुर से आकर बुन्देलखण्ड केशरी का प्रकाशन देखने लगें। दीवान साहब गिरफ्तार हो गये थे। मिश्र जी ने "बुन्देलखण्ड केशरी" और 'सत्याग्रही' में एक लेख जिसका शीर्षक **"दीवान साहब कठघरे में"** छापा, जिससे बाँदा क्या पूरे बुन्देलखण्ड में अभूतपूर्व उत्साह और राजनीतिक चेतना जागृत हुई।[55] तभी से दीवान साहब "बुन्देलखण्ड केशरी" कहे जाने लगे। महोबा के **बल्देव प्रसाद गुप्त** पुत्र गंगाप्रसाद भी बाँदा आकर "सत्याग्रही" से जुड़ गये। उनको भी प्रेस एक्ट के तहत 10 माह की सजा हुई।[56]

असहयोग के एकाएक वापस ले लिए जाने से उत्साहित युवकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अहिंसक विचार धारा से उनका विश्वास उठने लगा और अन्य विकल्प की तलाश मे लग गए। कुछ लोगों ने मान लिया कि सिर्फ हिंसात्मिक तरीके से ही आजादी हांसिल की जा सकती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का तीव्र प्रतिरोध झाँसी में **लक्ष्मीबाई**, ललितपुर में **मर्दनसिह** जालौन में **ताईबाई** तथा बाँदा में **नबाब अलीबहादुर** ने किया था। इस क्षेत्र की जनता ने काँग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन में अपना योगदान दिया तो दूसरी ओर क्रांतिकारियों की हर सम्भव मदद की।

---

[55] भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–139

[56] वही पृ–141

खुले राजनीतिक आन्दोलनों के अलावा 20वी सदी के पहले दशक में देश के विभिन्न भागों में अनेक क्रान्तिकारी संगठन भी बने। मुख्यतः बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में सक्रिय इन आरंभिक क्रांतिकारियों की संवैधानिक आन्दोलनों में कोई आस्था नहीं थी। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश अधिकारियों को आतंकित करके वे पूरे सरकारी तंत्र का मनोबल तोड़ सकेंगे और इस तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे।

हमीरपुर जनपद की राठ तहसील में जन्में **पं॰ परमानन्द** भी क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत थे। उन पर 1915 में लाहौर षडयंत्र केस का मुकदमा चला, जिसमें उन्हें 1917 मे फाँसी की सजा को बदल कर आजीवन कारावास का दण्ड देकर अण्डमान द्वीप भेज दिया गया।[57] बुन्देलखण्ड के बहुत से युवकों के वे प्रेरणा—स्रोत थे।

हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रभाव

अक्टूबर 1924 में क्रान्तिकारियों ने 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' की स्थापना की।[58] इसी के सदस्यों नें काकोरी ट्रेन डकैती काण्ड को अंजाम दिया था। जिसमें जालौन जिले के वीरभद्र तिवारी भी शामिल थे। इस केस में शचीन्द्र नाथ लहरी, अशफाकउल्ला खाँ तथा रामप्रसाद विस्मिल को फाँसी की सजा मिली।

यह वह समय था जब क्रान्तिकारी पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। बाँदा जनपद का जंगली, पहाड़ी क्षेत्र

[57] शर्मा, यज्ञदत्त (संयोजक)—बुन्देलखण्ड समग्र, प्रकाशक— अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बुन्देलखण्ड राजकीय संग्रहालय (झाँसी), उ0प्र0, बुन्देलखण्ड 1998, पृ—10

[58] चन्द्रा, बिपिन — माडुर्न इण्डिया, प्रकाशक — एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ — 240

क्रान्तिकारियों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र था। शायद इसी कारण बनारस के **गोकुल भाई** बलिया के **श्री भगवान भाई**, महोबा के **रामसेवक खरे, प्रेमनारायण त्रिपाठी** उर्फ **सरदार प्रेम सिंह** तथा विम्बार निवासी **राधेश्याम मिश्र** ने बाँदा जिले को अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए ठीक समझा।[59] बाँदा के **मिथिला शरण शिवहरे**, **जगन्नाथ भाई**, **महादेव** भाई भी क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल हो गये।[60]

1928 में चन्द्रशेखर आजाद द्वारा दल का नाम बदल कर **"हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन"** कर दिया गया।[61] चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, राजगुरू आदि के नेतृत्व में क्रान्तिकारी संघर्ष चरम पर पहुँच गया था। बाँदा के **मिथिलाशरण** ने 1926–27 में क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गए। इन्होंने बनारस, कानपुर, कलकत्ता, बिहार, लखनऊ, मेरठ और झाँसी के क्रान्तिकारियों से विस्तृत सम्पर्क करके **यूथ लीग**, तथा **नौजवान भारत सभा** के लिए कार्य किया।[62]

आजाद की प्रेरणा से एक नये स्थानीय क्रान्तिकारियों का दल बना। जिसके नेता हमीरपुर के विम्बार गाँव के **राधेश्याम मिश्र** थे। इनको लोग **भाई** कहते थे। इस दल की शाखायें क्रमशः **'स्वतंत्र भारत सैन्य दल'**, **'स्वतंत्र भारत समिति'** नाम से झाँसी, ग्वालियर, पूना, नागपुर, हमीरपुर, महोबा, बाँदा तथा कानपुर में थी। दल का सम्पर्क

---

[59] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–60, 108, 128

[60] वही

[61] चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 240

[62] शर्मा, यज्ञदत्त (संयोजक)–बुन्देलखण्ड समग्र, प्रकाशक– अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बुन्देलखण्ड राजकीय संग्रहालय (झाँसी), उ0प्र0, बुन्देलखण्ड 1998, पृ–12

गणेश शंकर विद्यार्थी, आजाद, योगेन्द्र नाथ शुक्ल तथा बाँदा के मिथिला शरण से था।[63]

1935 में बलिया से प्रेषित एक तार के आधार पर बाँदा के देशराज सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। **देशराज सिंह** के पास एक रिवाल्वर तथा गुप्त लिपि रूप में लिखी डायरी बरामद हुई। डायरी के आधार पर वाराणसी तथा मध्य प्रदेश के बहुत से स्वतन्त्रता सेनानियों पर **"बलिया षडयंत्र काण्ड"** के नाम से मुकदमा चलाया गया तथा अधिकांश स्वतन्त्रता सेनानी दण्डित किये गये।[64]

बाँदा में **मिथिलाशरण** का घर क्रान्तिकारी गतिविधियों का केंन्द्र होता था परन्तु गुप्तचरों की निगाह में आ जाने पर दल की योजनाएं नागरी प्रचारिणी पुस्तकालय बाँदा से **गोकुल भाई** द्वारा संचालित होने लगी। कुछ समय बाद वहाँ से भी अड्डा हटाना पड़ा। अब क्रान्तिकारियों का अड्डा **महेश्वरीदेवी मंदिर** के पीछे क्रान्तिकारी **महादेव भाई के घर** पर बना। 1942 के आन्दोलन में भी महादेव भाई का घर क्रान्तिकारियों का केन्द्र बना।[65] महादेव भाई की पत्नी भी क्रान्तिकारियों के साथ थी।

बाँदा जनपद की सीमा देशी राज्यों से जुड़ी थी। देशी राज्यों से क्रान्तिकारियों को अस्त्र–शस्त्र आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इस दौरान हिन्दुस्तान रिपब्लिक आर्मी के कमांडर–इन –चीफ चन्द्रशेखर

---

63 शर्मा, यज्ञदत्त (संयोजक)–बुन्देलखण्ड समग्र, प्रकाशक– अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बुन्देलखण्ड राजकीय संग्रहालय (झाँसी), उ0प्र0, बुन्देलखण्ड 1998, पृ–14

64 वही, पृ–15

65 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–104, 150

आजाद गुप्त रूप से बाँदा आये।[66] बाँदा के क्रान्तिकारियों ने उनको धन, आर्म तथा अम्यूनीशन प्राप्त करने में पूरी सहायता की।[67]

गुप्तचर विभाग की डायरी में बाँदा के क्रान्तिकारियों की प्रतिदिन की गतिविधियाँ दर्ज की जाने लगी थी। इस डायरी से उनके निम्नलिखित क्रिया–कलापों का पता चलता है।

'9 अप्रैल 1930 –झंडा यानी जुलूस निकला। शहर भर घूमा। प्राइवेट मीटिंग हुआ। पुस्तकालय (नागरी प्रचारिणी, बाँदा में) सेठ विष्णुकरण, मास्टर नारायण प्रसाद, मोतीलाल अग्रवाल, मिथिला ने वालिन्टियर भेजने का तय किया (देहातों में प्रचार के लिए) बाबा महावीरदास, प्रेमसिंह महोबा (पं॰ प्रेमनारायण त्रिपाठी) जो यहाँ प्रेमसिंह के नाम से जाने जाते थे। दनकू (टेलर मास्टर बाँदा) बाद में जिसने आर्य समाजी होने के नाते अपना नाम कुँ॰वेदसिंह रख लिया। रामसेवक खरे महोबा, गोपाल भाई हमीरपुर (रामगोपाल गुप्त, मौदहा) भानू सिंह (भतीजा कुँ॰ हरप्रसाद सिंह, बाँदा) श्याम बिहारी मिश्र, बाँदा'।

10 अप्रैल 1930 – सुबह जत्था अतर्रा की तरफ गया। मिथिला महोबा गए, कपिलदेव हमीरपुर से आए, रात को वह पुनः वापस चले गए, 24 मई 1930 – मिथिला गिरफ्तार किए गए, 7 जून 1930– मिथिला कानपुर भेजे गए, 25 जून 1930– मिथिला जजी से जमानत पर रिहा हुए।[68]

---

[66] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–63
[67] वही
[68] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, (बाँदा गुप्तचर की डायरी 1930) पृ–109

गुप्तचर विभाग के सांकेतिक नम्बरों में मिथिलाशरण पुत्र गंगादीन कलार का नम्बर 58 था तथा विभागीय संख्या 84 थी।[69]

बुन्देलखण्ड के क्रान्तिकारियों पर चन्द्रशेखर आजाद को अगाध विश्वास था। इसी कारण दिल्ली पार्लियामेन्ट के बम विस्फोट काण्ड में फरार होने के बाद झाँसी में बहुत समय तक रहें। गुप्तचर विभाग को उनके झाँसी में रहने की भनक लगी, वे तालबेहट, कुलपहाड़ होते हुए बाँदा आए और ज्योतिष के रूप में हस्तरेखा विशारद बन कर नगर के विभिन्न भागों में अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। बाँदा के गोपी नेता मास्टर नारायण प्रसाद और मास्टर रामनाथ विशारद आदि स्थानीय क्रान्तिकारी उनका सहयेाग करते रहें।[70]

आजाद ने राजाराम रूपौलिया पुत्र शिवनाथ निवासी अतर्रा के यहां भी रहे। इस अवसर पर बाबा महावीरदास निवासी जमरेई, बाँदा, तथा गया प्रसाद भी उनके साथ–साथ बरौड़ा रियासत के एक गाँव से क्रान्तिकारी कार्यो हेतु शस्त्र खरीदने भी गये।[71]

क्रान्तिकारी आन्दोलन पूरे देश में कही भी सफल नहीं हो सका। चन्द्रशेखर आजाद की इलाहाबाद में शहादत के बाद बाँदा के क्रान्तिकारी आन्दोलन में विराम लग गया। लेकिन जितने समय तक बाँदा के क्रान्तिकारी सक्रिय रहे उनका शौर्य, बलिदान, पौरूष, कर्मठता एवं

---

[69] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–109, 178
[70] वही, पृ–136
[71] वही, पृ–75, 166

देश–प्रेम अभिनन्दनीय है। बाँदा के **"सत्याग्रही"** में क्रान्तिकारियों की भावना यों परिलक्षित हुई है –

शहीदों के खूं का असर देख लेना।
मिटायेंगे जालिम का घर देख लेना।।
किसी के इशारे के हम मुन्तजिर है।
बहा देंगे खूं की नहर देख लेना।।
खुजन्दी हुआ है, हिन्द आजाद अपना।
छपेगी ये एक दिन खबर देख लेना।।[72]

अन्य राष्ट्रीय घटनाओं का जनमानस पर प्रभाव

1922 में खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद से लेकर 1926 की मध्य तक भारत में कोई ऐसा आन्दोलन नही चला, जिसको राष्ट्रीय आन्दोलन कहा जाय। क्रान्तिकारी आन्दोलन को कठोरता से दबा देने में भी सरकार सफल हो रही थी लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और भी घटित हो रहा था, जिसकी ओर देश की निगाहें थी। उसमें एक गुजरात का **बारदोली सत्याग्रह** था।[73] महात्मा गाँधी की सहमति से सरदार पटेल ने इस आन्दोलन को बुलंन्दियों तक पहुँचा कर दमनकारी शासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। आन्दोलन की सफलता से जनमानस की मस्तिष्क में गाँधी जी की नीतियों में एक बार फिर विश्वास जागा।[74]

---

72 'सत्याग्रही विशेषांक' –बुधवार 3 दिसम्बर, 1930 (बाँदा से प्रकाशित)

73 मित्तल, ए0के0–आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), प्रकाशक साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा 1999 पृ–427.

74 वही.

असहयोग आन्दोलन स्थगित हो जाने के कुछ ही समय पश्चात् हिन्दू–मुस्लिम एकता खण्डित हो गई थी। 1926 में कलकत्ता में भी भीषण दंगा हुआ। गाँधी जी ने देशवासियों के दुष्कर्म का प्रायश्चित करने के लिए 21 दिन का उपवास किया, जिससे शान्ति स्थापित हुई। जन–मानस पर गाँधी जी का प्रभाव फिर से बढ़ गया था। जनता उनके पीछे–पीछे उनके द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के आदर्शों पर चलने को पुनः तैयार हो गयी थी।

देश में 1927–28 के वर्षों में युवकों में जागृति दृष्टिगोचर हुई। अनेक स्थानों पर मजदूरों ने हड़ताल की। बम्बई में कपड़े की मिलों, कलकत्ता मे पटसन के कारखानों और जमशेदपुर के लोहे के व्यवसाय में इन हड़तालों का विशेष जोर रहा।[75] बम्बई के कपड़ा मिलों की हड़ताल का नेतृत्व कुछ शिक्षित साम्यवादियों ने किया।

सरकार इससे बहुत घबरा गई। उसने देश के साम्यवादियों को गिरफ्तार करके उन पर सरकार के विरूद्ध षडयंत्र रचने के अभियोग में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा मेरठ में चला था, इस कारण इसे **मेरठ षडयंत्र केस** के नाम से जाना जाता हैं।[76] इस मुकदमे के परिणामस्वरूप 26 व्यक्तियों को कारावास की विभिन्न अवधियों का दण्ड मिला।[77] जिनमें

[75] सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–110

[76] चन्द्रा, बिपिन – माडुर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 243

[77] वही

झाँसी के **कामरेड अयोध्या प्रसाद**[78] एवं **लक्ष्मण राव कदम**[79] भी थे।[80]

1927 में मद्रास के अधिवेशन में काँग्रेस के ध्येय के रूप में **''पूर्ण स्वराज्य''** के प्रस्ताव का पास होना और नेहरू रिपोर्ट का इस आधार पर विरोध कि इसने भारत के लिये **''औपनिवेशिक स्वराज्य''** की माँग की है, यह दोनों घटनायें **''वामपक्षी''** मनोवृति की द्योतक है।[81]

बारदोली सत्याग्रह, मजदूरों की हड़तालें वाम विचारधारा में आशा की एक किरण तो थी लेकिन सम्पूर्ण भारत में नजर दौड़ाने पर 1927 में राष्ट्रीय आन्दोलन निम्नतर स्तर पर था। इस समय हिन्दू–मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अतः दोबारा राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ करने की दिशा में सोचा भी नही जा सकता था[82], परन्तु इसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कार्य किया जिससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की गति में तीव्रता आ गई और इसे नव–जीवन प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन का यह कार्य 8 नवम्बर, 1926 ई॰ को जाँच कमीशन की नियुक्ति की घोषणा थी, जिसने भारत में अपूर्व राजनीतिक आन्दोलन को जन्म दिया।[83]

---

78 अयोध्या प्रसाद– जन्म 1906 मऊरानीपुर, झाँसी। मेरठ षडयंत्र केस से सम्बन्धित थे। इस सम्बन्ध में 1928 में गिरफ्तार हुए और 1934 तक जेल में रहे। 1934 में फिर पकड़े गए और देवली जेल भेजे गए जहाँ 1942 तक रहे।

79 लक्ष्मणराव कदम– आत्मज नारायणराव कदम जन्म 1901 ग्राम खेड़ा, जिला झाँसी। होमरूल में 1916 में भाग लिए 1920 में असहयोग में सक्रिय रहे और टिकट कलेक्टर पद से इस्तीफा दिए। 1929 में मेरठ षडयंत्र केस में पकड़े गए। 3 वर्ष की कैद मिली, 1933 में हाइकोर्ट में अपील करने पर छोड़े गए।

80 शर्मा, यज्ञदत्त (संयोजक)–बुन्देलखण्ड समग्र, प्रकाशक– अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बुन्देलखण्ड राजकीय संग्रहालय (झाँसी), उ0प्र0,
बुन्देलख्ण्ड 1998, पृ–12

81 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–112

82 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 176

83 वही

साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया

भारतीय शासन अधिनियम 1919 की धारा 84 के अधिनियम की क्रियान्वयन के 10 वर्ष पश्चात् भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति की जाँच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति होनी थी क्योंकि ये सुधार 1921 में लागू किये गये थे, इसलिए आयोग की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी या अधिक से अधिक जल्दी करके 1929 में होनी चाहिए थी, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय **लार्ड इरविन** ने 8 नवम्बर 1927 को ही एक कमीशन नियुक्त कर दिया।[84] इस कमीशन के चेयरमैन लिवरल पार्टी के सदस्य **जॉन एल्सब्रूक साइमन** बने[85]। इस कारण इस कमीशन को **साइमन कमीशन** कहा जाता है। जॉन साइमन पेशे से वकील थे तथा 1906 में पहली बार **हाउस ऑफ कामन्स** के सदस्य चुने गए थे।

ब्रिटिश शासन द्वारा समय पूर्व इस आयोग की नियुक्ति का कारण **माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड** सुधारों की जाँच की भारतीय माँग के प्रति ब्रिटिश शासन की उदारतापूर्ण रियायत बताया गया किन्तु वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा समय से पूर्व ही इस आयोग के गठन के कारण कुछ और ही थे।

वस्तुतः ब्रिटिश राजमर्मज्ञों के मन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। अनुदार दलीय सरकार 1926 में भारत में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति से लाभ उठाना चाहती थी। वह चाहती थी कि

---

84 सिन्हा, एस0एन0–निदेशक यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स, लखनऊ, साइमन कमीशन इन यू0पी0(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ II

85 वही

भारतवासियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में इस आयोग की घटिया राय बने। 1929 में इंग्लैण्ड में आम चुनाव होने वाले थे। अनुदारदलियों को हार जाने का डर था। लेबर दल की जीत निश्चित दिख रही थी। इसलिए मौजूदा सरकार नही चाहती थी कि लेबर दल इस स्थिति को सँभाले। उन्हें आशंका थी कि शायद लेबर दल के हाथों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हित सुरक्षित न रह पाएं। ब्रिटिश राजनीतिक इस आयोग को सौदेबाजी के मंच के रूप में प्रयुक्त करके स्वराज्य पार्टी का विघटन करवा देना चाहते थे।

भारत में युवक संगठन, मजदूर संगठन शनैः शनैः शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिन पर रूसी क्रान्ति, समाजवादी विचारों एवं वामपंथी विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव था। इन कठिन परिस्थितियों में काँग्रेस द्वारा जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस के सुझाव पर एक ऐसा आन्दोलन जो भड़क उठने वाले अर्द्धशिक्षित युवकों को अदम्य शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता, शुरू करने की चतुराई के कारण और विकट हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस जाँच आयोग की नियुक्ति शीघ्र करने के लिये पार्लियामेण्ट की मंजूरी प्राप्त की।[86]

ब्रिटिश सरकार ने साइमन को यह कार्य सौंपा कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में पता लगाये कि सरकार कैसी चल रही हैं। प्रतिनिधि संस्थाए कहाँ तक सही कार्य कर रही है। राजनीतिक चेतना का कहाँ तक विकास हुआ है। उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को किस रूप में अपनाया जाए और इसमें किस प्रकार के अन्य परिवर्तन किया जाए।[87]

---

[86] कीथ, ए0बी0– ए कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (1600–1935), लन्दन, 1935, पृ – 288

[87] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 178

साइमन कमीशन के सदस्यों में **दो लेबर दल, एक लिबरल दल** तथा **चार अनुदार दल** के थे।[88] आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे।[89] यद्यपि आयोग से यह आशा की गई थी कि वह भारत का भावी संविधान बनायेगा, लेकिन एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया।[90] इस आयोग में भारत के एक भी सदस्य का न होना भारतीयों का अपमान और तिरस्कार माना गया। किसी भी भारतीय को आयोग में शामिल न करने का कारण यह बतलाया गया कि '**इस आयोग को अपनी रिपोर्ट संसद को देनी है। अतः संसद सदस्यों के अलावा और कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता**' लेकिन यह एक झूठा बहाना था क्योंकि उस समय दो भारतीय ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। **लार्ड सिन्हा हाउस ऑफ लार्ड** के तथा **श्री सकलातवाला हाउस आफ कामन्स** के सदस्य थे।[91]

कमीशन के प्रति भारतीयों में क्षोभ उत्पन्न होना नितान्त स्वभाविक था। कमीशन के प्रति क्षोभ प्रकट करने में काँग्रेस द्वारा पहल की गई। काँग्रेस ने दिसम्बर 1927 के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता डॉ॰ अंसारी कर रहे थे, निश्चय किया कि साइमन कमीशन का हर स्तर पर,

---

[88] सिन्हा, एस0एन0–, साइमन कमीशन इन यू0पी0(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ– I

[89] चिन्तामणि, सी0वाई0–इण्डियन पॉलीटिक्स सिन्स म्यूटिनी, (इलाहाबाद 1941) पृ – 171

[90] शुक्ल, रामलखन– आधुनिक भारत का इतिहास, प्रकाशक–हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई0ए0/6मॉडल टाउन, दिल्ली 1987 पृ–564 तथा चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 244 तथा अर्जुनदेव सभ्यता की कहानी, भाग–II प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण – 1990, पृ 445

[91] सिन्हा, एस0एन0–, साइमन कमीशन इन यू0पी0(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ– I

हर प्रकार से बहिष्कार किया जाए[92]। इस सम्बन्ध में काँग्रेस का प्रस्ताव इस प्रकार था–

"ब्रिटिश सरकार ने भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार की पूरी उपेक्षा करके एक **शाही कमीशन (Royal Commission)** नियुक्त किया है, अतः यह कांग्रेस निश्चित करती है कि भारत के लिए आत्म–सम्मान हेतु एक मात्र माँग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में हर प्रकार से बहिष्कार करें।" भारत के अन्य राजनीतिक दलों ने भी कमीशन का बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि "**कमीशन की योजना सर्वथा अमान्य है और किसी सदस्य को इससे किसी भी स्तर अथवा किसी भी रूप में कोई सरोकार नहीं है।**"[93] मिस विलकिन्सन के अनुसार "**जलियांवाला बाग की दुःखान्त घटना के बाद सारे देश में जितनी इस कमीशन की निन्दा की गयी, उतनी अँग्रेजों के किसी काम की नहीं हुई।**"[94] तेज बहादुर सप्रू की लिबरल फेडरेशन, हिन्दू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना की मुस्लिम लीग आदि ने बहिष्कार का समर्थन किया।[95] कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में

---

[92] भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द–भारतीय इतिहास कोष, प्रकाशक–उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन, हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ,1976 पृ – 467 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–221

[93] नेहरू, मोतीलाल– व्हाइस ऑफ फ्रीडम, पृ – 335

[94] रामगोपाल–भारतीय राजनीति, प्रकाशन–ज्ञानमण्डल, लि0 बनारस (उ0प्र0), 1953 पृ–329

[95] शुक्ल, रामलखन– आधुनिक भारत का इतिहास, प्रकाशक–हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई0ए0/6मॉडल टाउन, दिल्ली 1987 पृ–564 तथा नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ– 178 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–221

कमिटियां बनाई गई, वह जहाँ भी जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सकें।[96]

साइमन कमीशन का आगमन भारत में दो चरणों में हुआ। पहले चरण में वह बम्बई 3 फरवरी, 1928 को आकर 29 मार्च, 1928 को वापस लौट गया। दूसरे चरण में वह 11 अक्टूबर, 1928 को आकर 13 अप्रैल 1929 को वापस लौटा।[97]

3 फरवरी 1928 को जब आयोग बम्बई में आकर उतरा तो बम्बई सहित पूरे भारत में हड़ताल रखते हुए कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया।[98] इसके पश्चात् साइमन कमीशन जहाँ भी गया, वहाँ भारतीय जनता ने काले झण्डों के साथ हड़ताले, जुलूसों का प्रदर्शन किया एवं **"साइमन गो बैक"** के नारों से कमीशन का विरोध किया गया।[99]

पुलिस ने इस विरोध को दबाने के लिए दमन नीति का सहारा लिया। अनेक स्थानों पर जनता और पुलिस के मध्य संघर्ष भी हुए। जब कमीशन लाहौर पहुँचा, इसके विरूद्ध वहाँ की जनता ने लाला लाजपत

---

96 अर्जुनदेव सभ्यता की कहानी, भाग–II – प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण – 1990, पृ 445

97 सिन्हा, एस0एन0–निदेशक यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स, लखनऊ, साइमन कमीशन इन यू0पी0(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू0पी0 स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ II

98 चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 245

99 चन्द्रा, बिपिन – माडर्न इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 243 तथा पाठक, सुशील माधव–भारतीयस्वाधीनता संग्राम का इतिहास, प्रकाशक–विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ –157 तथा मित्तल, ए0के0–आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), प्रकाशक–साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा, 1999 पृ–426 तथा अर्जुनदेव सभ्यता की कहानी, भाग–II– प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण – 1990, पृ–445

राय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी **सान्डर्स** के आदेश से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों और डण्डों की भीषण वर्षा की गई।[100] घायल अवस्था में **लालाजी** ने गर्जना करते हुए कहा था कि **"मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा।"**[101] इस घटना के कुछ ही दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गयी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनकी मृत्यु इन चोटों के कारण ही हुई।[102]

इस घटना से कमीशन के प्रति विरोध और बढ़ गया, जिससे देश में क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहन मिला। सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भारतीय भावों को प्रकट करने के लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंका और लाला जी पर लाठी प्रहार के लिए उत्तरदायी मि० सान्डर्स की लाहौर में हत्या कर दी गयी।[103]

संयुक्त प्रान्त में साइमन कमीशन को 28 नवम्बर 1928 से 11 दिसम्बर 1928 के मध्य आगरा, लखनऊ, और कानपुर में आना था। इन सभी जगहों पर व्यापक रूप में विरोध करने की योजना थी। कमीशन के लखनऊ में 30 नवम्बर 1928 को आना था कमीशन के लखनऊ पहुँचने के कई दिन पहले से ही सड़कों पर जुलूस निकाल कर विरोध प्रर्दशन किया जा रहा था। 18, 23 और 24 नवम्बर को भारी जुलूस विरोधी नारे

---

100 नेहरू, जवाहरलाल–ऐन ऑटोबॉयोग्राफी, प्रकाशक–ऐलाइड पब्लिशर्स, 1962, पृ–174–176

101 नागोरी, एस०एल० तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 179

102 सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–320

103 चन्द्रा, बिपिन – आधुनिक भारत, प्रकाशक – एन०सी०ई०आर०टी०, दिल्ली 1990, पृ – 209

लगाते हुए निकले।[104] 25 नवम्बर को जवाहरलाल नेहरू भी लखनऊ आए।[105]

कमीशन को चारबाग रेलवे स्टेशन पर 30 नवम्बर को प्रातः 8 बजे आना था।[106] लखनऊ काँग्रेस कार्यालय से मुख्य जुलूस चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ चला। जैसे ही जुलूस रेलवे स्टेशन पर पहुँचा पुलिस ने उसको रोंक दिया। पुलिस ने प्रर्दशनकारियों से बात करना उचित नहीं समझा और लाठी चार्ज कर दिया। पं० नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस घटना का विवरण भी किया है।

नेहरू जी ने लखनऊ में 30 नबम्बर 1928 को एसोसिएटेड प्रेस को निम्नलिखित आशय का वक्तव्य दिया–

"आज प्रातःकाल लखनऊ ने उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का अनुभव किया, जबकि सौ सवार, पैदल पुलिस कांस्टेबिलों ने तीस हजार आदमियों की भीड़ पर आक्रमण किया, उसे दो–तीन फर्लांग खदेड़ ले गये। सैकड़ों आदमी लाठी से पीटे गये, इनमें से कुछ बुरी तरह से घायल हुए है, एक को तो जीने की आशा भी नहीं है। कई आदमी मार खाकर गिर पड़े और उनके ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए.........। मुझे दो तीन लाठियां ही लगी थीं कि तब तक विद्यार्थियों ने मुझे घेर लिया। मुझे बचाने को वे खुद मार खाने को तैयार थे। मेरे,श्री पंत की तथा श्री मिश्र

---

[104] सिन्हा, एस०एन०– यू०पी० स्टेट अरकाइव्स, लखनऊ, साइमन कमीशन इन यू०पी०(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू०पी० स्टेट अरकाइव्स)इन्ट्रोडक्शन पृ III

[105] सिन्हा, एस०एन०– यू०पी० स्टेट अरकाइव्स, लखनऊ, साइमन कमीशन इन यू०पी०(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू०पी० स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ IV

[106] सिन्हा, एस०एन०– यू०पी० स्टेट अरकाइव्स, लखनऊ, साइमन कमीशन इन यू०पी०(डाकूमेण्ट रिसीव्ड इन यू०पी० स्टेट अरकाइव्स) इन्ट्रोडक्शन पृ 25

की रक्षा करते हुए इनमें से कई वीर युवकों को गहरी चोटें आयी ....। नवयुवकों तथा विद्यार्थियों ने विनयानुशासन तथा साहस से अपनी विशेषता दिखलाई है। सुबह की इस घटना के लखनऊ अभिमान कर सकता है और इन घटनाओं के लिये अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने भारत में ऐसा माहौल तैयार करने में आज ऐसी मदद की है कि यहाँ की जनता ब्रिटिश राज्यों का नाश कर देगी।"[107]

लाला लाजपत राय की मृत्यु तथा 30 नवम्बर को नेहरू जी और पंत जी पर हुए लाठी प्रहार की बुन्देलखण्ड में भारी प्रतिक्रिया हुई। फलतः संभाग के **झाँसी, बाँदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर** आदि प्रमुख नगरों एवं मुख्यालयों पर लोगों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किये थे, किन्तु पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया।

इसी बीच बुन्देलखण्ड के लोगों को यह जानकारी मिली कि कमीशन को ले जाने वाली विशेष ट्रेन झाँसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। इस खबर ने लोगों के मन में आग में घी डालने का कार्य किया। लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए स्टेशन पर काला झण्डा लगाया, जैसे ही रेलगाड़ी झाँसी स्टेशन पर रूकी वहाँ उपस्थित अनेक काँग्रेसियों और राष्ट्र–वादियों ने **"साइमन कमीशन वापस जाओ"** के नारे लगायें। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। इसमें अनेक बन्दी बनाये गये।[108]

---

[107] 'शक्ति साप्ताहिक' 8 दिसम्बर, 1928 (यह अखबार अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था)
[108] जोशी, ई0बी0–झाँसी गजेटियर, गजेटियर विभाग, लखनऊ, 1965 पृ – 72

बाँदा जनपद में भी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूसों का सिलसिला पूरे जोर से चला। बाँदा की जनता ने साइमन को प्रत्यक्ष रूप से तो कभी नहीं देखा मगर साइमन वापस जाओं के नारे बड़े जोर–शोर से लगाये।

जनपद की जनता भी स्वराज्य को निकट से निकटत्तर लाने के लिए बहुमुखी प्रयास करने लगी। साइमन कमीशन का बहिष्कार पूरे जिले में हड़ताल और जुलूस प्रदर्शन के द्वारा किया गया।[109] पहले तो पुलिस ने इन प्रदर्शनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया मगर फिर कड़ाई शुरू कर दी।

मऊ, बाँदा के शिवकुमार त्रिपाठी पुत्र **ब्रम्हादीन तिवारी** की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी, साइमन कमीशन भारत में आया। त्रिपाठी भी बहिष्कार आन्दोलन में कूद पड़े और पकड़े गये। मगर मजिस्ट्रेट ने कम उम्र देख कर छोड़ दिया।[110]

कर्वी तहसील मुख्यालय पर भी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। अल्प शिक्षित **श्री नारायणदास टेलर मास्टर** बुद्धि से प्रौढ़ एवं शक्ति से सबल थे। आपके हृदय में **माइकल डायर** द्वारा जलियांवाला बाग के नरसंहार एव रौलेट एक्ट के जुल्मों का गहरा प्रभाव था। कर्वी में जब देश भक्तों ने साइमन कमीशन के विरोध में **"गो बैक" "वापस जाओ"** का नारा लगाया तो आपने भी **श्री चन्द्र किशोर मुख्तार** के साथ काले झण्डे लेकर कर्वी में प्रदर्शन किया जिसके

[109] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–126

[110] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–106

फलस्वरूप पुलिस दोनों को पकड़ ले गई और 24 घण्टे थाने में बैठाये रही। अन्त में पुलिस अनेक प्रकार की यातनाओं की धमकियां देकर तथा दो चार लात घूसे मार कर थाने से बाहर कर दिया।[111]

अनुदार भारत मंत्री **लार्ड बर्कनहेड** ने साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करने का कारण यह बतलाया था कि भारतीयों में पारस्परिक मत भेदों के कारण ही किसी भारतीय को कमीशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक ऐसे संविधा का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के सामने पेश करने की चुनौती दी, जिसे भारत के सभी पक्ष स्वीकार करते हों। भारत मंत्री की धारणा थी कि भारत में जातिगत तथा धार्मिक आधार पर ऐसे विषम मतभेद विद्यमान है कि उनके द्वारा सम्मिलित रूप से एक विधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लार्ड बर्कनहेड की चुनौती स्वीकार कर ली गयी।

नये संविधान निर्माण के लिये 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में डॉ॰ एम॰ ए॰ अन्सारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दो महीने में सम्मेलन की 25 बैठकें हुई। इसके बाद 19 मई 1928 को डॉ॰ अंसारी के सभापतित्व में बम्बई में सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तय करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जो 1 जुलाई 1928 तक अपनी रिपोर्ट दे दें।

---

[111] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–111 तथा रामनारायण उर्फ नारायनदास बौरबल : नारायण नैवेद्य पृ–3

इस समिति में तेजबहादुर सप्रू, सर अली इमाम, एम॰एस॰ अणे, सरदार मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी॰ आर॰ प्रधान, तथा सुभाषचन्द्र बोस सम्मिलित थे। **जवाहर लाल नेहरू** इसके सचिव थे।[112] समिति ने तीन माह के कठिन परिश्रम से एक रिपोर्ट तैयार की जो **नेहरू रिपोर्ट** के नाम से प्रसिद्ध है। यह रिपोर्ट, वह प्रत्येक विषय जिसका इसमें उल्लेख था, पूर्ण प्रकाश डालती थी और समान्य व्यावहारिक बुद्धि से, जो न अपने सैद्धान्तिक कल्पनाओं में खोती है और न निरर्थक बातों का आश्रय लेती है, परिपूर्ण थी।[113]

सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अत्यन्त क्रान्तिकारी समझा और उसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की। नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में कांग्रेस के नेताओं में भी काफी मतभेद थे परन्तु गाँधी जी की मध्यस्थता से काँग्रेस द्वारा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस समय गाँधी जी द्वारा दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव पेश किया गया वह ब्रिटिश सरकार के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार था।

"यदि ब्रिटिश संसद इस संविधान को ज्यों का त्यों 31 दिसम्बर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो यह काँग्रेस इस संविधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो लेकिन उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार न करें या इसके पहले ही उसे अस्वीकार कर दें तो काँग्रेस देश को कर बन्दी की सलाह देकर

[112] भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0— भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक— आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–224

[113] जकारियास एच0सी0ई0, –रिनेसैण्ट इण्डिया, लन्दन, 1933, पृ–251–252

और अन्य उपायों के आधार पर जिन्हें यह बाद में निश्चत करेगी, अहिंसात्मक आन्दोलन चलायेगी।"[114] काँग्रेस ने गाँधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

मई 1929 में इंग्लैण्ड में जो आम चुनाव हुए उसमें अनुदार दल की हार हुई। मजदूर दल और लिवरल दल की मिली-जुली सरकार में **रैम्जे मैकडोनल्ड** प्रधानमंत्री तथा **वेजवुड** भारत मंत्री हुए। नई सरकार ने गवर्नर जनरल **लार्ड इर्विन** को भारतीय मामलों में परामर्श के लिए इंग्लैण्ड बुलाया।

इंग्लैण्ड से लौट कर लार्ड इर्विन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार ने मुझे यह घोषित करने का अधिकार दिया है कि 1927 की घोषणा में यह अन्तर्निहित है कि भारत को अन्त में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ब्रिटिश सरकार एक गोलमेज सम्मेलन बुलायेगी, जिसमें भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे और भारत के लिये नए संविधान के सिद्धान्तों पर विचार करेंगे।"[115]

एक घोषणा पत्र द्वारा जिसमें गाँधी जी, मोती लाल नेहरू, सप्रू, मालवीय जी, डॉ॰ मुंजे, श्रीमती एनी बेसेण्ट और अन्य अनेक नेताओं के हस्ताक्षर थे। वायसराय की घोषणा के लिए सद्भाव हेतु धन्यवाद दिया

---

114 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ-111-12

115 वही, पृ-113

परन्तु काँग्रेस का नवयुवक वर्ग इस घोषणा से खुश नहीं था। जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस ने काँग्रेस कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया।[116]

इर्विन की घोषणा को लंदन में अनुदार दल ने घोर आलोचना की। ब्रिटिश संसद के वाद–विवाद का भारतीय नेताओं पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में महात्मा गाँधी ने वायसराय से भेंट कर स्थिति स्पष्ट कर लेना ही ठीक समझा। 23 दिसम्बर 1929 को गाँधी जी, मोतीलाल नेहरू, पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ प्रमुख नेताओं ने वायसराय से भेंट की। वायसराय ऐसा कोई पक्का आश्वासन नहीं दे सकें कि गोलमेज सम्मेलन में एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा, जिसके अनुसार भारत को **डोमिनियन स्टेटस** मिल सकें।[117]

वायसराय भवन से नेता खाली हाथ लौटे। उनकी आशायें टूट गई। सारे देश में रोष की एक लहर दौड़ गई। दिसम्बर 1929 में लाहौर में जो काँग्रेस का अधिवेशन जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, उसमें भारतीय राष्ट्रीयता की लड़ाकू मनोवृत्ति का यथेष्ठ प्रमाण मिल गया। अधिवेशन में 31 दिसम्बर की रात्रि में 12 बजे रावी के तट पर तिरंगा झण्डा फहरा कर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था – "काँग्रेस यह घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति मे काँग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है। काँग्रेस के संविधान की पहली धारा में **"स्वराज्य"** शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता

---

[116]भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–229

[117]नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 194

है। नेहरू कमिटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह काँग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आन्दोलनों में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगायें। वे भावी चुनावों में भाग न लें तथा विधान मण्डलों और अन्य सरकारी समितियों से त्याग पत्र दे दें। यह काँग्रेस अधिवेशन, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी को यह अधिकार देती है कि वह जब उचित समझे, सविनय अवज्ञा आन्दोलन जिसमे करों को न देना भी शामिल है, आरम्भ कर दें[118]।"

नई कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 की बैठक में निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन **"स्वतंत्रता दिवस"** के रूप में मनाया जाय। एक **"प्रतिज्ञा"** बनाई गई जो कि इस दिन प्रत्येक भारतवासी को ग्रहण करनी थी। प्रतिज्ञापत्र में घोषित किया गया था कि **"हम भारतीय प्रजा–जन भी अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं कि स्वतंत्र होकर रहेंगे।"**

.... पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हेतु काँग्रेस समय–समय पर जो आज्ञाएँ देगी, उसका हम पालन करेंगे।[119]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह में जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान

काँग्रेस ने लाहैार अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने का निश्चय तो कर लिया था परन्तु आन्दोलन का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया

---

[118] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–182

[119] वही, पृ–289–290

था। यह कार्य गाँधी जी के ऊपर छोड़ दिया था। गाँधी जी ने आन्दोलन प्रारम्भ करने से पहले देश का भ्रमण करके यह जानने का प्रयास किया कि जन–मानस इस प्रकार के आन्दोलन हेतु कितना तैयार है इसके साथ ही साथ वे आन्दोलन के प्रति जागरूकता भी पैदा कर रहे थे।

इस सिलसिले में उनका आगमन बाँदा में भी हुआ। बाँदा में काँग्रेस की बागडोर इस समय **चन्द्रभूषण सिंह चौधरी** के हाथ में थी। गाँधी जी के साथ **कस्तूरबा** भी थी। गाँधी जी की सभायें बाँदा, चिल्ला, कर्वी और मटौंध में हुई जिसमें उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने का आग्रह किया।[120] जिले के लोगों ने गाँधी जी को धन एकत्रित करके एक थैली भी दी।[121] कस्तूरबा ने भी राष्ट्रीय कन्या विद्यालय में भाषण दिया और सूत काता।[122]

काँग्रेस कार्यकारणी की बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती आश्रम में हुई। कार्यकारिणी ने स्थिति का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गाँधी को **सविनय अवज्ञा आन्दोलन** प्रारम्भ करने के सम्पूर्ण अधिकार दे दिए।[123]

गाँधी जी ने 2 मार्च 1930 को अपने एक अंग्रेज मित्र **आर॰ रेनल्डस** की मार्फत वायसराय को एक पत्र भेज कर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हिंसा का पक्ष प्रबल होता जा रहा है और मैंनें जिस अहिंसक संघर्ष को शुरू करने का निश्चय किया है वह न

---

120 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981पृ–63
121 वही
122 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–148
123 नेहरू, जवाहरलाल–ऐन ऑटोबॉयोग्राफी, प्रकाशक–ऐलाएड पब्लिशर्स, 1962, पृ–210

केवल ब्रिटिश शासन की हिंसा का मुकाबला करेगा अपितु बढ़ते हुये हिंसात्मक दल की संगठित हिंसा शक्ति को रोकेगा। उन्होंने अपने पत्र में भारत में सुधार लागू करने के लिए अपनी **"ग्यारह शर्तें"** भी बतलाई और इस प्रकार सरकार को सलाह दी कि वह आने वाली हिंसात्मक क्रान्ति को रोंके। वायसराय का उत्तर निराशाजनक था। उन्होंने कहा कि गाँधी जी ऐसे मार्ग पर जा रहे है, जिसमें कानून का उल्लंघन होता है तथा जन शांति खतरे में पड़ सकती है। गाँधी का उत्तर था **"मैंने घुटने टेक कर रोटी माँगी परन्तु मुझे रोटी के बजाय पत्थर मिला।"** अतः आन्दोलन शुरू करने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है।[124]

गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ नमक कानून तोड़कर ही क्यों किया?

गाँधी जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं दाण्डी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किये बगैर नमक बनायेंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। गाँधी जी नमक कानून को अन्यायपूर्ण समझते थे। सरकार ने 1923 में नमक पर कर दुगना कर दिया था और इसे समुद्र के पानी से तैयार करना भी कानूनी अपराध था। नमक समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता थी। गरीब, मजदूर और किसान इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रत्येक समाज में सबसे उपेक्षित वर्ग यही होता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह वर्ग अधिक प्रभावित होता है। इंग्लैण्ड जैसी विशाल औपनिवेशिक शक्ति से देश को मुक्त कराने का संकल्प तब तक पूरा

---

124 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 201

नहीं हो सकता था जब तक कि इस विशाल जन-समूह को राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से शामिल न कराया जाता। अतः सविनय अवज्ञा को विस्तृत आधार देने के लिए गाँधी जी ने यह आवश्यक समझा कि इसका प्रारम्भ ऐसे मुद्दे को लेकर किया जाय जो जन-मानस के सभी वर्गों की अनिवार्य आवश्यकता हो। इसलिए गाँधी जी ने नमक कानून के उल्लंघन से सविनय अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश किया।

पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार 12 मार्च 1930 को महात्मा गाँधी और उनके द्वारा चुने 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दाण्डी समुद्र तट की ओर चल पड़े।[125] सरदार पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा गाँधी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। रास्ते में जन-समूह द्वारा गाँधी जी का पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया। 5 अप्रैल, 1930 को गाँधी जी दाण्डी पहुँचे और 6 अप्रैल को जलियांवाला बाग घटना के अविस्मरणीय दिन पर समुद्र के किनारे नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारम्भ किया।[126]

गाँधी जी के भाषणों से उत्पन्न चेतना

9 अप्रैल 1930 को गाँधी जी ने इस आन्दोलन के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित थी –

1. गाँव-गाँव में नमक कानून तोड़ा जाय।
2. छात्र सरकारी विद्यालयों तथा कर्मचारी नौकरी छोड़े।
3. विदेशी वस्त्रों को जलाया जाय तथा वस्तुओं का बहिष्कार हो।

---

[125] चन्द्र, बिपिन – आधुनिक भारत, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 215 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–232

[126] सुमन, रामनाथ–उत्तर प्रदेश में गाँधी जी, प्रकाशक–सूचना विभाग, लखनऊ, 1969ख पृ–150

4. सरकार को कर न दिया जाय।
5. स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दें।[127]

गाँधी जी का उपर्युक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू किये जाने का संकेत चिन्ह था। नमक सत्याग्रह से पूरे देश में तहलका मच गया। आन्दोलन दावानल की भाँति तेजी से फैल रहा था।

1930 में देश के अन्य भागों के समान जनपद बाँदा में भी **सविनय अवज्ञा आन्दोलन** शुरू हुआ, जिसके प्रथम चरण में नमक कानून का उल्लंघन करना था।[128] बाँदा जनपद पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हरप्रसाद सिंह तथा चन्द्रभूषण सिंह चौधरी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिये पूर्ण रूप से तैयार हो रहा था।

गाँधी जी के बाँदा भ्रमण के बाद **''सविनय अवज्ञा आन्दोलन''** की तैयारियाँ 1930 के जनवरी माह से ही हो रही थी।[129] इन तैयारियों में **बाबा रामचन्द्र, मिथिलाशरण, मास्टर नारायण प्रसाद, कुँवर हरप्रसाद सिंह, सेठ विष्णुकरण, दुर्गा प्रसाद गौढ़, भगवान भाई, पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, मोतीलाल भार्गव, गोदिन शर्मा, कालूराम वैद्य, ठाकुर चन्द्रभूषण सिंह चौधरी, डॉ0 गिरवर सहाय,**

---

[127] मित्तल, ए0के0–आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), प्रकाशक–साहित्य भवन, पब्लिकेशन्स, हॉस्पीटल रोड, आगरा, 1999 पृ–439 तथा अर्जुनदेव सभ्यता की कहानी, भाग–II – प्रकाशक एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण – 1990, पृ 446

[128] वरूण, दंगली प्रसाद– बॉदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–63

[129] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–128 में रामजीत सिंह, एम0एस–सी0,बी0एड के आलेख, **"सत्याग्रह आन्दोलन का द्वितीय चरण" से उद्धृत**

रामगोपाल गुप्त विशारद, सूरजबली, बाबा महावीर दास आदि प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे।[130]

जैसे–जैसे गाँधी जी की यात्रा दाण्डी की ओर बढ़ रही थी वैसे–वैसे ही बाँदा में आन्दोलन की तैयारियों को और गति प्रदान करने, उत्साह भरने में नेता लोग जुटे थे। दि० 24 मार्च 1930 को बाँदा के खादी भण्डार में सेवा दल की मिटिंग में **पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने स्वयंसेवकों को ललकारते हुए कहा बाँदा वाले पिछड़ रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा है। कम से कम 200 वालन्टियर होना चाहिए। 6 अप्रैल को गाँधी जी पहुँच जायेंगे। नमक बनना शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू हो जाएगा, यहाँ भी शुरू होना चाहिए।[131]

पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री तथा अन्य प्रमुख नेताओं की ललकार, गर्जना और प्रयासों से बाँदा भी हर प्रकार की तैयारी करने लगा। बाँदा के लोगों ने अन्न–धन से पूरी सहायता की। स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं की काफी बड़ी तादाद में पूरी तैयारी कर ली गई। बाँदा के नवाब तालाब में वालन्टियरों के लिए शिविर स्थापित किया गया। **भगवान भाई** ने गिरवां नामक स्थान में तैयारी प्रारम्भ कर दी। गल्ला, धन तथा स्वयंसेवक एकत्र कर लिए।[132] कर्वी, नरैनी आदि स्थानों में भी बाँदा से गये हुए कार्यकर्ता काम करने लगे। सर्वत्र पूरी तैयारी हो गयी। बाँदा में समुद्र तो था नहीं अतः नमक बनाने का पूरा ढंग लोगों को बता दिया गया।[133]

---

130 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–128 में रामजीत सिंह, एम०एस–सी०,बी०एड के आलेख, **"सत्याग्रह आन्दोलन का द्वितीय चरण" से उद्धृत**

131 वही

132 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–129

133 वही, पृ–130

1930 में पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री की गतिविधियों पर गुप्तचर विभाग की पूरी नजर रहती थी। उस समय बाँदा स्थित गुप्तचर विभाग की डायरियों से पता चलता है कि 27 मार्च को वालन्टियर बनाने के लिए एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में **अग्निहोत्री जी, हरप्रसाद सिंह, रामचन्द्र, मोती लाल भार्गव** थे। इस दिन **लक्ष्मी दूधवाला, गंगादीन वैश्य, ललिता बिहारी, गोपी ब्राम्हण, हरिनारायण, बलभद्र प्रसाद** स्वयंसेवक बनें। तीन तरह के सदस्य बनाये गये। पहला जेल जाने वाले, दूसरा खादी का प्रचार करने वाले, तीसरा गांजा, भांग, शराब रोकने वाले।[134]

12 अप्रैल 1930 को बाँदा नगर में स्थित खादी भण्डार से स्वयंसेवकों का एक हजूम झण्डा सहित जिला बोर्ड के कार्यालय पहुँचा। वहाँ देश–भक्ति पूर्ण गाने गाये गए। चलते समय ब्रिटिशराज मुर्दाबाद के नारे लगे। वहां से चल कर सब मोहल्ला अलीगंज पहुँचें। **विष्णुकरण** के हाता में एक कमीज की होली जलाई गई। जत्था वहां से खांईपार मोहल्ला पहुँचा। **मुलवा चमार** के चबूतरे पर बैठकर आस–पास के चमारों को एकत्रित करके **बाबारामचन्द्र** व **मास्टर नारायण प्रसाद** ने उनसे शराब पीना छोड़ने और बेगारी न करने की सलाह दी। वहीं मुनादी हुई कि रामलीला मैदान में नमक बना कर नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा।[135]

14 अप्रैल को वालन्टियरों ने शहर में घूम कर खादी का प्रचार किया। 9 बजे रात को **हरप्रसाद सिंह** के यहाँ नगर के बजाजों को बुला

[134] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–59
[135] वही, पृ–59–60

कर आग्रह किया गया कि वे विदेशी कपड़े की बिक्री बन्द करें, सबसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। कुछ बजाजों न इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, बाकी सभी बजाजों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए कि वे 6 माह विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे।[136]

19 अप्रैल को काँग्रेसी नेताओं ने मीटिंग करके तय किया कि शराब के ठेकों पर धरना देकर सबको समझाया जाए तथा शराब के ठेकेदारों का नाम भी नोट किए जाए।[137]

जिले के अन्य क्षेत्रों में भी यह आन्दोलन लगातार चल रहा था। कर्वी में घुस के मैदान में वालन्टियरों ने नमक बना कर कानून तोड़ा।[138] **नारायण दास टेलर मास्टर** गाँधी जी के इस सत्याग्रह से प्रेरित होकर एक हड़िया (मिट्‌टी का बना हुआ एक पात्र) लेकर अपने साथियों के साथ घुस के मैदान में नमक बनाने के लिए पहुँचे। पुलिस नारायण दास के ऊपर निगरानी रखती थी, अतएव पुलिस के जवानों ने उन्हें घेर लिया, हड़िया फोड़ डाली और घसीटते हुए उनकी छाती में लात मारी,[139] जिसकी पीड़ा पूर्वा हवा के चलने पर उनको जिन्दगी भर कष्ट देती रही।

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी अंग्रेजों का विरोध था। कर्वी क्षेत्र में भी स्वयंसेवकों ने महात्मा गाँधी के विचारों के अनुरूप विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। **"पंडित राम बिहारी करवरियां"** व **"नारायण दास"** ने

---

[136] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–60

[137] वही

[138] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ63

[139] प्रसाद, नत्थू–नारायण नैवेद्य, पृ–3

चित्रकूट, कर्वी और बदौसा में बजाजों के यहाँ विदेशी वस्त्रों में सील–मोहर लगाई।[140]

गाँधी जी की गिरफ्तारी की बाँदा में प्रतिक्रिया

सविनय अवज्ञा आन्दोलन जिस समय अपने पूरे उन्माद में था, उस समय आन्दोलन समाप्त करने का अन्य कोई उपाय दिखाई न देने पर अंग्रेजी सरकार ने 5 मई 1930 को महात्मा गाँधी को बन्दी बना लिया।[141] सरकार के इस दमनात्मक रवैये ने आग मे घी डालने का कार्य किया, समस्त भारत में विरोध प्रदर्शन व हड़तालें हुई। सत्याग्रह तेजी पकड़ता जा रहा था। समस्त देश में गाँधी जी की गिरफ्तारी में जो रोष व्याप्त था, उसी तरह बाँदा जनपद के जन–मानस में अपने प्रिय नेता को बन्दी बनाये जाने पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। फलतः बाँदा में हड़तालें हुई तथा बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द किए गए।[142]

9 मई को **कुँवर हरप्रसाद सिंह** तथा **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने बजाजा बजार में घूम–घूम कर हड़ताल करायी तथा शाम के पांच बजे झण्डे के साथ जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शित किया।[143]

बाँदा में कपड़े के व्यापारी जिन्होंने विदेशी कपड़ो पर सील मोहर नहीं लगवाई थी और आना–कानी कर रहे थे, बजाजा में उनकी दुकानों पर धरना प्रदर्शन 11 मई 1930 को किया।[144]

---

140 प्रसाद, नत्थू–नारायण नैवेद्य, पृ–3

141 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक–राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 203 (गाँधी जी को चुपके से यरवदा के जेल में भेजा गया)

142 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ.63

143 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–70

20 मई 1930 को बाँदा से दो दल में नमक बनाने हेतु गिरवां गए। एक दल के नेता **बाबा महावीर दास** और दूसरे दल के नेता **पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** थे। दोनों दलों के साथ चार–चार वालन्टियर थे। गिरवां में **लखरू चाचा उर्फ रामप्रसाद मिश्र** के निर्देशन में नमक आन्दोलन का संचालन किया गया।[145]

जुलाई आते–आते सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने बाँदा में और जोर पकड़ लिया। शुरू में तो पुलिस नमक कानून को भंग करने वालों की हड़िया फोड़कर, मारपीट कर भगा देती थी, अब उसका दमन चक्र तेजी से चला। जिले के अधिकारियों ने पब्लिक मीटिंग पर रोंक लगा दी। नेताओं और स्वयंसेवकों पर इसका असर नहीं पड़ा। इन्होंने जमकर विरोध किया तथा गिरफ्तारियां दी।[146] **पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, ठा॰ चन्द्रभूषण सिंह चौधरी, कुँवर हरप्रसाद सिंह, बाबा महावीर दास** आदि प्रमुख नेताओं को जेल में बन्द कर मुकदमा चला तथा सजा दी गई।

15 जुलाई को बाँदा कचहरी में सभा और प्रदर्शन हुआ। **रामप्रसाद सिंह** ने भाषण दिया और कहा कि जनता पुलिस और कोर्ट का बायकॉट करें। **कुँवर हरप्रसाद सिंह** को सजा सुनाई गई, जिसके फलस्वरूप बजार बन्द रही।[147]

---

144 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–129
145 वही, पृ–76
146 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ63
147 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–76

3 अगस्त 1930 को कलेक्टर ने काँग्रेस के विरोधी और अंग्रेजों के जी हुजूरों, समर्थकों की एक सभा बुलाई, जिसे **''अमन सभा''** कहा गया। इसका आयोजन कचहरी के प्रांगण में हुआ। दूसरी ओर वालन्टियर झण्डा लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कचहरी में आ गए। पुलिस ने फाटक पर ही जुलूस को रोक दिया। एक पर्चा जिसका एक शीर्षक **''रण निमंत्रण''** था, वालन्टियरों ने बाँटा।[148] शाम को एक सभा मे 5 अगस्त को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया।

कर्वी तहसील में स्वयंसेवकों को शराब बन्दी में ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। अतः 4 अगस्त 1930 को वालन्टियरों ने निश्चित किया कि आज शराब की निकासी को हर हालत में रोका जाए।[149] ठेकेदार अपनी शराब की निकासी करा कर शराब के साथ जैसे ही गोदाम से बाहर आए, उन्होंने देखा कि सत्याग्रही हर रास्ते पर जाम लगाये हैं। निकलने को कोई रास्ता नहीं है। इस पर मजबूर होकर शराब तहसीलदार साहब के यहाँ रख दी गई।[150]

5 अगस्त 1930 को बाजार में हड़ताल रहीं। वालन्टियर्स ने तिरंगों के साथ जुलूस निकाला राजकीय कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी, स्वंयसेवकों ने वहाँ पर पिकेटिंग करके दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं दिया।[151] इसी दिन शाम को आर्यकन्या पाठशाला में औरतों की सभा हुई। जिसमें **रूपकुमारी निगम** ने भाषण दिया।[152]

---

148 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–76
149 प्रसाद, नत्थू–नारायण नैवेद्य, पृ–4
150 वही
151 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–76
152 वही

6 अगस्त को ठेकेदार ने जब देखा कि कोई वालन्टियर आस–पास नहीं है, तहसीलदार के यहाँ से शराब लेकर चल दिया। मगर उसको यह नहीं मालूम था कि कर्वी के सजग, प्रखर नेता **श्री नारायण दास टेलर मास्टर** तहसीलदार के बँगले पर गुप्त रूप से उसी दिन से निगाह रखे थे। जैसे ही ठेकेदार शराब के साथ सड़क पर आये नारायण दास टेलर मास्टर अचानक ठेकेदारों के सामने प्रकट हो गये और उनको रोंका।[153]

कुछ देर में ही **जुगुलकिशोर करवरिया** और 60–70 सत्याग्रही आ गये। उन सब ने ठेकेदारों को रोककर घेर लिया और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये प्रोत्साहन गीत गाने लगें।

"नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी "

X X X X

" भारत के सच्चे पूतों की आज कसौटी होना है।
देखें कौन निकलता पीतल, कौन निकलता सोना है।"[154]

परिणामस्वरूप साढ़े छः टीन शराब वही सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट के बंगले में गिरा दी गई और धरना दिया गया।[155] इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट के लिये गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया।

8 अगस्त 1930 को **नारायण दास टेलर मास्टर, रामबहोरी करवरिया, जगन्नाथ प्रसाद करवरिया, जुगुल किशोर करवरिया,**

---

[153] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–158
[154] वही, पृ–112
[155] वही

दीनदयाल करवरिया, गुलाब चन्द्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।[156]

10 अगस्त 1930 को **मास्टर नारायण दास** को 6 माह की सख्त सजा सुनाई गई।[157] अन्य लोगों को भी भिन्न–भिन्न अवधियों के लिए कारावास तथा अर्थ–दण्ड देने का आदेश हुआ, फिर गिरफ्तारियों का क्रम प्रारम्भ हो गया। जो निम्न है –

राम नेवाज शुक्ल (मारकुण्डी) गोदीन शर्मा (चित्रकूट), चन्द्रिका प्रसाद गुप्त (सिंहपुर), हीरा लाल मिश्र (व्यूर), मुरलीधर करवरिया (तरौंहा), रामपाल स्वर्णकार (कर्वी), महादेंव पाण्डेय (तरौंहा) हीरा लाल (व्यूर), रामबहोरी करवरिया (तरौहा), रामकिशोर (व्यूर), गया प्रसाद (व्यूर), जिवराखन (व्यूर), किशोरी लाल (मानिकपुर), गुलाब चन्द्र अग्रवाल (कर्वी), जयनारायण (व्यूर), विजय बहादुर सिंह (व्यूर), गजराल (व्यूर), कुंजबिहारी (व्यूर), तथा महावीर प्रसाद (व्यूर), आदि गिरफ्तार हुए। इन सभी को 3 माह से 6 माह तक कैद तथा अर्थ–दण्ड की भी सजा दी गई।[158]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में **नरैनी** तहसील भी पीछे नहीं थी। **श्रीराम शरण गर्ग**, एंचवारा को 16 अगस्त 1930 को 3 माह की सजा और 125 रू॰ का जुर्माना किया गया।[159] इसी प्रकार **श्रीबद्री प्रसाद** को

---

[156] प्रसाद, नत्थू–नारायण नैवेद्य, पृ–4
[157] वही
[158] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–158
[159] वही, पृ–169

भी 23 अगस्त 1930 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के अन्तर्गत 5 माह कैद की सजा मिली।[160]

25 अगस्त 1930 को बाँदा की स्त्रियों ने अपनी ताकत का एहसास सरकार को एक भारी झण्डा के साथ जुलूस निकाल कर कराया।[161] जुलूस में लगभग 200 औरतों की भीड़ से पता चलता है कि जनपद की मातृशक्ति नें भी परतंत्रता की बेड़ी से मुक्ति पाने के लिए महात्मा गाँधी की पुकार को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था।

28 अगस्त को 7 बजे दिन में रामलीला मैदान में तकली दंगल हुआ। शाम को हरप्रसाद सिंह के हाता में औरतों का भी तकली दंगल हुआ।[162]

सरकार ने नगर में मीटिंग तथा प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी परन्तु बाँदा के सत्याग्रही इन आदेशों को कहाँ मानने वाले थे, सविनय अवज्ञा का अर्थ ही यह था कि इन गलत आदेशों की अवज्ञा की जाए। 16 सितम्बर 1930 को बाँदा जेल से **मूलचन्द्र** आदि कुछ वालन्टियर्स जुलूस की शक्ल में झण्डा लेकर जेल के फाटक तक गये। इसी दिन शाम को आम सभा में **बाबा महावीर दास**, प्रधान बनें। **सेठ मूलचन्द्र, वकील राजबहादुर सिंह, बृजकिशोर वर्मा, रामदत्त शर्मा,** तथा **मंगली वैश्य** ने भाषण दिया।[163]

---

160 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–169
161 वही, पृ–146
162 वही, पृ–146
163 वही, पृ–77

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान **जगदेव प्रसाद** निवासी निवाइच, बाँदा अपने साथ सिघनकला गाँव के कुछ साथियों के साथ गाँधी जी के **ग्यारह सूत्री** आदेशों का प्रचार गाँव–गाँव मे घूम–घूम कर करते रहें। इस कार्यक्रम में कनस्टर (एक प्रकार का पात्र) बजा कर रामलीला मैदान बाँदा में एक मीटिंग आयोजित करके नमक बनाया तथा अंग्रेजी शासन के विरूद्ध जोशीला भाषण दिया। तत्काल ही नौकरशाही **दीवान वजीर अहमद** ने उनको गिरफ्तार करके बाँदा जेल में भेज दिया। 11 दिसम्बर 1930 को उनको 6 माह की सजा और 500 रू०का जुर्माना किया गया।[164]

इस आन्दोलन में मिलाथू क्षेत्र के लोगों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। **कैप्टन बद्रीप्रसाद** के साथ–साथ अन्य लोगों ने भी ज़ेल और जुर्माने की सजा भुगती।[165]

जिस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था, उसी समय 6 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।[166] इस रिपोर्ट की किसी भी पार्टी ने सराहना नहीं की। इस रिपोर्ट में जितना विपुल समझदारी का अभाव प्रकट होता था, उतना ही सहानुभूति का।[167] सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन किया। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। काँग्रेस जो कि भारतीय महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती थी, इसका बहिष्कार किया। यह सम्मेलन **"दूल्हे के**

---

164 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–143

165 वही, पृ–171–173

166 पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, प्रकाशक–विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 163

167 जकारियास एच0सी0ई0, –रिनेसैण्ट इण्डिया, लन्दन, 1933, पृ–269

बिना सम्पन्न होने वाला विवाह था।"[168] "सेन्ट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू, ईसाई, जमीदार, मजदूर संघों और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे किन्तु भारतमाता वहाँ उपस्थित नहीं थी।[169] सम्मेलन में किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सका और जनवरी 1931 में यह अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।[170]

ब्रिटिश सरकार अब तक यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि काँग्रेस के सहयोग के बिना भारत की कोई समस्या हल नहीं हो सकती, अतः काँग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिये उस पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया और 26 जनवरी 1931 के दिन महात्मा गाँधी और अन्य प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया।[171] **तेज बहादुर सप्रू** और **डॉ॰ जयकर** ने भारत सरकार और काँग्रेस के समझौता कराने के प्रयत्न फिर प्रारम्भ कर दिये।

15 दिनों तक विचार–विमर्श के बाद 5 मार्च 1931 को महात्मा गाँधी और लार्ड इरविन के बीच समझौता हुआ जो इतिहास में **"गाँधी–इरविन"** समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। काँग्रेस की ओर से गाँधी जी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की –

1. काँग्रेस सविनय अवज्ञा को स्थागित कर देगी।
2. काँग्रेस पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की माँग छोड़ देगी।

---

[168] प्रसाद, राजेन्द्र–ऐट द फीट ऑफ महात्मा गाँधी, पृ–215

[169] ब्रेल्सफोर्ड–सबजेक्ट इण्डिया, पृ–46

[170] भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–336

[171] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 211

3. काँग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।
4. काँग्रेस सब बहिष्कारों को बन्द कर देगी।[172]

इस समझौते को 25 मार्च 1931 में काँग्रेस के करांची अधिवेशन में पास करना था परन्तु इसी बीच **सरदार भगतसिंह, राजगुरू** और **सुखदेव** को फाँसी दे दी गई तथा कानपुर में यू0 पी0 के प्रमुख नेता **गणेश शंकर विद्यार्थी** जी की हत्या हो गई। युवा वर्ग गाँधी जी से नाराज था कि वे **सरदार भगत सिंह** और उनके साथियों को फाँसी की सजा को रुकवा नही सकें। **महात्मा गाँधी** और अधिवेशन के अध्यक्ष **पटेल** बड़ी कठिनाई से **गाँधी–इरविन** समझौते को स्वीकार करा पाए।

करांची अधिवेशन में बुन्देलखण्ड के हर जिले से प्रतिनिधि गये।[173] अधिवेशन समाप्त होने पर सभी नेता वापस लौटे। बाँदा के प्रतिनिधि भी वापस लौटे और काँग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जिले में **"सविनय अवज्ञा आन्दोलन"** स्थापित करा दिया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन (नमक आन्दोलन) में भाग लेने वाले जनपद-बाँदा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी :-*

1. **शिव नारायण उर्फ कनकैया** : ग्राम गौतमपुर, तहसील कर्वी, 9 सितम्बर 1930 को 6 माह की सजा मिली।

---

172 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जितेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 211–212

173 भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–54–55

* भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93–113

2. **कल्लूराम वैद्य** : कालवनगंज, बाँदा, 23 मार्च 1930 को 6 माह कैद की सजा पायी ।
3. **काशीनाथ** : कर्वी, 10 अगस्त 1930 को 6 माह कैद की सजा पायी ।
4. **कुंजबिहारी** : कर्वी, 2 फरवरी 1930 को 6 माह कैद की सजा पायी ।
5. **गजराज** : कर्वी, 18 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद और 50 रू० जुर्माने की सजा पायी।
6. **गजोधर उर्फ रूद्रदेव शर्मा** : मर्दननाका, बाँदा, 3 अक्टूबर 1930 को 3 माह की कैद और 30 रू० जुर्माने की सजा पायी।
7. **गुलजारी** : बाँदा, 23 जुलाई 1930 को डेढ़ वर्ष की सजा पायी।
8. **गुलजारी** : निवासी नन्ददेव बाँदा, 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में जेल भेजे गये।
9. **गुलाब चन्द्र** : कर्वी, 16 अगस्त 1930 को 6 माह कैद की सजा पाई।
10. **गोदिन शर्मा** : निवासी चित्रकूट, तहसील कर्वी, 13 नवम्बर 1930 को जेल और 100 रू० जुर्माना की सजा मिली।
11. **गोविन्द्र** : कर्वी, 6 माह सितम्बर 1930 को 3 माह की कैद की सजा पाई।
12. **ठाकुर चन्द्रभूषण सिंह** : सिविल लाइन, बाँदा, 25 मई 1930 को 6 माह की कैद की सजा पाई।
13. **चन्द्रिका प्रसाद** : कर्वी, 19 अगस्त 1930 को 3 माह कैद की सजा मिली।

14. **चुनकौना** : कर्वी, 18 फरवरी 1930 को 3 माह की कैद और रू0 100 जुर्माना की सजा मिली।
15. **चुनबंद प्रसाद** : नरैनी, 1930 में 6 माह की सजा पाई।
16. **जगन्नाथ करवरिया** : कर्वी, 10 अगस्त 1930 को 5 माह कैद और 25 रू॰जुर्माने की सजा पाई।
17. **जगन्नाथ उर्फ साधू** : बबेरू 5 फरवरी 1931 को 15 दिन के कारावास और 15 रू॰जुर्माने की सजा पाई। जमीन जायजाद नीलाम कर दी गई।
18. **जुगुल किशोर** : कर्वी, 10 अगस्त 1930 को 6 माह की कैद की सजा पाई।
19. **जुराखन सिंह** : कर्वी, 18 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद की सजा पाई।
20. **जयनारायण** : कर्वी 9 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद और 30 रू॰ जुर्माने की सजा पाई।
21. **गया प्रसाद उर्फ दनदन** : बाँदा, 19 जुलाई 1930 को 6 माह कैद की सजा पाई तथा 6 सितम्बर 1930 को रेलवे एक्ट की धारा 379/325 और 126 के अन्तर्गत 3 माह कैद की सजा पायी।
22. **दमकू वेद सिंह** : बाँदा, 6 सितम्बर 1930 को 3 माह कैद की सजा पायी।
23. **दीनदयाल करवरिया**: कर्वी, नमक आन्दोलन में 1930 में भाग लिया और 6 माह कैद और 100 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।
24. **देवीदयाल** : कर्वी, 10 अगस्त 1930 को 6 माह कैद की सजा पायी।

25. **ननकू सिंह** : नरैनी, बाँदा, 25 अक्टूबर 1930 को 1 माह कैद और 100 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।

26. **नारायण** : बबेरू, बाँदा 9 सितम्बर 1930 को सजा पायी।

27. **नारायण प्रसाद** : मो॰ बलखंडी नाका, बाँदा, 24 जुलाई 1930 को 6 माह की सजा पायी।

28. **नन्हे पुरवार** : मो॰ कालवनगंज, बाँदा, सन् 1930 में 3 माह कैद की सजा पायी ।

29. **पुरूषोत्तम** : निवासी कर्वी, बाँदा, 9 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद और 25 रू॰ जुर्माना की सजा पायी।

30. **बद्री प्रसाद** : निवासी कर्वी, बाँदा, 10 सितम्बर 1930 को 6 माह की कैद और 25 रू॰ जुर्माना की सजा पायी।

31. **बद्री प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद** : नरैनी, बाँदा, 23 अगस्त 1930 को 5 माह की सजा पायी।

32. **बाबूलाल** : निवासी लखनपुर, तहसील बबेरू, बाँदा, 6 सितम्बर 1930 को 3 माह कैद की सजा पायी।

33. **बाबू सिंह** : निवासी बबेरू, बाँदा, 6 फरवरी 1930 को 15 दिन कारावास और 15 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।

34. **बिन्दा सिंह** : निवासी बबेरू, बाँदा, 1930 में 15 दिन कैद की सजा पायी।

35. **बृन्दावन** : निवासी कर्वी, बाँदा, 6 मार्च 1930 को 3 माह कैद की सजा पायी।

36. **मदगजन सिंह** : निवासी कर्वी, बाँदा, 9 सितम्बर, 1930 को 6 माह कैद और 30 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।

37. **मनबोधन सिंह** : बाँदा, 23 जून 1930 को 3माह कठिन कैद की सजा पायी।

38. **महादेव पुत्र कोदीराम** : निवासी कर्वी, बाँदा, 6 सितम्बर 1930 को 3 माह कैद की सजा पायी।

40. **मालाधर सिंह** : तहसील कर्वी, बाँदा, 9 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद और 25 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।

41. **मुरलीधर करवरिया** : त॰ कर्वी, बाँदा, 28 सितम्बर 1930 को 1 वर्ष कैद तथा 100 रू॰ जुर्माने की सजा पायी।

42. **मोतीलाल भार्गव** : निवासी बाँदा, 26 मई 1930 को 6 माह कैद की सजा पायी।

43. **रामकिशोर** : निवासी तहसील कर्वी, जिला बाँदा, 6 माह कैद की सजा पायी।

44. **महादेव प्रसाद पुत्र रामचरण** : निवासी बाँदा, 1930 को 3 माह कैद की सजा पाई।

45. **महाबीर प्रसादः** तहसील कर्वी, बाँदा, 9 सितम्बर 1930 को 6 माह कैद व रू0 30 जुर्माना की सजा पायी।

गाँधी–इरविन पैक्ट के अनुसार महात्मा गाँधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 सितम्बर 1931 को लंदन पहुँचे लेकिन इस समय तक ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका था। मजदूरदलीय सरकार लुढ़क चुकी थी। कट्टर अनुदारदलीय **सर सैमुअल होर** अब भारत मंत्री हुए। भारत में उदारदलीय **वायसराय**

इरविन की जगह कट्टर अनुदारदलीय **लार्ड विलिंगडन** आया, जो क्रूर व्यक्ति था।[174]

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस प्रगति के दिसम्बर 1931 में समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी चालें चली कि सम्मेलन किसी भी मूल समस्या का निर्णय न ले सका। सम्मेलन की समाप्ति पर गाँधी जी ने कहा कि **"उनके और प्रधान मंत्री के रास्ते अलग अलग है।"**[175]

गोलमेज सम्मेलन के असफल होने पर गाँधी जी 28 दिसम्बर को भारत लौटे। भारत में उन्होंने पाया कि वायसराय लार्ड विलिंगडन का दमन चक्र कठोरता से चल रहा है।[176] नेहरू व महादेव देसाई जैसे नेता जेलों में बन्द थे। **गाँधी-इरविन पैक्ट** का खुला उल्लंघन हो रहा था।[177] कई कठोर कानून अध्यादेश लागू कर दिये गये थे। गाँधी जी ने तार भेजकर स्थिति पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। वायसराय ने जवाब दिया कि "वे गाँधी जी के साथ किसी भी प्रकार की बहस के लिये तैयार नही है,"[178] ऐसी स्थिति में गाँधी जी के लिये आन्दोलन प्रारम्भ करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। अतः 3 जनवरी 1932 को

---

[174] भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–238

[175] कूपलैण्ड, सर रेजिनाल्ड–दि इण्डियन प्राब्लेम भाग–I लन्दन 1944 पृ–127

[176] चन्द्रा, बिपिन – मॉर्डन इण्डिया, प्रकाशक – एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली 1990, पृ – 250

[177] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 219

[178] वही

महात्मा गाँधी ने देशवासियों से अग्नि परीक्षा का सामना करने का आहवान् किया।[179]

सरकार किसी भी स्थिति का मुकाबला करने को तैयार थी। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गाँधी व काँग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। काँग्रेस को गैर–कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। यूथलीग किसान सभा आदि संस्थाएं भी गैर–कानूनी घोषित कर दी गई।[180] सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः आरम्भ हो गया। काँग्रेस कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वायसराय के साथ बातचीत भंग होने से काँग्रेस को मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करना पड़ा।[181]

बाँदा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक बार फिर इस आन्दोलन में अपना योगदान देने के लिये तत्पर हो गये। नीति के तहत जनपद के गाँधी, काँग्रेस के नेता **पं॰ लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** इस आन्दोलन में जेल नहीं गए और बाहर से ही आन्दोलन का संचालन करते रहें।[182] उनके नेतृत्व में यह आन्दोलन सन 1933 तक चलता रहा। अचानक 18–1–1933 को पता चला कि अग्निहोत्री जी लखनऊ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि पं0लक्ष्मीनारायण जी के क्रिया–कलापों का प्रमुख केन्द्र बाँदा था, किन्तु वे न केवल बाँदा,

---

179 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 220

180 वही

181 रमणराव, एम0बी0–ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस,प्रकाशक–एस0चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1959, पृ–157–58

182 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–198

बुन्देलखण्ड वरन् प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्त्ता थे, उनके कार्यो पर अंग्रेजी प्रशासन पूरी नजर रखती थी।[183]

वायसराय लार्ड विलिंगडन ने बड़े दम से कहा था कि वे 6 सप्ताह के भीतर आन्दोलन को कुचल देंगे। सरकार ने आन्दोलन को कुचलने का हर सम्भव प्रयास किया परन्तु आन्दोलन दबा नहीं। समाचार–पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया।

बाँदा में **सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी** न नमक सत्याग्रह में 6 माह की सजा भुगतने के बाद पुनः "सत्याग्रही" पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया था। सरकार प्रारम्भ से ही "सत्याग्रही" और सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी से डरी और चिढ़ी थी। अतः 1932 मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पुनः प्रारम्भ होते ही सरकार ने प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।[184]

"सत्याग्रही" फिर भी गुप्त स्थानों से **बलदेव प्रसाद गुप्त** के प्रयास से छपता रहा। पुलिस बलदेव प्रसाद के पीछे लगी थी। उनको भी 1932 में पकड़कर टेलीफोन काटने का आरोप लगा कर दो माह के लिए जेल में डाल दिया गया।[185]

"सत्याग्रही" पत्र के संचालन–मुद्रण में **महादेव भाई** और उनके घर का बड़ा योगदान रहता था। अतः 1932 में आपको कैद कर लिया

[183] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–60, 198

[184] भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–135

[185] भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–141

गया। आपकी पत्नी **श्रीमती कमला देवी** को भी 22–02–1930 को 3 माह कैद और पचास रू॰ जुर्माने की सजा मिली।[186] बाँदा की स्त्रियाँ भी इस आन्दोलन में सक्रिय थी।

जनपद में न्यायालयों के बहिष्कार की योजना बनाई गई। गाँव–गाँव में स्वायत्त व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई जिनके माध्यम से गाँव के समस्त मत–भेद दूर कर लेने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था गाँवों में चल रही थी परन्तु स्थानीय अधिकारी या तो जान नहीं पाते थे अथवा उनके पास किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं आती थी। अतः वे कुछ कर पाने में असमर्थ थे।

इसी प्रकार की एक पंचायत ग्राम **साथी मिलाथू** क्षेत्र में हुई और पंचायत ने अपना निर्णय दिया। इस पंचायत के सरपंच **श्री रामधनी** थे। **बद्रीप्रसाद, लक्ष्मीप्रसाद, बद्रीप्रसाद उर्फ वकील** तथा **छवि प्रसाद** पंच थे। इन सभी कार्यकर्ताओं को इसी प्रसंग में 31 जनवरी 1932 में बन्दी बनाया गया और (D.I.R.) के अन्तर्गत डेढ़ साल की सजा दी गई।[187]

इस घटना के फलस्वरूप जनपद बाँदा की जनता में और मिलाथू क्षेत्र में विशेष तौर से दृढ़ता और संकल्प के प्रति अटूट निष्ठा का सृजन हुआ और साथी ग्राम के **श्री रामदयाल, राघव प्रसाद भट्ट** आदि ने 1932 के आन्दोलन में भाग लिया जिसके फलस्वरूप दो–दो साल जेल में व्यतीत किए।[188]

---

[186] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–103–104 तथा भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93,110

[187] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–172–173

[188] वही, पृ–173

आन्दोलन के शुरू होते ही 18.1.1932 को साथी ग्राम के **छोटा** को कैद करके 6 माह की सजा और पचास रुपया जुर्माने की सजा दी गई।[189]

ग्राम **माचा, तिंदवारी** के **महावीर** ने भी 18–1–1932 को 6 माह की सजा पायी। जेल से छूटने के बाद फिर आन्दोलन में भाग लिए और इस बार एक वर्ष की सजा (28–1–1933) मिली।[190]

माधो प्रसाद पुत्र तुलसी को भी आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह की कैद की सजा (26–1–1932) मिली।[191]

बाँदा कोतवाली के सामने राय साहब फूलचन्द्र के कपड़े की दुकान में विदेशी कपड़े की बिक्री होती थी। बहुत समझाने के बाद भी वे आन्दोलनकारियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अस्तु फरवरी 1932 में **कमलादेवी पत्नी महादेव** और **पार्वती देवी पत्नी जगन्नाथ** ने औरतों के साथ राय सा0 फूलचन्द्र की कपड़े की दुकान पर धरना दिया। पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। 22 फरवरी 1932 को दोनों औरतों को एस0डी0एम0 बाँदा के कोर्ट से दफा 4 आर्डिनेन्स 1932 के अनुसार 3 माह कैद और पचास रुपया जुर्माने की सजा हुई। दोनों ने ही जुर्माना देने से मना कर दिया, अतः एक माह कैद की सजा और भोगनी पड़ी।[192]

---

[189] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–98

[190] वही पृ–111

[191] वही पृ–112

[192] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–146 (दिनांक 24 सितम्बर 1977 को कमला देवी और महादेव भाई द्वारा कु0 शशी रस्तोगी को दिया गया साक्षात्कार)

जनपद में 1932 तक यह आन्दोलन पूरे जोर पर था। हरिजनों के प्रति किए गए अन्यायों का प्रायश्चित करने के लिए गाँधी जी ने 8 मई 1933 को 21 दिनों का उपवास शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने गाँधी जी को उसी दिन जेल से मुक्त कर दिया। इसके बाद आन्दोलन को स्थगित करने का विचार किया गया। 19 मई, 1933 को गाँधी जी ने 12 सप्ताह के लिए आन्दोलन स्थगित करने की घोषणा की। 14 जुलाई 1933 को जन–आन्दोलन रोक दिया गया। यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह 9 माह तक और चला। 7 अप्रैल 1934 को गाँधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को भी बिल्कुल समाप्त कर दिया।[193] इस पर बाँदा जनपद में भी इस आन्दोलन में विराम लग गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1932-34) में भाग लेने वाले जनपद-बाँदा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी*

1. **श्री आजाद** : पुत्र बल्देव प्रसाद, निवासी पारा, थाना बिसंडा 1932 में आन्दोलन में भाग लिया। 3 माह कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा हुई।
2. **श्रीमती कमलादेवी** पत्नी महादेव : निवासी बाँदा को 22–2–1932 को 3 माह कैद पचास रुपये जुर्माना की सजा हुई।
3. **गज्जूखाँ** : निवासी गौरी खानपुर, तहसील बबेरू, 1932 में 3 माह कैद पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।

---

193 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 221

* भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93–128 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–198–204

4. **गोदिन शर्मा** : निवासी चित्रकूट ने आन्दोलन में भाग लिया और 13–2–1932 को 6 माह की कैद ओर पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।

5. **गोवर्धन** पुत्र गजाधर : निवासी पनहारी, थाना बिसंडा ने 1932 ने आन्दोलन में भाग लिया और 6 माह की जेल मिली।

6. **छोटा** : निवासी साथी मिलाथू क्षेत्र को 18.1.1932 को 6 माह की कैद ओर पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।

7. **जगन्नाथ भाई** : निवासी पपरेंदा, थाना तिंदवारी 1932 में जेल गए जेल में ही लू लग जाने से मृत्यु हो गयी।

8. **दुर्गा प्रसाद भट्ट** : निवासी मूगुल, तिदवारी 1932 में 6 माह जेल की सजा हुई।

9. **देवी दयाल गुप्त** : निवासी बाँदा को आन्दोलन में भाग लेने के कारण डेढ़ वर्ष की सजा मिली।

10. **नारायण प्रसाद** : निवासी बलखण्डी, नाका, बॉदा को 1932 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कारावास की सजा मिली।

11. **श्रीमती पार्वती उर्फ छोटी** पत्नी जगन्नाथ भाई : निवासी पपरेंदा को 22.3.1932 को पिकेटिंग करने के कारण 3 माह का कारावास व रुपया तीस जुर्माने की सजा हुई।

12. **बजरंगदास** पुत्र जगन्नाथ प्रसाद : निवासी कर्वी, बॉदा को 12.3.1932 को 3 माह की कैद और पचास रुपये जुर्माना हुआ।

13. **बद्री** पुत्र शंकर : निवासी ग्राम साथीको 24.1.1932 में डेढ़ साल की सजा हुई।

14. **बद्रीप्रसाद** : निवासी पल्हरी को 19.2.1932 को 3 माह कैद और रुपया बीस जुर्माने की सजा पायी।

15. **बाबादीन** पुत्र रामगोपाल : निवासी कर्वी, बाँदा 13.2.1932 को 6 माह की कैद और रुपया बीस जुर्माने की सजा पायी।
16. **बिन्दा सिंह** : निवासी पतवन, को 1932 में 6 माह कारावास की सजा मिली।
17. **बिन्द्रा प्रसाद** : निवासी मदनपुरा चिल्ली को 1.2.1932 को 6 माह कारावास व पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।
18. **बिहारी सिंह** : निवासी कटरा, बाँदा को 25.1.1932 को 6 माह कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।
19. **बृजमोहन गुप्ता** : मो0 मालखण्डी नाका, बाँदा को 1932 में साढ़े तेरह माह कैद की सजा मिली।
20. **भिखारी लाल यादव** : निवासी बबेरू को 1932 में 6 माह कारावास की सजा मिली।
22. **मनबोधन सिंह उर्फ राष्ट्रपति** निवासी पपरेंदा तिंदवारी को 1932 के आन्दोलन में 6 माह की सजा मिली। इनको इतनी यातना दी गई कि जेल (1933) में ही शहीद हो गए।
23. **महादेव प्रसाद** : तरोंहा, कर्वी के निवासी थे। 18.3.1932 को इनको 3 माह कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।
24. **महावीर** : माचा, तिंदवारी निवासी को 18.1.1932 में 6 माह के लिए सजायाफ्ता हुए। पुनः 28.1.1933 में फिर एक साल की सजा मिली।
25. **माधोप्रसाद** पुत्र तुलसी : निवासी थाना बिसंडा को 26.1.1932 को 6 माह का कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।
26. **मिथिलाशरण** : निवासी मर्दनपुर, बाँदा को 1932 में एक साल की सजा हुई।

27. **रघुराज राम** : निवासी पल्हरी, थाना बिसंडा को आन्दोलन में भाग लेने के कारण 2 साल की सजा मिली।

28. **श्रीमती बेहना** : निवासी व्योना भवादारी, बबेरू को 1932 में दो वर्ष जेल मे रहना पड़ा।

29. **राम औतार** : तहसील बबेरू को भी 1932 में 6 माह की सजा मिली।

30. **राम कुमार गुप्त** : निवासी इंगुआ, तहसील कैमासिन ने 1932 के आन्दोलन में भाग लिया और 6 माह कैद की सजा भोगी।

31. **रामकृष्ण** : निवासी तहसील बबेरू ने आन्दोलन में भाग लिया और 4–3–1932 को 3 माह के कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा पायी।

32. **राम जियावन** : बबेरू 11.4.1932 को 15 माह कैद की सजा और रुपया एक सौ जुर्माने की सजा पायी।

33. **रामदयाल** : निवासी ग्राम साथी ने 1932 में 6 माह की सजा पायी। जेल से छूटने पर सन्यासी हो गए।

34. **राम प्रसाद उर्फ बाबू सिंह** : बबेरू 1932 में भारतीय दण्ड सहिता की धारा 128 के अर्न्तगत 16.2.1932 को 3 माह के लिए जेल भेजे गए।

35. **राम विशाल** : निवासी ग्राम साथी को 1932 में 6 माह की सजा मिली।

36. **रामशरण शिवहरे** : निवासी अतर्रा को आन्दोलन में भाग लेने के कारण 12.3.1932 को 3 माह कैद की सजा मिली।

37. **रामस्वयंबर** : बाँदा ने 1932 में 6 माह कैद की सजा पायी।

38. **रामाधीन कलार** : निवासी ग्राम साथी, बबेरू को 1932 में डेढ़ वर्ष कैद की सजा मिली।

39. **लक्ष्मी** पुत्र दुर्गा : निवासी ग्राम कुर्रम, बबेरू को 1932 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण डेढ़ साल कठिन कैद की सजा मिली।

40. **शिवनायक प्रसाद** : निवासी ग्राम सीकरी, तहसील कैमासिन को 1932 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण 4.3.1932 को 3 माह की कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

41. **शिवबालक** : निवासी ग्राम सेमरी, तिंदवारी। 1932 के आन्दोलन में भाग लेकर 6 माह की सजा भुगती।

42. **सदाशिव उर्फ चूनवाद** : निवासी खुरछण्ड को 12.2.1932 को 6 माह कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।

43. **सुदामा प्रसाद** : निवासी ग्राम कोरम को 1932 में 6 माह की सजा मिली।

44. **महादेव होस्ति** : निवासी ग्राम मदवारी, तहसील बबेरू को 16.2. 1932 के दिन 3 माह के कारावास और रुपया एक सौ जुर्माने की सजा दी गई।

1932-1942 तक की राष्ट्रीय आन्दोलन के घटनाओं का प्रभाव

लन्दन में 17 नवम्बर 1932 से 24 दिसम्बर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ।[194] सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने भाग

[194] सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–136

नहीं लिया।[195] इसके समाप्त होते ही इस सम्मेलन से पारित प्रस्तावों के आधार पर भारत के लिए प्रस्तावित संविधान की रूप–रेखा मार्च 1933 में तैयार की गई। यह रूप–रेखा, **'श्वेत–पत्र'** के नाम से विख्यात है। इसमें भारत के नए सुधारों और भावी संविधान के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया था।[196] इसके सभी प्रस्ताव इतने प्रतिगामी थे कि भारत के प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिए सर्वथा अस्वीकार थे।[197] श्वेतपत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक **'संयुक्त प्रवर समिति'** बनाई गई। 11 नवम्बर 1934 ई0 को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसके आधार पर जनवरी 1935 में **भारत विधेयक** ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात् जो अधिनियम पारित हुआ, **इण्डिया एक्ट 1935** कहलाया।[198] इसमें पूर्ण स्वराज्य का कहीं जिक्र नहीं था।

काँग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर होने वाले चुनावों में भाग लिया जाए या नहीं। अन्त में काँग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया।[199] भारत अधिनियम के अनुसार 1937 की फरवरी में जो चुनाव हुए, काँग्रेस ने पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ भाग लिया। 11 प्रान्तों में से 7 प्रान्तों में काँग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था।

---

195 सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–136

196 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 277

197 चिन्तामणि, सी0वाई0–इण्डियन पॉलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी, इलाहाबाद 1941, पृ–185

198 पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास (1857–1947), प्रकाशक–विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 180

199 भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–297

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत जो चुनाव हुआ, उसमें बाँदा जिले की जनता ने भी भाग लिया।[200] 27 फरवरी 1935 को जालौन जनपद के कालपी नामक स्थान पर बुन्देलखण्ड के काँग्रेसियों का एक राजनैतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री **रघुनाथ विनायक धुलेकर** ने की और उन्हीं की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड काँग्रेस मण्डल बना। इस सम्मेलन में बाँदा की **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हरप्रसाद सिंह, विष्णुकरण सेठ, बल्देव प्रसाद** को बाँदा जिले में काँग्रेस के संगठन का कार्य सौंपा गया।[201]

इन लोगों के अथक प्रयास से बाँदा जनपद के हर गाँव में काँग्रेस संगठन का जाल बिछ गया। गाँव का प्रत्येक किसान भी चार आने देकर काँग्रेस का सदस्य बन गए। इस प्रकार बाँदा के गाँव–गाँव में फैला हुआ काँग्रेस एक अनुशासित संगठन का रूप धारण किया। 1936 के चुनाव में काँग्रेस ने बाँदा में अपनी शक्ति एवं लोकप्रियता का परिचय दिया। विधान सभा की दोनों सीटों पर काँग्रेस की विजय हुई। बाँदा से श्री **केशवचन्द्र सिंह चौधरी** तथा कर्वी से **कुँवर हरप्रसाद सिंह** काँग्रेस प्रत्यासी विजयी हुए।[202] पूरे प्रदेश में काँग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। अप्रैल 1937 में काँग्रेस मंत्रिमण्डल ने **पं0 गोविन्द वल्लभ** के नेतृत्व में पद भार ग्रहण किया।[203]

---

[200] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ63

[201] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–61, 70

[202] वही, पृ–130

[203] पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास (1857–1947), प्रकाशक–विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 184

प्रथम सितम्बर 1939 ई0 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्वयुद्ध की ज्वाला उत्पन्न कर दी। इंग्लैण्ड ने जर्मनी के इस कदम का विरोध करते हुए 3 सितम्बर 1939 को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के नाम पर जर्मनी के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारत के वायसराय ने भारतीय नेताओं काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों या केन्द्रीय विधान सभा से परामर्श किए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।[204]

युद्ध छिड़ते ही काँग्रेस ने अपना दृष्टिकोण स्पष्टरूप से सामने रख दिया। इसने जर्मनी और उसके सहयोगी देशों द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों पर किए गए हमलों की निन्दा की। काँग्रेस वर्किंग कमिटी ने एक प्रस्ताव में कहा 'अभी हाल में अपनी स्वतंत्रता पाने और भारत में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए भारत की जनता ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया है और स्वेच्छापूर्वक महान बलिदान किए हैं, इसलिए उनकी सहानुभूति पूरी तरह से लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता के पक्ष में है। भारत का एक ऐसे युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता जो कहने को तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, मगर उसकी स्वतंत्रता स्वयं उसे ही नहीं दी जा रही है और जो कुछ सीमित स्वतंत्रता उसे प्राप्त थी, वह भी उससे छीन ली गई है।'[205]

काँग्रेस की मांग थी कि भारत में केन्द्रीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी एक भारतीय सरकार स्थापित की जाए और यह वचन दिया

---

[204] इण्डियन एनुअल रजिस्टर, 1938, खण्ड II, पृ–21 तथा नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 229

[205] अर्जुनदेव–सभ्यता की कहानी, भाग–II प्रकाशक–एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण–1990, पृ–454

जाए कि युद्ध के समाप्त होते ही भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा। **जवाहरलाल नेहरू** का विचार था कि **'हमारे लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं हो सकता, यदि वह स्वयं हमें ही प्राप्त नहीं।**[206] वे जो स्वयं पराधीन थे, वे किस प्रकार दूसरों को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध मे भाग लेते।[207]

ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेस की कोई भी बात नहीं मानी। अब काँग्रेस के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो गया था। 22 अक्टूबर 1939 को काँग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास कर मंत्रियों तथा प्रान्तों के काँग्रेसी दलों के मार्गदर्शन के लिए निम्न आदेश जारी किए–

'कार्यसमिति के प्रस्ताव द्वारा प्रान्तों की काँग्रेसी सरकारों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। ये इस्तीफे असेम्बली की उन बैठकों के बाद दिए जाने चाहिए, जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाई गयी है, किन्तु 31 अक्टूबर 1939 तक सभी इस्तीफे दे दिए जाने चाहिए।'[208]

इस पर उत्तर प्रदेश के **गोविन्द वल्लभ पन्त** की सरकार के साथ आठ प्रान्तों के मंत्रिमण्डलों ने तुरन्त अपने त्यागपत्र दे दिए। काँग्रेस ने पुनः महात्मा गाँधी को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा गाँधी ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध भारतीय भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उत्पन्न संकट की

[206] नेहरू, जवाहरलाल–दि यूनिटी ऑफ इण्डिया, कलेक्टेड राइटिंग्स, 1937–1940, प्रकाशक–लिण्डसे ड्रमण्ड, लन्दन, 1941, पृ–361

[207] ब्रेल्सफोर्ड, एच0एन0–सबजेक्ट इन्डिया, पृ–54

[208] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–145

घड़ी में अनुचित लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे। अतः उन्होंने सामूहिक कार्यवाही के स्थान पर सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया।[209] उन्होंने प्रस्तावित किया कि अहिंसा से प्रशिक्षित स्त्री–पुरूषों को व्यक्तिगत रूप में भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध करना चाहिए। उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वयं को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।[210]

गाँधी जी ने अपने विश्वस्त अनुयायी **बिनोवा भावे** को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना। उनके द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को **पवनार** नामक स्थान में यह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया।[211] दूसरे सत्याग्रही के रूप में **पं० जवाहर लाल नेहरू** का नाम था, लेकिन वे सत्याग्रह करते इसके पहले ही उनको वर्धा से लौटते समय इलाहाबाद के पास छिवकी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया।[212]

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होते ही सरकार ने बाँदा जिले में फौज भरती के केन्द्र खोल दिए थे, जिनका जनता द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। फौज के लिए जब निर्धारित संख्या में रंगरूट मिलना असम्भव हो गया तो सरकार ने जिले के जमींदारों पर दबाव बनाकर उनके वार्षिक लगान के आधार पर फौज के लिए आदमी देने का कोटा निर्धारित कर

[209] शर्मा, चतुर्भुज–विद्रोही की आत्मकथा, प्रकाशक–रामलालपुरी, आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, प्रथम संस्करण 1970, पृ–96 तथा चन्द्र, विपिन– मॉर्डन इण्डिया, पृ–261

[210] आजाद, अबुल कलाम–इण्डिया विन्स फ्रीडम, प्रकाशक–ओरिएण्ट एण्ड लौंगमेन्स, कलकत्ता, 1964, (हिन्दी में अनुवादक–महेन्द्र चतुर्वेदी, भारत की आजादी, 1965) पृ–37

[211] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–241 (विनोवा द्वारा कहा गया–जन या धन से ब्रिटेन को युद्ध में सहायता देना गलत है, युद्ध का एकमात्र उपचार युद्धमात्र के अहिंसात्मक प्रतिरोध से मुकाबला करना है)

[212] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–241

दिया।[213] इसी समय गाँधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक जिले में सत्याग्रहियों की लिस्ट बनी। यह लिस्ट गाँधी जी के पास वर्धा भेजी जाती थी। वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही व्यक्ति सत्याग्रह करता था। सत्याग्रही को जिले के अधिकारी को सत्याग्रह की तिथि, समय और स्थान की सूचना देकर सत्याग्रह करना था। विधायकों और काँग्रेस के पदाधिकारियों को बारी–बारी सत्याग्रह करने को कहा गया।

बाँदा जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह **श्री चन्द्रभूषण सिंह चौधरी** ने शुरू किया। उनके जोशीला भाषण से जनमानस के मस्तिष्क में तीव्रता से अंग्रेजों के विरूद्ध ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। फलतः पुलिस ने इन्हें 7 नवम्बर 1940 को गिरफ्तार कर धारा 38 के अन्तर्गत आन्दोलन में भाग लेने के कारण 6 माह कैद की सजा दी।[214]

अगले सत्याग्रही ग्राम मऊ तहसील मऊ के निवासी जिला काँग्रेस के महामंत्री **शिवकुमार त्रिपाठी** थे। इनको भी भारत रक्षा कानून की धारा 38 के अर्न्तगत कैद कर लिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में कर्वी की हवालात में बन्द रखे गए। 14.12.1940 को ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट कर्वी के न्यायालय से 6 माह कठोर कारावास का दण्ड पाने के बाद बाँदा जेल भेजे गए, इसके बाद झाँसी व इलाहाबाद (मलाका) कारागार को स्थानान्तरित कर दिए गए।[215]

213 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ63
214 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–97
215 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–106

1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह मे भाग लेने के कारण **श्री समईलाल** निवासी मऊ तहसील मऊ, **बल्देवप्रसाद गुप्त** निवासी कर्वी, **पितम्बर लाल** निवासी भार तहसील मऊ ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और हँसते–हँसते जेल गए।[216]

1941 में बाँदा निवासी देशभक्त **गज्जू खाँ** ने जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालक बने।[217] जनवरी 1941 में **गोदिन शर्मा, बोधी सिंह, महावीर दासबाबा, रामनेवाज शुक्ल, रामसनेही सिंह, हीरालाल सिंह** ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी।[218] पूरे वर्ष 1941 में जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। पच्चास से भी ज्यादा लोगों ने इस आन्दोलन में भाग लिया और जेल गए।[219] (**व्यक्तिगत आन्दोलन में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है**)

1941 के अन्त में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत गम्भीर और संकटमय हो गयी। 7 दिसम्बर 1941 को जापान ने भी इंग्लैण्ड तथा उसके साथियों के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जल्द ही जापान की सेनाएं बर्मा तक बढ़ आयीं। युद्ध भारत के दरवाजे तक पहुँच गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि वह सत्याग्रहियों को रिहा करें ताकि युद्ध में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त हो सकें।[220] भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्‌देश्य से सरकार ने

---

216 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–104, 106, 126

217 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–101

218 वही

219 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ63

220 भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग–I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–322 तथा नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 238

दिसम्बर 1941 में राजनीतिक बंदियों को जेलों से मुक्त करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने अचानक नई दिल्ली से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार को इस बात का यकीन है कि भारत के सभी जिम्मेदार व्यक्ति विजय प्राप्त होने तक युद्ध में सहायता करने का दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, इसलिए वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन के उन कैदियों को जिनका अपराध सिर्फ सांकेतिक रूप में था, उन्हें रिहा किया जा सकता है। इनमें **पं0 जवाहर लाल नेहरू** और **मौलाना अबुल कलाम आजाद** भी शामिल है।[221]

नेहरू जी तथा आजाद को तत्काल रिहा कर दिया गया। देश के सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। महात्मा गाँधी अभी भी सत्याग्रह समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। गाँधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा '**इस घटना के पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहना चाहता हूँ कि मैं इसे पसन्द नहीं करता।**[222]

उन्होंने सत्याग्रह रोकने का निर्णय काँग्रेस कार्यकारिणी पर छोड़ दिया। काँग्रेस कार्यसमिति की बैठक 23 दिसम्बर 1941 को बारदोली में बुलाई।[223] जापान की सफलताओं को देखते हुए देश की सुरक्षा हेतु काँग्रेस कार्यसमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया।[224]

---

[221] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–324

[222] वही

[223] वही, पृ–330

[224] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 239 तथा सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–158

इस समय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था। सुभाषचन्द्र बोस गुप्त रूप से भाग कर जर्मनी फिर जापान पहुँच गए। बर्मा का पतन भी अनिवार्य लगने लगा था। इसके बाद भारत पर आक्रमण होना था। इसी बीच इंग्लैण्ड में नई सरकार का गठन हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अनुदार दल के **चर्चिल** विराजमान हुए। ये समाजवाद विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए भारत के संवैधानिक गतिरोध को सुलझाने की दिशा में पहल करने को तैयार नहीं थे। शीघ्र ही बर्मा का पतन भी हो गया। बोस ने भारतीय सैनिकों और अफसरों को मिला कर **'आजाद हिन्द फौज'** का गठन किया, जिसका उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। सुभाष बाबू के भाषणों को भारत की जनता बड़े चाव से सुनती थी।

इन परिस्थितियों में गाँधी जी तथा काँग्रेस के नेताओं ने विवेक से काम लिया तथा जापानी प्रचार से प्रभावित नहीं हुए। गाँधी जी ने कहा **'ब्रिटिश राज्य को किसी दूसरे विदेशी शासनों से बदलने के लिए मैं जरा भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जिस दुश्मन को मैं नहीं जानता उससे तो वही दुश्मन अच्छा, जिसे कम–से–कम जानता तो हूँ।'**[225]

अब युद्ध ऐसा रूप धारण कर लिया था कि साम्राज्यवादी चर्चिल ने भी भारतीय गतिरोध को दूर करने की आवश्यकता महसूस की। 11 मार्च 1942 को चर्चिल के **हाउस ऑफ कामंस** में की गई घोषणा का सार था कि 1940 में भारत के सम्बन्ध में अपने उद्देश्यों और नीति के विषय में पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हुए संक्षेप में यह कहा था कि युद्ध की समाप्ति

[225] उपाध्याय, हरिभाऊ–बापू–कथा (उत्तरार्द्ध), प्रकाशक–सर्वसेवा संघ, वाराणसी, 1969, पृ–173

के बाद शीघ्र ही भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा।

मैंने (चर्चिल) युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत भेजने का निश्चय किया है, जो वहाँ जाकर भारतीय नेताओं से मिल कर विचार–विमर्श करने के उपरान्त इस बात की तसल्ली कर लें कि हमने (चर्चिल) भारत के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है, हमारी दृष्टि में न्यायपूर्ण है, जो गत्यावरोध दूर करने में सहायक होंगे। इस कार्य के लिए लार्ड प्रीवीसील तथा सदन के नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपनी सेवाएं अर्पित कर दी है।[226]

जब ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की तो भारतीय जनता द्वारा उसका स्वागत किया गया, क्योंकि क्रिप्स उदार विचारों के व्यक्ति थे, अतः भारतीयों को उनसे बहुत बड़ी आशाएं थी। भारतीय जनता का मानना था कि क्रिप्स भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने में सफल हो सकेंगे।[227]

क्रिप्स 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचें।[228] क्रिप्स के भारत आगमन को **क्रिप्स मिशन** कहा जाता है।[229]

---

[226] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–358 (चर्चिलः सेकेण्ड वर्ल्ड वार से उद्धृत)

[227] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 240

[228] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–360 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–324 (कुछ लेखकों के अनुसार क्रिप्स के भारत आगमन की तिथि 22 मार्च 1942 है)

[229] पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास (1857–1947), प्रकाशक–विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 196

1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बाँदा जिले से बन्दी बनाए गए सत्याग्रहियों की सूची[230]

1. **श्री अन्तू** : आप बाँदा जिले में तरखरी निवासी 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अर्न्तगत 15 माह कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा दी गई।
2. **श्री केशव प्रसाद** आत्मज शिवप्रसाद निवास स्थान ग्राम पिस्टा, थाना बिसंडा, तहसील बाँदा। 11 जून 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अर्न्तगत व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 1 वर्ष और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।
3. **श्री गंगा प्रसाद खरे** आत्मज शिवनन्दन प्रसाद जन्म 1916 निवास स्थान ग्राम बिलगांव, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। आप 26 मार्च 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अर्न्तगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले में 1 वर्ष की कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।
4. **श्री गणेश प्रसाद** आत्मज द्वित्तनीराम निवास स्थान बड़ागांव, थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले मे 8 जनवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38(अ)5, 121/34 के अर्न्तगत एक वर्ष कैद की सजा पाई।
5. **श्री गया प्रसाद** आत्मज महादेव, जन्म 1903, स्थान ग्राम जमरेइ, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। भारत प्रतिरक्षा कानून की घारा 38 के

[230] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93–128

अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 9 वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्मानें की सजा पाई।

6. **श्री गोदिन शर्मा** आत्मज दीनदयाल जन्म 1892 निवास स्थान चित्रकूट, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 9 माह कैद की सजा, 7 जनवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 (अ) 5 के अन्तर्गत पाई।

7. **श्री गोपीकृष्ण आजाद** आत्मज बलदेव प्रसाद जन्म 1910 निवासी ग्राम पारा, थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 28 जनवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38/21 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

8. **श्री चुनकाई** आत्मज धर्मपाल निवासी बमलोहराए, थाना विसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 2 अप्रैल 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में 18 माह कैद की सजा पाई।

9. **श्री छोटे लाल** आत्मज भवानीदीन, जन्म सन 1897 निवास स्थान सिंघनकला, तहसील बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 22 जनवरी 1941 को पहली बार एक वर्ष की कैद और पच्चीस रुपया जुर्माने की सजा पाई।

10. **श्री जगदीश प्रसाद करवररिया** आत्मज श्री रामबहोरी, जन्म सन 1912, निवास स्थान तरौंहा, तहसील कर्वी, बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38/34 के अन्तर्गत 9 माह कैद की सजा पाई।

11. **श्री जगपतसिंह** आत्मज ठाकुर बिन्दासिंह, जन्म सम्बत 1950, निवास स्थान सन्दा, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में हिस्सा लिया।

12. **श्री जुम्मन खाँ** आत्मज श्री मुहम्मद, निवासी कोईही, थाना बिसंडा, जिला बाँदा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 20 सितम्बर 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और दौ सौ रुपया जुर्माने की सजा पाई।

13. **श्री दीनदयाल गुप्त** आत्मज बुद्धू जन्म 1897, निवास स्थान पलारा, जिला बाँदा। 1930 से काँग्रेस के आन्दोलनों में भाग लेते रहें। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 20 मार्च 1941 को एक वर्ष कैद की सजा भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत पायी। इसी सिलसिले में 20 रूपये जुर्माने की सजा भी मिली।

14. **श्री देवी दास** निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा। 9 मई 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पाई।

15. **श्री द्वारिका**, निवास स्थान तरखदी, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में धारा 38 अन्तर्गत 23, मार्च 1941 को 15 माह कैद और दस रूपये जुर्माने की सजा पायी।

16. **श्री द्वारिका ब्राम्हण** आत्मज श्री रघुनाथ जन्म सन 1924, निवास स्थान ग्राम भार, तहसील मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिलें में भारत प्रतिरक्षा

कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 6 मार्च 1941 को एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

17. **श्री परागी** आत्मज महादेव निवास स्थान तहसील नरैनी, जिला बाँदा। 20 नबम्बर 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 81 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेकर एक दिन के कारावास की सजा और पचास रूपये जुर्माना की सजा पाई।

18. **श्री पीताम्बर लाल** आत्मज राम गोपाल वैश्य, जन्म 1922, निवासी भार, तहसील मऊ, जिला बाँदा। 1940–41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण एक वर्ष कैद और पचास रूपये जुर्माने की सजा पाई।

19. **श्री बच्चू** आत्मज सिरानी, निवास स्थान तहसील नरैनी, जिला बाँदा। 3 नवम्बर 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 81 के अन्तर्गत एक दिन की कैद और पचास रूपये जुर्माने की सजा पाई।

20. **श्री बद्री प्रसाद** आत्मज हनुमान प्रसाद, जन्म सन 1906, निवास स्थान ग्राम पल्हरी, थाना विसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1932 से काँग्रेस के हर आन्दोलन में भाग लेते रहे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 16, अप्रैल 1941 को 14 माह की कैद तथा पचास रूपये जुर्माना की सजा पायी।

21. **श्री बल्देव** निवासी बाधा, थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 11 मार्च 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष कैद और एक सौ एक रुपया जुर्माना की सजा पायी।

22. **श्री बलदेव प्रसाद गुप्ता** निवासी राजापुर, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया।

23. **श्री बिन्दा**, निवास स्थान मो॰ बलखंडी नाका, जिला बाँदा। सन 1941–42 के आन्दोलन में भाग लिया और धारा 143 के अन्तर्गत तीन माह कैद और तीस रूपये जुर्माने की सजा पाई।

24. **श्री बिन्दा सिंह** आत्मज अधार सिंह, जन्म सन 1901, निवास स्थान ग्राम पतवन, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और 22 अप्रैल, 1941 को एक वर्ष की सजा और चालीस रूपये जुर्माने की सजा भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत पायी।

25. **श्री बैकल** आत्मज शिवप्रसाद, निवास स्थान जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 10 मार्च 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अर्न्तगत एक वर्ष कैद और 20 रूपये जुर्माने की सजा पायी।

26. **श्री बोधी सिंह** आत्मज रामनाथ सिंह, जन्म सन 1892, निवास स्थान ग्राम मर्का, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 26 जनवरी 1941 को एक वर्ष की सजा और 50 रूपये जुर्माने की सजा पायी।

27. **श्री बृजभूषण सिंह** आत्मज विश्वेसर सिंह, जन्म सन 1911, निवास ग्राम हरदौली, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 15 वर्ष की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण 7 मार्च 1941 को एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पाई।

28. **श्री बृजमोहन लाल गुप्ता** आत्मज धनीराज, जन्म सन 1915, निवास स्थान बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और 3 फरवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कठिन कैद की सजा पायी।

29. **श्री भुवनेश्वर शुक्ल** जन्म सन 1926, निवास स्थान ग्राम भार, मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष की कैद की सजा पायी।

30. **श्री महावीर दास बाबा** आत्मज देवी प्रसाद, जन्म सन 1892, ग्राम जमरेई, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38(1) के अन्तर्गत 25 जनवरी, 1941 को चौदह माह कैद की सजा पायी।

31. **श्री राजाराम रूपौलिया**, निवास स्थान अर्तरा, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। सन 1925 में काँग्रेस में शामिल हो गये थे। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और एक वर्ष कैद तथा एक सौ रूपये जुर्माने की सजा भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत पायी।

32. **श्री रामाधार**, निवास स्थान ग्राम सौता, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक माह कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

33. **श्री रामाश्रय** आत्मज द्वारिका, निवास स्थान ग्राम कोरम, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कठिन कारावास और बीस रूपये जुर्माने की सजा पायी।

34. **श्री रामाश्रय खंगार** निवास स्थान भार खेरी, बाँदा कॉंग्रेस के सभी आन्दोलनों में भाग लिया। 1941 में सजा पायी।

35. **श्री रामकिशोर** आत्मज शिवदर्शन, निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिललिसे में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 16 अप्रैल, 1941 को एक माह कैद और 50 रूपये जुर्माने की सजा पायी।

36. **श्री रामकिशोर** आत्मज रामदयाल, निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा। 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण एक वर्ष कैद पचास रूपये जुर्माने की सजा पायी।

37. **श्री रामगोपाल** आत्मज श्री राम बिहारी शुक्ल, निवास स्थान पल्हारी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 16 अप्रैल 1941 को एक वर्ष की कैद तथा पचास रूपये जुर्माने की सजा पायी।

38. **श्री रामजियावन** आत्मज शिवबक्स तिवारी, निवास स्थान ग्राम पल्हरी थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष की कैद की सजा पाई।

39. **श्री रामजियावन** –निवास स्थान ग्राम पल्हरी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में 16 अप्रैल 1941 की एक वर्ष कठिन कैद और बीस रूपये जुर्माना की सजा पाई।

40. **श्री रामनारायण** निवास स्थान सीतापुर, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 8 फरवरी, 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पाई।

41. **श्री रामनारायण उर्फ विद्यार्थी** आत्मज कन्हैया लाल, जन्म 9 नवम्बर 1917, निवास स्थान खरवारी, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। सन 1941 के आन्दोलन में एक वर्ष की सजा पायी।

42. **श्री रामनिहोरे** आत्मज श्री रामचरण, निवास स्थान ग्राम भार, तहसील मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और पचास रूपये जुर्माने की सजा मिली।

43. **श्री रामनेवाज शुक्ल** आत्मज राम सेवक, निवास स्थान कहुनिया (मानिकपुर), तहसील कर्वी, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और 14 जनवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 (अ)121 के अन्तर्गत नौ माह की सजा मिली।

44. **श्री रामप्रसाद** आत्मज श्री देवीदीन, जन्म 1 जून 1903, निवास स्थान अतरहट, तहसील एवं जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण 8 फरवरी, 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 8 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और पचास रूपये जुर्माने की सजा पाइ।

45. **श्री रामरूप** जन्म 1941 निवास स्थान ग्राम भार, तहसील मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष की कठिन कैद की सजा पायी।

46. **श्री रामविशाल** आत्मज श्री छितनी, निवास स्थान पल्हरी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 16 अप्रैल 1941 को एक वर्ष कैद और बीस रुपया जुर्माने की सजा पायी।

47. **श्री रामूरण** आत्मज साहबदीन, निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 (1) अ (5) के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

48. **श्री रामशेखर तिवारी**, जन्म 1902, निवास स्थान पल्हरी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के सत्याग्रह आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 16 अप्रैल 1941 को एक वर्ष कैद और बीस रूपये जुर्माने की सजा पायी।

49. **श्री रामसनेही सिंह** आत्मज हनुमान प्रसाद, जन्म मई 1918, निवास स्थान ग्राम पल्हरी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और 11 जनवरी, 1941 की भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 39 के नौ माह कैद की सजा पायी।

50. **श्री रामेश्वर** आत्मज महादेव, जन्म सन 1919, निवास ग्राम पल्हरी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में एक वर्ष कैद की सजा पाई।

51. **श्री रामेश्वर प्रसाद** आत्मज श्री भागवत प्रसाद, निवास स्थान ग्राम पारा, थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 24 मार्च 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत पन्द्रह दिन कैद और दस रूपये जुर्माने की सजा पायी।

52. **श्री रूद्रनाथ शुक्ल** आत्मज छोटे, जन्म 4 नवम्बर 1906, निवास स्थान राजापुर, तहसील मऊ, जिला बाँदा। भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 2 अप्रैल 1941 को एक वर्ष कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पाई।

53. **श्री लक्ष्मी** आत्मज दुर्गा, निवास स्थान ग्राम कुर्रम, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। व्यक्तिगत आन्दोलन के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 346 के अन्तर्गत 21 अगस्त 1932 को डेढ़ वर्ष की सजा पाई।

54. **श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे**, जन्म सन 1902, निवास स्थान पल्हरी, थाना विसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और इस सिलसिले में एक वर्ष कैद की सजा पायी।

55. **श्री लक्ष्मीप्रसाद उर्फ बौड़म** जन्म 1897, निवास स्थान कुर्रम, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 25 अप्रैल 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत पन्द्रह माह की कैद और पन्द्रह रूपये जुर्माने की सजा पायी।

56. **श्री शारदाप्रसाद** आत्मज छेदी लाल, जन्म सन 1922, निवास स्थान मऊ, तहसील मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 9 माई, 1941 को एक वर्ष की कैद और एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

57. **श्री शिवकुमार त्रिपाठी** आत्मज श्री वर्मादीन त्रिपाठी, निवास स्थान मऊ, जिला बाँदा। 16 दिसम्बर 1940 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत छः माह की सजा पायी।

58. **श्री शिवरतन** आत्मज श्री महादेव सिंह, जन्म 15 मई 1893, निवास स्थान सिंधनकला, पैलानी तहसील, जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और एक सौ रुपया जुर्माना दिया था।

59. **श्री शीतल प्रसाद** आत्मज मथुरा प्रसाद, निवास स्थान राजापुर, तहसील मऊ, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत 10 मार्च 1943 को एक सौ रुपया जुर्माने की सजा पायी।

60. **श्री श्यामचरण बाजपेई** आत्मज चण्डीदीन, निवास स्थान कालवनगंज, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिलसिले में 1 जुलाई 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 (अ) 25 और 12 के अन्तर्गत एक माह की सजा पायी।

61. **श्री शिवलोचन** निवास स्थान ग्राम कर्रही, थाना बिसंडा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में 8 अप्रैल, 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष की कैद और पन्द्रह रूपये जुर्माने की सजा पायी।

62. **श्री सुख नन्दन प्रसाद** जन्म 1902, निवास स्थान कालिंजर, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण एक वर्ष की कैद की सजा पायी।

63. **श्री हीरालाल** आत्मज तुलाराम, जन्म 1917, निवास स्थान ग्राम व्यूर, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 24 जनवरी 1941 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38(1) 5/34 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और पच्चीस रूपये जुर्माने की सजा पायी।

64. **राजबहादुर सिंह** पुत्र द्वारिका सिंह, ग्राम दुर्गवा, थाना मर्का जिला बाँदा। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक वर्ष की सजा हुई।[231]

[231] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–200

सप्तम अध्याय

1942–1947 तक के आन्दोलन का प्रभाव तथा जनता की प्रतिक्रिया

अध्याय सप्तम

1942–1947 तक के आन्दोलन का प्रभाव तथा जनता की प्रतिक्रिया

अंग्रेज सरकार की यह घोषणा कि क्रिप्स भारत जाकर वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इस घोषणा का भारतीय जनता ने स्वागत किया। वास्तव में क्रिप्स समाजवादी विचारों के समर्थक थे और इससे पूर्व दो बार भारत आ चुके थे। पं0 जवाहर लाल नेहरू तथा काँग्रेस के अन्य नेताओं के वे व्यक्तिगत मित्र थे। उनकी नियुक्ति तथा भारत आगमन पर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया।[1] अपने 20 दिन के प्रवासकाल में उन्होंने काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, देशी नरेशों और उदारवादियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। इसके पश्चात् उन्होंने भारतीय समस्या को हल करने के लिए 30 मार्च 1942 को सरकार की ओर कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हैं।[2]

क्रिप्स के प्रस्तावों को दो भागों में रखा जा सकता है – 1. युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझाव और 2. युद्ध के समय लागू होने वाले सुझाव। युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझावों में कहा गया कि 'एक नए भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश इण्डिया के प्रान्त और भारतीय रियासतें सम्मिलित होंगी। इस संघ को स्वशासित उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा। भारतीय संघ को अपनी आन्तरिक तथा ब्रिटिश नीति

---

[1] सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–159

[2] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–361

में पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद भी कर सकेगा।' प्रारूप में कहा गया 'भारत के साथ की गई प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड और भारत में जो चिन्ताएं प्रकट की गयी हैं उनको ध्यान में रखते हुए सम्राट की सरकार ने भारत में शीघ्र स्वशासन के विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है। ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जो एक ऐसा उपनिवेश या अधिराज होगा, जो ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी शक्ति के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना सम्बन्ध रखेगा। यह उपनिवेश अन्य उपनिवेशों के बिल्कुल समान होगा। आन्तरिक और बाहरी मामलों में किसी के अधीन न होगा। **इसे ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद करने की भी स्वतन्त्रता रहेगी।**' युद्ध समाप्त होते ही भारतीय संघ का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। युद्ध समाप्ति से पूर्व यदि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के मुख्य नेता किसी अन्य व्यवस्था पर एक मत न हो, तो संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार होगा।

युद्ध की समाप्ति पर प्रान्तीय विधान मण्डलों के चुनाव कराए जाएंगें और प्रत्येक विधान मण्डलों के निम्न सदन अर्थात विधानसभाएं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्वाचक मण्डल की सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति उनकी जनसंख्या के अनुपात में रियासतों के नरेशों द्वारा की जाएगी। देशी रियासतों और प्रान्तों के प्रतिनिधियों की शक्तियाँ बराबर होंगी।

इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार उसी अवस्था में स्वीकार करेगी, जब निम्न शर्तें पूरी होती हों।

अ. पहली शर्त यह थी कि ब्रिटिश भारत के जिन प्रान्तों को यह नवीन संविधान पसन्द न होगा, वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रख सकेंगे। जो प्रान्त विधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार न होंगे उन्हें भारत संघ से अलग रहने का अधिकार होगा। ऐसे प्रान्तों की अपने लिए एक नया संविधान बनाने का अधिकार होगा।

ब. भारतीय देशी रियासतों को भी प्रान्तों की तरह नए संविधान को मानने या न मानने का अधिकार होगा परन्तु उनके साथ हुई पुरानी संधि को नए संविधान की आवश्यकता के अनुसार दोहराया जाएगा।

स. भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक सन्धि होगी जिसमें उन सभी मामलों का जिक्र होगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का पूर्ण हस्तान्तरण करने के कारण उत्पन्न होंगे। इस सन्धि में धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो वचन दिए हैं उन सबकी रक्षा के लिए इसमें विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के किसी देश से अपने सम्बन्धों को निश्चित करने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा।

क्रिप्स के प्रस्ताव में युद्ध के समय लागू होने वाले सुझाव इस प्रकार थे–

प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक युद्ध के कारण भारत खतरे में है और नए संविधान का निर्माण नही होता, भारत की रक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी। भारत की जनता के सहयोग से भारत के सैनिक, नैतिक और भौतिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। क्रिप्स प्रस्ताव के अन्त में कहा गया कि 'सम्राट की सरकार की इच्छा है कि भारतीय जनता के विविध वर्गों के नेता अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा मित्र राष्ट्रों के विचार विमर्श में शीघ्र तथा प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लें तथा इस प्रकार एक महान कार्य के सम्पादन में रचनात्मक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकेंगे, जो भारत की स्वाधीनता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।[3]

सर स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रकाशित हुए और उस समय वे बड़े विचित्र और अनोखे प्रतीत हुए। इसमें प्रत्येक दल को खुश करने वाली बातें थी। काँग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्व भूमिका में औपनिवेशिक स्वराज्य, वेस्टमिन्स्टर कानून, पृथक होने का अधिकार और सर्वोपरि बात विधान परिषद का उल्लेख था जिसे प्रारम्भ में ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक होने की घोषणा कर देने का अधिकार दिया गया था।[4] मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी बात यह थी

---

3 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 242–243 तथा सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–359–360तथा अग्रवाल, आर0सी0–भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा भारतीय संविधान), प्रकाशक – एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, रामनगर, नई दिल्ली, 1994 (सत्रहवां संशोधित संस्करण) पृ–322–325 तथा पाठक, सुशील माधव–भारतीय स्वधीनता संग्राम का इतिहास, 1857–1947, प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993 पृ – 196

4 सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–361

कि किसी भी प्रान्त को भारतीय संघ से अलग हो जाने का हक था।[5] भारतीय नरेशों का न केवल इस बात की आजादी थी कि वे चाहें तो इस संघ में शामिल हो या न हो वरन् विधान परिषद में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का एक मात्र अधिकार भी उन्हें दिया गया था।[6]

क्रिप्स मिशन की असफलता

क्रिप्स प्रस्तावों का गम्भीरता पूर्वक पूर्ण अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्स प्रस्ताव नितान्त ही असन्तोष जनक थे। काँग्रेस द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की मसा की जा रही थी लेकिन प्रस्तावों में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गयी थी और औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। जिससे जाहिर होता कि ब्रिटेन सत्ता हस्तान्तरित करने को तैयार है। इसी कारण गाँधी जी द्वारा इन प्रस्तावों को **'दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चैक'** कहा गया था।[7]

वास्तव में क्रिप्स प्रस्तावों में अपूर्णता थी। नेहरूजी ने कहा था – 'मैंने इन प्रस्तावों को जितना अधिक पढ़ा इसके निहितार्थों पर विचार किया, मुझे उतनी ही अधिक निराशा हुई। भारतीय मामलों से अपरिचित व्यक्ति यह सोंच सकता था कि वास्तव में हमारी माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सीमा तक विचार किया गया है, लेकिन इसका विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इन पर अनेक सीमाएं लगा दी गयी थी

---

5 नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग–II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 244

6 भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग–I, प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–327

7 सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग–II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–360

और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को इस प्रकार से प्रतिबन्धित कर दिया गया था कि इससे हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है।[8]

प्रस्ताव पर गाँधी जी की प्रतिक्रिया इससे भी कटु थी। जब प्रस्तावों को लेकर सर क्रिप्स गाँधी जी से मिले तो गाँधी जी ने कहा – 'यदि आपके प्रस्ताव यही थे तो फिर आपने आने का कष्ट क्यों उठाया? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना है तो आपको मेरा यही परामर्श है कि आप अभी ही हवाई जहाज से इंग्लैण्ड लौट जाएं।[9]

काँग्रेस कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार वहाँ की जनता के बजाय रियासतों के शासकों को दिया जाए, क्योंकि इससे वहॉ की जनता की उपेक्षा होती, दूसरे देशी रियासतों के शासक अँग्रेजी सरकार को प्रसन्न करने के लिए भारतीय स्वतन्त्रता की प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि **'इस सिद्धान्त को स्वीकार करना हमारी नीति के विरूद्ध होगा और देशी राज्यों की जनता को धोखा देना होगा।**[10]

भारतीय काँग्रेस देश की एकता में विश्वास रखती थी, परन्तु क्रिप्स प्रस्तावों में कई ऐसी बातें थी जिनसे भारत की राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचता था। प्रान्तों और देशी रियासतों को संघ से अलग रहने और

---

[8] नेहरू, जवाहर लाल– दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, प्रकाशक–ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981 पृ–481–82

[9] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–364

[10] नेहरू, जवाहर लाल– दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, प्रकाशक–ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981 पृ–466

पृथक संघ निर्माण का भी अधिकार दे दिया गया था। कॉंग्रेस के अनुसार देश का बँटवारा भारत के मौलिक हितों के लिए बहुत हानिकारक था। इससे साम्प्रदायिक समस्या और उग्र हो जाती। जवाहर लाल नेहरू ने इस आधार पर प्रस्ताव का विरोध किया और कहा था– **'भारत को विभाजित करने का कोई भी प्रस्ताव बहुत ही दुःखदायी है। यह हर प्रकार के मनोभावनाओं के विरूद्ध है। भारत के विभाजन का आधार आधुनिक, ऐतिहासिक और आर्थिक विकास के प्रवाह के विरूद्ध है।**[11]

कॉंग्रेस चाहती थी कि वर्तमान विषम स्थिति को देखते हुए केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाए, जिससे वास्तविक शक्ति भारतीय प्रतिनिधियों के हाथ में रहें किन्तु क्रिप्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना आजाद ने कहा था– **'जब तक युद्धकाल में कौंसिल को वास्तविक शक्ति और उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाए, तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होगा।**[12]

क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण देने से स्पष्ट कर दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के सामने जो विषम परिस्थिति आ पड़ी है, उसके निवारण के लिए जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारतीय रक्षा तथा उसके युद्ध सम्बन्धी प्रयत्नों पर सम्राट का ही नियंत्रण रहेगा। चूंकि क्रिप्स भारत के

---

[11] नेहरू, जवाहर लाल– दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, प्रकाशक–ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981 पृ–465

[12] आजाद, अबुल कलाम–इण्डिया विन्स फ्रीडम, प्रकाशक–ओरिएण्ट एण्ड लौंगमेन्स, कलकत्ता, 1964, (हिन्दी में अनुवादक–महेन्द्र चतुर्वेदी, भारत की आजादी, 1965) पृ–57

प्रतिनिधियों को देश की रक्षा के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण देने को तैयार नहीं था, इसलिए काँग्रेस के पास उसके सुझावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

10 अप्रैल 1942 को काँग्रेस कार्य समिति ने क्रिप्स प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।[13] यद्यपि क्रिप्स प्रस्तावों में एक प्रकार से पाकिस्तान की माँग मान ली गई थी फिर भी मुस्लिम लीग का कहना था कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की माँग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, अतः लीग ने भी 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया।[14]

क्रिप्स के प्रस्ताव वास्तव में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के निर्जीव और मृत शिशु के समान थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स नई दिल्ली में बीस दिन तक इस प्राणहीन शिशु में कृत्रिम उपायों से जीवन संचार करने की कोशिश करते रहें। उसमें जीवन फूँकने की उन्होंने लाख कोशिश की, पर सब बेकार हो गया। बीच–बीच में कभी उसमें थोड़ा स्पंदन और गति का अनुभव होने लगता, परन्तु कोई नुस्खा काम न आया। 11 अप्रैल 1942 को इस शिशु को जमीन में गाड़ दिया गया, अर्थात क्रिप्स प्रस्तावों के अन्तिम रूप से असफल हो जाने की घोषणा कर दी गयी।[15] इस प्रकार क्रिप्स असफल रहा और सर स्टैफर्ड क्रिप्स 12 अप्रैल 1942 को लन्दन वापस प्रस्थान कर

---

[13] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–371

[14] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 247 तथा भगवान विष्णु और मोहला, पी0ए0– भारत का संवैधानिक विकास, भाग I (1600-1947), प्रकाशक– आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, 1972 पृ–330

[15] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–379

गए। चूंकि भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स के सुझावों को मानने से इन्कार कर दिया था इस कारण सरकार ने इन सुझावों को वापस ले लिया।[16]

भारत छोड़ो आन्दोलन के सूत्रपात :-

क्रिप्स प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद सारे देश में निराशा और क्षोभ की लहर दौड़ गयी। भारतीय जनता में इस विश्वास को बल मिला कि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को केवल अमरीका और चीन के दबाव में ही भारत भेजा था। चर्चिल ने राष्ट्रवादियों की माँगों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों तथा अमरीका के राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट करने के लिए क्रिप्स को भारत भेजा था। वह इस मिशन को भेज कर यह भी सिद्ध करना चाहता था कि भारतीय समस्या इतनी जटिल है कि उसे हल नहीं किया जा सकता।[17] वस्तुतः ब्रिटिश कैबिनेट एवं भारत सरकार दोनों ही भारतीय सत्ता को हस्तान्तरण के विरूद्ध थे। यदि ब्रिटेन को युद्ध के बाद सत्ता का हस्तान्तरण करना था, तो युद्ध की स्थिति में भी मतभेद की जड़ भारत नियंत्रित रक्षा मंत्रालय की स्थापना कर सत्ता का सीमित हस्तान्तरण किया जा सकता था।[18] सन्देह तथा निराशा के इस वातावरण में ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स मिशन के द्वारा कुछ असाधारण तथा ठोस सुझाव पेश करके अपनी उदारता तथा सहानुभूति का परिचय देना चाहिए था लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रही।[19]

---

[16] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 253

[17] मजूमदार, ए0के0–एडवेन्ट ऑफ इनडिपेण्डेन्स, पृ–172

[18] ब्रेचर, माइकेल–नेहरू : ए पॉलिटिकल स्टडी, लन्दन, 1959, पृ–281

[19] सीकरी, एस0एल0–ए कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ–211

बर्मा पर जापान की विजय के बाद वहाँ से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी दु:ख भरी कहानियां सुनायी। अँग्रेजों और भारतीयों को बर्मा से भारत आने के लिए अलग–अलग मार्ग दिए गए थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारणी परिषद के सदस्य **मि0 अणे, हृदयनाथ कुँजरू** और **मि0 डाम वर्मा** में भारतीयों की स्थिति देखने के लिए गए। उन्होंने बाद में एक वक्तव्य में कहा था– **'भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वे किसी घटिया जाति से सम्बन्धित हों।**[20]' गाँधी जी इससे दु:खित थे। 10 मई 1942 को उन्होंने **'हरिजन'** में लिखा – **'भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों के प्रति व्यवहार में जो भेद किया जा रहा है और सेनाओं की जो खराब व्यवस्था है, उससे अंग्रेजों के इरादों और घोषणाओं के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।**[21]–

दुश्मन (जापानियों) के हाथों में कुछ न पड़े, इस कारण समुद्र तट पर सब कुछ नष्ट किया जा रहा था। हजारों देशी नावों को नष्ट कर दिया गया, जिससे हजारों परिवार पलते थे। बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटपर रहने वालों की घबराहट बढ़ गयी थी। लोगों को घरों और खेतों से बेदखल कर दिया गया था। उन्हें पुलिस और फौज दोनों ही परेशान करती थी। इस समय वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे। लोगों का कागज़ के नोटों से विश्वास उठता जा रहा था। जापानी आक्रमण का भय दिन–दूना, रात–चौगुना बढ़ता जा रहा था। पूर्वी भारत को छोड़ने की अंग्रेजों की योजना भी थी।[22]

---

[20] इण्डियन एनुअल रजिस्टर, वॉल्यूम I, 1942 पृ–144 (ग्रेट ब्रिटेन पार्लामेण्ट्री डिबेट्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिल्द 302)

[21] गाँधी, महात्मा–'हरिजन' 10 मई 1942

[22] प्रसाद, अम्बा दि इण्डियन रिवोल्ट ऑफ 1942, (दिल्ली, 1958) पृ–39

गाँधी जी का विचार था कि यदि अँग्रेज भारत में रहें तो जापानियों का आक्रमण अवश्य होगा। यदि अँग्रेज भारत छोड़कर चले जाए तो शायद जापानियों का आक्रमण न हो। इसलिए गाँधी जी ने अँग्रेजों को भारत से निकल जाने के लिए कहा था। परन्तु इस समय सरकार की पूरी नीति देश में समस्त राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और देश पर सरकारी पंजे को कसने की थी।[23]

अप्रैल 1942 के अन्त में इलाहाबाद में अखिल भारतीय काँग्रेस समिति की बैठक में सरकार के कार्यों पर क्षोभ प्रकट किया गया और कहा गया– '**भारत ऐसी स्थिति स्वीकार न करेगा जिसमें इसे किसी विदेशी सरकार का दास बन कर रहना पड़े।**[24]' इस समय देश घोर निराशा में डूबा हुआ था। गाँधी जी ने '**हरिजन**' में कई लेख लिखे जिनके द्वारा उन्होंने जनता के विचारों को नई दिशा दिखलाई। इस समय उनके लिए निष्क्रिय बना रहना असम्भव हो गया था। गाँधी जी ने यह अनुभव किया कि निष्क्रियता और सरकार के सामने घुटने टेक देने की नीति राष्ट्रीय स्वाधीनता को बहुत देर तक रोंके रहेगी। अतः वह इस अवरोध को दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय निकालना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन के विचारों को जन्म दिया।[25]

14 जुलाई को काँग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई। इस बैठक में गाँधी जी के इस विचार का समर्थन किया गया कि भारत के वैधानिक गतिरोध का एकमात्र उपाय यह है कि अब अँग्रेज भारत छोड़

---

[23] सूद, ज्योति प्रसाद – भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, प्रकाशक – जयप्रकाशनाथ एण्ड कम्पनी मेरठ तृतीय हिन्दी संस्करण 1972, पृ–166

[24] वही

[25] वही, पृ–167

कर चले जाए कॉंग्रेस ने इस समय एक प्रस्ताव पास किया जो **भारत छोड़ो प्रस्ताव** के नाम से प्रसिद्ध है।[26]

कॉंग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में 6 जुलाई से 14 जुलाई तक जारी रही थी।[27] 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव में घोषित किया गया कि भारत से ब्रिटिश राज्य का तुरन्त अन्त होना चाहिए। कार्यसमिति ने यह माँग की कि '**भारत स्वतंत्रता का अर्थात बराबरी का दर्जा मिलने पर ही देश की सुरक्षा कार्यों में उत्साह पूर्वक हिस्सा ले सकता है।**' कार्यसमिति ने इस माँग को पूरे दमखम से रखा– '**यदि ब्रिटिश राज्य को भारत से तुरन्त हटा लेने की माँग स्वीकार नहीं की गई तो महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत छोड़ों आन्दोलन शुरू कर दिया जाएगा।**[28]' इस फैसले को अन्तिम निर्णय लेने के लिए बम्बई में 7 अगस्त 1942 को कॉंग्रेस महसमिति की बैठक बुलाई गई। कार्यसमिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्रिप्स मिशन की असफलता से देश में ब्रिटेन के विरूद्ध दुर्भावना बढ़ी है और लोग जापानियों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हैं। अतः कार्यसमिति ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया कि यदि भारतवासियों को स्वतंत्रता की रोशनी मिल जाए, तो वे खुशी से जापानियों का मुकाबला कर सकते हैं।

---

[26] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 255 तथा अग्रवाल, आर0सी0–भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तथा भारतीय संविधान), प्रकाशक – एस0चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, रामनगर, नई दिल्ली, 1994 (सत्रहवां संशोधित संस्करण) पृ–328

[27] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–391

[28] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–395–397 तथा रमणराव, एम0बी0–ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कॉग्रेस,प्रकाशक–एस0चॉंद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1959, पृ–219–220

8 अगस्त 1942 का प्रस्ताव

14 जुलाई 1942 के बाद अगस्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि जिससे जनता की भावनाए उग्र होने लगी। उधर ब्रिटिश सरकार भी जनता के दमन की तैयारी कर रही थी। परिणामस्वरूप सरकार और जनता के बीच संघर्ष अनिवार्य-सा हो गया।[29]

अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति का अधिवेशन 7 अगस्त, 1942 को बम्बई में शुरू हुआ। सभामण्डप कमिटी की बैठक के बजाय काँग्रेस का एक छोटा सा अधिवेशन प्रतीत हो रहा था, जिसमें करीब बीस हजार आदमी सम्मिलित हुए थे, सदस्यों और जनता दोनों में ही बड़ी उत्तेजना थी। कमिटी में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ जो **भारत छोड़ो प्रस्ताव** के नाम से प्रसिद्ध है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसे पेश किया था और सरदार वल्लभभाई पटेल ने समर्थन किया।[30] प्रस्ताव 8 अगस्त को भारी बहुमत से पास हुआ। केवल 12 सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट दिए।[31]

प्रस्ताव की चन्द महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थी। कमिटी इस प्रस्ताव को स्वीकार्य करती है तथा उसका अनुमोदन करती है (यह संकेत वर्किंग कमिटी की 14 जुलाई की बैठक द्वारा पारित प्रस्ताव की ओर है) और उसका मत है कि जो घटनाएं उस प्रस्ताव के बाद घटी हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है और यह अब प्रत्यक्ष है कि ब्रिटिश शासन का भारत वर्ष से समाप्त होना, भारत तथा अन्य संयुक्त राष्ट्रों के हित में नितांत आवश्यक है। ब्रिटिश शासन यहाँ भारत को कमजोर तथा जलील बना रहा है, वह दिन–प्रति–दिन अपनी सुरक्षा करने में कमजोर होता

[29] शर्मा, चतुर्भुज–विद्रोही की आत्मकथा, प्रकाशक–आत्माराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1970, पृ–103
[30] वही, पृ–104
[31] वही

चला जा रहा है। .... कोई भी भविष्य में दिए जाने वाले वायदे इस खतरे को अब बदल नहीं सकते। अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी अब फिर अन्तिम बार विश्व शान्ति के लिए ब्रिटेन तथा अन्य संयुक्त राज्यों से अपील करती है तथा महसूस करती है कि इस बात का कोई औचित्य नहीं कि भारत के ऊपर एक ऐसा जबरदस्ती का राज्य लादा जाए जो यहाँ की जनता को अपने तरीके से अपने देश की इच्छानुसार शासन करने से रोंके। .... इसलिए कमिटी यह प्रस्ताव करती है और मंजूरी देती है कि इस आजादी के अपने हक को पाने के लिए एक बड़े से बड़ा शान्तिमय आन्दोलन शुरू किया जाए ताकि देश ने पिछले 22 वर्षों में शान्तिमय तरीके से लड़कर जो बल प्राप्त किया है अब उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। .... कमिटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाईयों जो उनके ऊपर आएगें, साहस और दृढ़तापूर्वक सामना करने तथा गाँधीजी के नेतृत्व में एकता के सूत्र में बंधकर भारतीय स्वतंत्रता के अनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती है।[32]

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गाँधी जी ने अपना भाषण दिया। उस दिन गाँधी जी एक अवतार और पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे।[33] उनके अन्दर आग धधक रही थी। गाँधी जी ने उस दिन राजनीति के निम्न धरातल से ऊपर उठकर मानवता, विश्वव्यापी भातृत्व, शान्ति और मानवमात्र के प्रति सद्भाव से परिपूर्ण होकर दिव्यलोक की चर्चा की।

---

[32] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–399, 402

[33] वही, पृ–405

गाँधी जी ने कहा था – **'मैं इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, सेनापति अथवा नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि आपके तुच्छ सेवक के रूप में।'** गाँधी जी ने सवाल किया – **'आखिर आज भारत की आजादी माँग कर काँग्रेस ने कौन सा अपराध किया है?**[34] अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने कहा– **'मैंने काँग्रेस को बाजी पर लगा दिया है, वह करेगी या मरेगी।**[35]**'**

अपने दिव्य भाषण में गाँधी जी ने कहा था कि 'यह मेरे जीवन का अन्तिम संघर्ष होगा और **'करो या मरो'** का इतिहास प्रसिद्ध नारा दिया,' जिसका तात्पर्य यह था कि भारतीय जनता स्वधीनता की प्राप्ति हेतु हर सम्भव प्रयास करें। गाँधी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह खुला हुआ अहिंसात्मक आन्दोलन होगा और इसमें गोपनीय कुछ भी नहीं रहेगा।[36]

दमनात्मक तरीके

काँग्रेस द्वारा संचालित पिछले सभी आन्दोलनों का प्रारम्भ किए जाने के शीघ्र ही बाद ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र प्रारम्भ किया था लेकिन इस बार आन्दोलन और दमन चक्र का क्रम विपरीत हो गया। गाँधी जी ने कहा था – 'भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वे एक बार वायसराय महोदय से बातचीत करेंगे।' सरकार ने गाँधी जी को इस प्रकार

---

[34] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–406–407

[35] नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश –भारत का मुक्ति संग्राम, भाग II, प्रकाशक –राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997, पृ – 257

[36] वही पृ – 258

की बातचीत का मौका ही नहीं दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गाँधी जी तथा काँग्रेस कार्यकारणी के अधिकांश सदस्यों को कैद कर लिया गया।

इसके उपरान्त एक दो दिन में ही प्रान्तीय नेताओं को भी कारागार में डाल दिया गया। महात्मा गाँधी और काँग्रेस के दूसरे नेताओं को बन्दी बनाने के पूर्व 8 अगस्त की रात्रि को शासन द्वारा एक विज्ञप्ति प्रसारित की गई, जिसमें काँग्रेस द्वारा अपनाएं जाने वाले कार्यक्रम का उल्लेख था। शासन ने इस विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए कहा – 'इस कार्यक्रम के कारण ही नेताओं को गिरफ्तार करने की आवश्यकता हुई।' इस विज्ञप्ति के अनुसार रेल की पटरियों को उखाड़ना तथा टेलीफोन व टेलीग्राम के तारों को तोड़ा जाना, काँग्रेस के कार्यक्रम का प्रमुख अंग था।[37]

शासन ने काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया और उसके दफ्तरों को तहस–नहस कर दिया। संयुक्त प्रान्त (यू0पी0) की सरकार ने अपने यहाँ काँग्रेस कार्यसमिति, अखिल भारतीय महासमिति तथा सभी प्रान्तीय, जिला, नगर, तहसील, वार्ड और मण्डल काँग्रेस कमेटियों को अवैध घोषित कर दिया और 1932 के संयुक्त प्रान्तीय विशेषाधिकार कानून को प्रान्त के सभी जिलों पर लागू कर दिया।[38] इलाहाबाद में स्वराज्य भवन पर सरकार ने कब्जा कर लिया।

---

[37] प्रसाद, राजेन्द्र–ऐट द फीट ऑफ महात्मा गाँधी, पृ–308

[38] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–437

शासन द्वारा भारतीय नेताओं को कारावास में डाल दिए जाने से जनता अवाक् सी रह गई। जनता शासन की नीति से तो पहले ही ऊब चुकी थी, मार्ग निर्देशन के आभाव में जनता के इस विरोध ने व्यापक जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। बलिया जिले में चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश सरकार को एक सप्ताह के लिए वहाँ से बिल्कुल समाप्त कर दिया।[39] यू0पी0 में आन्दोलन बहुत तेजी से फैला। आन्दोलन की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त प्रान्त की सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स लागू किया, जिसके अन्तर्गत यह ऐलान किया गया कि **'आग लगाने या किसी विस्फोटक द्वारा शरारत फैलाने पर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकेगा और उसे ताजीराते हिन्द के अन्तर्गत दी जाने वाली सजा के अलावा कोड़े लगाए जाने की सजा भी दी जा सकेगी।'** इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति, ऐसी किसी इमारत, मोटरगाड़ी, मशीन इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, जो सरकारी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई हो, की जाने वाली हो, अथवा किसी रेलवे स्टेशन, ट्राम, सड़क, पुल, नहर इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, किसी इमारत मे चोरी करेगा या डाकेजनी करेगा तो उसे भी अपराधी घोषित करके दण्ड दिया जा सकेगा।[40]

'भारत छोड़ो आन्दोलन के शुरू होते ही राजनीतिक रूप से जागृत बाँदा की जनता जिसके हृदय में पहले से ही अंग्रेजी शासन के प्रति असन्तोष की भावना भरी थी, ज्वालामुखी के समान फूट पड़ी[41]

---

[39] शर्मा, चतुर्भुज–विद्रोही की आत्मकथा, प्रकाशक–आत्माराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1970, पृ–122

[40] सीतारमैया, पट्टाभि–दि हिस्ट्री ऑफ दि काँग्रेस (1935–1942) भाग– II, प्रकाशन –सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली–1948, पृ–439

[41] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–64

भारत छोड़ो आन्दोलन में बाँदा जनपद के लोगों की भागीदारी :

1921 में अहमदाबाद के काँग्रेस अधिवेशन के समय से बाँदा जनपद के लोग काँग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए जाने लगे थे। अहमदाबाद के अधिवेशन में बाँदा से **कुँवर हर प्रसाद सिंह**, **बैजनाथ तिवारी**, **शंकरलाल जैन** आदि शामिल हुए थे।[42] अर्तरा के **राजाराम रुपौलिया** 1925 में काँग्रेस में शामिल हुए थे, उसी वर्ष कानपुर अधिवेशन में भी शामिल हुए, फिर तो उनका प्रयास रहता था कि वे हर अधिवेशन में शामिल हों। 1932 के लखनऊ अधिवेशन में, 1938 के त्रिपुरा अधिवेशन में 1939 के रामगढ़ अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था[43]

अगस्त 1942 में काँग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन बम्बई में प्रस्तावित था। ऐसा हो ही नही सकता था कि इतने महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के लिए **राजाराम रुपौलिया** बम्बई न जाते। इस अधिवेशन में भाग लेनें के लिए उनकी पत्नी **श्रीमती विजयलक्ष्मी रुपौलिया** जो 1926 से ही बाँदा जिले के पूर्वी भाग के गाँवों मे काँग्रेस का प्रचार करने में कंधा से कंधा मिलाकर चल रही थी, उनके साथ बम्बई गई।

अगस्त 1942 में रुपौलिया भी सपत्नीक बम्बई में उतरे। वहां के सेवादल वाले जो भी खादीधारी ट्रेन से उतरते, उनको झट कार में बैठा कर होटलों में पहुँचा देते थे, इन्हें भी होटल में पहुँचाया गया। रुपौलिया जी की पत्नी श्रीमती विजयलक्ष्मी जी को होटल में रुकनें में कुछ

[42] भवानीदीन – समरगाथा, बसन्त प्रकाशन– महोबा 1995 पृ–54

[43] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–151

असुविधा हुई, अतः ये दोनों धर्मशाला चले गए। धर्मशाला में ही बाँदा के युवा काँग्रेसी **जगदीश करवरिया** भी रुके थे। जो काँग्रेस अधिवेशन देखने के लिए उत्सुक थे परन्तु उनके पास अधिवेशन पण्डाल के अन्दर जाने का टिकट नहीं था। रुपौलिया जी ने अपनी पत्नी का टिकट करवरिया जी को दे दिया और चित्रकूट के नाम से रियायती क्षेत्र के कोटे से अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया। वहाँ सेवा दल का काम औरतों के हाथ में था। इसलिए श्रीमती रुपौलिया महात्मा गाँधी के तख्त तक पहुॅच जाया करती थी।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रस्ताव, महात्मा गाँधी के भाषण, उनके **'करो या मरो'** के उद्घोष तथा अगले दिन बम्बई में सरकारी दमन चक्र के ये तीनों ही प्रत्यक्षदर्शी थे। बम्बई में आन्दोलन के उग्र रूप धारण करने में, तोड़–फोड़ के कार्यों के प्रारम्भ हो जाने से इनके सामने किसी प्रकार से घर लौटने की जटिल समस्या आ गई। किसी प्रकार पंजाब मेल में बैठकर इटारसी पहुँचे, वहाँ से बाँदा जिले के एक रेलवे स्टेशन भारकुण्डी पहुँचे। यहाँ उन्हें बाँदा की धर–पकड़ की सूचना प्राप्त हुई और ये लोग सावधान हो गए। रुपौलिया जी ने अपनी पत्नी को गाँव–गाँव के रास्ते से होकर अतर्रा जाने की सलाह दी और स्वयं पुलिस की नजर से बचकर आन्दोलन की गति तीव्र करने के बाद ही जेल जाने का निर्णय लिया।[44]

सरकार ने भारत छोड़ों आन्दोलन को कठोरता से दमन करने का निश्चय पहले से ही ले लिया था। सरकार ने जिलों के कलेक्टरों को इस

[44] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–151

विषय में पहले ही सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए थे। 8 अगस्त 1942 को रात में ही जनपद के प्रमुख काँग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी के वारण्ट जारी कर दिए।

9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल से ही पुलिस ने आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। कर्वी के प्रमुख काँग्रेसी नेता **मास्टर नारायणदास** जो नमक आन्दोलन में 6 माह की सजा काट चुके थे, को 9 अगस्त 1942 को जब वह **दुर्गाप्रसाद केसरवानी** के दरवाजे पर खड़े थे, अनायास गिरफ्तार कर भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत बाँदा जेल में नजरबन्द कर दिए गए।[45]

9 अगस्त 1942 को ही बाँदा शहर के **श्री ज्वाला सरदार सिंह** और **बृजमोहन लाल गुप्त** गिरफ्तार करके जेल में नजरबन्द कर दिए गए।[46]

नरैनी तहसील की हर आन्दोलन में प्रमुख भूमिका रहा करती थी। इसी कारण इस तहसील के ग्राम जमरेही के प्रमुख नेता **महावीरदास बाबा** को भी 9 अगस्त 1942 को भारतीय प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर बाँदा जेल में 12 जनवरी, 1944 तक नजरबन्द रहे।[47] नरैनी तहसील के ही ग्राम विलगाँव के **गंगाप्रसाद खरे** भी 9

---

[45] प्रसाद, नत्थू – नारायण नैवेद्य, पृ–4

[46] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–101, 108 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–104

[47] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–167

अगस्त को कैद कर लिए गए, इन्हें भारत छोड़ो आन्दोलन में पुनः 24 अप्रैल 1944 में 6 माह कैद की सजा मिली।[48]

बाँदा के कलेक्टर ने ग्राम पल्हरी के **बद्रीप्रसाद** और उनके छोटे भाई **राम सनेही भारती** की गिरफ्तारी के वारण्ट 8 अगस्त को ही जारी कर दिए थे। 9 अगस्त 1944 को जब पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने पहुँची तो उसके पहले ही दोनों भाई फरार हो चुके थे। कई महीने तक आन्दोलन को फरार रह कर चलाते रहें, फिर गिरफ्तार किए गए।[49]

बाँदा के जिलाधीश **मि0 गिल** ने जनपद के प्रमुख काँग्रेसी नेता **कुँ0 हरप्रसाद सिंह** को बहुत खतरनाक व्यक्ति समझा, इसलिए 10 अगस्त 1942 को उनको कैद कर लिया गया। बाँदा जेल में कुँवर साहब अस्वस्थ्य हो गये, जिसके फलस्वरूप वे बलरामपुर अस्पताल भेंजे गए। जहाँ 24 जुलाई 1943 तक उन्हें जेल में नजरबन्द रखा गया।[50]

कुँ0 हरप्रसाद सिंह के जेल जाने के बाद भी काँग्रेस के कार्य में कोई बाधा नहीं आई। आन्दोलनकारी लगातार आन्दोलन सम्बन्धी सूचना–बुलेटिन निकालते रहें। तत्कालीन कोतवाल **मोहम्मद अली** ने जिलाधीश महोदय को सलाह दी कि केवल **कुँवर साहब** के पकड़ने से कुछ न होगा, उनके मुन्शी जी को पकड़ना जरूरी है। **मुन्शी**

---

[48] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–168
[49] वही पृ–172
[50] वही, पृ–71

मथुराप्रसाद खरे के घर पर व पुस्तकालय में कई बार छापा मारा गया, अतः उन्हें भी बन्दी बना लिया गया।[51]

कुँवर हरप्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन जिले के ग्राम पारा, तहसील बबेरू में छापा मार कर काँग्रेस कार्यों में किसानों का संगठन करने वाले प्रमुख नेता **श्री गोपीकृष्ण आजाद** को पुलिस ने धारा 36 के अन्तर्गत 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर 1943 तक आजाद जी बाँदा जेल में बन्द रहें।[52]

बाँदा जनपद के आन्दोलनकारियों का गुस्सा ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त दमनकारी नीति के कारण और बढ़ता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप 12 अगस्त 1942 को जिले में तोड़–फोड़ की घटना शुरू हुई और इसकी सूचना शासन को मिली।[53]

बाँदा जनपद के तिरहार क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता के दीवाने थे जो स्वतंत्रता रूपी दीप–ज्वाला में परवानों की तरह कूद पड़े थे। उनमें **रामदत्त उर्फ टेनी** का नाम उल्लेखनीय है। ये चंदवारा ग्राम के निवासी थे। 1920 में स्वदेशी आन्दोलन से प्रभावित होकर काँग्रेस में सम्मिलित हुए, उस समय इन्होंने अपना नाम बदलकर '**रामदत्त उर्फ टेरन**' के स्थान पर **सूर्यबली उर्फ टेनी** रखा।

---

[51] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–88

[52] वही, पृ–127

[53] फाइल होम 1942, पॉलिटिकल आई0के0डब्ल्यू0 नं0 3/79/42, पोल0 आई0 पार्ट–2, (9/410, 9/413), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली,

9 अगस्त 1942 में जब जनपद में आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार ने शुरू करायी तो आपने (टेनी) निश्चय किया कि कुछ करने के बाद ही गिफ्तार होंगे। अतः चुपके से कानपुर पहुँच गए और कुछ साथियों के साथ 12 अगस्त 1942 को **'नयागंज कानपुर पोस्ट आफिस'** के दरवाजे को काट कर उसमें आग लगा दी और उसकी सारी राशि लूट ली। इसके चार–पाँच दिन बाद **जनरलगंज, कानपुर** में स्थित इलाहाबाद बैंक को लूटकर बावन हजार रुपये काँग्रेस तिलक हाल कार्यालय में जमा कर दिए।[54]

उपर्युक्त घटना के बाद टेनी जी ग्वालियर चले गए और वहाँ लुके–छिपे रहने लगें, लेकिन स्वतंत्रता की ज्वाला कब शान्त होने वाली थी। मेलवान को लूटने की योजना बनाई। ड्राइवर मनोहरलाल से दोस्ती करके सब कुछ मालूम कर लिया। प्रतिदिन मेलवान में गोली मार कर उसे नष्ट–भ्रष्ट कर लूटने लगे। ड्राइवर मनोहर लाल डर कर भाग गया, आगरा में उसनें पुलिस को सूचना भेज दी। अंग्रेज पुलिस दल ने इनके दल को घेर लिया, जमकर लड़ाई हुई लेकिन कारतूस समाप्त हो जाने के कारण पुलिस द्वारा पकड़े गए। भारत सरकार ने इन्हें दिनांक 18 जुलाई 1972 को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया तथा पेंशन भी स्वीकृत की।[55]

पं0 राजाराम रुपौलिया बम्बई में काँग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद 10 अगस्त को बाँदा भारकुण्डी पहुँचे। वहाँ उन्हें सरकार द्वारा बाँदा और कर्वी में काँग्रेसियों की गिरफ्तारी की सूचना मिली। वे स्वयं वहीं रुक कर पत्नी को घर भेज दिए। रुपौलिया जी बिना कुछ

---

[54] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–115
[55] वही

तोड़–फोड़ का कार्य किए जेल नहीं जाना चाहते थे। अतः गाँव–गाँव घूम कर क्रान्तिकारी कार्यों के लिए संगठन करने लगें।

रुपौलिया जी ने रेल की पटरी उखाड़ने और नरैनी तहसील लूटने की योजना बनायीं। खुरहण्ड और तुर्रा में उन्होंने रेल की पटरियां भी उखाड़ी, परन्तु साथियों के पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण नरैनी तहसील को वे लूट नहीं सकें और 26 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया।[56]

बाँदा जनपद के अन्य बहुत से आन्दोलनकारी अगस्त 1942 में गिरफ्तार किए गए थे। उनमें प्रमुख, **चौधरी चन्द्र भूषण सिंह, कलुआ गजाधर प्रसाद, चुनकाई, जगदीश प्रसाद करवरिया, जुगुलकिशोर करवरिया, गया प्रसाद उर्फ दनदन, देवीदयाल, सूरज प्रसाद, रामबिहारी करवरिया, फरकी सिंह, ननकू, बड़कूसिंह, महावीर महेश्वरी, मुन्ना, मुरलीधर, रघुवरदयाल, रामकिशोर, रुद्रनाथ, विश्वेसर, शंकरगुरू, शिव कुमार त्रिपाठी, हीरालाल** प्रमुख थे।[57]

औरतें भी **'भारत छोड़ो आन्दोलन'** में सक्रिय थी। बाँदा निवासी **तुलसीदास** तथा उनकी धर्मपत्नी **श्रीमती रामकली** भी आन्दोलन में सक्रिय रहीं और क्रान्तिकारियों का सहयोग करती रहीं। जब इनके घर की तलाशी ली गयी तो वहाँ पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, मिलता भी कैसे? श्रीमती रामकली ने पुलिस की आँख बचाकर सब सामान मकान के

---

[56] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–117, 137

[57] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–108

पीछे फेंक दिया था। पुलिस को बाद में घर के पीछे बम बनाने का थोड़ा कुछ सामान मिला। घर के पीछे सामान मिलने पर पुलिस द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 15 फरवरी 1942 को एक दिन का कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा दी गयी।[58]

युवा वर्ग भी **भारत छोड़ो आन्दोलन** में सक्रिय रहा किन्तु अंग्रेजों के 'दमनचक्र' और 'फूट डालो और राज्य करो' ने युवा वर्ग को कुछ ठोस कदम न उठाने दिया। फलतः यह बिखर–सा गया, फिर भी नवयुवकों ने तोड़–फोड़ का कार्य जारी रखा, जिसके फलस्वरूप बन्दी बनाए गए। छात्रों की गतिविधियों को उग्र रूप धारण नहीं करने हेतु छात्रों के एक मात्र संगठन बालसंघ का विघटन तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने अपने आदेश से कर दिया।[59]

कर्वी क्षेत्र का नेतृत्व युवक नेता **जगदीश करवरिया** कर रहे थे। **भारत छोड़ो आन्दोलन** में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 29(6) के अन्तर्गत 6 माह की सजा पायी। फिर उसी कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 25 अगस्त 1942 से 12 जनवरी 1944 तक नजरबन्द रहें।[60]

बाँदा क्षेत्र में युवा छात्र नेताओं में **गंगा केशव** और **जमुना प्रसाद बोस** प्रमुख रूप से सक्रिय थे। भारत छोड़ो आन्दोलन जब प्रारम्भ हुआ बोस जी बनारस में एडमीशन की तैयारी कर रहे थे। **'करो या मरो'** का

---

[58] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–152

[59] वही, पृ–156

[60] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–99 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–199

नारा सुनकर इन्होंने भूमिगत होकर युवकों के तोड़–फोड़ के कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया। 26 जनवरी 1943 को इनको इन्हीं कार्यों के कारण कारावास का दण्ड भोगना पड़ा।[61] पुनः भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 26 जनवरी 1945 को जेल में नजरबन्द कर दिए गए।[62]

अंग्रेजों द्वारा **भारत छोड़ो आन्दोलन** के समय जिले में लगभग 84 लोगों को कैद की सजा दी गई।[63] फलतः 1945 तक अन्दोलन शिथिल पड़ने लगा। शिथिल स्वतंत्रता की प्राप्ति तक जिले में कुछ–न–कुछ राजनैतिक गतिविधियां चलती ही रही।

15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा का जनता ने उत्साह से स्वागत किया।

1942 के आन्दोलन में बन्दी बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों की सूची

1. **श्री कलुआ पुत्र गिधवा** : निवासी बाँदा, 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिलें में 14 अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक जेल में नजरबन्द रहें।[64]

---

[61] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–105

[62] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100

[63] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–64

[64] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93

2. **श्री किशुन पुत्र जिवाजी** : निवास स्थान बाँदा ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 39 के अन्तर्गत 2 मार्च 1943 को एक वर्ष की सजा पायी।[65]

3. **श्री केशवप्रसाद आत्मज श्री शिवप्रसाद** : जन्म 1917, निवासी पिस्ता, थाना बिसण्डा, जिला बाँदा, को भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में 15 माह की सजा हुई। फिर भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 26 जनवरी 1945 को नजरबन्द किए गए।[66]

4. **श्री गंगा प्रसाद पुत्र शिवनन्दन** : जन्म 1916, निवासी तहसील नरैनी, भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 9 अगस्त 1942 को जेल में नजरबन्द किए गए। जेल एक्ट की धारा 52 के अन्तर्गत 23 नवम्बर 1942 को फिर तीन माह कैद की सजा पायी। फलतः उक्त कानून की धारा 38 के अन्तर्गत भी 24 अप्रैल 1944 को 6 माह कैद की सजा पायी।[67]

5. **श्री गजाधर प्रसाद पुत्र बिहारी** : जन्म 1902, निवासी ग्राम खुरहण्ड, थाना गिरवां, तहसील नरैनी। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 13 अगस्त 1942 से 3 अक्टूबर 1943 तक जेल में नजरबन्द रहें।[68]

6. **श्री गजोधर प्रसाद पुत्र राजाराम** : जन्म 1910, निवास स्थान राजापुर, जिला बाँदा में हुआ। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने

---

65 भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—94

66 भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—94 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर —कामद क्रान्ति, पृ—199

67 भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—94

68 भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—95 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर—कामद क्रान्ति, पृ—199

के कारण 11 अक्टूबर 1943 को 6 माह कैद और तीस रुपया जुर्माने की सजा मिली।[69]

7. **श्री गजोधर उर्फ रुददेव शर्मा** : तहसील बबेरू, जिला बाँदा के निवासी ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण आठ माह की सजा हुई।[70]

8. **श्री गजोधर सिंह उर्फ मन्नू सिंह** : तहसील बबेरू, जिला बाँदा के निवासी ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत 31 जनवरी 1945 को गिरफ्तार किए गए।[71]

9. **श्री गया प्रसाद आत्मज महादेव** : जन्म 1902, ग्राम जमरेही, नरैनी तहसील में हुआ था। रियासतों के आन्दोलन में भाग लेने के कारण पहले ही 5 वर्ष की सजा भुगत चुके थे। भारत छोड़ो आन्दोलन में फरार होकर अंग्रेजी सरकार की नाक में दम करते रहें, किन्तु बाद में पकड़े गए और 15 अप्रैल 1943 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 36 के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा पायी।[72]

10. **श्री गुलाब सिह पुत्र द्वारिका सिंह** : जन्म 1916, निवासी ग्राम बरगढ़, तहसील मऊ, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129/26 के

---

69 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–95

70 वही

71 वही

72 वही पृ–95, 96 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–199

अन्तर्गत 8 सितम्बर 1942 से 20 नवम्बर 1943 तक जेल में नजरबन्द रहें।[73]

11. **श्री गोदिन शर्मा आत्मज दीनदयाल** : निवासी चित्रकूट तहसील कर्वी, जिला बाँदा, जन्म 1892। 1920 से ही काँग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेने लगें। पत्रकारिता से भी जुड़कर जनकार्यों में भाग लिया। भारत छोड़ों आन्दोलन के सिलसिले में 15 माह कैद की सजा मिली। बाद में भी कुछ समय तक नजरबन्द रहें।[74]

12. **श्री चन्द्रकमल पुत्र लालता प्रसाद** : निवासी ग्राम बरगढ़, तहसील मऊ, जिला बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 30 अगस्त 1942 से 9 अक्टूबर 1943 तक जेल में नजरबन्द रहें।[75]

13. **श्री चन्द्रभूषण सिंह चौधरी आत्मज श्री शिवराज सिंह चौधरी** : निवासी सिविल लाइन्स बाँदा 1930 के नमक सत्याग्रह के पहले से ही काँग्रेस में सक्रिय रहें तथा सभी आन्दोलनों में हिस्सा लिए और 8 अक्टूबर 1942 से 26 अक्टूबर 1943 तक नजरबन्द रहें।[76]

14. **श्री चुनकाई पुत्र धर्मपाल** : निवासी ग्राम बमलोहरा, थाना बिसण्डा, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय भारतीय प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 31

---

73 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–96 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–199

74 वही

75 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–96

76 वही पृ–97

अगस्त 1942 से 1 अक्टूबर 1943 तक जेल में नजरबन्द रखा गया।[77]

15. **श्री जगदीश प्रसाद करवरिया आत्मज रामबहोरी करवरिया :** निवासी तरौंहा, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 29(6) के अन्तर्गत 6 माह की सजा पायी। फिर 25 अगस्त 1942 से 12 जनवरी 1944 तक कानून की धारा 26 के अन्तर्गत नजरबन्द रहें।[78]

16. **श्री जगपतसिंह आत्मज ठा0 बिन्दासिंह :** निवासी असोह, तहसील कर्वी, जिला बाँदा को 1942 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण दो वर्ष के कारावास की सजा मिली।[79]

17. **श्री जमुना प्रसाद बोस आत्मज श्री आनन्दी प्रसाद :** निवासी खिन्नी नाका, काल्वनगंज, बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 26 जनवरी 1945 को जेल में नजरबन्द कर दिए गए।[80]

18. **श्री जागेश्वर प्रसाद पुत्र भरोसा :** जन्म स्थान ग्राम पतवन, तहसील बबेरू, जिला बाँदा का जन्म 1920 में हुआ। भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया। 16 सितम्बर 1942 को 2 वर्ष कैद और पचास रुपये जुमाने की सजा पायी।[81]

---

[77] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–98

[78] वही पृ–99

[79] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–199

[80] वही तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–204

[81] वही तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–200

19. **श्री जुगुलकिशोर करवरिया अत्मज रामदयाल करवरिया** : निवासी तरौंहा, तहसील कर्वी, जिला बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 25 अगस्त 1942 से 15 मई 1943 तक नजरबन्द रहें।[82]

20. **श्री ज्वाला सरदार सिंह आत्मज रामसिंह** : निवासी बंगालीपुरा, जिला बाँदा। प्रखर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बाँदा में ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में भी आन्दोलन चलाते रहें और जेल गए। 9 अगस्त 1942 से 21 नवम्बर 1942 तक बाँदा जेल में नजरबन्द रहें।[83]

21. **श्री दनदन उर्फ गया प्रसाद आत्मज गुलजारी** : निवास स्थान बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के समय भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 15 अगस्त 1942 से 10 मई 1943 तक नजरबन्द रहें।[84]

22. **श्री दीनदयाल करवरिया आत्मज मुरलीधर** : निवासी तरौहा, तहसील कर्वी जिला बाँदा भी 1942 में नजरबन्द रहें।[85]

23. **श्री देवी दयाल आत्मज ननकू** : निवास स्थान छोटी बाजार बाँदा, भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 23 अगस्त 1942 को नजरबन्द कर दिए गए। फिर 31 अक्टूबर 1942 को उक्त कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और पचास रुपया जुर्माने की सजा पायी।[86]

---

[82] भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—100 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर —कामद क्रान्ति, पृ—199

[83] भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—101

[84] वही

[85] भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—102 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर —कामद क्रान्ति, पृ—198

[86] वही तथा द्विवेदी, चन्द्रधर —कामद क्रान्ति, पृ—200

24. **श्री कुँवर हरप्रसाद सिंह आत्मज हीरालाल सिंह** : निवास स्थान मो0 कटरा, बाँदा। सन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 10 अगस्त 1942 से 24 जुलाई 1943 तक जेल में नजरबन्द रहें।[87]

25. **श्री सूरजप्रसाद पुत्र भगवानदास** : निवासी मोहल्ला मर्दन नाका, बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 18 अगस्त 1942 से9 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रहें।[88]

26. **श्री शीतलप्रसाद आत्मज मथुरा प्रसाद** : निवास स्थान राजापुर, तहसील मऊ, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में 17 अगस्त 1942 को डेढ़ वर्ष कैद की सजा मिली। फिर 11 जनवरी 1943 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 और फौजदारी कानून संशोधन के अन्तर्गत 6 माह कैद की सजा पायी।[89]

27. **श्री राम बहोरी करवरिया आत्मज लक्ष्मीप्रसाद** : निवासी स्थान तरौहा, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 28 अगस्त 1942 से6 सितम्बर 1943 तक नजरबन्द रखे गए।[90]

28. **श्री फरकी सिंह पुत्र विश्वनाथसिंह** : निवास स्थान गौरीकलां, जिला बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले

---

[87] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–126

[88] वही

[89] वही पृ–125

[90] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–119 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–198

में 18 अगस्त 1942 से 1 अगस्त 1943 तक भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत नजरबन्द रहें।[91]

29. **श्री ननकू आत्मज देवीदयाल** : निवास स्थान बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 14 अगस्त 1942 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए।[92]

30. **श्री नारायण प्रसाद बौरबल पुत्र लक्ष्मीप्रसाद** : निवासी कर्वी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 19 सितम्बर 1942 से 5 नवम्बर 1942 तक नजरबन्द रहें।[93]

31. **श्री बड़कूसिंह आत्मज विश्वम्भर सिंह** : निवास स्थान गौरीकलां, जिला बाँदा। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 13 अगस्त 1942 से 1 जून 1943 तक नजरबन्द रहें।[94]

32. **श्री गज्जूखाँ पुत्र इलाहीखाँ** : निवास स्थान बबेरू, जिला बाँदा। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत नजरबन्द रखे गए।[95]

33. **श्री छोटेलाल आत्मज भवानीदीन** : जन्म 1897, निवासी बाँदा। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण कुछ समय के लिए नजरबन्द रहें।[96]

---

[91] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–104

[92] वही पृ–103

[93] वही

[94] वही पृ–105

[95] वही पृ–95

[96] वही पृ–98, 99

34. **श्री दीनदयाल गुप्त आत्मज बुद्धू** : जन्म 1894 में निवास स्थान पलरा, तहसील एवं जिला बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के समय प्रेस एक्ट की धारा 52 के अन्तर्गत 23 नवम्बर 1942 को तीन माह कैद की सजा मिली।[97]

35. **श्री बद्रीप्रसाद आत्मज गजराज** : तहसील नरैनी, जिला बाँदा के निवासी बद्री प्रसाद को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38(1) के अन्तर्गत 31 अक्टूबर 1942 से 21 अगस्त 1943 तक जेल में रहना पड़ा।[98]

36. **श्री बद्रीप्रसाद कुर्मी पुत्र हनुमान प्रसाद** : ग्राम पल्हरी, जिला बाँदा 18 माह नजरबन्द रहें।[99]

37. **श्री बिन्दासिंह पुत्र अधार सिह** : निवासी पतवन, तहसील बबेरू, जिला बाँदा, 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 15 माह तक नजरबन्द रहें।[100]

38. **श्री बैकल पुत्र शिवप्रसाद** : निवास स्थान मऊ, जिला बाँदा को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण 5 सितम्बर 1942 को फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत 6 माह कैद और बीस रुपये जुर्माने की सजा हुई।[101]

39. **श्री बद्री प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद** : निवासी नरैनी, जिला बाँदा को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण 3 सितम्बर

---

97 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–101, 102

98 वही पृ–105

99 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–198

100 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–107

101 वही पृ–107 108

1942 को 3 माह कैद की सजा मिली फिर प्रेस एक्ट की धारा 52 के अन्तर्गत 23 नवम्बर 1942 को 3 माह कैद की सजा पायी।[102]

40. **श्री बद्रीप्रसाद पुत्र गंगादीन** : निवास स्थान मदनपुर, जिला बाँदा, सन 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 4 मार्च 1942 को 3 माह कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा पायी।[103]

41. **श्री बल्देव आत्मज अधारी** : निवास स्थान मानिकपुर, तहसील कर्वी, जिला बाँदा को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 335 के अन्तर्गत 7 मार्च 1942 कोएक वर्ष कैद की सजा मिली। फिर आर्म एक्ट की धारा 19 के अन्तर्गत दो वर्ष की सजा और मिली।[104]

42. **श्री बिल्लर आत्मज बल्देव** : निवास स्थान बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के समय 14 अगस्त 1942 से 10 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रहें।[105]

43. **श्री बृजमोहन लाल गुप्त आत्मज धनीराम** : निवासी बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 9 अगस्त 1942 को कैद करके भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया।[106]

---

102 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–106

103 वही पृ–105

104 वही पृ–106

105 वही पृ–107

106 वही पृ–108

44. **श्री बृन्दावन पुत्र नन्द किशोर** : निवासी चित्रकूट, जिला बाँदा को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण 23 नवम्बर 1942 को दो वर्ष कैद की सजा मिली।[107]

45. **श्री मन्ना पुत्र आलम खाँ** : निवासी बाँदा को भारत छोड़ो आन्दोलन में 15 अगस्त 1942 से 10 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रखे गए।[108]

46. **श्री मन्नू आत्मज बगोली** : निवास स्थान बाँदा। सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129/26 के अन्तर्गत 18 सितम्बर 1942 से 10 मई 1943 तक नजरबन्द रहें।[109]

47. **श्री महदेवना पुत्र चुनकिन** : निवासी ग्राम मदवारी, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 30 अक्टूबर 1942 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत एक वर्ष कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा मिली।[110]

48. **श्री महादेव भाई आत्मज रामचरन कलार** : निवासी रुपटिहाकलां कोतवाली, जिला बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के समय 23 नवम्बर 1942 से 26 जून 1943 तक नजरबन्द रहें।[111]

49. **श्री महावीर आत्मज चम्बा** : निवास स्थान बाँदा भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के

---

[107] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–108, 109 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–199

[108] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–109

[109] वही पृ–110

[110] वही

[111] वही

अन्तर्गत 14 अगस्त 1942 से 16 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रहें।[112]

50. **श्री महावीरदास बाबा पुत्र देवीप्रसाद :** जन्म सन 1892, निवासी ग्राम जमरेई, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। भारतीय प्रतिरक्षा कानून की धारा 38(1) तथा 26 के अन्तर्गत 9 अगत 1942 से 12 जनवरी 1944 तक नजरबन्द रहें।[113]

51. **श्री महेश्वरी पुत्र चौबा :** निवास स्थान निम्नीपार, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 14 अगस्त 1942 से 13 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रहें।[114]

52. **श्री मुन्ना पुत्र गोपाल :** निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा को शासन ने भारत छोड़ो आन्दोलन के समय 15 अगस्त 1942 से 16 अक्टूबर1942 तक नजरबन्द रखा।[115]

53. **श्री मुरलीधर करवरिया पुत्र राजाराम :** निवासी तरौहा, तहसील कर्वी, जिला बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 23 अगस्त 1942 से 15 जून 1943 तक भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत नजरबन्द रहें।[116]

54. **श्री यदुराज सिंह पुत्र मातादीन :** निवासी सांतर, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत

---

[112] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–111

[113] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–111 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–74

[114] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–112

[115] वही पृ–113

[116] वही

प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 17 फरवरी 1942 से 3 अक्टूबर 1942 तक नजरबन्द रहें।[117]

55. **श्री रघुबर दयाल आत्मज दुर्गाप्रसाद** : जन्म सन् 1926, निवासी कर्वी, जिला बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 14 अगस्त 1942 से भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 के अन्तर्गत डेढ़ वर्ष तक जेल में रहें और एक सौ रुपया जुर्माना दिया।[118]

56. **श्री राजाराम रुपौलिया आत्मज शिवनाथ** : निवासी अतर्रा, जिला बाँदा। सन् 1942 में एक वर्ष तक नजरबन्द रहें।[119]

57. **श्री रामाश्रय पुत्र द्वारिका** : निवासी कोरम, तहसील बबेरू, जिला बाँदा को 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण दो वर्ष की सजा मिली।[120]

58. **श्रीमती रामकली पत्नी तुलसीदास** : निवास स्थान बाँदा सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 15 फरवरी 1943 को एक दिन कारावास और पचास रुपये जुर्माने की सजा पायी।[121]

59. **श्री रामकिशोर आत्मज शिवदर्शन** : निवासी तरौहा, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 28 अगस्त 1942 से 8 अक्टूबर 1943 तक भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में नजरबन्द रहें।[122]

---

117 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–113

118 वही पृ–114

119 वही पृ–199

120 वही पृ–114

121 वही पृ–115

122 वही पृ–115

60. **श्री रामकुमार पुत्र जग्गू कलार** : निवास स्थान ग्राम राजापुर, तहसील मऊ, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 5 सितम्बर 1942 से 25 सितम्बर 1942 तक नजरबन्द रहें।[123]

61. **श्री रामदयाल आत्मज मुरली** : निवास बबेरू, जिला बाँदा को सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 23 जनवरी 1943 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 6 माह कैद और पचास रुपये जुर्माने की सजा पायी।[124]

62. **श्री नारायण दास टेलर मास्टर आत्मज रामकृष्ण** : निवास स्थान कर्वी, जिला बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके फलस्वरूप नजरबन्द रहें।[125]

63. **श्री रामनारायण उर्फ विद्यार्थी पुत्र कन्हैयालाल** : जन्म 9 नवम्बर 1917, निवास स्थान खरवारी, तहसील कर्वी, जिला बाँदा। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण 10 माह की सजा पाई। आप के मकान को भी नीलाम कर दिया गया था।[126]

64. **श्री रामप्रसाद उर्फ लुखुरू चाचा आत्मज गौतम** : जन्म सन 1892, निवासी गिरवां, तहसील नरैनी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 31 अगस्त 1942 से 28 सितम्बर 1942 तक नजरबन्द रहें।[127]

65. **श्री रामसनेही सिंह आत्मज हनुमान प्रसाद** : जन्म 1918, निवासी ग्राम पल्हरी, थाना विसण्डा, जिला बाँदा। सन् 1942 के

---

[123] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–115

[124] वही पृ–116

[125] वही पृ–117

[126] वही पृ–117

[127] वही पृ–118

भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 15 माह कैद की सजा मिली।[128]

66. **श्री रामशरण खरे आत्मज दिलसुखराय** : निवासी कर्वी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेकर 19 अगस्त 1942 से 26 अगस्त 1943 तक कैद रहें।[129]

67. **श्री रामसूरत पुत्र काशी प्रसाद** : जन्म 1926, निवासी मऊ, जिला बाँदा। भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 5 के अन्तर्गत 5 सितम्बर 1942 को एक वर्ष की सजा और बीस रुपये जुर्माने की सजा पायी।[130]

68. **श्री रामेश्वर आत्मज महादेव** : जन्म सन 1919, निवासी राजापुर, जिला बाँदा। सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लने के कारण भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत दो वर्ष की कैद और तीस रुपया की सजा पायी।[131]

69. **श्री रुद्रनाथ शुक्ल आत्मज छोटे** : जन्म 4 नवम्बर 1906, निवासी राजापुर, तहसील मऊ, जिला बाँदा। 17 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेकर भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129/26 के अन्तर्गत डेढ़ वर्ष की सजा पायी।[132]

70. **श्री लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री**: जन्म 1890, निवास स्थान बाँदा। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के समय दो वर्ष तक जेल में रहें।[133]

---

[128] भट्टाचार्य, एस०पी०–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–120 तथा द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–172

[129] भट्टाचार्य, एस०पी०–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–120

[130] वही

[131] वही पृ–121

[132] वही

[133] वही पृ–122

71. **श्री लक्ष्मीसिंह उर्फ नारायण सिंह पुत्र राम प्रसाद** : निवासी पचनेही, तहसील व जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129/26 के अन्तर्गत 5 सितम्बर1942 से 18 अप्रैल 1943 तक नजरबन्द रखे गए।[134]

72. **श्री विश्वेसर पुत्र भाऊराम** : निवास स्थान बदौसा, जिला बाँदा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में 23 अगस्त 1942 को एक वर्ष और पचास रुपया जुर्माने की सजा पायी।[135]

73. **श्री शंकर गुरू पुत्र गयादीन** : निवास स्थान बाँदा। भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 14 अगस्त 1942 से 13 नवम्बर 1942 तक नजरबन्द रहें। 13 अगस्त 1943 को उसी कानून के अन्तर्गत पाँच सौ रुपया की जमानत माँगी गयी।[136]

74. **श्री शिव कुमार त्रिपाठी आत्मज ब्रम्हदीन त्रिपाठी** : निवास स्थान मऊ, जिला बाँदा। भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 14 अगस्त 1942 को नजरबन्द किए गए।[137]

75. **श्री शिवरतन पुत्र महादेव सिंह** : निवास स्थान सिंघनकला, तहसील पैलानी, जिला बाँदा। 25 अक्टूबर 1943 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अन्तर्गत एक माह कैद और एक सौ रुपये जुर्माने की सजा पायी।[138]

76. **श्री शिवरतन पुत्र महादेव सिंह** : निवास स्थान तहसील बाँदा, जन्म 15 मई 1883। 20 अक्टूबर 1942 को पहली बार एक वर्ष

---

[134] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–122
[135] वही पृ–123
[136] वही पृ–123
[137] वही पृ–123, 124
[138] वही पृ–124

कैद और पचास रुपया जुर्माने की सजा मिली। फिर 28 अगस्त 1943 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 37(1) के अन्तर्गत एक वर्ष की कैद और पचास रुपया जुर्माने की सजा पायी।[139]

77. **श्री पालसिंह आत्मज रामप्रसाद** : जन्म 1901 में निवासीग्राम अमलोहर, तहसील बबेरू, जिला बाँदा। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में 25 मार्च 1943 को 15 माह कैद और बीस रुपये जुर्माने की सजा पायी।[140]

78. **श्री सरजूप्रसाद पुत्र बल्देव प्रसाद** : जन्म सन् 1902, निवास स्थान तिंदवारी, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलनमें 3 सितम्बर 1942 से 3 मार्च 1943 तक नजरबन्द रहें।[141]

79. **श्री सांवले सिंह आत्मज कालीप्रसाद पटवा** : निवासी बबेरू, जिला बाँदा। सन् 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 38 और 129 के अन्तर्गत दो वर्ष कैद की सजा पायी।[142]

80. **श्री सुबराती बल्द मंहगू** : निवासी सिंघलकला, तहसील पैलानी, जिला बाँदा। 10 अक्टूबर 1942 को भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 129 के अन्तर्गत 9 माह कैद की सजा पायी। यद्यपि गिरफ्तारी 22 अगस्त 1942 को ही हो चुकी थी।[143]

81. **श्री सुरेशचन्द्र जैन आत्मज फूलचन्द्र जैन** : निवासी कालवनगंज, जिला बाँदा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा

139 भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–125
140 वही पृ–126
141 वही पृ–126
142 वही पृ–126
143 वही पृ–127

420/120 बी के अन्तर्गत 4 जनवरी 1945 को पाँच वर्ष कैद और पाँच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी गई।[144]

82. **श्री हीरा लाल पुत्र तुलाराम** : निवासी व्यूर, कर्वी, जिला बाँदा। को सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 26 के अन्तर्गत 26 अगस्त 1942 को नजरबन्द किए गए।[145]

83. **श्री गोपीकृष्ण आजाद आत्मज बल्देव प्रसाद** : जन्म 1910, निवास स्थान पारा, थाना विसण्डा, जिला बाँदा। भारत छोड़ो आन्दोलन में धारा 36 के अन्तर्गत 11 अगस्त 1942 से 5.10.1943 तक बाँदा जेल में कैद रहें।[146]

84. **श्री मथुरा प्रसाद खरे** : निवास स्थान बाँदा, भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण तीन माह कैद की सजा मिली।[147]

---

[144] भट्टाचार्य, एस0पी0—स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग—I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ—127

[145] वही पृ—128

[146] द्विवेदी, चन्द्रधर —कामद क्रान्ति, पृ—127

[147] वही, पृ—88

संयुक्त प्रान्तीय विधान परिषद् में स्वराज्य पार्टी के सदस्य (1924–1927)

खडे हुये दायें से बायें दूसरे स्थान पर श्री हर प्रसाद सिंह तथा स्वराज्य पार्टी के अन्य सदस्य

त्यागमूर्ति पं0 लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री

जनपद बाँदा के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी

न्हैयालाल विद्यार्थी लीगंज बांदा — श्री पिछौरिहा जी — वृजविहारी चित्रकूट — चौधरी चन्द्रभूषण सिंह

म्वरलाल मऊ बांदा — श्रीमती बोधीसिंह बांदा — रामगोपाल तिवारी पलरा बांदा — श्री कु० वेद सिंह बांदा

श्री महादेव भाई — जगन्नाथप्रसाद करवरिया — श्री गोपी बनादन — श्री जगदेवप्रसाद नेवाइच

श्री भगवानदास गुप्त — श्री गोपीनाथ नेता — श्री रामसनेही भारतीय — श्री रामेश्वर गुप्त

जनपद बाँदा के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी

अष्टम अध्याय

उपसंहार

अध्याय अष्टम्

उपसंहार

ऋषि वामदेव द्वारा स्थापित बाँदा का अतीत रामायण और महाभारत काल की स्वर्णिम परम्परा से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में बसी हुई 'कोल' और 'भील' जन–जातियों ने अपने अध्यात्मिक गुरू दुबे ब्राम्हण के नेतृत्व में संघर्ष करते हुए प्रारम्भिक युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। स्वतंत्रताप्रिय इन जन–जातियों ने आगे आने वाले वर्षों में भी अपने जुझारूपन रणकौशल तथा साहस को अक्षुण्य रखते हुए बुन्देलखण्ड के इतिहास की परम्परा के अनुरूप ही अपनी स्वतन्त्रता को संरक्षित रखने के लिए निरन्तर संघर्ष किया। जंगली, पठारी क्षेत्रों तथा ऊबड़–खाबड़ भूमि वाले इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की आदत बन गई और उनमें कठोर परिश्रम जैसी प्रेरक शक्ति का उदय हुआ।

बाँदा जनपद **छत्रसाल** के साम्राज्य की पूर्वी सीमा थी। छत्रसाल के छोटे पुत्र **जगतराज** ने अपने भतीजे **गुमान सिंह** को यहाँ का राजा नियुक्त किया था।[1] छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात् उनके वंशजों में ईर्ष्या और परस्पर शत्रुता बढ़ती गई। वे परस्पर एक–दूसरे का गला दबाने के लिए तत्पर थे। ऐसी परिस्थिति में मराठों के प्रतिनिधि के रूप में **पेशवा बाजीराव प्रथम** के वंशज अलीबहादुर ने **हिम्मतबहादुर गोसाई** के सहयोग से बुन्देलखण्ड पर आधिपत्य करना चाहा, लेकिन इसी बीच हिम्मतबहादुर ने मराठों का साथ छोड़कर अंग्रेजों से दोस्ती कर ली। अतः

[1] पाक्सन्, डब्ल्यू0 आर0– हिस्ट्री ऑफ दि बुन्देलाज, पृ–112

बुन्देलखण्ड अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन अलीबहादुर तथा उसके वंशज बाँदा में 1857 के विद्रोह तक अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहें।

बाँदा में 1857 के विद्रोह के समय जन-आक्रोश

10 मई 1857 को मेरठ में नियुक्त सैनिकों तथा क्रान्तिकारियों ने विद्रोह का सूत्रपात किया। इस घटना का व्यापक प्रभाव बुन्देलखण्ड के लोगों पर हुआ। शीघ्र ही झाँसी में भी सेना तथा स्थानीय क्रान्तिकारियों ने मिलकर विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। उन दिनों बाँदा के मजिस्ट्रेट के रूप में **एफ0ओ0मेन** ने तैनात था और कर्वी के प्रशासन की देखरेख वहाँ का संयुक्त मजिस्ट्रेट **काकरेल** कर रहा था, वे झाँसी में घटित घटनाओं पर निगाह रखे हुए था। अतः कुछ दिनों तक अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वह बाँदा में शान्ति व्यवस्था बनाए रखा, लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात् इस जिले में कानपुर तथा इलाहाबाद के विद्रोहियों का आगमन हुआ जिनसे प्रेरित होकर विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बबेरू परगने में 'मार्का' नामक स्थान पर तथा दर्शेण्डा परगनें में स्थित 'मऊ' के लोगों ने विद्रोह का विगुल बजा दिया।[2]

निःसन्देह स्थानीय राजस्व तथा पुलिस कर्मचारियों ने विद्रोहियों का कुछ प्रतिरोध किया, किन्तु वह टिकाऊ न हो सका। यहाँ तक कि पड़ोसी **गौरिहार** तथा **अजयगढ़** के रियासतों ने भी प्रारम्भ में अंग्रेज अधिकारियों की कुछ सहायता तो कि किन्तु बाद में इन रियासतों ने भी अपना हाथ

[2] देखिए अध्याय तृतीय

वापस खींच लिया। चरखारी के राजा ने भी अंग्रेजी प्रशासन के मदद में असमर्थता व्यक्त की।

बाँदा में तैनात प्रथम नेटिव इन्फ्रेटिव के सैनिकों से अंग्रेज अधिकारी भयग्रस्त थे। फलतः सुरक्षा के लिए उन्होंने जेल में शरण ली किन्तु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण उन्हें बाहर आना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी बाँदा के नवाब अलीबहादुर तथा उसके सेवकों को अपना शत्रु मानते थे और उनके इरादों पर सन्देह करते थे। इसी बीच स्थानीय पैदल सेना के सैनिकों ने जेल, राजकीय कोषागार तथा शस्त्रागार को अपने नियंत्रण में ले लिया। नवाब अलीबहादुर के सेना और उसके समर्थकों ने विरोधियों का डटकर सहयोग किया। फलतः 14 जून 1857 तक विद्रोहियों ने बाँदा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 15 जून को कर्वी के संयुक्त मजिस्ट्रेट **काकरेल** की हत्या कर दी गई। इसके शीघ्र बाद ही नवाब के सेवा में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों की भी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों को समझाने–बुझाने और संतुष्ट करने का ब्रिटिश प्रयास असफल रहा। चारों ओर लूटपाट, तोड़–फोड़ तथा कत्लेआम की घटनाएं तेजी से फैलने लगी। कलेक्टर **मेन** ने इस घटना का आँखों देखा वर्णन किया है –
'परगनों में विद्रोह की खबर जंगल में आग की भाँति फैल गई और चारों ओर ग्राम निवासियों ने लूटपाट व कत्लेआम कर दिया। अनेक लोगों ने आपस में चली आ रही पुरानी शत्रुता के आधार पर अपने पूर्व विरोधियों का भी कत्ल करना प्रारम्भ कर दिया, ताकि उनसे बदला लेकर स्वयं को सन्तुष्ट किया जा सकें। सरकारी ठेका लिए हुए लोग लूट लिए गए और उन्हें भगा दिया गया। अनेक यात्री तथा व्यापारी भी अराजक तत्वों के हाथ लगे और उन्हें भी बुरी तरह लूटा गया। सरकारी सेवकों को बाध्य

होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दफ्तर छोड़कर भाग जाना पड़ा। लगभग सभी सरकारी भवन और सम्पत्ति लूटकर नष्ट कर दी गई। निःसन्देह उस समय बिना किसी रोक–टोक के अराजकता का साम्राज्य छा गया था। यद्यपि बुन्देलखण्ड में तलवार व तीर–कमान का प्रयोग ग्रामीण जनता द्वारा प्रायः कम किया जाता था, किन्तु उनके स्थान पर बल्लम, गड़ासे, लोहे की मुठ्ठियां लगी हुई बड़ी–बड़ी लाठियां और धारदार कुल्हाड़ी एवं लम्बे नुकीले चाकू लिए हुए लोग स्वयं को बहादुर समझते हुए विध्वंसक कार्यवाही में लिप्त थे। इससे पूर्व कभी भी जनपद में इतनी तेजी से क्रान्तिकारी स्थिति पैदा नहीं हुई।[3]

जनपद का सामाजिक-आर्थिक शोषण

1858 में शान्ति व्यवस्था स्थापित हो जाने के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने जनपद के लोगों की विद्रोहों में सक्रिय भागीदारी की प्रतिक्रिया के रूप में लोगों को सजा देने के लिए इस जनपद के लोगों को सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाए रखने के लिए सुनियोजित नीति के अन्तर्गत कार्य किया गया। इस नीति के पीछे उद्देश्य यह था कि चूँकि लोगों ने विद्रोहों में अंग्रेजी शासन का विरोध किया है, इसलिए उन्हें सामाजिक दण्ड मिलना चाहिए। दण्ड दिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही था, कि लोगों का इस तरह का सामाजिक–आर्थिक शोषण किया जाए ताकि वह गरीबी और भूखमरी के कगार पर खड़े हो जाए। दमनात्मक तरीके अपनाते हुए अंग्रेजी सैनिकों ने 20 अप्रैल 1858 से 28 अप्रैल 1858 तक बाँदा के लोगों को लगातार लूटा। इस लूट के शिकार

---

[3] एटकिन्सन, ई0टी0 – स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्लू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874 पृ–131

ऐसे लोग भी हुए जिनका 1857 के विद्रोह से लेशमात्र तक भी लेना–देना नहीं था। बाँदा में कोई भी ऐसा मकान नहीं बचा, जिसे ब्रिटिश शासक ने अपने अत्याचार का शिकार न बनाया हो। जहाँ कहीं भी अच्छे भवन दिखाई पड़े, उन्हें इस सम्भावना के साथ धराशायी कर दिया गया कि इसमे क्रान्तिकारी छिपे हुए हैं। ऐसे लोग इन दमनात्मक तरीके का तनिक भी विरोध करने का साहस किया, उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। निःसन्देह कुछ ऐसे भी गद्दार लोग थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की वफादारी की, ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया।

दमन का यह चक्र 1857 तक ही सीमित नहीं रहा। बल्कि सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन बनाए रखने के लिए अंग्रेजी शासन अवधि में लोगों का उत्पीड़न जारी रहा। यही कारण था कि अधिकांश जनता जो कृषि से अपनी जीविका अर्जित करती थी, उसे कृषि के विकास, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता आदि किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान की गई, बदला लेने की नीति तो उस समय चरम सीमा पर पहुँच गयी, जबकि सरकार ने 1862 में लोगों को सिंचाई सुविधाओं से वंचित करने के लिए सिंचाई विभाग ही समाप्त कर दिया।[4]

इस प्रकार पूरे जिले में 1909 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव बना रहा और लोग अकाल तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप का शिकार होते रहे। सिंचाई सुविधाओं की कमी के साथ–साथ लोग बाढ़ तथा समय–समय पर पड़ने वाले अकालों से भी पीड़ित हुए। पूरे बाँदा जनपद में निश्चित अवधि के बाद खेतों में कांश घास तेजी से उगती रही, जिससे किसानों

---

[4] ड्रेक–ब्रौक मैन, डी0एल0 – बाँदा गजेटियर भाग XXI , इलाहाबाद, 1909 पृ–58

को न केवल उस भूमि को खाली रखना पड़ा, बल्कि अन्य कठिनाईयाँ भी उठानी पड़ी। 1857 के विद्रोह के कटु अनुभव के तीन वर्ष बाद भी 1860 में जिले में भयंकर सूखा पड़ा। 1864 का वर्ष भी सूखे में ही व्यतीत हुआ। 1868 में भी यही स्थिति रही। 1875, 1877, 1897, 1905 तथा 1908 भी अकालों के प्रभाव में रहें। जिनके दूरगामी परिणाम हुए एवं बाध्य होकर किसानों को अपनी भूमि खाली छोड़नी पड़ी। खाद्य पदार्थ महँगे होने लगे और गरीब जनता महुआ, बेर इत्यादि खाकर पेट भरने को बाध्य हुई।

प्राकृतिक प्रकोपों के अलावा जिले में ऐसी फसलें जिनसे किसानों को नगद भुगतान होता था, उन फसलों के नष्ट हो जाने से भी लोग आर्थिक तंगी के शिकार हुए। अलपौधा जिसे पकाकर अच्छे किस्म का रंग तैयार किया जाता था, जिसकी वस्त्रों की रंगाई के लिए माँग होती थी। इस खेती के पौधे का पतन इसलिए हुआ, क्योंकि इंग्लैण्ड के कारखानों से बनकर जो 'डाई' आती थी, वह कर से मुक्त होने के कारण बाजार में सस्ते दरों पर उपलब्ध थी। 1903 में कर्वी के सूती मील भी बन्द कर दी गई, क्योंकि सरकार की निषेधात्मक नीति के कारण जिले में कपास की खेती भी कम होती गई। वह कपास जिस पर आधारित होकर यहाँ के बुनकर कम्बल, दरी तथा कपड़े की बुनाई करते थे, उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ा। यही स्थिति खनिज उत्पादों की थी। जिन्हें अंग्रेजी शासनकाल में विकसित नही किया गया।

ब्रिटिश शोषण की नीति जारी रखते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने 1858 के बाद जितने ही भूमि बन्दोबस्त हुए उतने राजस्व की दरें अप्रत्याशित रूप से बढ़ायी। फलतः किसान सरकारी भुगतान करने के

लिए ऋणदाताओं से भारी ब्याज पर ऋण लेते गए और उन्हें बाध्य होकर अपनी भूमि कर्ज दाताओं को बेचनी पड़ी।

उपर्युक्त शोषण की नीति के दूरगामी परिणाम भी हुए और जनपद के निवासियों ने अपने आर्थिक कष्ट के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी मानते हुए अंग्रेजी शासन को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। घृणा की इस भावना ने देश की राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा में इस क्षेत्र के लोगों को सम्मिलित कर राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा को मजबूत करने का कार्य किया।

राष्ट्रीयता की भावना का प्रस्फुटन और संवर्द्धन

1858 में विद्रोह के समाप्ति के बाद बाँदा तथा आस–पास के क्षेत्रों में स्वतन्त्रता की भावना अन्दर–ही–अन्दर सुलगती रही और यह भावना पूर्णरूपेण कभी भी समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजी शासन की असीमित शक्ति, आतंक, गोपनीय तंत्र की मजबूती के कारण लोग खुलकर विद्रोह नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में अपने सीमित साधनों से क्रान्तिकारियों ने जो सैन्य सामग्री एकत्रित किया था, उसकी काफी क्षति हो चुकी थी। विद्रोही गतिविधियों में अधिक दिनों तक संलग्न रहने के कारण आर्थिक संसाधन भी समाप्त हो चुके थे। **रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, नानासाहब, अलीबहादुर, मर्दनसिंह, बख्तबली** देवगढ़ के **देवी सिंह** व **भुजबल,** दिलवाड़ा के **यशवन्त सिंह** आदि क्रान्तिकारी नेता भी दृश्य से बाहर हो चुके थे। विद्रोह समाप्त हो जाने के पश्चात् स्थानीय लोग पुनः शक्ति का संचय करने के ध्येय से शान्ति बनाए रखने का दिखावा कर रहे थे।

1856–76 के बीच के 20 वर्षों के परिदृश्य को कुछ लोग भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रगति व पुर्नस्थापना का युग मानते है।[5] यह अवधारणा असंगत प्रतीत होती है। वास्तविकता यह है कि इन वर्षों में स्वतंत्रता की भावना तथा राजनीतिक गतिविधियां लोगों के मन में अन्दर–ही–अन्दर विकसित हो रही थी। ये तूफान के पश्चात् की शान्ति के वर्ष माने जा सकते हैं, जिसमें लोग **क्या पाया–क्या खोया** का मूल्यांकन कर रहे थे और ऐसे अवसर की तलाश में थे, जो नए आन्दोलन के सूत्रपात के अनुकूल हो। 8 जून 1880 को जैसे ही लार्ड रिपन ने भारत के गवर्नर जनरल का पद भार ग्रहण किया[6], वैसे ही राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा में एक नई आशा का संचार हुआ।[7]

रिपन एक उदारवादी गवर्नर जनरल था। उसको भारत में इसलिए भेजा गया था, कि ब्रिटिश प्रजा के मन में इस देश के प्रति जो असन्तोष पनप रहा था, उसे अपने उदारवादी तरीकों द्वारा शान्त कर दें। वास्तव में रिपन का समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीजारोपण का समय था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में एक केन्द्रीय सत्ता की स्थापना हुई। फलतः इस देश में पहली बार राजनैतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। यद्यपि भौगोलिक एकता और हिन्दुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक एकता पहले से ही यहाँ विद्यमान थी, लेकिन ब्रिटिश काल में यहाँ राजनैतिक एकता भी स्थापित हुई।[8]

---

[5] रघुवंशी, एम0वी0पी0एस0–इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट, पृ–31
[6] सिंह, एस0–फ्रीडम मूवमेण्ट इन दिल्ली (1858–1919), प्रकाशक– नई दिल्ली, 1992, पृ–57
[7] बरगेस, जैम्स–दि क्रोनेलॉजी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, पृ–404
[8] शुक्ल, रामलखन– आधुनिक भारत का इतिहास, पृ–383

यहाँ राष्ट्रीयता की भावना के जन्म का प्रमुख कारण इस ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा किए जा रहे शोषण को माना जा सकता है। लार्ड लिटन की नीतियों ने तो घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। दूसरे अफगान युद्ध के कारण हमारे देश पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन उस समय किया गया, जबकि इस देश की जनता अकाल और भूखमरी से त्रस्त थी। ऐसे राष्ट्रीय शोक की घड़ी में बाँदा जनपद में राजस्व की कठोर दरें लागू की गई और उनको कड़ाई से वसूली भी की गयी। निःसन्देह राष्ट्रीय परिदृश्य पर लिटन के कार्यकाल में घटित होने वाली घटनाओं से देश के राष्ट्रवादी लोगों के मन में औपनिवेशिक सत्ता के प्रति उबाल पैदा हो रहा था। इन घटनाओं का बुन्देलखण्ड तथा बाँदा जनपद के जन–मानस पर भी प्रभाव पड़ना स्वभाविक था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण के कारण बाँदा जनपद भी सम्पूर्ण देश की भाँति अंग्रेजों के विरूद्ध जन–आन्दोलनों का श्रीगणेश करने में अग्रणी हुआ।

स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार तथा विदेशी का बहिष्कार

ब्रिटिश राज्य में भारत को न केवल राजनीतिक एवं आर्थिक गुलामी के अधीन बनाए रखा गया, बल्कि इस अवधि में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी इस नष्ट–भ्रष्ट करने की कोशिश की गई।[9] ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस दिशा में अधिक कार्य किया और हिन्दू समाज के गरीब वर्ग को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। बुन्देलखण्ड सामाजिक–आर्थिक रूप से शोषित होने के कारण गरीबी तथा भूखमरी से बुरी तरह त्रस्त था। इस परिस्थिति की जानकारी यूरोप तथा अमेरिका की

---

[9] राष्ट्रीय गौरव (1995–1996) – बुन्देलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम, प्रधान सम्पादक–दशरथ जैन, छतरपुर, पृ–114

मिशनरियों को थी। यही कारण था, कि उन्होंने बुन्देलखण्ड में नौगाँव छावनी में मिशनरियों को भेजकर सर्वप्रथम अनाथालय की स्थापना करायी।

यह सर्वविदित है कि ब्रिटिश शासन इन मिशनरियों के माध्यम से बुन्देलखण्ड में अपरोक्ष रूप से सहायता पहुँचाकर एक वफादार प्रजा का निर्माण करना चाहती थी। यही कारण था कि नौगाँव के पॉलिटिकल एजेण्ट ने **सिस्टर डेलिया फिसलर** को वहाँ पर अनाथालय खोलने तथा मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की।[10] ब्रिटिश साम्राज्य को स्थिर तथा टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से मिशनरी संस्थाओं का विकास और परिवर्द्धन किया गया। बुन्दलेखण्ड पिछड़े हुए क्षेत्र में यह कार्य सुनियोजित ढंग से हुआ। डेलिया फिसलर 1892 में इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत के इस हृदय प्रदेश की ओर आने की योजना बनाने लगी। 1896 में दो अन्य महिला सहयोगियों के साथ उन्होंने नौगाँव में **'फ्रेन्डस मिशन'** की स्थापना की। उन्होंने गरीब बस्तियों में जाकर अपने सेवा कार्यों से ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार किया।

इन घटनाओं का अपरोक्ष प्रभाव यह हुआ कि बुन्देलखण्ड के लोग जो हिन्दू धर्म और संस्कृति के पोषक थे उनके मन में अंग्रेजी इरादों के प्रति असन्तोष पैदा हुआ।

उधर **राजाराम मोहन राय** जैसे अनेक समाजसेवक एवं धर्म सुधारक हिन्दू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर

---

[10] निष्कन अन्ना, ई0–ए सेन्चुरी ऑफ प्लान्टिंग : मिशनरी इन इण्डिया (1940–1984), पृ–13

उनमें नई स्फूर्ति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। **स्वामी दयानन्द सरस्वती** जैसे प्रखर व तेजस्वी सुधारकों ने ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिन्दू धर्म के प्रति की जा रही आलोचनाओं का मुँहतोड़ जवाब दिया।[11] ऐसी पृष्ठभूमि में जो बौद्धिक जागरण हुआ। वह काँग्रेस जैसी संस्थाओं की स्थापना का वातावरण बना सका। इन घटनाओं ने बुन्देलखण्ड के स्थानीय मानस को भी प्रभावित किया और यहाँ के लोगों ने काँग्रेस के कार्यक्रमों में रुचि दिखाई और स्वदेशी तथा अन्य कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों ने भागीदारी निभाई।

गाँधीवादी आन्दोलनों में बाँदा जनपद के लोगों की भागीदारी

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् गाँधीजी ने जैसे ही असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया, वैसे ही बाँदा जनपद का राष्ट्रीय परिदृश्य परिवर्तित हो गया। **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** 1914 में अपना अध्यापकीय प्रशिक्षण लेने के उपरान्त राजकीय विद्यालय बाँदा में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। अग्निहोत्री जी प्रखर राष्ट्रवादी थे। वे तत्कालिक परिस्थितियों में अपने सहयोगियों तथा छात्रों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करते रहते थे। वे एक गम्भीर विचारक भी थे। उन्होंने खुलकर छात्रों को राष्ट्र–प्रेम, देश–भक्ति व देश के लिए सर्वस्व न्योंछावर करने की प्रेरणा दी।[12]

[11] निष्कन अन्ना, ई0–ए सेन्चुरी ऑफ प्लान्टिंग : मिशनरी इन इण्डिया (1940–1984), पृ–116
[12] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–54

पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हरप्रसाद सिंह तथा **सेठ विष्णुशरण मेहता** के नेतृत्व में बाँदा जनपद में असहयोग आन्दोलन संगठित रूप से चलाया गया। प्रारम्भिक चरण में अध्यापकों एवं छात्रों की ही प्रमुख भूमिका रही, किन्तु बाद में समाज के अन्य वर्गों की भी इसमें भागीदारी होती गई।

गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर अग्निहोत्री जी ने 1920 में राजकीय विद्यालय बाँदा के अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद बाँदा में ही रहते हुए खुलकर विदेशी सत्ता के विरूद्ध सक्रिय हो गए।[13] पं0 अग्निहोत्री के साथ ही एस0डी0आई0 पद पर कार्यरत **सुखवासी लाल** ने भी त्याग पत्र दे दिया। इन दोनों नेताओं से प्रेरित होकर **जगन्नाथ प्रसाद करवरिया** (तरौंहा, कर्वी) तथा **दुर्गा प्रसाद मिश्र** (कर्वी) भी अध्यापक की नौकरी छोड़कर असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े। पूरे जनपद में गाँधी जी द्वारा दिए गए नारों से प्रेरित होकर लोगों ने विरोध जुलूस निकाला।

6 अप्रैल 1921 को कर्वी में पहला जुलूस निकला। 13 अप्रैल को पूर्ण हड़ताल रही। शीघ्र ही जनपद के अनेक नवयुवकों ने सरकारी नौकरियां त्याग कर देश सेवाओं में जुट गए।[14] गाँधीजी के आह्वान पर बाँदा जिले में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। अनेक विद्यार्थियों ने बाँदा के राजकीय स्कूल से अपने नाम कटवा

---

[13] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –62

[14] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–100

दिए।[15] विद्यार्थियों ने लोगों को एकत्रित कर प्रभात फेरी निकालते हुए देश–भक्ति के नारे लगाए। बाँदा के महेश्वरी देवी चौराहे पर तथा कोतवाली के दरवाजे पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इसी समय बाँदा जिले में जिला काँग्रेस कमिटी की विधिवत् स्थापना हुई, जिससे आन्दोलन में और तेजी आयी।

कर्वी भी असहयोग आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र रहा। यहाँ के **रामबहोरी करवरिया** ने काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। वहाँ के वातावरण तथा गाँधी जी के भाषण का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। अतः नागपुर से वापस कर्वी आते ही, वे कर्वी क्षेत्र में असहयोग आन्दोलन के सक्रिय सदस्य बन गए।[16]

असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण **लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** तथा **रामानन्द करवरिया** को दो–दो वर्ष की सजा हुई। इसके अलावा भी अनेक लोग जेलों में बन्द हुए। इस समय बाँदा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने **सत्याग्रही** नामक पत्रिका निकालकर बाँदा और हमीरपुर में आन्दोलनकारियों का मार्गदर्शन किया।

नारियाँ भी इस आन्दोलन में पुरूषों से पीछे नहीं रहीं। बाँदा के **राजकीय कन्या पाठशाला** की अध्यापिका **सावित्री देवी** ने आन्दोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। फलतः सरकार ने उस स्कूल की ग्राण्ट बन्द कर दी। इसके बावजूद भी इन अध्यापिकाओं का मनोबल नहीं टूटा और वे लगातार गाँधी जी के आन्दोलनो में सक्रिय रहीं।

---

[15] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–58
[16] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–157

असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् **लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** तथा जनपद के अन्य काँग्रेसी नेता जैसे ही जेल से बाहर आए वैसे ही इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए **कालूराम मनसुखराम फॉर्म** के गोदाम में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। असहयोग आन्दोलन के समय बाँदा के बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से अपने नाम कटवा लिए थे। अतः इन विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था करना सर्वोपरि प्राथमिकता थी। गाँधीजी का भी विचार था कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। फलतः राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के शीघ्र बाद ही विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 200 हो गयी। यहाँ के विद्यार्थी सादगी से जीवन व्यतीत करते हुए, देश–प्रेम, स्वार्थ–त्याग तथा आत्म–विश्वास जैसे उच्च आदर्शों से प्रेरित हुए।[17]

यद्यपि असहयोग आन्दोलन को स्थगित किए जाने से लोगों में कुण्ठा का भाव व्याप्त रहा, लेकिन यह अधिक दिनों तक टिकाऊ नहीं रहा। शीघ्र ही **पं0 मोतीलाल नेहरू** और **चितरंजन दास** द्वारा **'स्वराज्य दल'** की स्थापना से बुन्देलखण्ड के राष्ट्रवादियों को एक नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। बाँदा के प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता **कुँवर हर प्रसाद सिंह** ने बाँदा और हमीरपुर जनपदों में स्वराज्य दल का गठन किया। उन्होंने 1923 में कौन्सिल के चुनाव में हमीरपुर–बाँदा सीट से स्वराज्य दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर विजय प्राप्त की।[18] इस प्रकार वे कुछ ही दिनों में स्वराज्य दल के प्रमुख नेता हो गए। झाँसी से **भगवत**

---

[17] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–125

[18] अनाशक्त मनस्वी–भगवानदास बालेन्दु अभिनन्दन ग्रन्थ प्र0 द्वारिकेश मिश्र (सम्पादक) श्री राम प्रेस, झाँसी से 1983 में प्रकाशित, पृ–198

नारायण और जालौन से **झुन्नी लाल पाण्डेय** भी स्वराज्य दल के प्रत्यासी के रूप में चुनाव जीते और कौन्सिल में पहुँचकर अनेक प्रश्न उठाए।

पं० मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बाँदा जनपद में भी स्वराज्य दल को काफी क्षति हुई। उसके नेता **हरप्रसाद सिंह** अन्य सहयोगियों के साथ काँग्रेस के कार्यक्रम में जुटकर सहयोग करने लगे। **पं० लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने वर्धा आश्रम में जाकर गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों की दीक्षा प्राप्त की। उसी के अनुरूप उन्होंने बाँदा के गाँव–गाँव का दौरा कर राष्ट्रीयता की ज्योति जलाने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप अग्निहोत्री जी जनपद के गाँधी कहलाए।

साइमन कमीशन के विरूद्ध प्रदर्शन

बाँदा जनपद में भी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूसों का सिलसिला पूरे जोर से चला। यहाँ की जनता ने साइमन को प्रत्यक्ष रूप से तो कभी नहीं देखा किन्तु **साइमन वापस जाओ** के नारे बड़े जोर–शोर से लगाए।

बाँदा जनपद की जनता भी स्वराज्य को निकट से निकटतर लाने के लिए बहुमुखी प्रयास करने लगी। यहाँ पर भी साइमन कमीशन का बहिष्कार, हड़ताल और जुलूस प्रदर्शन के द्वारा किया गया।[19] पहले तो पुलिस ने इन प्रदर्शनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किन्तु बाद में कड़ाई शुरू कर दी।

---

[19] जोशी, ई०बी०–झाँसी गजेटियर, गजेटियर विभाग, लखनऊ, 1965 पृ – 72

मऊ, बाँदा के **शिवकुमार त्रिपाठी** पुत्र **ब्रम्हादीन तिवारी** 18 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय आन्दोलन में कूदकर साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए पकड़े गए, किन्तु मजिस्ट्रेट ने कम उम्र के कारण छोड़ दिया।[20] कर्वी तहसील मुख्यालय पर भी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। **श्री नारायणदास टेलर मास्टर** बुद्धि से प्रौढ़ एवं शक्ति से सबल थे। जब देश–भक्तों ने साइमन कमीशन के विरोध में **वापस जाओ** का नारा लगाया तो उन्होंने **श्री चन्द्रकिशोर मुख्तयार** के साथ काले झण्डे लेकर प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस दोनों को पकड़ ले गई और 24 घण्टे तक थाने में बैठाए रही।[21]

गाँधी जी का बाँदा आगमन तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान

सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व गाँधी जी ने देश व्यापी दौरा किया, ताकि वे यह जान सकें कि इस आन्दोलन के प्रति जन–मानस कितना तैयार है। इसके साथ ही उनका उद्देश्य इस आन्दोलन के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था। इसी उद्देश्य से गाँधी जी बाँदा आए। उस समय जिला काँग्रेस का नेतृत्व **चन्द्रभूषण सिंह चौधरी** कर रहे थे। गाँधी जी के साथ कस्तूरबा भी थी। गाँधी जी ने बाँदा, चिल्ला, कर्वी व मटौंध में सभाएं की, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इन सभाओं द्वारा गाँधी जी ने आगामी आन्दोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया।[22] जिले के लोगों ने गाँधी जी को धन एकत्रित कर थैली भी दी। कस्तूरबा ने राष्ट्रीय कन्या विद्यालय में भाषण

---

20 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–106

21 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–111

22 वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ–63

दिया तथा सूत काता।[23] इस प्रकार जनमत को इस आन्दोलन के लिए तैयार होना देखकर गाँधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दाण्डी समुद्री तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर आन्दोलन का प्रारम्भ किया।[24]

1930 में देश के अन्य भागों की ही तरह जनपद बाँदा में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम चरण का प्रारम्भ नमक कानून का उल्लंघन करके हुआ। **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री, कुँवर हरप्रसाद सिंह** तथा **चन्द्रभूषण सिंह** के नेतृत्व में यह आन्दोलन संगठित रूप से चलाया गया। बाँदा में जनवरी 1930 से ही इस आन्दोलन की तैयारियां हो रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से **बाबा रामचन्द्र, मिथिलाशरण, मास्टर नारायण प्रसाद, हरप्रसाद सिंह, सेठ विष्णुकरण, दुर्गाप्रसाद गौर** आदि प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे।[25] 24 मार्च 1930 को बाँदा के खादी भण्डार में 'सेवादल' के बैठक में **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने निम्नलिखित शब्दों में स्वयंसेवकों को ललकारते हुए कहा–[26]

'बाँदा वाले पिछड़ रहे हैं, कुछ काम नही हो रहा है। कम से कम 200 वालन्टियर होना चाहिए। 6 अप्रैल को गाँधी जी दाण्डी पहुँच जाएगें। नमक बनना शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल से संग्राम शुरू हो जाएगा। यहाँ भी शुरू होना चाहिए।' इस ललकार से बाँदा के लोग प्रेरित हुए। स्वयंसेवकों की बड़ी भीड़ तैयार कर ली गई। वालन्टियरों के लिए शिविर बाँदा के नवाब तालाब में स्थापित किया गया। जिले में चारों ओर तैयारी शुरू हो गई। गुप्तचर विभाग **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** तथा अन्य

---

[23] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –63

[24] सुमन, रामनाथ– उ0प्र0 में गाँधीजी, पृ–150

[25] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–128

[26] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–128

नेताओं की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए था। 12 अप्रैल 1930 को बाँदा स्थित खादी भण्डार से स्वयंसेवकों ने एक जुलूस निकाला। देश–भक्ति के गाने भी गाए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शराब नही पीने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को समझाया–बुझाया गया। रामलीला मैदान में नमक बनाकर नमक कर का उल्लंघन किया गया।[27]

जुलाई आते–आते सविनय अवज्ञा आन्दोलन और जोर पकड़ने लगा। अब दमन–चक्र तेजी से चला। पुलिस नमक कानून को भंग करने वालों को मार–पीट कर भगाने लगी। पब्लिक मीटिंग पर रोक लगा दी गई, लेकिन जिले के स्वयंसेवक प्रत्येक दृष्टि से कष्ट उठाकर इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए डटे रहें।

5 अगस्त 1930 को आर्यकन्या पाठशाला में औरतों की सभा हुई, जिसमें **रूपकुमारी निगम** के नेतृत्व में 200 औरतों की भीड़ ने गाँधी जी के भाषणों से प्रेरित होकर आन्दोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कर्वी तहसील में शराब की निकासी रोकने के लिए आन्दोलन किया गया। साढ़े छः टीन शराब कर्वी के सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट के बंगले में गिरा दिया गया। इस आन्दोलन का नेतृत्व **जुगुलकिशोर करवरिया** कर रहे थे। इस प्रकार यह आन्दोलन जिले में सर्वत्र व्याप्त था।[28]

भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रारम्भ के पूर्व का घटनाक्रम

[27] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–59, 60

[28] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–93

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस प्रगति के दिसम्बर 1931 में समाप्त हो गया। इसके बाद 28 दिसम्बर को गाँधी जी भारत लौटे। सम्मेलन समाप्ति पर गाँधी जी ने कहा था–'उनके और प्रधानमंत्री के रास्ते अलग–अलग हैं।[29] भारत लौटने पर गाँधी जी ने पाया कि वायसराय लार्ड विलिंगडन का दमन–चक्र जारी है। कई कठोर कानून व अध्यादेश लागू किए गए थे। जब गाँधी जी ने इन पर पुर्नविचार का अनुरोध किया, तो वायसराय ने असहमति व्यक्त की। ऐसी परिस्थिति में गाँधी जी के सामने आन्दोलन प्रारम्भ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अतः सविनय अवज्ञा पुनः प्रारम्भ हुआ। 4 जनवरी 1932 को **महात्मा गाँधी** और **सरदार पटेल** गिरफ्तार कर लिए गए। काँग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।[30]

राष्ट्रीय क्षितिज पर होने वाली इन घटनाओं का जनपद बाँदा के लोगों पर तेजी से प्रभाव पड़ रहा था। अतः जनपद के लोगों ने पुनः आन्दोलन में भाग लेने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। **पं0 लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री** ने इस बार जेल ने जाकर बाहर से ही आन्दोलन का संचालन करते रहें, किन्तु अचानक 1935 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वास्तव में अग्निहोत्री जी उस समय तक बाँदा ओर बुन्देलखण्ड तक ही नहीं, बल्कि प्रान्त के प्रमुख कार्यकर्ता बन चुके थें। अतः उनके कार्यों पर प्रशासन पूरी तरह नजर रखता था।[31] बाँदा में **सुरेन्द्र नाथ वाजपेयी** ने नमक सत्याग्रह में छः माह सजा भुगतने के बाद पुनः 'सत्याग्रही–पत्र' का प्रकाशन शुरू कर दिया था।

---

29 कूपलैण्ड, सर रेजिनाल्ड– दि इण्डियन प्राब्लम भाग I, लन्दन, 1944, पृ–127
30 कूपलैण्ड, सर रेजिनाल्ड– दि इण्डियन प्राब्लम भाग I, लन्दन, 1944, पृ–127
31 द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–60, 198

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होते ही बाँदा जिले में फौज के भर्ती के लिए जब केन्द्र खोल दिए गए तब जनता ने इसका भारी विरोध किया। उस समय गाँधी जी की योजना के अनुसार सत्याग्रह प्रारम्भ हो चुका था। बाँदा में सत्याग्रह **श्री चन्द्रभूषण सिंह चौधरी** ने शुरू किया, जिन्होंने भाषण देते हुए यह नारा दिया – **'युद्ध के लिए न एक भाई, न एक पाई'**। अतः अंग्रेजी शासन ने 17 नवम्बर 1940 को उनको छः माह कैद की सजा सुनाई।[32]

अगला सत्याग्रही मऊ निवासी **श्री शिवकुमार त्रिपाठी** थे, जिनको भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत कैद कर लिया गया। इसी तरह अनेक देश–भक्त 1941 में बन्दी बनाए गए।[33]

दिसम्बर 1941 में सरकार ने भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया। **पं0 जवाहर लाल नेहरू** और **अबुल कलाम आजाद** तत्काल रिहा भी कर दिए गए। इसी तरह बाँदा के सत्याग्रही भी रिहा हुए।

युद्ध की विभीषिका ने ऐसा वीभत्स रूप धारण कर लिया कि चर्चिल जैसे साम्राज्यवादी भारतीय गतिरोध को दूर करना आवश्यक मान रहे थे। उन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दिए जाने के लिए भी बात की। इन्हीं सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए

---

[32] भट्टाचार्य, एस0पी0–स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, झाँसी डिवीजन भाग–I सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, 1962 पृ–97

[33] वरूण, दंगली प्रसाद– बाँदा गजेटियर, प्रकाशक गवर्नमेण्ट ऑफ दि उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1981 पृ –63

क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स दिल्ली पहुँचे।[34] क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव निराशाजनक साबित हुए। अतः लोगों में असन्तोष पुनः भड़का और 10 अप्रैल 1942 को कॉंग्रेस कार्यसमिति ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।[35]

भारत छोड़ो आन्दोलन में जनपद के लोगों का योगदान

गाँधी जी अब तक यह अनुभव कर चुके थे, कि निष्क्रियता और सरकार के समक्ष घुटने टेक देने की नीति राष्ट्रीय स्वाधीनता को बहुत देर तक रोके रहेगी। गाँधी जी के इस अनुभव ने भारत छोड़ो के विचार को जन्म दिया। 14 जुलाई को कॉंग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि समय आ गया है, कि भारत से ब्रिटिश राज्य को तुरन्त समाप्त कर दिया जाए। कार्यसमिति ने यह माँग की कि स्वतंत्रता अर्थात बराबरी का स्थान मिलने पर ही देश सुरक्षा कार्यों में उत्साह पूर्वक हिस्सा ले सकता है।[36]

7 अगस्त 1942 को कॉंग्रेस महासमिति का अधिवेशन बम्बई में प्रारम्भ हुआ। 8 अगस्त को इस महासम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव **पं० जवाहर लाल नेहरू** ने रखा, जिसका **सरदार पटेल** ने समर्थन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद गाँधी जी एक पैगम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, कि जैसे वे

---

[34] देखिए अध्याय – षष्ठ
[35] देखिए अध्याय – सप्तम

[36] देखिए अध्याय – सप्तम

राजनीति के निम्न धरातल से ऊपर उठकर मानवता, विश्वव्यापी भातृत्व, शान्ति और मानव मात्र के प्रति समर्पित होते हुए दिव्यलोक की चर्चा कर रहे हों।

बाँदा जिले से **राजाराम रूपौलिया** अपनी पत्नी **श्रीमती विजयलक्ष्मी रूपौलिया** के साथ बम्बई अधिवेशन में शामिल हुए और बम्बई के उक्त अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव से बाँदा के लोगों को परिचित कराया। उसी समय गाँधी जी ने **'करो या मरो'** का नारा दिया। जैसे ही वे बाँदा वापस आए, उन्हें धड़–पकड़ की सूचना प्राप्त हुई। अतः रूपौलिया जी गाँव–गाँव होते हुए, अतर्रा की ओर जाने लगें। वे चाहते थे कि भारत छोड़ो आन्दोलन को गति प्रदान करके ही जेल जाए।

उधर सरकार ने इस आन्दोलन का कठोरता से दमन करने का निश्चय कर लिया था। सरकारी निर्देश के अनुसार बाँदा के कलेक्टर **गिल** ने 8 अगस्त 1942 में रात को ही प्रमुख काँग्रेसी नेताओं के गिरफ्तारी के वारण्ट जारी किए। 9 अगस्त को प्रातः से ही गिरफ्तारी प्रारम्भ हुई। कर्वी के प्रमुख काँग्रेसी **नारायण दास** 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिए गए। इस समय बाँदा के **ज्वाला सरदार सिंह** और **बृजमोहन लाल गुप्त**, नरैनी के **महावीर दास 'बाबा'** तथा **गंगा प्रसाद खरे** भी बन्दी बना लिए गए। इसी तरह भारी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी बन्दी बनाए गए।

ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक तरीके भी बाँदा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मनोबल नही तोड़ पाए। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी

के बाद भी आन्दोलनकारी लगातार आन्दोलन सम्बन्धी सूचना बुलेटिन निकालते रहें। तत्कालीन कोतवाल **मो0 अली** ने जिलाधिकारी को सलाह दी कि मात्र कुँवर साहब को पकड़ने से कुछ नही होगा बल्कि उनके मुन्शी को भी पकड़ना जरूरी है क्योंकि सारी योजना वही बनाता है। अतः मुन्शी **मथुरा प्रसाद खरे** को भी गिरफ्तार कर लिया गया।[37]

स्थानीय आन्दोलनकारियों का गुस्सा दमन नीति के कारण आक्रामक रूप धारण कर रहा था। अतः 12 अगस्त 1942 को जिले में तोड़–फोड़ व विध्वंसक घटनाएं शुरू हुई। उनका यह विचार बन चुका था कि 'यदि जेल जाना ही है, तो क्यों न कुछ तोड़–फोड़ करके या ब्रिटिश शासन के नुमाइन्दों को नुकसान पहुँचाकर जेल जाएं।' बाँदा जिले के राष्ट्रीय आन्दोलन का यह एक नया रूप था। अतः **रामदत्त** उर्फ **टेनी** [38] ने 12 अगस्त 1949 को नयागंज कानपुर स्थित पोस्ट ऑफिस में आग लगा दी और उसकी राशि लूट ली। इसी तरह उन्होंने जनरलगंज कानपुर स्थित इलाहाबाद बैंक से 52 हजार रुपया लूटकर काँग्रेस तिलक हॉल कार्यालय में जमा कर दिए।[39] रुपौलिया भी रेल की पटरी को उखाड़ने व नरैनी तहसील लूटने जैसी विध्वंसात्मक कार्यों में लिप्त रहकर आन्दोलन में सक्रिय रहें।

बुन्देलखण्ड की स्वतंत्रताप्रिय परम्परा और **रानी लक्ष्मीबाई** के त्याग तथा बलिदान से प्रेरित इस जनपद की महिलाओं ने भी भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। बाँदा निवासी **श्री**

---

[37] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–71
[38] बाँदा जिले के चन्दवारा ग्राम के निवासी
[39] द्विवेदी, चन्द्रधर –कामद क्रान्ति, पृ–115

तुलसीदास तथा उनकी पत्नी **श्रीमती रामकली** अपने मकान के पीछे क्रान्तिकारियों द्वारा बम बनाए जाने वाली सामग्री छिपाए जाने के आरोप में बन्दी बनाए गए।[40]

युवा वर्ग भी पीछे नही रहा। उन्होंने तोड़—फोड़, रेल की पटरी उखाड़ने आदि तरीकों को अपना कर आन्दोलन की गतिविधियां जारी रखी। युवा छात्र नेताओं में **गंगा केशव** व **यमुना प्रसाद बोस** प्रमुख रहें। **'करो या मरो'** के नारे से प्रेरित होकर **श्री बोस** बनारस में अध्ययन छोड़कर भूमिगत रहते हुए विदेशी शासन को उखाड़ फेकनें के लिए आन्दोलन का नेतृत्व करते रहें। इसी कारण 26 जनवरी 1943 को उन्हें कारावास दिया गया।

राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधियां 1947 तक अर्थात देश आजाद होने तक जारी रही। इस प्रकार बाँदा जनपद के लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही अंग्रेजी शासन के विरूद्ध संघर्ष का जो बिगुल बजाया था, वह 1947 तक अनवरत जारी रहा। इस त्याग तथा बलिदान ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

---

[40] देखिए अध्याय – सप्तम

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
2. उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ
3. सैटेलमेन्ट रिपोर्ट
4. गजेटियर्स तथा राजकीय प्रकाशन
5. अन्य पब्लिश्ड रिकार्ड्स
6. अभिनन्दन ग्रन्थ

महत्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) **भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली**

1. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 11 जून 1817 ई0 फाइल नं0 14
2. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 7 अप्रैल 1817 ई0 फाइल नं0 62
3. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 26 अक्टूबर 1817 ई0 फाइल नं0 49
4. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल प्रोसीडिंग कन्सल्टेशन – 17 जनवरी 1842 ई0 फाइल नं0 6 से 2
5. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 8 जून 1842 ई0 फाइल नं0 114
6. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 16 नवम्बर 1842 ई0 फाइल नं0 125
7. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 28 फरवरी 1856 ई0 फाइल नं0 29, 31
8. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – पर्श्यन लेटर नं0 256 15 अप्रैल 1856 ई0
9. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 12 दिसम्बर 1856 ई0 फाइल नं0 195
10. फॉरेन डिपार्टमेन्ट सीक्रेट कन्सल्टेशन – 31 जूलाई 1857 ई0 फाइल नं0 182

11. फॉरेन डिपार्टमेन्ट सीक्रेट कन्सल्टेशन – 18 दिसम्बर 1857 ई0 फाइल नं0 235 (I, VI)

12. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 13 अगस्त 1858 ई0 फाइल नं0 140

13. फॉरेन डिपार्टमेन्ट सीक्रेट कन्सल्टेशन – 25 सितम्बर 1858 ई0 फाइल नं0 326 – 328

14. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 8 अक्टूबर 1858 ई0 फाइल नं0 82

15. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – लेटर 30 दिसम्बर 1859 ई0 फाइल नं0 283

16. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – लेटर 31 दिसम्बर 1858 ई0 फाइल नं0 2131

17. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – लेटर 8 नवम्बर 1858 ई0 फाइल नं0 20

18. फॉरेन डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल कन्सल्टेशन – 18 जूलाई 1859 ई0, फाइल नं0 188

19. 1858 डेटेड कैम्प वानपुर – 11 मार्च 1858 ई0, लेटर नं0 19

20. ऑफ 1858 ई0 डेटेड कैम्प तालबेहट – 14 मार्च 1858 ई0, लेटर नं0 22

21. ऑफ 1858 ई0 डेटेड कैम्प विफोर झाँसी – 22 मार्च 1858 ई0, लेटर नं0 48

22. ऑफ 1858 ई0 डेटेड कैम्प विफोर झाँसी – 29 मार्च 1858 ई0, लेटर नं0 69

23. पिनकने वीकली रिपोर्ट – नवम्बर 1848, 22 मार्च 1858 ई0

24. प्रोसीडिंग होम डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल ब्रॉंच – फाइल नं0 19/1908 ई0 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली,
25. प्रोसीडिंग होम डिपार्टमेन्ट पॉलिटिकल आई0के0डब्ल्यू0 ब्रॉंच फाइल नं0 3/79/42, 1942, पोल0 आई0 पार्ट–2, (9/410, 9/413), राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली,
26. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकॉर्ड : जिल्द 47, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 319
27. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकॉर्ड : जिल्द 46, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 298
28. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकॉर्ड : जिल्द 88, डिपार्टमेण्ट XXVIII, फाईल नं0 7
29. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकार्ड : जिल्द 84, डिपार्टमेण्ट XIX, फाईल नं0 175
30. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकार्ड : जिल्द 22, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 199
31. झाँसी डिवीजन प्री म्यूटिनी रिकार्ड : जिल्द 47, डिपार्टमेण्ट III, फाईल नं0 301
32. बुन्देलखण्ड एजेन्सी रिकॉर्ड, फाईल नं0 3, 1857
33. बाँदा कलेक्ट्रीएट प्री म्यूटिनी रिकार्ड, फाइल नं0 XVIII 36 भाग–II

(2) उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ

1. फॉरेन डिपार्टमेन्ट 1838–39 पॉलिटिकल अप्रैल जून 1838 ई0 कन्सल्टेशन नं0 16

2. फॉरेन डिपार्टमेन्ट 1841–44 पॉलिटिकल जुलाई, सितम्बर 1841 ई0 कन्सल्टेशन नं0 12
3. फॉरेन डिपार्टमेन्ट 1844 प्रोसीडिंग जुलाई, अगस्त, सितम्बर 1849 ई0 प्रोसेज 24 अगस्त 1849 ई0 नं0 36–37 प्रोसेज 10 नवम्बर 1849ई0 नं0 12–15
4. फॉरेन डिपार्टमेन्ट 1853–60 ई0 प्रोसीडिंग 18 अगस्त 1855 ई0 कन्सल्टेशन नं0 13–16, 13 सितम्बर 1855 क्लेक्शन नं0 17–19
5. फॉरेन डिपार्टमेन्ट 1853–60 ई0 कन्सल्टेशन नं0 1 वर्ष 1856 प्रोसेज 11 फरवरी 1856 ई0 कन्सल्टेशन नं0 16–24, पॉलिटिकल 1856 ई0 क्लेक्शन नं0 7

(3) सैटेलमेन्ट रिपोर्ट

1. कैडल, ए : सैटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा डिस्ट्रिक्ट, नार्थ वेस्ट प्राविन्सेस, गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद, 1881
2. डेविडसन, जे0 : रिपोर्ट आन दि सैटेलमेन्ट ऑफ ललितपुर नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेस, इलाहाबाद, 1881
3. इम्पे डब्ल्यू0एच0 : रिपोर्ट ऑन दि सेकण्ड सैटेलमेन्ट ऑफ झाँसी डिस्ट्रिक्ट एल0 तथा (इन्क्लूडिंग ललितपुर सबडिवीजन), नार्थ वेस्ट प्राविन्सेस, मेस्टन जे0एस0 इलाहाबाद, 1892

4. होरे, एच0एस0 : फायनल रिपोर्ट आन दि रिवीजन ऑफ सैटेलमेन्ट इन ललितपुर, इलाहाबाद, 1896

5. पिम, ए0डब्ल्यू0 : फायनल सैटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑन दि रिवीजन ऑफ झाँसी डिस्ट्रिक्ट, (इन्क्लूडिंग ललितपुर सबडिवीजन), इलाहाबाद, 1902

6. हम्फ्रीज, ई0डी0एम0 : फायनल रिपोर्ट ऑन दि रिविजन ऑफ दि सैटेलमेन्ट ऑफ दि बाँदा डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1909

7. कनिंघम्, आर0के0 : लॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग – 21, वाराणसी, 1969

8. पैर्टसन, ए0बी0 : सैटेलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ कर्वी, इलाहाबाद, 1881

9. जेनकिन्सन, ई0जी0 : रिपोर्ट ऑन दि सैटेलमेण्ट ऑफ झाँसी, इलाहाबाद, 1871

4. गजेटियर्स तथा राजकीय प्रकाशन

1. एटकिन्सन, ई0टी0 : स्टेटिस्किल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टारिकल एकाउन्ट ऑफ द एन0डब्ल्यू0 प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया भाग प्रथम (बुन्देलखण्ड) इलाहाबाद, 1874

2. दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द I, II, कलकत्ता, 1908, 1909

3. ड्रेक ब्रौक मैन, डी0एल0 : बाँदा गजेटियर भाग XXI, इलाहाबाद, 1909

4. ड्रेक ब्रौक मैन, डी0एल0 : झाँसी गजेटियर, इलाहाबाद, 1909

5. ड्रेक ब्रौक मैन, डी0एल0 : हमीरपुर गजेटियर, इलाहाबाद, 1909

6. ड्रेक ब्रौक मैन, डी0एल0 : जालौन गजेटियर, इलाहाबाद, 1909

7. जोशी, ई0बी0 : झाँसी गजेटियर, गजेटियर विभाग, लखनऊ, 1965

8. वरूण, डी0पी0 : बाँदा गजेटियर, गवर्नमेण्ट ऑफ द यू0पी0 (लखनऊ), 1981

(5) **अन्य पब्लिश्ड रिकार्ड्स**

1. रिजवी, एस0ए0ए0 तथा भगवती, एम0एल0 : फ्रीडम स्ट्रगल इन उत्तर प्रदेश भाग – I (1957), भाग – III (1959), भाग – IV, भाग – VI, (1961) पब्लिकेशन्स ब्यूरो, इनफारमेशन डिपार्टमेण्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

2. सेलेटॉर, जी0एन0 : यू0पी0 स्टेट रिकार्ड सीरीज, प्रेस लिस्ट ऑफ बुन्देलखण्ड रिकार्ड (1857–1876), गवर्नमेण्ट कॉमर्सशियल प्रेस इलाहाबाद, 1959

3. तिवारी, राकेश तथा सिह, अम्बिका प्रसाद : पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट लखनऊ, 1988–89

अंग्रेजी वर्क

4. सीतारम्मैया, पट्टाभि : दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल काँग्रेस (1885–1935), भाग I, ऑल इण्डिया काँग्रेस कमिटी, वर्धा, 1935

5. सीतारम्मैया, पट्टाभि : दि हिस्ट्री ऑफ काँग्रेस (1935–1942), भाग II, नई दिल्ली, 1948

6. पाठक, एस0पी0 : झाँसी ड्यूरिंग दि ब्रिटिश रूल, रामानन्द विद्या भवन, कालकाजी, नई दिल्ली, 1987

7. सिन्हा, एस0एन0 : दि रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड, संकलन I, अनल पब्लिकेशन, लखनऊ, 1982

8. तहमान्कर, डी0बी0 : दि रानी ऑफ झाँसी, जैको पब्लिकेशन हाऊस, लन्दन, 1958

9. सरदेसाई, जी0एल0 : ए हिस्ट्री ऑफ दि मराठाज, भाग–II

10. श्रीनिवासन, सी0के0 : वाजीराव दि फर्स्ट पेशवा, बम्बई, 1962

11. सेन, सुरेन्द्र नाथ : 1857, इण्डियन प्रेस कलकत्ता, 1951

12.सरकार, जे0एन0 : फॉल ऑफ दि मुगल इम्पीरियल भाग III, एम0सी0 सरकार एण्ड सन्स, कलकत्ता, 1952

13.एचिन्सन, सी0यू0 : ए कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज इन्ग्रेजमेण्ट्स एण्ड सनद् भाग V, कलकत्ता, 1909

14.कीने, एच0जी0 : फिफ्टी सेवेन, लन्दन, 1883

15.मिल एण्ड विल्सन : हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, भाग–I,

16.मिल एण्ड विल्सन : दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग–II,

17.रत्नाकर, एम0राव : ए क्रिस्टिकल इनक्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्ग इन द बुन्देलखण्ड एरिया, (रिसर्च पेपर)

18.रघुवंशी, एम0वी0पी0एस0 : इण्डियन नेशनलिस्ट मूवमेण्ट

19.सिंह, एस0 : फ्रीडम मूवमेण्ट इन दिल्ली (1858–1919), नई दिल्ली, 1992

20.बरगेस, जैम्स : दि क्रोनोलॉजी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री

21.अन्ना निष्कन, ई0 : ए सेन्चुरी ऑफ प्लान्टिंग, मिशनरी इन इण्डिया (1940–1984)

22.पोल, ग्राहम : इण्डिया इन ट्रांजिसन

23.बेसेन्ट, ऐनी : विल्डर ऑफ न्यू इण्डिया,

24. बेसेन्ट, ऐनी : हाउ इण्डिया रौट फार फ्रीडम, (मद्रास, थियोसाफिकल पब्लिशिंग हाउस, 1915)

25. पूनिया, के0बी0 : दि कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया

26. पार्वते, टी0वी0 : बालगंगाधर तिलक (अंग्रेजी में), नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1972

27. पाण्डेय, वी0एन0 : कनसाइस हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कॉँग्रेस (1885–1947), विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0, 5, अन्सारी रोड, नई दिल्ली, 1985

28. कीथ, ए0वी0 : ए कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (1600–1935), लन्दन, 1935

29. रमणराव, एम0वी0 : ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कॉँग्रेस, एस0 चॉद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1959

30. चिन्तामणि, सी0वाई0 : इण्डियन पोलिटिक्स सिंस म्यूटिनी, इलाहाबाद 1941

31. तेन्दुलकर, डी0जी0 : महात्मा, भाग III, बम्बई, 1955

32. नेहरू, जवाहर लाल : दि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1981

33. नेहरू, जवाहर लाल : ऐन ऑटोबायोग्राफी, ऐलाएड पब्लिशर्स, 1962

34. नेहरू, जवाहर लाल : दि यूनिटी ऑफ इण्डिया, कलेक्टेड राइटिंग्स, 1937–40, (लन्दन, लिण्डसे ड्रमण्ड, 1941)

35. नेहरू, मोती लाल : भवाएस ऑफ फ्रीडम

36. मेनन, वी0पी0 : ट्रान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, ओरिएण्ट लौंगमैन, दिल्ली, 1950

37. बोस, सुभाष चन्द्र : दि इण्डियन स्ट्रगल, कलकत्ता, 1964

38. चन्द्रा, बिपिन : मॉडर्न इण्डिया, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, दिल्ली 1990

39. गुप्ता, एच0डी0 तथा दास, सी0आर0 : विल्डर्स ऑफ मॉडर्न इण्डिया

40. जकरियास, एच0सी0ई0 : रिनेसैण्ट इण्डिया, लन्दन, 1933

41. प्रसाद, राजेन्द्र : ऐट दि फीट ऑफ महात्मा गाँधी

42. ब्रेल्सफोर्ड, एच0एन0 : सब्जेक्ट इण्डिया

43. आजाद, अबुल कलाम : इण्डिया विन्स फ्रीडम, ओरिएण्ट एण्ड लौंगमेन्स, कलकत्ता, 1964 (अनुवादक हिन्दी : चतुर्वेदी महेन्द्र, भारत की आजादी, कलकत्ता, 1965)

44. मजूमदार, ए0के0 : एडवेन्ट ऑफ इन डिपेडेन्स

45.ब्रेचर, माइकेल : नेहरू, ए पोलिटिकल स्टडी, लन्दन, 1959

46.सीकरी, एस0एल0 : ए कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया

47.इण्डियन एनुअल रजिस्टर : वॉल्यूम I, 1942 (ग्रेट ब्रिटेन पार्लामेन्ट्री डिबेट्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिल्द 302)

48.प्रसाद, अम्बा : दि इण्डियन रिवोल्ट ऑफ 1942, दिल्ली, 1958

49.ऐलेक्जेन्डर, कर्निंघम : दि एन्सिएण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया

50.ज्योग्राफिक सर्वे ऑफ इण्डिया: वॉल्यूम I

51.जायसवाल, एम0पी0 : ए ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ बुन्देलखण्ड

52.मिश्रा, जयप्रकाश : दि बुन्देली रेवेलियन

53. मजूमदार, आर0सी0 तथा चौधरी, एस0सी0राय : एनएडवास्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1960

54.मजूमदार, आर0सी0 : हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेण्ट इन इण्डिया, 3 जिल्द (कलकत्ता, 1962–64)

55.आयंगर, एन0 राजगोपाल : दि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 (मद्रास : 1937)

56. कूपलैण्ड, सर रेजिनाल्ड : दि इण्डियन प्राब्लम, भाग I, लन्दन, 1944

57. ताराचन्द : हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेण्ट इन इण्डिया, चार जिल्द, (दिल्ली पब्लिकेशन्स डिवीजन, भारत सरकार 1961–72)

58. माथुर, वाई0बी0 : क्विट इण्डिया मूवमेण्ट 1942, दिल्ली, 1979

59. शर्मा, श्रीराम : कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, (बम्बई : ओरिएण्ट लौंगमेन्स, 1974)

हिन्दी वर्क

1. तिवारी, गोरे लाल : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, काशीनागरी, प्रचारिणी सभा काशी, 1933

2. गोस्वामी, वासुदेव : विद्रोही वानपुर, सहयोगी प्रकाशन दतिया, मध्य प्रदेश, 1954

3. गुप्त, भगवानदास : महाराजा छत्रसाल बुन्देला, शिवलाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 1958

4. गुप्त, भगवानदास : मस्तानी बाजीराव और उनके वंशज बाँदा के नवाब, विद्या मन्दिर

			प्रकाशन, मुरार, ग्वालियर, (म0प्र0), 1983
5.	गुप्त, भगवानदास	:	मुगलों के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड का सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास, हिन्दी बुक सेन्टर, 4/5बी0, आसिफ अली रोड, दिल्ली, 1997
6.	नागर, अमृतलाल	:	आँखों देखा गदर, अनुवादक मूल माझा प्रयास (मराठी) गोडसे, विष्णु लखनऊ, 1957
7.	खरे, भगवानदास	:	बुन्देलों का इतिहास, भगवानदास श्रीवास्तव विचार प्रकाशन, दिल्ली 1982
8.	मिश्र, केशवचन्द्र	:	चन्देल और उसका राजत्व काल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, 1954
9.	पाण्डेय, अयोध्या प्रसाद	:	चन्देल कालीन भारत का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद, 1968
10.	पाण्डेय, पद्माकर	:	हिन्दी पत्रकारिता और राष्ट्रीय आन्दोलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1993
11.	पाण्डेय, रुद्र आदित्य	:	झाँसी, रश्मि प्रकाशन ग्वालियर, (म0प्र0), 1990

12. खान, मसूद अहमद : स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, नई दिल्ली, 1988

13. गुप्त, मन्मय नाथ : भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, 1986

14. विद्यार्थी, रामशरण : भूले विसरे क्रान्तिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली

15. वाचस्पति, इन्द्र विद्या : भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1960

16. सुमन, रामनाथ : उ0प्र0 में गाँधी जी, सूचना विभाग, लखनऊ, 1969

17. चन्द्र, विपिन : भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 1990

18. चन्द्र, विपिन : आधुनिक भारत, अनुवादक, राय, श्याम बिहारी, एन0सी0ई0आर0टी0, अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली, 1990

19. राय, विजय कुमार (सम्पादक): उ0प्र0 में जब्तशुदा साहित्य विशेषांक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, 1997

20. भट्टाचार्य, एस0पी0 : स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक, भाग I, झाँसी डिवीजन, सूचना विभाग, लखनऊ, 1962

21. ठाकुर, हीरा सिंह : बुन्देली माटी के सपूत, बुन्देलखण्ड प्रकाशन, 179, शान्ति नगर, दमोह, (म0प्र0), 1993

22. भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द : भारतीय इतिहास कोष, राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन, हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ, 1976

23. अशान्त, मोतीलाल : झाँसी दर्शन, लक्ष्मी प्रकाशन, 86, पुरानी नझाई, झाँसी 1973

24. अटल, सीताराम चतुर्वेदी : जय बुन्देल भूमि, साहित्य निकेतन, सकरार, झाँसी, 1983

25. यशपाल, बी0एल0 ग्रोवर : आधुनिक भारत का इतिहास, एस0चन्द एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0 रामनगर, नई दिल्ली, 1981

26. शुक्ल, रामलखन : आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई0ए0/6, मॉडल टाउन, दिल्ली, 1987

27. मित्तल, ए0के0 : आधुनिक भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1707–1950), साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, हॉस्पिटल रोड, आगरा, 1999

28. ताराचन्द : भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, प्रथम भाग (1965), द्वितीय भाग (1969), तृतीय भाग (1982), पुराना सचिवालय, दिल्ली

29. मजूमदार, रमेश चन्द्र एवं चौधरी, हेमचन्द्र तथा दत्त, कालिकिंकर : भारत का बृहद इतिहास (प्रथम, द्वितीय, तृतीय खण्ड), पुरांना सचिवालय दिल्ली, मैकमिलन इण्डिया लि0 प्रेस, मद्रास 1954

30. श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र : प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, 21, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 1991

31. रामगोपाल : भारतीय राजनीति, ज्ञान मण्डल लि0 बनारस, उत्तर प्रदेश, 1953

32. माहौर, भगवानदास : यश की धरोहर, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, 1984

33. वर्मा, वृन्दावन लाल : झाँसी की रानी, मयूर प्रकाशन, झाँसी, 1965

34. हर्डोकर, श्रीनिवास बालाजी: अटठारह सौ सत्तावन, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1959

35. वैशम्पायन, विश्वनाथ : अमरशहीद चन्द्रशेखर आजाद, भाग–2, ललित प्रेस, वाराणसी, 1967

36. फजल, अबुल : आइने अकबरी, अनुवादक जेनेट, एच0एस0 और सरकार भाग – 2 कलकत्ता, 1949

37. बुन्देली, राधाकृष्ण तथा बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा : बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, भाग – 1, बाँदा, 1989

38. शर्मा, सियाराम शरण : हिन्दी पत्रकारिता (बुन्देलखण्ड की पत्रकारिता का विशेष अध्ययन), मधु प्रकाशन, झाँसी, 1989

39. शर्मा, एस0 आर0 : आधुनिक भारत का निर्माण, बम्बई, 1974

40. शर्मा, चतुर्भुज : विद्रोही की आत्मकथा, सम्पादक राधाकृष्ण अवस्थी, प्रकाशक, रामलालपुरी, आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली –6, प्रथम संस्करण 1970

41. वाजपेयी, अम्बिका प्रसाद : समाचार पत्रों का इतिहास, ज्ञान मण्डल लि0 वाराणसी

42. वाजपेयी, कृष्णदत्त : उ0प्र0 की ऐतिहासिक विभूति, लखनऊ, 1957

43. वाजपेयी, कृष्णदत्त : युग–युगों में उ0प्र0, इलाहाबाद, 1954

44. वाजपेयी, कृष्णदत्त : उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास, आगरा, 1959

45. सिंह, दिवान प्रतिपाल : बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास भाग –1, वाराणसी, 1985

46. पुरी, शंकर सुल्तान : क्रान्तिकारी आजाद, हिन्दी पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 1875

47. देहल्वी, मुन्शी श्यामलाल : तवारीखें बुन्देलखण्ड, नौगांव (झाँसी) 1880

48. डी0वी0, पारासनिस : झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई

49. राष्ट्रीय गौरव (1995–95) : बुन्देलखण्ड का स्वतन्त्रता संग्राम (प्रधान सम्पादक दशरथ जैन, छतरपुर), बुन्देलखण्ड केशरी छत्रसाल स्मारक, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर, (म0प्र0)

50. सूद, ज्योतिप्रसाद : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा संविधान, जयप्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ, तृतीय हिन्दी संस्करण, 1972

51. द्विवेदी, चन्द्रधर : कामद क्रान्ति, प्रयाग

52. भगवान, विष्णु तथा मोहला, पी0ए0 : भारत का संवैधानिक विकास भाग– प्रथम, आत्माराम एण्ड सन्स, कश्मीरीगेट, दिल्ली –6, 1972

53. पाठक, सुशील माधव : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1993

54. लाल, मुकुट बिहारी : भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन, भाग–प्रथम, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ, 1978

55. अर्जुन देव : सभ्यता की कहानी, भाग–द्वितीय, एन0सी0ई0आर0टी0, दिल्ली, 1990

56. नागोरी, एस0एल0 तथा नागोरी, जीतेश : भारत का मुक्ति संग्राम, भाग–द्वितीय,राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1997

57. सीतारम्मैया, पट्टाभि : काँग्रेस का इतिहास (1935–1942), द्वितीय खण्ड, (हिन्दी अनुवादक : उपाध्याय, हरिभाऊ) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1948

58. प्रसाद, नत्थू : नारायण नैवेद्य

59. उपाध्याय, हरिभाऊ : बापू कथा (उत्तरार्द्ध), सर्वसेवा संघ, वाराणसी, 1969

60. अग्रवाल, आर0सी0 : भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन (स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास तथा भारतीय संविधान), एस0चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, 1994 (सत्रहवां संशोधित संस्करण)

(6) अभिनन्दन ग्रन्थ

1. वीणा वादिनी : (हीरक जयन्ती विशेषांक) 1991—92 सरस्वती पाठशाला इण्टर कॉलेज, झाँसी।

2. अनासक्त मनस्वी : भगवानदास बालेन्दु अभिनन्दन ग्रन्थ मिश्र, द्वारिकेश (सम्पादक) श्री राय प्रेस, झाँसी, 1993

3. पं0 परमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ : पाठक, लक्ष्मी प्रसाद (सम्पादक) स्वाधीन प्रेस, झाँसी, 1972

4. रजत नीरांजना : शुक्ल, परशुराम विरही (सम्पादक), चौबे, हरिहर नारायण (प्रस्तुतकर्ता एवं प्रकाशक) आरोग्य कुटीर प्रेस, शिवपुरी (म0प्र0)

5. दीक्षित जगदीश चन्द्र (सम्पादक) : शब्द जिन्होंने प्रेरित किया (पं0 गोविन्द वल्लभपन्त के भाषणों) का संकलन, (1924—1929) भूमिका से

6. भवानीदीन : वैभव बहे बेतवा धार, साहित्य रत्नाकर गिलीश बाजार, हमीरपुर, 1998 (सेठ बद्रीप्रसाद बजाज के हस्तलिखित आत्मकथा के आधार पर उनके जीवनवृत्त को इस कृति में विवेचित किया गया है।)

7. भवानीदीन : समरगाथा, बसन्त प्रकाशन, महोबा, 1995

8. शर्मा, यज्ञदत्त : बुन्देलखण्ड समग्र, अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति, बुन्देलखण्ड राजकीय संग्रहालय, झाँसी, 1998